खण्ड-401, अंक-1
बुधवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(6 मार्च, 1991 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 401 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल, मंत्रि परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	क–छ
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–106
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	104–105
प्रदेश में जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावटी की पुलिस द्वारा अकारण गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105–106
जनपद उन्नाव की विद्युत् आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद सीतापुर मुख्यालय के अधिवक्ताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106–107
जनपद आजमगढ़ के थाना दीदारगंज में पुलिस द्वारा हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद बाराबंकी की तहसील रामनगर में दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं पर हुये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107–108
आगरा महानगर में कुकिंग गैस वितरण एजेन्सियों द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया के प्राचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
नियम 301 की सूचना लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	109–110
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	110
सदन का संवैधानिक प्रक्रियानुसार चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	111–117
सरकारी विभागों में सरकारी कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117–119
श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा थानाध्यक्ष, वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	119–122
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	122–140
वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	140–159
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम की सूचना. . . (स्वीकृत)	159–160
वित्तीय वर्ष 1991–92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा	160–166

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक 1991. . . (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	166–167
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) तृतीय संशोधन अध्यादेश, 1990 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1991. . . (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	167–170
जनपद फिरोजाबाद में पेय जल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	170
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	170
जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय को जलेसर से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	170–174
सदस्यों	175–192

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

अकबर अली, श्री (जालौन)
अकबर हुसैन बाबर, श्री (फैजाबाद)
अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अख्तर, श्री (गाजियाबाद)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री (गोण्डा)
अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
अतीक अहमद, श्री (इलाहाबाद)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री (रामपुर)
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री (एटा)
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
अफजाल अन्सारी, श्री (गाजीपुर)
अमरनाथ यादव, श्री (वाराणसी)
अमरपाल सिंह, श्री (मेरठ)
अमरनाथ त्रिपाठी, श्री (महाराजगंज)
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री (मऊ)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अरविन्द कुमार, श्री (ललितपुर)
अरिदमन सिंह, श्री (आगरा)
अरुण, कुंवर (फैजाबाद)
अरुण कुमार सिंह "मुन्ना", श्री (जौनपुर)
अरुण प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
अर्जुन सिंह यादव, श्री (जौनपुर)
अवधेश प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
अशोक कुमार, श्री (बिजनौर)
अशोक कुमार सिंह बघेल, श्री (हमीरपुर)
अशोक पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
अशोक कुमार सिंह, श्री (उन्नाव)
अशोक कुमार सिंह, श्री (रायबरेली)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
असगर, श्री (देवरिया)
अहिबरन, श्री (शाहजहांपुर)
इन्दल सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
इन्द्र भद्र सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
इन्देश विक्रम, श्री (रायबरेली)
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री (बुलन्दशहर)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (फतेहपुर)
उमानाथ सिंह, श्री (जौनपुर)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ऐदल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ओंकार सिंह, श्री (एटा)
ओम प्रकाश, श्री (गोरखपुर)
ओम प्रकाश यादव, श्री (मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री (सीतापुर)
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री (फिरोजाबाद)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (गाजीपुर)
कप्तान सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
कमल नयन वर्मा, श्री (रायबरेली)
कमला साहनी, श्रीमती (सिद्धार्थ नगर)
कमाल अहमद रिजवी, श्री (खीरी)
करन चन्द्र सिंह, श्री (नैनीताल)
करन सिंह, श्री (मुरादाबाद)
कल्याण सिंह, श्री (अलीगढ़)
कल्याण सिंह दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)

काजी मोहिउद्दीन, श्री (हरिद्वार)
कालीचरन, श्री (मिर्जापुर)
काशी प्रसाद, श्री (हमीरपुर)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कासिम अली, श्री (देवरिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशन गोपाल, श्री (आगरा)
किशन सिंह तड़ागी, श्री (नैनीताल)
किशोरी श्याम, श्री (मथुरा)
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी (इलाहाबाद)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कृपा शंकर आर्य, श्री (देवरिया)
कृष्ण किंकर सिंह, श्री (बस्ती)
कृष्ण कुमार नवमान, श्री (अलीगढ़)
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री (बदायूं)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
खर्गीद, श्री (गाजीपुर)
गंगाभक्त सिंह, श्री (हरदोई)
गंगाराम, श्री (बुलन्दशहर)
गंजी प्रसाद, श्री (वाराणसी)
गजराज सिंह, श्री (गाजियाबाद)
गणेश दीक्षित, श्री (कानपुर)
गनपत सिंह, श्री (महराजगंज)
गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सिंह, श्री (मिर्जापुर)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोमती यादव, श्री (आजमगढ़)
गोवर्धन सिंह, श्री (एटा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर मइया, श्री (बलिया)
चन्द्रकली वर्मा, श्रीमती (सीतापुर)
चन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
चन्द्रभान मौर्य, श्री (आगरा)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बांदा)
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री (बहराइच)
चन्द्र विजय सिंह, श्री (मुरादाबाद)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (वाराणसी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (बस्ती)
चरन सिंह, श्री (मेरठ)
चेतराम, श्री (शाहजहांपुर)
चैनसुख भारती, श्री (जालौन)
चौधरी शंकर सिंह, श्री (जालौन)
छन्नू लाल शास्त्री, श्री (वाराणसी)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छोटे लाल, श्री (खीरी)
जगदीश चन्द्रा, डा० (लखनऊ)
जगदीश लाल, श्री (महाराजगंज)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगराम सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (महाराजगंज)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जय प्रताप सिंह, श्री (सिद्धार्थनगर)
जयराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
जय शंकर पाण्डेय, श्री (फैजाबाद)
जय सिंह यादव, श्री (प्रतापगढ़)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जागेश्वर, श्री (फतेहपुर)
जी एस० विनोद, डा० (मुजफ्फरनगर)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री (मथुरा)
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री (जौनपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तीरथराज, श्री (सीतामढ़ी)
तेजपाल, श्री (बिजनौर)
दयाराम भास्कर, श्री (आजमगढ़)
दयाशंकर, श्री (वाराणसी)

बिनेश जौहरी, डा०	(बरेली)
बिवाकर विक्रम सिंह, श्री	(सिद्धार्थनगर)
बीपचन्द्र सोनकर, श्री	(जौनपुर)
बीपनारायण, श्री	(आजमगढ़)
बुद्धि प्रसाद यादव, श्री	(आजमगढ़)
बेवकी नन्दन, श्री	(उन्नाव)
बेवकुमार यादव, श्री	(बांदा)
बेवता दीन, श्री	(बहराइच)
बेवी प्रसाद, श्री	(बहराइच)
बेवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	(ललितपुर)
बेवेन्द्र सिंह, श्री	(एटा)
बौलतराम, श्री	(बदायूं)
बौलतराम, श्री	(सीतापुर)
बनीराम वर्मा, श्री	(इटावा)
बर्मज्ञ मिश्र, श्री	(हरदोई)
बर्मपाल, श्री	(बहराइच)
बर्मपाल, श्री	(बुलन्दशहर)
बर्मवीर सिंह बालियान, श्री	(मुजफ्फरनगर)
बकली सिंह, श्री	(मुजफ्फरनगर)
बजमुद्दीन, श्री	(इलाहाबाद)
बरेन्द्र पाल सिंह, श्री	(बरेली)
बरेन्द्र सिंह माटी, श्री	(बुलन्दशहर)
बरेन्द्र सिंह, श्री	(मेरठ)
बरेन्द्र सिंह मण्डारी, श्री	(गढ़वाल)
बरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	(हरदोई)
बरेश चन्द्र उत्तम, श्री	(फतेहपुर)
बारायण दत्त तिवारी, श्री	(नैनीताल)
बियाज हसन, श्री	(प्रतापगढ़)
बिरवेन्द्र कुमार, श्री	(खीरी)
बिहाला सिंह, श्री	(वाराणसी)
बेमपाल सिंह, श्री	(बुलन्दशहर)
पंचानन राय, श्री	(आजमगढ़)
पद्मा सेठ, श्रीमती	(सीतापुर)
परमाई लाल, श्री	(हरदोई)
परवेज हकीम खान, श्री	(मेरठ)

प्रागीलाल अहिरवार, श्री	(झांसी)
पारसनाथ यादव, श्री	(जौनपुर)
पूर्णवासी, श्री	(देवरिया)
पुष्पा देवी, श्रीमती	(बदायूं)
प्यारेलाल शंखवार, श्री	(कानपुर देहात)
प्रदीप कुमार यादव, श्री	(बाराबंकी)
प्रभु दयाल यादव, श्री	(कानपुर देहात)
प्रभुदयाल प्रधान, श्री	(मेरठ)
प्रमोद कुमार, श्री	(प्रतापगढ़)
प्रवीण सिंह ऐरेन, श्री	(बरेली)
प्रेम प्रकाश उर्फ जिम्मी तिवारी, श्री	(सिद्धार्थनगर)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	(लखनऊ)
फकीरे लाल वर्मा, श्री	(फर्रुखाबाद)
फौजदार प्रसाद, श्री	(मऊ)
बंशीधर, श्री	(रामपुर)
बदन सिंह, श्री	(आगरा)
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	(उत्तरकाशी)
बलराम यादव, श्री	(आजमगढ़)
बलवीर सिंह, श्री	(टिहरी-गढ़वाल)
बलदेव सिंह, श्री	(बिजनौर)
बसन्त लाल गुप्ता, श्री	(लखनऊ)
बहादुर सिंह, श्री	(आगरा)
बाबूराम यादव, श्री	(मैनपुरी)
बाबू लाल, श्री	(हमीरपुर)
बाबूलाल सरोज, श्री	(प्रतापगढ़)
बालचन्द्र मिश्रा, श्री	(कानपुर)
बृज भूषण मणि त्रिपाठी, डा०	(फैजाबाद)
बृजेन्द्र सिंह, श्री	(अलीगढ़)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	(बाराबंकी)
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	(देवरिया)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	(कानपुर देहात)
भगवान सिंह शाक्य, श्री	(बदायूं)

भारत सिंह रावत, श्री (गढ़वाल)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री (बरेली)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंजूर अहमद, श्री (बरेली)
मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
मण्डलेश्वर, श्री (आगरा)
मदन गोविन्द राव, श्री (देवरिया)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मयंकर सिंह, श्री (बहराइच)
मस्तराम, श्री (उन्नाव)
महाराज सिंह यादव, श्री (इटावा)
महावीर सिंह "आजाद" (मुजफ्फरनगर)
महावीर सिंह राणा, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (इलाहाबाद)
महेन्द्र सिंह माहरा, मधु भाई, श्री (पिथौरागढ़)
महेन्द्र सिंह माटी, श्री (गाजियाबाद)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (सिद्धार्थनगर)
माधव, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मास्टर कंवर पाल, श्री (सहारनपुर)
मिठाई लाल शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री (बदायूं)
मुंशी लाल, श्री (इटावा)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुक्तिनाथ यादव, श्री (देवरिया)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुहम्मद सईद 'अमर' (सिद्धार्थनगर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मूलचन्द, श्री (वाराणसी)
मोतीलाल वेहलवी, श्री (कानपुर देहात)

मोबीन अहमद आजमी, श्री (मऊ)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोहम्मद उल्लाह चौधरी, डा० (मुरादाबाद)
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री (मुरादाबाद)
मो० हयात, श्री (मुरादाबाद)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल, श्री (नैनीताल)
यशवन्त, श्री (आजमगढ़)
युवराज सिंह, श्री (हमीरपुर)
योगेन्द्र कुमार, श्री (बदायूं)
रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री (फिरोजाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवर दयाल वर्मा, श्री (फिरोजाबाद)
रणजीत सिंह, श्री (देहरादून)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतन लाल अहिरवार, श्री (झांसी)
रतन लाल उर्फ दीना, श्री (बाराबंकी)
रमाकान्त यादव, श्री (आजमगढ़)
रमापति शास्त्री, श्री (गोण्डा)
रमेश करन, श्री (अलीगढ़)
रविकान्त गर्ग, श्री (मथुरा)
रविदास मेहरोत्रा, श्री (लखनऊ)
रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री (गाजीपुर)
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री (फैजाबाद)
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री (बुलन्दशहर)
रवीन्द्र शुक्ल, श्री (झांसी)
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री (इटावा)
राकेश कुमार पालीवाल, श्री (फिरोजाबाद)
राकेश धर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजकिशोर सिंह, श्री (वाराणसी)

राजधारी, श्री (बलिया)
राजनाथ सोनकर (गाजीपुर)
शास्त्री, श्री
राजपति, श्री (जौनपुर)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
राजमणि पाण्डेय, श्री (बस्ती)
राजा मो० अमीर (सीतापुर)
मोहम्मद खां, श्री
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (हमीरपुर)
राजेश्वर बंसल, श्री (मुजफ्फरनगर)
राधेश्याम भारतीय, श्री (इलाहाबाद)
रामआसरे अग्निहोत्री, श्री (कानपुर)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम औतार मिश्र, श्री (शाहजहांपुर)
रामकरन आर्य, श्री (बस्ती)
रामकुमार वर्मा, श्री (खीरी)
राम कुमार शुक्ल, श्री (लखनऊ)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम छबीला मिश्र, श्री (देवरिया)
राम तेज, श्री (बहराइच)
राम दुलारे सिंह, श्री (इलाहाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
रामपाल वर्मा, श्री (हरदोई)
रामपाल सिंह, एडवोकेट (गोण्डा)
राम प्रसाद चौधरी, श्री (अलीगढ़)
राम प्रसाद सिंह, श्री (बांदा)
राम बख्श वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम बचन, श्री (आजमगढ़)
राम बचन भूरिया, श्री (बलिया)

राम मूरती सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
रामरति बिन्द, श्री (वाराणसी)
राम लखन यादव, श्री (प्रतापगढ़)
राम लखन वर्मा, श्री (फैजाबाद)
राम ललित, श्री (बस्ती)
राम विशुन आजाद, श्री (गोण्डा)
राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
राम सरन सिंह, श्री (अलीगढ़)
राम सिंह सैनी, श्री (हरिद्वार)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम सेवक सिंह, श्री (बदायूं)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
रामेश्वर दयाल (मैनपुरी)
बाल्मीकी, श्री
रामेश्वरी, श्रीमती (बिजनौर)
राय लक्ष्मी नारायन (जौनपुर)
सिंह, श्री
रिछपाल सिंह बंसल, श्री (मेरठ)
रिजवान जहीर उर्फ (गोण्डा)
रिज्जू, श्री
रिफाकत हुसेन, श्री (मुरादाबाद)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रुद्र प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
रेशमा आरिफ, श्रीमती (कानपुर)
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री (मेरठ)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लालदारी देवी, श्रीमती (देवरिया)
लालता प्रसाद यादव, श्री (जौनपुर)
विक्रमादित्य, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया)
विजय सिंह, श्री (सोनभद्र)
विजय सिंह राणा, श्री (आगरा)
विनोद कुमार चौधरी, श्री (अलीगढ़)
विपिन बिहारी, श्री (हरदोई)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)

विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशुन दयाल, श्री (बहराइच)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विश्वनाथ सिंह, श्री (देवरिया)
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री (फतेहपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री (एटा)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री (सहारनपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (हरिद्वार)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शफीकुर रहमान बर्क, श्री (मुरादाबाद)
शमी (शमीम) अहमद खां, डा० (मुरादाबाद)
शर्मेन्द्र त्यागी, श्री (मुरादाबाद)
शशि मिसल, श्रीमती (मेरठ)
शारदा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
शरदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
शारदा प्रसाद रावत, श्री (गोरखपुर)
शारदा प्रताप शुक्ल, श्री (लखनऊ)
शिवकरन सिंह, श्री (बाराबंकी)
शिव कुमार बेरिया, श्री (कानपुर)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव प्रताप शुक्ल, श्री (गोरखपुर)
शिव बहादुर सक्सेना, श्री (रामपुर)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी० डी० माई०, श्री (मैनपुरी)
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री (बालोन)
शिवानन्द नौटियाल, डा० (चमोली)

शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री (बिजनौर)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री (वाराणसी)
श्याम नारायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम बिहारी सिंह, श्री (बरेली)
श्याम लाल रावत, श्री (सीतापुर)
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री (मथुरा)
श्रीप्रकाश उर्फ झातू, श्री (आजमगढ़)
श्रीराम चौहान, श्री (बस्ती)
संगम लाल शुक्ला, श्री (प्रतापगढ़)
संत बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
संत श्रीराम द्विवेदी, श्री (फैजाबाद)
संतोष कुमारी पाठक, श्रीमती (बदायूं)
सच्चिदानंद बाजपेयी, श्री (उन्नाव)
सत्य प्रकाश विकल, श्री (आगरा)
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री (वाराणसी)
सन्नू लाल, श्री (पीलीभीत)
समीउल्ला, श्री (गोण्डा)
सरजीत सिंह उंग, श्री (मिर्जापुर)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सरस्वती तिवारी, श्रीमती (अल्मोड़ा)
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री (खीरी)
सर्वराज सिंह, कुंवर (बरेली)
सावित्री देवी, श्रीमती (जौनपुर)
साहब सिंह, श्री (मेरठ)
सिया दुलारी, श्रीमती (बांदा)
सियाराम सागर, डा० (बरेली)
सी० बी० इनिस, श्री (नाम निर्वाचित आंग्ल भारतीय)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इलाहा)
सुखबीर सिंह, श्री (बिजनौर)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)

सुन्दर लाल कुरील, श्री (उन्नाव)
सुन्दर लाल, श्री (बाराबंकी)
सुबास, श्री (मऊ)
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री (हरदोई)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० (बांदा)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण पाण्डेय, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश कुमार खन्ना, श्री (शाहजहांपुर)
सुरेश चन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री (अलीगढ़)
सुरेश यादव, श्री (देवरिया)
सूर्यभान सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री (फतेहपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नाथ, श्री (देवरिया)
हनुमन्त सिंह, श्री (गोण्डा)
हरदेव सिंह, श्री (बाराबंकी)
हरद्वार दुबे, एडवोकेट, श्री (आगरा)
हरनारायण, श्री (पीलीभीत)
हरनारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हर फूल सिंह, श्री (सहारनपुर)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन, श्री (कानपुर देहात)
हरिचरन यादव, श्री (सुल्तानपुर)
हरिवंश कपूर, श्री (देहरादून)
हरि शंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)
हरीश कुमार गंगवार, श्री (पीलीभीत)
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री (मुजफ्फरनगर)
हाजी मो० वसीम, श्री (रायबरेली)
हृदय नारायण, श्री (उन्नाव)
होशियार, श्री (बुलन्दशहर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 6 मार्च 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोन्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
उमाकान्त बाजपेयी, श्री	फतेहपुर
उमानाथ सिंह, श्री	जौनपुर
ऐदल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
खुर्शीद, श्री	गाजीपुर
गंगाराम, श्री	बुलन्दशहर
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	वाराणसी
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
तीरथराज, श्री	सीतामढ़ी
तेजपाल, श्री	बिजनौर
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
दौलत राम, श्री	सीतापुर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धर्मवीर सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेश चन्द्र उत्तम, श्री	फतेहपुर
निरवेन्द्र कुमार, श्री	औरी
बरफिया लाल जुवाठा, श्री	उत्तरकाशी
मन्डलेश्वर, श्री	आगरा
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र सिंह माहरा, महूभाई, श्री	पिथौरागढ़
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बाजियाबाद
मास्टर कुंवर पाल, श्री	सहारनपुर
मुस्तफा अली खां, श्री	मथुरा
मोहीन अहमद आजमी, श्री	मऊ
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
यशवंत, श्री	आजमगढ़
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पल, श्री	बुलन्दशहर
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी

राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम रति बिन्द, श्री	वाराणसी
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोन्डा
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री	बिजनौर
संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
समीउल्ला, श्री	गोन्डा
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
साहब सिंह, श्री	मेरठ
सी० बी० इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्लभारतीय
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल कुरील, श्री	उन्नाव
सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरीश कुमार गंगवार, श्री	पीलीभीत
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
हाजी मो० वसीम, श्री	रायबरेली

बुधवार दिनांक 6 मार्च, 1991 विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

(सदन में माननीय अध्यक्ष के आगमन के उपरान्त)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, राजीव गांधी जी के यहां जो सब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग बिराजें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण मंहगी विद्युत का आयात किया जाना

**1—श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री हृदय नारायण तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की दोषपूर्ण व्यवस्था और दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप मार्च 1990 से नवम्बर, 1990 के मध्य परिषद् के विद्युत् उत्पादन में रिकार्ड तोड़ गिरावट आयी? क्या यह सत्य है कि उत्पादन की इस कमी को छिपाने हेतु बाहर से मंहगी बिजली आयात कर प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति करनी पड़ी? यदि हां, तो शासन ने इस संदर्भ में क्या कोई कार्यवाही की? यदि हां तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

मार्च, 1990 से नवम्बर, 1990 की अवधि में परिषद् के विद्युत् गृहों द्वारा 14325 मिलियन यूनिट का विद्युत् उत्पादन हुआ जो कि गत वर्ष सापेक्ष अवधि (मार्च 1989 से नवम्बर, 1989) में हुए 13918 मिलियन यूनिट के विद्युत् उत्पादन से अधिक है।

जी नहीं। उपरोक्त अवधि में 6447 मिलियन यूनिट का आयात किया गया जो कि विगत वर्ष की सापेक्ष अवधि में 5522 मिलियन यूनिट के आयात से 1.7 प्रतिशत अधिक रहा। परन्तु अधिक आयात विद्युत् की बढ़ती हुयी मांग के सापेक्ष अधिक उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया। वर्ष 1990–91 में बजट अनुमान के अनुसार परिषद् के अपने उत्पादन की बस–बार पर लागत 62.22 पैसे प्रति यूनिट है जब कि अप्रैल–नवम्बर, 1990 की अवधि में आयातित विद्युत् की औसत क्रय दर 61.67 पैसे यूनिट आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था वह मूल प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की दोषपूर्ण व्यवस्था और अदूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप मार्च, 1990 से नवम्बर, 1990 के मध्य परिषद् के विद्युत् उत्पादन में रिकार्ड तोड़

गिरावट आयी है। इसका माननीय मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है कि विद्युत् परिषद् की दोषपूर्ण नीतियां थीं या नहीं या उसकी अदूरदर्शिता थी या नहीं। अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि मार्च, 1990 के बाद और नवम्बर, 1990 के मध्यम में जो उत्पादन माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में दिया है कि उपरोक्त अवधि में 6447 मिलियन यूनिट का आयात किया गया तो यदि आपका विद्युत् का उत्पादन सही था तो इतनी बड़ी संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा आपके द्वारा बिजली आयात करने का क्या कारण है ? और क्या यह भी सही है कि जिसमें आपने इतना ज्यादा रुपया दिया उतनी ही कास्ट आफ प्रोडक्शन आपकी पड़ती थी। ज्यादा मंहगी बिजली क्रय करने के कारण और ज्यादा रुपया आपको देना पड़ा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न के मूल उत्तर से स्पष्ट है जिसके संबंध में अभी माननीय वर्मा जी ने फिर अनुपूरक प्रश्न किया है कि आयातित बिजली की मात्रा क्यों बढाई गयी तो मान्यवर, मार्च 1990 से नवम्बर, 1990 के बीच में 6447 मिलियन यूनिट का आयात किया गया जो कि पिछले साल, 1989 में 5522 मिलियन यूनिट के आयात से 16.7 प्रतिशत अधिक है। इस बीच में हमारी बिजली की मांग बढी है और उसको पूरा करने के लिये ऐसा किया गया है। हमारी जो मांग थी, उस मांग के मुकाबिले 28.6 प्रतिशत विद्युत् आयात की गयी। उस समय जो मांग थी, वह 19,315 मिलियन यूनिट थी, उसके मुकाबले में 5522 मिलियन यूनिट आयात की गयी, लेकिन नवम्बर, से मार्च, 1990 के बीच में जो मांग थी, वह बढ़ गयी और 20853 यूनिट के मुकाबले 6446 यूनिट आयात करनी पड़ी, जो मौजूदा मांग के मुकाबिले 30.9 प्रतिशत है। जो आयात की हुई मात्रा है, उसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि आयी है, जब कि मांग 7.97 प्रतिशत बढ़ी है तो मांग के मुकाबिले आयात ज्यादा नहीं करना पड़ा है। जो आयातित बिजली की औसत दर है वह 61.67 पैसे यूनिट है और परिषद् की बिजली लागत 62.22 पैसे प्रति यूनिट है, तो यह बहुत अधिक नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश का प्लान लोड फैक्टर क्या रहा है और आल इंडिया प्लान लोड फैक्टर क्या है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय नेता जनता दल विद्युत् मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने एक प्रश्न किया है कि पिछले तीन महीनों में प्लान लोड फैक्टर कितना है प्रदेश का और आल इंडिया का कितना है। अगर आप समय दें तो अलग से सूचना एकत्र कर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री पंचानन राय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिजली का उत्पादन कितना बढा है। आयातित बिजली सस्ती मिल रही है और उत्पादन मंहगा है, तो इसका क्या कारण है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय नेता जनता दल अभी पी0 एल0 एफ0 के बारे में सवाल कर चुके हैं विद्युत उत्पादन कितना बढ़ा है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। जो मूल प्रश्न है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है 10–5 पैसे तो वैसे ही चाय पानी में खर्च कर दिये जाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूंछना चाहता हूं कि लगभग एक हजार मिलियन यूनिट का उत्पादन बढ़ा है एक वर्ष में, तो विद्युत् परिषद् की इन्सटाल्ड कैपासिटी कितनी बढ़ गयी थी। जब यह जानकारी मिल जायेगी तब स्पष्ट जानकारी हो सकेगी विद्युत् परिषद् में कितना भ्रष्टाचार है और बिजली के उत्पादन में कितनी गिरावट है, जिससे इन्सटाल्ड कैपासिटी गिरती जा रही है।

यहां से हम करोड़ों रुपया देते चले जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस एक वर्ष में इंस्टाल्ड कैपिसिटी में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष भाजपा माननीय सदस्य सीतापुर राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस्टाल्ड कैपिसिटी कितनी बढ़ी पूछा है तो यह तो आय-व्ययक अनुमानों में स्पष्ट किया गया है। तो जो हमारी थरमल और हाइडिल की 6 हजार के आसपास मेंगावाट की कैपिसिटी है उसमें कितनी वृद्धि हुई है को जानने के लिये अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा क्योंकि मूल प्रश्न में इस तरह की कोई बात नहीं पूछी गयी है।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की दोष पूर्ण व्यवस्था और अदूरदर्शिता की नीतियों के फलस्वरूप मार्च, 1990 से नवम्बर, 1990 के मध्य परिषद् के विद्युत् उत्पादन में रिकार्ड तोड़ गिरावट आई जिसका उन्होंने उत्तर दे दिया और उत्पादन के गिरावट की जानकारी दे दी। तो मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, 90 के पहले जनवरी, फरवरी और दिसम्बर, 1989 में उत्पादन क्या था।

दूसरा आयातित बिजली सस्ती है और हमारे यहां उत्पादित बिजली मंहगी है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए विद्युत् उत्पादन को निजी क्षेत्र में सौपने पर बिचार कर रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा उत्तर में स्पष्ट है माननीय रघुवर दयाल वर्मा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यही प्रश्न किया था कि मार्च, 90 से नवम्बर, 90 के बीच विद्युत् उत्पादन में रिकार्ड तोड़ गिरावट आई है और गिरावट के कारण ज्यादा मंहगी बिजली आयात की। तो उसका उत्तर हमने दे दिया है (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने पहले ही उत्तर दे दिया मार्च से नवम्बर में कितना उत्पादन हुआ । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण —

मैंने दो प्रश्न किये थे एक का भी उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को 10 मिनट हो चुके हैं। (व्यवधान) मैंने आपके प्रश्न को समझ लिया है और उसका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है अब आगे बढ़ें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने एक ही अनुपूरक किया है दो प्रश्न तो मुझे करने दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नकर्त्ता श्री हृदय नारायण भी हैं उन्होंने दो प्रश्न कर लिये हैं ।

श्री हृदय नारायण —

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर कहां आया आपने तो सुना ही है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया है एक प्रश्न को दस मिनट हो गये हैं । (व्यवधान) क्या और प्रश्न नहीं होने देंगे ?

श्री हृदय नारायण —

मान्यवर, नियमावली आप देखें।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली मैंने देखी है (व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, 347 करोड़ का घाटा हुआ है मैं जानना चाहता हूं कि इस घाटे का क्या कारण है और जो विद्युत् आयात की गयी उसको मेजने में कितना खर्च हुआ।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आगे बढ़ने दें आप बैठें। उन्होंने उत्तर दे दिया है अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें। (व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी से उत्तर तो दिलवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, घाटा क्यों है, क्या बता सकते हैं ?
(व्यवधान) मंत्री जी के खड़े होने पर (व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

(व्यवधान) मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिये क्या आप आंकड़े, उनसे लेकर सदन के समक्ष रखेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी खड़े हैं उनको आप लोग सुन लें ?

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

बिजली उत्पादन की रेकार्ड गिरावट के कारण आयातित बिजली पर 343 करोड़ रुपये अधिक देना पड़ा, क्या इसी से विद्युत् परिषद् को घाटा हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

मंत्री जी की जानकारी में नहीं है तो उत्तर वह क्या देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग निरन्तर प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। (व्यवधान) आप लोग बराबर प्रश्न कर रहे हैं तो किसका उत्तर मंत्री जी दें ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

343 करोड़ रुपये आयातित बिजली पर दिया जो क्या रेकार्ड बिजली उत्पादन में गिरावट के कारण दिया जिससे घाटा हुआ है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय वर्मा जी का जो मूल प्रश्न है उससे छोटा प्रश्न निकाल लिया, बड़ी धारा से छोटी धारा निकाल लिया और कह रहे हैं कि 343 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है वह क्या आयातित बिजली के कारण है, तो वर्मा जी कल्पनाशील हैं और ऐसी कल्पना कर लेते हैं जिसका कोई आधार नहीं है।

यू0पी0 स्टेट हार्टिकों के छंटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य विभागों में खपाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही।

**2—श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 15 जुलाई, 1990 को यू0 पी0 स्टेट हार्टिको बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसे बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या हार्टिको के समस्त 328 छंटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य विभाग में खपाने की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)—

यू0पी0 स्टेट हार्टिको के कार्यकलापों को दिनांक 30 जून, 1990 को बंद कर दिया गया था तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवायें दिनांक 15 जुलाई, 1990 को समाप्त कर दी गयी।

निरन्तर हो रहे घाटे के कारण संस्था को बंद कर दिया गया।

हार्टिको के छंटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्य विभागों में खपाये जाने का मामला सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है । पिछले 9 माह से हार्टिको बन्द है, जिसके 328 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं । यह इस सरकार की देन है कि जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें पर्याप्त रोजगार दिला नहीं पा रही है और जो लोग रोजगार से लगे हुये हैं, उन्हें बेरोजगार कर रही है, इस बेरोजगारी से सम्बन्धित परिवारगण काफी दुखी हैं । मान्यवर 4 जनवरी, 1991 को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुयी थी, उसमें इस बारे में क्या निर्णय लिया गया । और हार्टिको को बंद करने के कारणों में घाटा बताया जाता है, जिनकी जाँच कराई गयी । 9 माह से यह सरकार बराबर इस सम्बन्ध में यही उत्तर दे रही है कि सक्रिय कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब तक 9 माह हो गये हैं कोई अंतिम निर्णय नहीं ले सकी है कि इन कर्मचारियों को कहाँ-कहाँ और कब तक खपायेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द समायोजित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मेरे पूरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है, कृपया करके इसका उत्तर भी दिलवा दें कि जो 4 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक हुयी थी, उसमें इन कर्मचारियों के बारे में क्या निर्णय लिये गये थे निर्णय लिये गये थे कि इनको जल्द से जल्द कहीं न कहीं रखा जाये । लेकिन मंत्रिमंडल के इस निर्णय पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी कृपया पूर्वक दें दें और दूसरा प्रश्न यह कि घाटे के क्या कारण हैं, उनकी जो जाँच कराई गयी थी, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अध्यक्ष जी, घाटे के मुख्य कारण यहीं हैं कि आवश्यकतानुसार पूंजी का न होना, अधिकारियों की अक्षमता तथा कर्मचारियों का सदुपयोग न हो पाना आदि हैं । जिसकी वजह से निरन्तर घाटा होता चला गया । इन सब को देखते हुये जो भी कर्मचारियों के देय थे, उन सभी का भुगतान कर दिया गया है । साथही नियमानुसार समायोजित करने के लिये हम प्रतिबन्धित नहीं हैं । फिर भी मानवता के आधार पर उनको जल्द से जल्द समायोजित करने पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि 4 जनवरी को जो बैठक हुयी थी और उसमें जो निर्णय लिये गये थे उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? और दूसरी बात घाटे के कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मेहरोत्रा जी आप बैठें, माननीय राम चन्द्र बक्श सिंह जी का प्रश्न है, आपकी वजह से उन्हें अब तक मौका नहीं मिल पाया है । माननीय मंत्री जी ने आपकी बातों का जो जबाब हो सकता था, वह दे दिया है । लेकिन आपकी आदत है कि आप किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं, और बार-बार प्रश्न करते रहते हैं, इससे सदन का काफी समय निकल जाता है । इसलिये आप जी बोलेंगे बगैर इजाजत कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । कृपया बैठ जायें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मेरी बात का उत्तर आया ही नहीं, इसीलिये मुझे बार-बार पूछना पड़ रहा है कि

4 जनवरी को निर्णय जो लिया गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई । दूसरे जो जांच हुयी उसमें क्या तथ्य सामने आये.....(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष—

आप जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा क्योंकि आप वही बातें रिपीट कर रहे हैं, जो पहले कह चुके हैं और जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

नहीं मान्यवर, उत्तर नहीं आया है ।

एक माननीय सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी आप किस लिये बैठे हैं ?.....(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आपने बैठाया है इसलिये बैठे हैं.....(घोर शोर)

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि हार्टिको घाटे में थी, इसलिये बंद कर दिया गया है । मान्यवर, इसी तरह से और भी कई कारपोरेशन हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जिन्हें दूसरे उद्योगपतियों को दे दिया गया है । इसी प्रकार के ऊंचाहार प्रोजेक्ट भी घाटे में जा रहा है, क्या उसे और इस हार्टिको को भी किसी दूसरे उद्योगपति को देने जा रहे हैं । दूसरे जो कर्मचारी बेकार हो गये हैं, उन्हें कब तक कार्य पर ले लिया जायेगा ।

और दूसरी बात यह है कि जो यह हार्टिको बन्द किया गया है, तो जो इसका बहुत सा बना बनाया सामान था, वह कितने मूल्य का था और उसका अब क्या हो रहा है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय सदस्य को पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों को कब तक समायोजित कर लिया जायगा, तो मैं इस विषय में बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि शासन उनका समायोजित करने के लिये बाध्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार जितने भी उनके देय हैं, उनका भुगतान कर दिया गया है । फिर भी मानवता के आधार पर उनको समायोजित करने के लिये शासन विचार कर रहा है ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मंत्री जी को यह पता है कि कैबिनेट ने यह फैसला कर रखा है कि जितने भी कारपोरेशन बन्द किये जायेंगे तो उनके सभी लोगों को समायोजित किया जायगा इसके लिये शासन वचनबद्ध है ? यदि उन्हें नहीं पता है, तो क्या वह इसका पता लगवायेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

इसीलिये तो उनको जल्दी से जल्दी समायोजित करने पर विचार किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद शुक्ल—

यह मेरे क्षेत्र का मामला है और मैं इस विषय में एक सवाल अवश्य करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसी कि मुझे जानकारी है इस हार्टिको फैक्टरी के भवन को सरकार ने बेच दिया है, जो उक्त भवन और पूरे कम्पाउण्ड को कितनी लागत में बेचा गया है और किस व्यक्ति को बेचा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

जैसा मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि वह हार्टिको के सभी कर्मचारियों को सेवा में तो लेने के लिये वचनबद्ध हैं, महीने हो गये हैं, लेकिन अभी तक उनको सेवा में नहीं लिया गया है और भी अभी समय लग सकता है, तो जब तक उनको सेवा में नहीं लिया जाता है, तब तक वह उनको अपनी आजीविका चलाने के लिये वेतन देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

यह माननीय अध्यक्ष जी, सम्भव नहीं है ।

(अगला प्रश्न लिये जाने पर व्यवधान)

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । उस फैक्ट्री में 328 कर्मचारी हैं, उनके घरों में रात दिन खाना नहीं बन पा रहा है, तो उनके समायोजन के सम्बन्ध में सरकार ने फैसला किया है उसके अनुसार उनको कब तक कर दिया जायगा ? दूसरे, जब हार्टिको को बन्द किया गया तो उस समय कितने रुपये का कच्चा माल और खाद्य पदार्थ वहां रखा हुआ था ? और अब उसका क्या किया गया है ? उसके घाटे के क्या कारण थे और कुल कितने का वहां पर घाटा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी आपके पास इसकी सूचना हो तो बता दें ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं माननीय सदस्यों से इस बारे में बार-बार आग्रह अनुनय कर रहा हूं कि उनको समायोजित करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है । जितनी जल्दी हो सकती है, उतनी जल्दी की जायगी ।

[बुधवार दिनांक 6 मार्च के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद कानपुर देहात में बेहमई काण्ड से सम्बन्धित विधवाओं को पेंशन देने की मांग

*1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित बेहमई काण्ड जिला कानपुर देहात से सम्बन्धित विधवाओं को पेंशन देने के बारे में उक्त ग्राम की विधवाओं का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1990 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

कृषि मंत्री (श्री शंकर सिंह)—

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में नियमों के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले 7 मृतक गैर सरकारी व्यक्तियों के आश्रितों को असाधारण पेंशन स्वीकृत की गयी है । शेष मामले पात्रता क्षेत्र में न आने के कारण उन्हें असाधारण पेंशन स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं पाया गया । उक्त आशय की सूचना माननीय सदस्य विधान सभा को अर्धशासकीय पत्रांक-26(वी)पी/छःपु-6-

90-507/81, दिनांक 4 मई, 1990 तथा अधंशासकीय पत्रांक-117(वी)पी/छःपु0-6-90-507/81, दिनांक 23 अगस्त, 1990 द्वारा दी जा चुकी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि असाधारण पेंशन स्वीकृत कराने के लिये, पात्रता के नियम कौन-कौन से हैं ?

श्री शंकर सिंह--

पात्रता के जो नियम हैं, उसमें जो बेहमई कांड से सम्बन्धित आश्रित हैं वह नहीं आते हैं । जहां तक पात्रता के बारे में आपने पूछा है, तो उसमें बताना चाहूंगा कि 5 नवम्बर, 1978 का एक जी0ओ0 है उसमें है कि ऐसे छोटे कृषक, श्रमिक, गाँव के चौकीदार तथा अल्प आय के दुकानदार इस प्रकार के गैर सरकारी व्यक्ति जो डकैतों का मुकाबला करने तथा जान-माल की सुरक्षा करने में राज्य की सहायता करते हुये दिवंगत हो जाते हैं, वह इस श्रेणी में आते हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

आप इनको असाधारण पेंशन स्वीकार नहीं कर सकते तो जो उनकी विधवायें हैं उनको और कोई सुविधा आप देंगे ?

श्री शंकर सिंह--

इस हत्याकांड के तुरन्त बाद सरकार ने पाँच-पाँच हजार मृतकों की आश्रित विधवाओं को दिया था । इसमें माननीय विधायकों की और जन प्रतिनिधियों की तरफ से इसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि जो उनकी विधवायें हैं उनको कुछ दिया जाय, तो इसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि जो ऐसी विधवायें हैं, जिनकी आर्थिक दशा शोचनीय है, उनके लिये नियमों में शिथिलीकरण करके, सात विधवाओं को आर्थिक मदद (असाधारण पेंशन) दी गई ।

(तारांकित प्रश्न-संख्या 2 पुकारे जाने पर एवं माननीय सदस्य के उपस्थित न होने पर)

प्रदेश में विद्युत् की चोरी को रोकने तथा बकाया धनराशि वसूल करने की कार्यवाही

*2--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (अनुपस्थित)--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत् की चोरी और बकाया रकमों को वसूल करने के लिये शासन ने क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं विद्युत् परिषद्, का 1 मई, 1990 तक कितना धन बकाया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

(अ) विद्युत् की चोरी कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

1--विद्युत् चोरी को गैर जमानती अपराध घोषित किया जा चुका है ।

2--विद्युत् उपभोक्ता परिसरों पर परिषद् के अधिकारियों द्वारा तथा प्रवर्तन दलों के माध्यम से चेकिंग करायी जा रही है ।

3--परिषद् ने मुख्य अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम चेकिंग निर्धारित की है ।

4--विद्युत् चोरी के मामले में पाये गये लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

5—छापे व जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अधीक्षण अभियन्ता रेड मानीटरिंग यूनिट की तैनाती की गई है ।

(ब) बकाया रकम वसूल करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

1—प्रत्येक विद्युत खण्ड में 50 सबसे बड़े बकायेदारों का सूचीकरण हो चुका है वे उनसे वसूली का प्रतिमाह अनुश्रवण किया जा रहा है ।

2—न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु परिषद् में नवम्बर, 88 से मुख्य अभियन्ता वाणिज्य के अन्तर्गत एक विधि कक्ष की स्थापना अलग से की जा चुकी है ।

3—जिलाधिकारियों को भू-राजस्व की तरह वसूली हेतु बकाया के प्रेषित धारा 5 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्रों पर त्वरित वसूली के लिये विभिन्न स्तरों पर बैठकें ।

4—राजस्व वसूली की गति को तेज करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वर्ष 1990-91 में एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है । इस कार्य योजना में उपरोक्त के अतिरिक्त और मुख्य अंश निम्नानुसार है :—

(क) बकाया वसूली के लिये धनराशि का विभिन्न स्तरों पर दायित्व निर्धारित किया जा चुका है ।

(ख) बकायों की त्वरित वसूली हेतु विद्युत् खण्डों में प्रतिमाह शिविरों का आयोजन ।

(ग) विद्युत् विच्छेदन हेतु प्रत्येक खण्ड में विशेष अभियान ।

(घ) स्थायी विच्छेदित मामलों का शीघ्र निस्तारण ।

(च) नये उपभोक्ताओं का समय से लेजरीकरण ।

(छ) विभिन्न स्तरों पर समय से सही मीटर रीडिंग व बिलिंग तथा राजस्व वसूली का दायित्व ।

(ज) राजकीय देयों जैसे सिंचाई विभाग, जल संस्थान, स्थानीय निकाय की वसूली हेतु विशेष अभियान ।

(झ) 1 मई, 1990 की स्थिति में उत्तर प्रदेश रा0 वि0 प0 का उपभोक्ताओं पर 684.05 करोड़ रुपया बकाया था ।

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम जमौर में केमिकल फैक्टरी के निर्माण हेतु यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसानों को देने की माँग

*3—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमौर, जिला शाहजहाँपुर में केमिकल फैक्टरी के निर्माण हेतु यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के द्वारा जो भूमि अधिगृहीत की जा रही है उसमें किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इसके निकट के डियुढ़ी का रेट 90,000 रुपये प्रति एकड़ है और इसी ग्राम में बैनामा रजिस्ट्री का रेट पिछले एक साल से 55,000 रुपये प्रति एकड़ है तथा इसी जमीन का मुआवजा 12,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से किसानों को अदा किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी बैनामा रजिस्ट्री रेट के अनुसार 55,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा किसानों को दिलवायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन एवं 21 सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव)—

ग्राम जमौर, जिला शाहजहाँपुर में केमिकल फैक्टरी के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की संगत धारा के अन्तर्गत ही दिया जा रहा है ।

ग्राम नवादा इन्देपुर में केवल सड़क के किनारे स्टैम्प ड्यूटी का रेट 90,000 रु0 है। शेष तथ्य सही नहीं पाये गये। जहां तक जमीन का मुआवजा 12,000 रु0 प्रति एकड़ की दर से भुगतान किये जाने का प्रश्न है, यह अन्तरिम है और यह ग्राम जमौर की भूमि के सम्बन्ध में है। ग्राम नवादा इन्देपुर की भूमि का अर्जन नहीं किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बाजार दर से प्रतिकर का भुगतान किया जाता है न कि बैनामा रजिस्ट्री रेट के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता। प्रस्तर 3 में जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, वर्तमान सरकार ने कई बार इस बात की घोषणा की कि यह किसानों के हितैषी यह हैं, लेकिन इन्होंने जो उत्तर दिया है उस उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि यह किसानों के कितने हितैषी हैं, जिस जमीन को सरकार मानती है कि पचपन हजार रुपये प्रति एकड़ है। खरीद-फरोख्त पर किसान से ड्यूटी 55 हजार रुपये एकड़ की दर से वसूल की जाती है, उसी जमीन का उसको जो मुआवजा दिया जा रहा है वह 12 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब 55 हजार रुपये स्टाम्प ड्यूटी है तो जमीन का मुआवजा 12 हजार रुपये देने का क्या कारण है। दूसरी बात आपने यह कही है कि "वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बाजार दर से प्रतिकर का भुगतान किया जाता है न कि बैनामा रजिस्ट्री रेट के अनुसार"। तो मैं जानना चाहता हूं कि स्टाम्प ड्यूटी जो तय की जाती है क्या वह बाजार भाव पर तय की जाती है। अगर नहीं तय की जाती है तो उसको तय करने का क्या मानक है?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, जैसा मैंने स्पष्ट किया है कि पहले जो शासनादेश 1987 में जारी किया गया था उसमें यह व्यवस्था थी कि मुआवजा स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर होगा लेकिन चूंकि वह शासनादेश अधिनियम के अनुरूप नहीं था इसलिये वह शासनादेश वापस ले लिया गया और 14 मई, 1990 को दूसरा शासनादेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत, जो मार्केट रेट होगा उसके आधार पर दिया जायेगा। आपने जो 12 हजार रुपये की बात कही तो यह प्राविजनल, अन्तरिम है। इसके विरुद्ध जो आब्जेक्शंस आयेंगे उसके आधार पर लैंड एक्वीजिशन आफिसर फाइनल करेंगे और मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जायगा।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से प्रतिकर दिया जाता था लेकिन अब बाजार रेट से मुआवजा देंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि बाजार रेट तय करने का मानक क्या है। मैं तो यह समझता हूं कि जो स्टाम्प ड्यूटी लगी है उसको आधार मानें। 55 हजार रुपये प्रति एकड़ से कम स्टाम्प कोई लगाये तो आप उससे ज्यादा वसूल करते हैं तो जब आपने 55 हजार रुपये प्रति एकड़ मान लिया है तो फिर मुआवजा बयनामा रजिस्ट्री रेट के अनुसार न देकर मार्केट रेट पर मुआवजा देने का क्या औचित्य है?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैंने कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर नहीं बल्कि मार्केट रेट के अनुसार प्रतिकर दिया जाता है। मैंने यह भी बताया है कि 1987 जो शासनादेश जारी किया गया था उसका परीक्षण कराया गया तो यह महसूस हुआ कि वह अधिनियम के अनुरूप नहीं है। इसलिये

उस शासनादेश को 14 मई, 1990 को बदल दिया गया है । आपने पूछा कि बाजार रेट को तय करने का मानक क्या है । तो लैंड एक्वीजिशन आफिसर के सामने जो भिन्न-भिन्न इक्जामिल आयेंगे, एवीडेंस आयेगी उसके आधार पर मुआवजा तय होगा । मैंने यह भी कहा है कि जो 12 हजार रुपयें की दर से दिया गया है यह प्राविजनल है, फाइनल नहीं है । जो एवीडेंस लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर के सामने आयेंगी तो उसके आधार पर मुआवजा तय किया जायगा ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

माननीय, मैं चाहूंगा कि इनको न्याय मंत्री बनाना चाहिये, बड़ा अच्छा जवाब दे रहे हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

माननीय, मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि अभी 12 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अन्तरिम प्रतिकर दिया गया है तो एवार्ड के समय क्या 55 हजार रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जायगा ।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, एवार्ड के समय जो सबूत आयेंगे, जो शहादत आयेगी उसके आधार पर मुआवजा तय किया जायगा ।

भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख माँगें तथा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी

*4—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1990 में भारतीय किसान यूनियन के लोगों को लखनऊ में आयोजित रैली में भाग लेने से रोका गया तथा उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में बन्द किया गया ? यदि हाँ, तो रैली पर रोक लगाने तथा गिरफ्तारी के क्या कारण थे ? किसानों की प्रमुख माँगें क्या थीं ?

श्री शंकर सिंह—

भारतीय किसान यूनियन द्वारा 15 जुलाई, 1990 को लखनऊ में प्रस्तावित किसान रैली से सम्भावित प्रतिकूल शान्ति व्यवस्था की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न जनपदों में निरोधात्मक गिरफ्तारियां की गई थीं ।

भारतीय किसान यूनियन की तत्कालीन प्रमुख माँगों का विवरण संलग्नक 1* पर अवलोकनीय हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

(1) माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसानों से शान्ति-व्यवस्था का कौन सा खतरा उत्पन्न हो गया था ?

(2) कितने किसान गिरफ्तार कर लिये गये और गिरफ्तारी के दौरान कितने लोग घायल हुये और कितने लोग जान से मारे गये ?

श्री शंकर सिंह—

माननीय, यह तो माननीय सदस्य को स्वयं विदित है कि इसके पूर्व भी जो किसान यूनियन के आन्दोलन हुये हैं, उनमें बड़ा हिंसक रूप उक्त आन्दोलन ने धारण कर लिया था । माननीय, मेरठ में जब इन्होंने आन्दोलन किया, तो कमिश्नर के कैम्पस में घेरा डाल कर जम गये ।

*देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 175 पर ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने पूछा कि शान्ति-व्यवस्था का कौन सा खतरा उत्पन्न हो गया था और गिरफ्तारी के दौरान कितने लोग घायल हुये और कितने लोगों की जानें गयीं ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा कि शान्ति-व्यवस्था का क्या खतरा था । मान्यवर, मेरठ में दो महीने तक ये डेरा डाले रहे, दिल्ली में वोट क्लब पर डेरा डाले रहे । माननीय टिकैत साहब ने भारतीय किसान यूनियन के लोगों को लखनऊ में आयोजित रैली में भाग लेने के लिये आह्वान किया, किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं और लखनऊ में सबने धावा बोल दिया ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, ये वक्तव्य दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन करना इनका उद्देश्य नहीं था । मान्यवर, उस समय विधान सभा की बैठक चल रही थी, इनका इरादा था कि विधान सभा पर चढ़ाई कर दें और कोई भी सरकारी कार्य न होने दें ।

(व्यवधान)

उसके थोड़े ही दिन पहले लखनऊ में शिया-सुन्नी के झगड़े चल रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपके पास यह सूचना है कि कितने लोग घायल हुये और कितने लोग जान से मारे गये ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मूल प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, लखनऊ में जो किसान यूनियन के नेता ने धावा बोला था, उनको डर से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री उनके घर गये थे ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

यह तो आपकी परम्परा निभाई थी । आप पहले चले गये थे, हम बाद में गये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस

आन्दोलन के दौरान कितने लोग लखनऊ में आये ? क्या स्टेशन पर मार-पीट हुई और उस दौरान कितने लोग घायल हुये और कितने लोगों की हत्या हुई ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहां मूल प्रश्न में है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह तो मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।

(व्यवधान)

श्रीमन् आप हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुये, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शान्ति-व्यवस्था को कौन सा खतरा था और शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने में कितने लोग घायल हुये और कितने लोगों की जानें गयीं ?

श्री नरेन्द्र सिंह—

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं कि यह मूल प्रश्न में नहीं है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

तो फिर मान्यवर, इसको स्थगित कर दें ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि किसान यूनियन के लोग कमिश्नर के कैम्पस में घुस गये । मैं मान्यवर, उसी के पास ही में रहता हूं, मान्यवर, कोई भी व्यक्ति कमिश्नर के कैम्पस में नहीं घुसे । मान्यवर, वह इतना शान्तिपूर्ण धरना था कि उसकी मिसाल सारे देश में कहीं नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यहां जेल के अन्दर और जेल के बाहर पुलिस को ले जाकर लाठी चार्ज कराया गया ।] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मूल प्रश्न यही है, इसका उत्तर कहां आया ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसानों की जितनी मांगें रखी गयी थीं उनमें से कितनी मांगें आज तक स्वीकार की जा चुकी हैं, कृपया उसका विवरण दे दें, यदि नहीं स्वीकार की गयीं तो क्या कारण है ? क्या उन मांगों से माननीय मंत्री जी सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह भी भिन्न प्रश्न हो गया ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय, मैंने तो यही पूछा है कि कितनी मांगें स्वीकार की गयीं, प्रमुख मांगें क्या थीं और उन प्रमुख मांगों में से कितनी स्वीकार की गयीं, उसका विवरण दे दें। यदि नहीं है तो उसका क्या कारण है ?

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको पहले हिरासत में लिया फिर गिरफ्तार करके जेलों में भेजा गया। मूल प्रश्न यह है कि गिरफ्तारी के क्या कारण थे और उसका उत्तर आ गया है।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रमुख मांगें थीं मैं उनको पढ़े देता हूं और सरकार ने जो किसानों के हित में किया है वह भी पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो संलग्नक में है।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह नेगी—

माननीय यह कहां है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न था कि किसानों की प्रमुख मांगें क्या थीं और उसमें उत्तर में यह संलग्नक एक पत्र है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय, यह क्या मांगें थीं ?

श्री शंकर सिंह—

माननीय, यह सरकार स्वयं किसानों की सरकार है और किसानों की भलाई के लिये कटिबद्ध है। हम तो किसानों की भलाई कर रहे हैं। उसमें अगर विश्वविद्यालयों के या अन्य यूनिवर्सिटी के जो सुझाव आते हैं तो उसमें भी कार्यवाही कर रहे हैं। किसानों के लिये सरकार ने जो कुछ किया है वह भी हमारे पास उपलब्ध है, साथ में कहें तो पढ़ दें।

माननीय, 87-88 में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पूरा मत पढ़िये बड़ा समय लगेगा

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी बैठ जायं।

कृषि निदेशालय के समक्ष बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के अनशन की जानकारी

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशालय के समक्ष बेरोजगार डिप्लोमाधारकों का आमरण अनशन 26 मई, 1990 से चल रहा है? यदि हां, तो शासन ने तत्काल इसे समाप्त कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की?

श्री शंकर सिंह—

इस समय अनशन नहीं चल रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 26 मई, 1990 से चल रहा अनशन किस आधार पर समाप्त किया गया और उनकी मांगे क्या-क्या थीं?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इनकी जो मांगें थीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें क्षेत्र समिति के प्रमुख और अन्य ग्राम प्रधान बैठे थे। इसके उत्तर में लिखा है कि अब अनशन नहीं चल रहा है। मुख्य मांग बेरोजगार डिप्लोमाधारक, जिनको रोजगार में नहीं लगाया जा सका, उनके लिये थी। इसमें कृषि निदेशक से बात हुई थी। इसमें आमरण अनशन नहीं था क्रमिक अनशन चलाया गया था जो 27 मई, 1990 से 19 जून, 1990 तक चला और समाप्त हो गया।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अध्ययन किये गये लागत मूल्य का विवरण देने की मांग

*6—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उपजों के लागत व्यय का अध्ययन और लागत मूल्य का प्रकाशन एवं सरकार को प्रस्तुत करने का शोध कार्य चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा गत अनेक वर्षों से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन किये गये लागत मूल्य का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह—

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को शिक्षा देने के उद्देश्य से सीमित क्षेत्र में, छोटे सैम्पुल के आधार पर कृषि लागत संबंधी अध्ययन कराया जाता है। यह शोध कार्य शिक्षा देने के अभिप्राय से कराया जाता है। सदन के पटल पर रखने का औचित्य नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानपुर के विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध दोनों कार्य किये जाते हैं कि कृषि उपजों का लागत मूल्य कितना आता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो अध्ययन आप छात्रों को कराते हैं, उसमें एक हेक्टेयर में या एक एकड़ में कितना गेहूं बोया जाता है, उसके बाद कितनी लागत लगती है और उसमें किस-किस मदों पर कितना-कितना व्यय होता है, क्या यह अध्ययन किया जाता है ? यदि हां, तो इसमें गेहूं का जो उत्पादन लागत मूल्य निकला है, उसे बता दें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, विशेष रूप से क्योंकि वे कृषक हैं, किसान हैं। लेकिन मैं आशा नहीं करता कि वे कोई ऐसी बात करेंगे जिससे लगे कि उन्हें कृषक होने का तजुर्बा नहीं है। वे विद्वान हैं। मेरे उत्तर से साफ है कि कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में जो यह शोध कार्य होता है, उत्पादन लागत का, केवल छात्रों को शिक्षा देने के लिहाज से होता है, प्रकाशन के लिये या और किसी कारण से नहीं होता। गेहूं की उत्पादन लागत निकालनी होगी तो बहुत विस्तार से बहुत बड़े क्षेत्र में निकाली जा सकती है। इसलिये इसका उत्तर देना संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, यह गलत बात आप कर रहे हैं। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं। मैं आपसे रक्षा चाहता हूं। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिक्षा बालकों को दी जाती है, उसमें एक हेक्टेयर या एक एकड़ पर गेहूं की उत्पादन लागत निकालने के कौन-कौन से अवयव हैं और शोध से जो गेहूं का जो लागत मूल्य निकला है, वह क्या है ? मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं। अन्य किसी जगह के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी शायद ठीक से समझ नहीं पाए। मान्यवर, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनको कई तरीके से पढ़ाया जाता है, जैसे "अ" से आम, "क" से केवट, "ग" से गूजर आदि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। विद्यार्थियों को पढ़ाने के हिसाब से सैम्पुल से बताया जाता है, लेकिन वह कोई अथारिटी नहीं है। उसका उपयोग किसानों द्वारा या शासन द्वारा नहीं किया जा सकता।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने यह नहीं पूछा।

(व्यवधान)

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जो लड़के शोध कर रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय में एक एकड़ में क्या कास्ट आयी, इसका उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप यह जानना चाह रहे हैं कि जो लड़कों को शिक्षा दी जा रही है उसमें एक्ट में क्या कास्ट आती है ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, उसको प्रकाशित नहीं कराते हैं, जो प्रकाशित नहीं होता है, उसको बोलना कहां तक उचित है ।

श्री सुरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों के लिये गेहूं का जो क्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है, वह इस शोध कार्य में निकाले गये लागत मूल्य से ज्यादा है या कम है ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इसका प्रश्न ही नहीं उठता, जब मैंने इसकी बाबत उत्तर दे दिया तब उसके बाद इसका प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा सवाल है । अगर कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल होता तो कह सकते थे कि प्रकाशित नहीं किया जा सकता है । लड़कों को पढ़ाने के लिये कितनी लागत बतायी जाती है, यह जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, । माननीय मंत्री को कदापि यह अधिकार नहीं है कि सदन में यह कह दें कि प्रकाशित नहीं किया जाता है । मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । इसकी बाबत मंत्री जी पूरी सूचना लेकर आयें । मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ यह सवाल है, उसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, जब आपने इस प्रश्न को ग्राह्य किया है तो उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा ।

श्री सुरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें, मैंने यह जानना चाहा है कि लागत मूल्य जो शोध के अनुसार निकला है और जो किसानों को मूल्य दिया जाता है, वह उससे कम है या ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि जो लागत सरकार ने निर्धारित की है और जो शोध कार्य में लागत आ रही है उसमें क्या स्थिति है ? इसमें आपने उत्तर दिया कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है, माननीय पंचानन राय जी ने अभी एक बात कही कि जब प्रश्न ग्राह्य हो गया तो उसका उत्तर देना अनिवार्य है, शोध कार्य में क्या लागत आ रही है, आप केवल इतना स्पष्ट कर दें कि क्या यह गोपनीय है या जनहित में नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, नियमावली के नियम 28 में लिखा है कि क्या चीज गोपनीय है ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आपका संरक्षण केवल वर्मा जी के लिये ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी होना चाहिये। मान्यवर, मैंने बड़ा स्पष्ट किया कि जो कृषि विश्वविद्यालय निकालता है वह केवल छात्रों के उपयोग के लिये और छात्रों को सिखाने-पढ़ाने के लिये करते हैं अब उसे कैसे मान लिया जाय कि वास्तविक उत्पादन मूल्य है, न वह राज्य सरकार को सुझाव देते हैं कि यह मूल्य वास्तविक मूल्य है, उनको उपयोग में ला ही नहीं सकते हैं यह नहीं चल सकता है कि यही लागत मूल्य है।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, इसको आप स्थगित कर दीजिये।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, प्रश्न में स्पष्ट है कि क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उपजों के लागत व्यय का अध्ययन और लागत मूल्य का प्रकाशन एवं सरकार को प्रस्तुत करने का शोध कार्य चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा गत वर्षों से किया जा रहा है? इसलिये मान्यवर, इनका जो प्रश्न है वह चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, आपने जो प्रश्न किया उसको मैंने भी स्पष्ट कर दिया और माननीय मंत्री जी ने समझ भी लिया और उसका उत्तर भी दे दिया। यह तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि उसका उपयोग वास्तविक रूप से नहीं किया जाता है और न किया जा सकता है इसलिये प्रकाशित नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री जी क्या आपके पास यह सूचना मौजूद है कि उनके यहां लागत क्या आती है और क्या यह गोपनीय है?

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, गोपनीयता तो आप तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूं कि उत्तर सही आया है, लेकिन माननीय सदस्यों को भ्रान्ति हो रही है इसलिये इसको स्थगित करता हूं।

यू० पी० स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिये गये ऋण की संबंधित विभागों से वसूली

*7—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के सेवा मण्डल के अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1984-85 में 2,90,80,840.74

(दो करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार आठ सौ चालिस रु0 चौहत्तर पै0) का उधार सरकारी संस्थाओं/गैर सरकारी संस्थाओं पर निगम का बकाया था? यदि हां, तो उक्त उधार कब से है तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उधार किस आधार पर तथा किस अधिकारी के आदेश से दिया गया? सरकारी संस्थाओं से उधारें की वसूली क्यों नहीं हो पा रही है? इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री शंकर सिंह—

जी हां। उक्त उधारी वर्ष 1969–70 से है। निगम के हित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वविवेक से उधारी का आदेश दिया गया। बजट उपलब्ध न होने के कारण संबंधित विभागों से भुगतान प्राप्त न हो सका। संबंधित विभागों से निरन्तर पत्र–व्यवहार एवं बैठकें की गयी तथा आवश्यक निर्देश जारी किये गये जिसके फलस्वरूप 147.22 लाख की वसूली हो चुकी है।

जी नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, भ्रष्टाचार का गम्भीर मामला है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 21 साल पहले 2 करोड़ 90 लाख रुपया उधार दिया गया। मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया है कि निगमों के हितों को ध्यान में रखते हुए उधारी दी गयी परन्तु 21 साल से वसूली नहीं हो पायी है तो इससे निगमों का हित हो रहा है या अहित। आज यह भी कह रहे हैं कि बजट उपलब्ध न होने के कारण संबंधित विभागों से भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी संस्थाएं थीं उनको किस आधार पर एग्रो से रुपया दिलाया गया और इसमें कौन-कौन दोषी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने 2,90,80,840.74 रुपये का जो विवरण दिया है, यह धनराशि गैर सरकारी संस्थाओं पर बकाया नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थाओं पर बकाया है। उस समय सारे विभागों में, किसी को ट्रैक्टर दे दिये गये, किसी को और पार्ट्स दे दिये गये, इसी प्रकार का यह बकाया है। इसके लिये निरन्तर प्रयास चलते रहे हैं और विभागाध्यक्षों से, विभागों से निरन्तर इसकी मांग होती रही, तभी जाकर 147 लाख की वसूली हो सकी है। गैर सरकारी संस्थाओं का जहां तक प्रश्न है, उनको पैसा नहीं दिया गया, लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि व्यक्तिगत लोगों को उधार दिया गया। हमारे जो एग्रो के नियम हैं, उनके अनुसार ऐसा कहीं भी नहीं है कि गैर सरकारी संस्थाओं को उधार दिया जाय। इस प्रकार यह कार्य नियम विरुद्ध हुआ है इस मामले में छोटे–छोटे कर्मचारी जैसे स्टोर कीपर, सहायक अभियन्ता आदि थे, जिसकी काफी बड़ी लिस्ट है, उनसे वसूली के लिये यह तय किया गया कि उनके वेतन से प्रतिमाह 20 प्रतिशत कटता रहेगा, और इसी प्रकार वसूली की जा रही है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, जो सरकारी संस्थाओं पर बकाया है, उसकी वसूली कब तक कर ली जायेगी और उसके लिये माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, बराबर प्रयास कर रहे हैं और विभागाध्यक्षों को लिखा जा रहा है, एकाउन्टेन्ट जनरल से भी सम्पर्क किया गया है।

प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों को अनिवार्य फसल बीमा योजना का लाभ

* 8--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों को अनिवार्य फसल बीमा योजना का लाभ दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विचाराधीन फसल बीमा योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; यदि हां, तो उसको पटल पर रखा जाना कब तक सम्भव है ? दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि दिनांक 4 फरवरी, 1991 को जनपद जालौन में हुई ओला वृष्टि से प्रभावित फसलों को इस फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, अभी यह योजना लागू नहीं है और जैसा कि उत्तर से विदित है कि इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है । जहां तक इसके पटल पर रख जाने का प्रश्न है, तो अभी यह योजना पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र ही यह योजना तैयार हो जायेगी और हमको पूरी आशा है कि अगली खरीफ से पहले यह योजना लागू हो जायेगी ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना को क्या कुछ जिलों में लागू कर दिया गया है और प्रदेश के अभी बहुत से जिले इस योजना के लागू होने से बाकी हैं, यदि हां, तो क्या पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, जो फसल बीमा योजना पहले लागू थी, उसके अन्तिम चरण में 22 जिले रह गये थे । लेकिन जो नई योजना हम नये सिरे से लागू करेंगे, वह सम्पूर्ण प्रदेश के लिये होगी ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि शासन के अन्तर्गत जो फसल बीमा योजना प्रस्तावित है, उस योजना में फसलों के नुकसान के मूल्यांकन के लिये क्या प्रक्रिया है तथा सिंचित-असिंचित, किस-किस प्रकार की भूमि का कितने प्रतिशत भाग इसमें शामिल करते हुये, किसान के किन-किन उपकरणों, उसके पशुओं आदि पर यह लागू होगी ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो रहा है । सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद ही अन्तिम नीति घोषित की जायेगी ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या 10 पर प्रश्नकर्ता श्री शिव करन सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

*9—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बाराबंकी के कारागार में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

*10—श्री शिव करन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर दिनांक 20 जुलाई, 1990 को लाठी चार्ज हुआ था ? यदि हाँ, तो उसमें कितने किसान घायल हुये ? किसानों पर लाठी चार्ज किये जाने का क्या कारण था ? क्या सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ ।

23 किसान आन्दोलनकारियों को चोटें आयी थीं ।

किसान आन्दोलनकारियों ने कारागार में उच्च श्रेणी के सुविधा की मांग की पूर्ति न होने पर डिप्टी जेलर, श्री आर0पी0 सिंह को मारा-पीटा एवं ईंट, गुम्मे मारना शुरू किया, जिस पर स्थिति को नियंत्रित करने हेतु हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ।

उक्त घटना में दोषी पाये गये दो डिप्टी जेलर तथा एक बन्दी रक्षक को निलम्बित कर दिया गया था तथा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी थी । बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया पर विभागीय कार्यवाही अभी प्रचलित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिलों की इकाइयों व मुख्यालय में कार्यरत लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के वेतन में सेवा शर्तों के भिन्नता का आधार

*11—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिलों की इकाइयों व मुख्यालय में काम करने वाले लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन आदि में बहुत अन्तर है ? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मिलों की इकाइयों व मुख्यालय के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर है । इकाइयों और मुख्यालय में कार्यरत लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न विधिक प्राविधानों तथा नियमों से आच्छादित होती हैं । सेवा शर्तों में भिन्नता के कारण निगम की इकाइयों और उसके मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के लगभग 27–28 कारखाने हैं जो विभिन्न जिलों में स्थापित हैं । जो लिपिक मुख्यालय पर काम करते हैं उन्हें वेतन ज्यादा मिलता है परन्तु वही काम करने वाला लिपिक जो कारखाने में तैनात है उसे वेतन कम मिलता है । उसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी मुख्यालय पर काम करता है उसे वेतन ज्यादा मिलता है और जो कारखाने में काम करता है उसे कम मिलता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस विसंगति को दूर करने पर विचार करेंगे ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, पहले तो वेतन में बहुत अधिक भिन्नता थी, परन्तु अब यह भिन्नता करीब-करीब समाप्त हो गई है । मुख्यालय पर जो लिपिक काम करते हैं उन्हें 1715 रुपये मिलता है और जो कारखाने पर काम करते हैं उन्हें 1505 रुपये मिलता है । इस भिन्नता का कारण यह है कि शहर में हाउस रेन्ट ज्यादा मिलता है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन करीब-करीब बराबर है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

माननीय, 5-6 साल पहले जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कारखानों पर काम करते थे, उनकी तनख्वाह ज्यादा थी और जो मुख्यालय पर थे, उनकी कम थी परन्तु अब मुख्यालय पर जो हैं उनका वेतन ज्यादा है और जो कारखाने पर कार्यरत हैं उनका कम हो गया है तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि यह कम-ज्यादा कैसे हो गया ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, अब कोई विसंगति नहीं है । पहले कम था परन्तु अब उसे रिवाइज करके बराबर कर दिया है ।

जनपद आगरा में स्थित ताजमहल की सौन्दर्यता कायम रखने हेतु प्रदूषण विहीन उद्योग लगाने की योजना

*12—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि ताजमहल के सौन्दर्य को प्रदूषण से बचाने की दृष्टि से आगरा को प्रदूषण विहीन उद्योग क्षेत्र घोषित करने से आगरा जनपद औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ गया है ? यदि हां, तो क्या इसके औद्योगिक विकास तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिये वहां प्रदूषण विहीन बड़े व छोटे उद्योग को लगाने की कोई महती योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

ताजमहल के सौन्दर्य को बचाने के लिये प्रदूषणकारी उद्योगों को प्रतिबंधित किये जाने से आगरा के औद्योगिक विकास की गति प्रभावित हुई है ।

शासन की भूमिका औद्योगिक इकाइयों को लगाने की नहीं अपितु उनको लगाने के लिये प्रोत्साहन देने की है । आगरा जनपद की समस्या को देखते हुये शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

1—इस क्षेत्र को प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है ।

2—नई औद्योगिक नीति में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को विशेष थ्रस्ट एरिया माना गया है ।

3—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को निर्देशित किया गया है कि वे इस क्षेत्र में विद्युत् कटौती न करने के आदेश जारी करें ।

4—भारत सरकार से आगरा क्षेत्र में जेनरेटिंग सेट लगाने हेतु अनुमति के लिये लिखा गया है ।

5—आगरा क्षेत्र में फाउण्ड्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस क्षेत्र तक एच0 बी0 जे0 पाइप लाइन का विस्तार करें ।

6—उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा साइट-सी में कुछ प्लाट इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु आरक्षित हैं ।

7—इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास हेतु अपट्रान की तरफ से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, आगरा में उद्यमियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है जिससे प्रदूषण विहीन उद्योग स्थापित हो सके ।

8—प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना किये जाने हेतु विभिन्न सेमिनार एवं बैठकों का आयोजन किया गया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रदूषणकारी उद्योगों को प्रतिबन्धित किये जाने के कारण आगरा की औद्योगिक प्रगति पिछड़ी हुई है, इसीलिये उसे पिछड़े क्षेत्र में रखा गया है । उत्तर में यह कहा गया है कि शासन की नीति प्रोत्साहन देने की है, स्वयं लगाने की नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन की प्रोत्साहन देने की नीति के अन्तर्गत अभी तक कोई प्रदूषणविहीन उद्योग आगरा में लग पाया है ? दूसरी बात, क्या सरकार केन्द्र सरकार से इस बात की संस्तुति करेगी कि आगरा में कोई बड़ा उद्योग, जैसे पहले एक स्कूटर कारखाना लगने वाला था अब नहीं लग रहा है, तो आगरा में कोई बड़ा उद्योग लगाया जाय ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मैंने अपने उत्तर में कहा है कि भारत सरकार से अनुरोध किया गया है और प्रयास हो रहा है । इसीलिये इसको इस श्रेणी में रखा भी गया है कि बैकवर्ड मानते हुये प्रदूषणविहीन उद्योगों को वहां पर स्थापित किया जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

प्रदूषण रहित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो दो बातें कही हैं कि बिजली का मिलना जारी रहे और पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय, तो इण्डस्ट्री लगाने वालों को जमीन और तकनीकी ज्ञान के मामले में क्या-क्या अन्य सुविधायें देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

जैसा मैंने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है तो जो-जो सुविधा पिछड़े क्षेत्र को उपलब्ध होती है, वे उपलब्ध होंगी । जैसे कि तकनीकी ज्ञान की बात है तो मैंने अपने लिखित उत्तर के बिन्दु संख्या—7 में स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास हेतु अपट्रान की तरफ से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, आगरा में उद्यमियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है जिससे प्रदूषण विहीन उद्योग स्थापित हो सके ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को निर्देशित किया गया है कि विद्युत् कटौती न करें । मैं जानना चाहता हूं कि यह आदेश कब जारी किये गये और क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विद्युत् कटौती आज भी बराबर जारी है ? दूसरी बात जनरेटिंग सेट लगाने के लिये भारत सरकार को कब लिखा गया और उनका उत्तर कब प्राप्त हुआ ?

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी लेकिन जब सरकार ने आदेश कर दिया है तो राज्य विद्युत् परिषद् ने भी आदेश कर दिया है । भारत सरकार को लिखा भी गया है और लिखा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

बस, अब कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मैंने पूछा था कि जनरेटिंग सेट के लिये भारत सरकार को कब लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

(भा0 ज0 पा0 के कई माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर प्रश्न का उत्तर दिलाये जाने के लिये अनुरोध करने पर) ।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ, अब आप लोग बैठें ।

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय पर प्रमुख क्षेत्र समिति, द्वाराहाट द्वारा किये गये आमरण अनशन पर आरोपित अधिकारियों का स्थानान्तरण

*13—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख क्षेत्र समिति, द्वारहाट (अल्मोड़ा) द्वारा 14 अगस्त, 1989 से जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय में उप-कृषि निदेशक भूमि संरक्षण अल्मोड़ा तथा जनपद के समस्त भूमि संरक्षण अधिकारियों द्वारा विगत कई वर्षों से बरती जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमरण अनशन किया गया था ? क्या यह आमरण अनशन शासन के जांच के आश्वासन पर समाप्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच से पूर्व आरोपित अधिकारियों का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री शंकर सिंह—

जी नहीं । यह आमरण अनशन बारह शासकीय विभागों के विरुद्ध किया गया था न कि केवल भूमि संरक्षण अधिकारियों के विरुद्ध ।

जी हां ।

जांच परिणाम आने के बाद ही स्थानान्तरण या अन्य कार्यवाही का प्रश्न उठता है ।

ग्रामों में नियुक्त चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भांति वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने की मांग

*14—श्री नजमुउद्दीन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में नियुक्त चौकीदार को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की भांति वेतन एवं अन्य सुविधायें दिए जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र

नोट—नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या 12 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

दिनांक 8 फरवरी, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार चौकीदारों के कार्यों एव दायित्वों को देखते हुए उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति वेतन एवं सुविधायें देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

ग्राम चौकीदार एक अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भांति वेतन एवं सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी ग्राम चौकीदारों के अधिकार/कर्त्तव्य व पारिश्रमिक आदि में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद हमीरपुर में दस्यु उन्मूलन हेतु अतिरिक्त पुलिस फोर्स देने की मांग

*15—श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में संप्रति कितने डकैत गैंग सक्रिय हैं ? उनके उन्मूलन के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या जनपद हमीरपुर म दस्यु उन्मूलन हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी अतिरिक्त पुलिस फोर्स जनपद हमीरपुर को देने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद हमीरपुर में संप्रति में एक डकैत बसन्ता गैंग सक्रिय है। उक्त गैंग के उन्मूलन के लिए दस्यु प्रभावित क्षेत्र में गिरोह के भागे हुए सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए हर माह गिरोह के ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं।

जनपद के विभिन्न प्रभावित थानों के बीच तालमेल कायम किया जाता है और आवश्यकतानुसार झांसी परिक्षेत्र के अन्य जनपदों एवं मध्य प्रदेश के सीमा स्थित जनपद छतरपर, टीकमगढ़ व पन्ना की पुलिस से निकट संपर्क रखते हुए संयुक्त योजनाएं अमल में लाई जाती हैं।

जी नहीं। पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

जनपद वाराणसी में स्थित राजकीय मुद्रणालय शाखा, रामनगर में प्रशिक्षण प्राप्त शिशिक्षुओं की परीक्षा कराने की व्यवस्था की मांग

*16—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्राविधानानुसार राजकीय आदेश के तहत राजकीय मुद्रणालय शाखा रामनगर वाराणसी में प्रथम बैच वर्ष 1981 से वर्ष 1983 तथा द्वितीय बैच वर्ष 1984 से वर्ष 1986 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षित हुआ था ? यदि हां, तो अधिनियम एवं राजाज्ञा के प्राविधानों के तहत उक्त प्रशिक्षार्थियों की परीक्षा आज तक न करायें जाने का क्या कारण है ? क्या

सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त प्रशिक्षित शिशिक्षुओं की परीक्षा कराने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

शिशिक्षुओं के अनुबन्ध प्रपत्रों का पंजीयन न हो पाने के कारण संबंधित शिशिक्षुओं का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण की व्यवस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नहीं हो पाई फलस्वरूप उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिल सकी । इन शिशिक्षओं को अखिल भारतीय परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु अतिरिक्त निदेशक शिशिक्षु, लखनऊ जो शिशिक्षु परामर्शदाता भी हैं तथा महानिदेशक, शिशिक्षु प्रशिक्षण सेवायोजन एवं पुनर्वास, नई दिल्ली से नियमों में शिथिलीकरण की अनुमति प्रदान करने के लिये शासन द्वारा किये गये कई प्रयत्नों के उपरान्त जो उत्तर उनसे मिला है उसके अनुसार इन शिशिक्षुओं को अब परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 3 वर्षों में अधिकतम 6 अवसर मिल सकते हैं किन्तु उनका पंजीयन न हो सकने के कारण उनको सैद्धान्तिक प्रशिक्षण नहीं मिल सका और वे परीक्षा में नहीं बैठ सके ।

*17--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*18--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[9वें शुक्रवार में अता0 प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में गोहत्या का मामला

*19--श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कादिराबाद, बयारा, बासा जगगड़वा, बयारा लहिया, बिहरिया हल्लौर में जनवरी, 1990 में 31 मई, 1990 तक गो-हत्याओं के कितने मामले थाना भवानी-गंज डुमरिया गंज में दर्ज हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त गांव में प्रतिदिन सैकड़ों गो हत्यायें हो रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्रीमुलायम सिंह यादव--

प्रश्न में उल्लिखित स्थानों में गो-हत्याओं के संबंध में दिनांक 1 जनवरी, 1990 से दिनांक 31 मई, 1990 की अवधि में कोई अभियोग थाना भवानीगंज /डुमरियागंज में गर्ज नहीं हुआ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इटावा के ग्राम खेड़ा बुजुर्ग में हरिजन की पुत्री का अपहरण एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने के उपाय

1—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 7 जुलाई, 1990 को इटावा जनपद, के खेड़ा बुजुर्ग गांव में एक हरिजन की बेटी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की ? क्या हरिजनों पर अत्याचार, अपहरण तथा बलात्कार की घटनायें प्रदेश में बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो उनको रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिह यादव—

जी हां, प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में थाना जसवन्तनगर पर दिनांक 8 जुलाई, 1990 को भा0 द0 वि0 की धारा 363 366/376 302/201 120-बी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना से नामित एक अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य 7 अभियुक्त प्रकाश में आये जिसमें से 7 अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के बाद एवं एक अभियुक्त के विरुद्ध मफरूरी में आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया ।

जी नहीं, बल्कि प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार, अपहरण एवं बलात्कार की घटनाएं वर्ष 1989 की तुलना में वर्ष 1990 में कम घटित हुई हैं, फिर भी उक्त वर्ग के ऊपर इस प्रकार की घटने वाली घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष रूप से सतर्कता बरती जा रही है एवं आवश्यकतानुसार वैधानिक उपायों का प्रयोग किया जाता है ।

जनपद फैजाबाद में खन्डासा थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम प्रधान को अपमानित करने का मामला

2—डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष खन्डासा, जिला फैजाबाद श्री मो0 शफी खां, ग्राम रायपट्टी में राजेन्द्र सिह के यहां कुर्की के सामानों की जो सूची दी वह पढ़ी नहीं जा रही थी जिसका विरोध वहां के ग्राम प्रधान शिवकली पासी ने किया तो दरोगा ने उन्हें भी गाली दिया और जनता के सामने अपमानित किया जिसकी शिकायत प्रधान ने क्षेत्राधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व जिला अधिकारी को लिखित माह जनवरी, 1990 को दिया है ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में नलकूपों को विद्युत कनेक्शन का दिया जाना

3—डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में लाइट व नलकूप के

विद्युत कनेक्शन तार, खम्भे व अन्य सामग्री के अभाव में पड़े हैं? क्या मंत्री जी इसकी व्यवस्था करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। जनपद में नलकूपों को कनेक्शन देने का कार्य वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है। बत्ती व पंखे के कनेक्शन भी बराबर दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

4—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

फल एवं उद्यान विभाग रानीखेत (पर्वतीय) योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का मामला

—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फल एवं उद्यान विभाग रानीखेत (पर्वतीय) को जैबून मशरूम योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? नीदरलैण्ड से योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उक्त योजना कहां-कहां क्रियान्वित हुई है? विश्व बैंक से उपरोक्त विभाग को किस मद में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? क्या सरकार उपरोक्त सभी योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि के उपयोग की जांच कराकर धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

कोई धनराशि नहीं आवंटित की गयी है।

कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। केवल कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रश्नगत योजना ज्योलीकोट (नैनीताल) में चलाई जा रही है।

किसी भी मद में कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान एवं फल उद्योग विभाग, रानीखेत (पर्वतीय) को सूखा राहत हेतु आवंटित धनराशि का मामला

6.—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उद्योग विभाग रानीखेत (पर्वतीय) को सन् 1984-85 में सूखा राहत के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा इसका उपयोग कहां-कहां किया गया? क्या सरकार धन के दुरुपयोग की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

वर्ष 1984–85 में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के जीवनपुर नगर क्षेत्र में स्थित उप–सम्भागीय अधिकारी (प्रसार) टी0एन0 वी0 योजना के कार्यालय भवन के किराये का भुगतान

7—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के जीवनपुर नगर क्षेत्र में स्थित उप–सम्भागीय अधिकारी (प्रसार) टी0एन0वी0 योजना के कार्यालय भवन के भवन स्वामी को जून 88 से फरवरी, 1990 तक के किराये का भुगतान 28 मार्च, 1990 तक नहीं किया गया है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां ।

अब जून, 1988 से मई, 1989 तक तथा जून 1989 से मार्च, 1990 तक के किराये का भुगतान क्रमशः दिनांक 2 जून, 1990 एवं 13 जुलाई, 1990 को भवन स्वामी को कर दिया गया है

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया में टी0 एन0 वी0 योजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि

8—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में टी0एण्ड वी0 योजना कब से लागू है ? इस योजना के लागू होने के बाद कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री शंकर सिंह—

(क) टी0 एन0 वी0 योजना पूरे आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1985-86 से लागू है जिसमें हरैया विकास खण्ड भी शामिल है ।

(ख) क्राप कटिंग के आंकड़े विकास खण्डवार नहीं रखे जाते बल्कि जनपदवार रखे जाते हैं। आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1988–89 में चावल की उत्पादकता में 21. 2 प्रतिशत तथा गेंहूं की उत्पादकता में 19. 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण की कार्यवाही की मांग

9—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड चित्रकूट में गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस गांव का और कब तथा किस योजना या माध्यम से ? क्या इनमें कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनमें खम्भे तथा तार तक नहीं हैं ? तार एवं खम्भे न होने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बांदा के विकास खण्ड चित्रकूट (शिव रामपुर) में दिसम्बर, 1990 तक एल0 टी0 लाइन बिछाकर 56 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ।

ग्रामों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया गया है । विद्युतीकृत ग्रामों की सूची विद्युतीकरण की दिनांक सहित संलग्न है ।

जी हां, इनमें 8 ग्राम ऐसे हैं जहां खम्भे व तार नहीं हैं ।

इन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1966 से 1970 के मध्य लकड़ी की बल्लियां लगाकर किया गया था जो कालान्तर में सड़ व गल कर टूट गयी एवं तार भी गायब हो गया ।

जी नहीं ।

चूंकि इन ग्रामों में कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं था, अतः खंभे बदलने तथा तार लगाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 176 पर ।)

जनपद बांदा के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्रामों का विद्युतीकरण

10—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड पहाड़ी के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? क्या इनमें से कुछ गावों में खम्भा एवं तार नही हैं ? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें कोई दोषी है ? यदि हां, तो उसक विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बांदा के विकास खण्ड पहाड़ी में दिसम्बर, 1990 तक 70 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ।

इनमें से तीन ग्रामों (बंकटा खुर्द, बिहखा और हस्ता) में एल0 टी0 लाइन का तार आंधी में टूटकर क्षतिग्रस्त एवं चोरी हो गया था ।

जी नहीं ।

चूंकि उक्त ग्रामों में कोई भी विद्युत कनेक्शन नहीं था, अतः पुनः तार लगाने की कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11—श्री दशरथ सिंह—

(माननीय सदस्य का स्वर्गवास हो जाने के कारण हटाया गया)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में सहायक श्रेणी (प्रथम) अधीक्षक तथा सहायक प्रबन्धक (वित्त) के स्वीकृत पदों पर अनु0जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

12—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर में

सहायक श्रेणी (प्रथम) अधीक्षक तथा सहायक प्रबन्धक (वित्त) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं इन पर सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं अप्रैल, 1990 में की गयी पदोन्नतियों में आरक्षण के आधार पर उपरोक्त पदों पर अनु0 जाति तथा जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई हैं? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पदोन्नति करते समय शासनादेश संख्या 65/2–69–रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अन्तर्गत उपरोक्त जिन कैडरों पर दो या दो से अधिक पदोन्नतियां हुई हैं उनमें एक पद पर आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नति नहीं दी गई तथा शासनादेश संख्या 15/5–73–रा0 एकी0, दिनांक 20 मार्च, 1974 के अन्तर्गत भी अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में उक्त वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण की सीमा तक पदोन्नतियां नहीं दी गई? यदि हां, तो क्या पदोन्नति समिति में अनु0 जाति के किसी अधिकारी को क्या सामिल किया गया था? यदि नहीं, तो नियमानुसार अनु0 जाति के जिन कर्मचारियों को उपरोक्त कैडरों में पदोन्नति से वंचित किया गया है उन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में सहायक श्रेणी (प्रथम), अधीक्षक तथा सहायक प्रबन्धक (वित्त) के स्वीकृत पदों की संख्या तथा इन पदों पर सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जन जाति के कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :—

क्रम संख्या	पद स्वीकृत	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या		
		सामान्य जाति	अनु0 जाति	अनु0जनजाति
1	2	3	4	5	6
1	सहायक श्रेणी (प्रथम)	190	175	15	..
2	अधीक्षक	68	62	05	..
3	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	40	40	00	..

अप्रैल, 1990 में की गयी पदोन्नति में सहायक श्रेणी (प्रथम) के पद पर अनुसूचित जाति के दो अभ्यर्थियों को प्रोन्नति दी गयी।

शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 1973 तथा 20 मार्च, 1974 के अनुपालन में सहायक प्रबन्धक (वित्त) पर 3 रिक्तियों के विरुद्ध एक पद एवं सहायक श्रेणी (प्रथम) पर 7 रिक्तियों के विरुद्ध कम से कम 3 पद अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए था।

अधीक्षक के तीन पदों के विरुद्ध एक पद अनुसूचित जाति के लिए छोड़ रखा गया है।

प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति का कोई सदस्य सामिल नहीं था।

वर्तमान में रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें अनु0 जाति/जन जाति के आरक्षण से संबंधित तथ्यों को प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

जनपद मऊ के मोलनापुर तथा बेलोली के 33/11 के0वी0 विद्युत स्टेशनों से विद्युत का वितरण

13—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के 33/11 के0वी0 स्टेशन मोलनापुर तथा बेलोली का निर्माण कब हुआ ? क्या आज तक वहां अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति नहीं की गयी ? क्या यह दोनों सब-स्टेशन बिजली का वितरण कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो यह कब तक चालू कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मोलनापुर उपकेन्द्र का निर्माण जून, 1990 में तथा बेलोली उपकेन्द्र का निर्माण अप्रैल, 1990 में हुआ ।

जी नहीं, किन्तु मधुवन उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता ही इन उपकेन्द्रों का भी कार्य देख रहे हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के थाना दीदारगंज के अन्तर्गत मार्टीनगंज में घटित घटना से सम्बन्धित अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग

14—श्री दयाराम भास्कर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, थाना दिदारगंज के अन्तर्गत मार्टीनगंज बाजार में 23–24 जून की रात में डकैतों द्वारा भीषण डकैती डाली गई और गृह स्वामी के पुत्र श्री सुनील बत्त को गोली मारकर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो उक्त घटना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त डकैती के अपराधी गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार विवेचना से 7 अभियुक्तगण क्रमशः लक्ष्मण भर, हनुमान विश्वकर्मा कल्लू भर, बाबू राम उर्फ सिपाही, राम केवल उर्फ केउआ केवट, नन्दू उर्फ नन्दलाल भर, अविनाश कुमार सिंह प्रकाश में आये । अभियुक्त लक्ष्मण भर कल्लू भर, बाबू राम व हनुमान विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह ने न्यायालय में समर्पण कर दिया है और जिला कारागार आजमगढ़ में है । अभियुक्त राम केवल उर्फ केउआ केवट जनपद जौनपुर कारागार में बन्द है जिसका वारन्ट जिला कारागार, आजमगढ़ भेजा गया है । अभियुक्त नन्दू उर्फ बल्द लाल फरार है जिसके विरुद्ध धारा 82/83 जा0फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है । प्रथम से अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

जनपद मऊ के विद्युत विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के बाद पुनः नियुक्त किया जाना

15—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विद्युत विभाग में कितने सहायक अभियन्ता 5 वर्ष से ऊपर से मऊ में ही कार्यरत हैं ? कितने लोगों का स्थानान्तरण इस वर्ष हुआ था ?

क्या स्थानान्तरण होने के बाद किसी को पुनः रोक दिया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण रोके जाने के क्या कारण थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद मऊ में विद्युत वितरण खण्ड में केवल एक सहायक अभियन्ता 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं, जिनका स्थानान्तरण अप्रैल, 1990 में किया गया था किन्तु जन प्रतिनिधियों की संस्तुति पर मई, 1990 में इनका स्थानान्तरण स्थगित किया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ग्राम सभा परोर के मजरा गोलागंज, निवासी श्री रियासत खां के द्वारा रास्ता बन्द किये जाने का विचाराधीन मामला

16—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा परोर, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में ग्राम सभा परोर के मजरा गोलागंज, निवासी रियासत खां ने आम रास्ता पर दीवार उठाकर रास्ता बन्द कर दिया, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान व अन्य द्वारा जून, 1990 में जिला अधिकारी से की गई है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसी शिकायत की गयी थी । जांचोपरान्त धारा 133 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रेषित की गई है । प्रकरण परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम सभा बरुआ में विद्युतीकरण की कार्यवाही

17—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर विकास क्षेत्र जलालाबाद की गांव सभा बरुआ में 1972 से बिजली के खम्भे लगे हैं लेकिन आज तक बिजली के तार नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त ग्राम में तत्काल बिजली के तार लगवाने और बिजली उपलब्ध कराने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत खम्भे ग्राम सभा बरुआ (कोड संख्या–242) के एल0टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण हेतु नहीं खड़े किये गये थे बल्कि एक निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु उमरसड़ा से बरुआ तक बनायी गयी लाइन के खम्भे है ।

उक्त निजी नलकूप के कनेक्शन का कुछ वर्ष पश्चात् स्थायी विच्छेदन हो गया और अंतराल में लाइन का कुछ तार चोरी चला गया तथा शेष विभाग द्वारा उतार लिया गया ।

विकास क्षेत्र जलालाबाद के लिये बनायी गयी नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में उक्त ग्राम का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । इस योजना के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत होने तथा ग्राम के विद्युत उपभोक्ता सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने के उपरान्त ही इसके विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव है ।

पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक श्री नसीम अहमद अंसारी से ट्रैफिक कन्ट्रोल का कार्य लिया जाना

18—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में उपनिरीक्षक पुलिस

श्री नसीम अहमद अन्सारी को ट्रैफिक इन्स्टीट्यूट बाईकला बाम्बे से ट्रैफिक आफिसर्स कोर्स कराया गया है ? यदि हां, तो उस पर सरकारी व्यय कितना हुआ है ? क्या श्री नसीम अहमद से ट्रैफिक कन्ट्रोल का कार्य लेकर सरकारी व्यय का सदुपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां,

प्रश्नगत कोर्स पर रु0 3476 सरकारी व्यय हुआ। श्री नसीम अहमद अंसारी से वर्ष 1986–87 में यातायात नियंत्रण का कार्य भी लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के समस्त ब्लाकों के ग्रामों का विद्युतीकरण के संबंध में

19—श्री तीरथ राज—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद के राबर्ट्सगंज, नगवा, चतरा, घोरावल तथा चोपन ब्लाकों के ग्रामों का विद्युतीकरण निगम द्वारा एम0 एन0 पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है? क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना कब बनी और कब कार्य प्रारम्भ हुआ? अभी कितने गावों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होनी थी ? कितना व्यय किया जा चुका है, अभी अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु कितन धन व समय की आवश्यकता होगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ककराही (राबर्ट्सगंज) शाहगंज (घोरावल) रामगढ़ (चतरा) में बनने वाले 33/11 के0 वी0 विद्युत् सब-स्टेशन की प्रगति क्या है ? यह कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज नगवा, चतरा, घोरावल तथा चोपन के ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत आर0 एम0 एन0 पी0 योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जाना है

प्रत्येक विकास खण्ड के लिये अलग-अलग योजनाएं बनायी गयी हैं वांछित विवरण संलग्न है। कार्य पूरा करने में लगने वाला समय उक्त विकास खण्डों के वार्षिक लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खन्ड में 2 या 3 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

ककराही के पास 33 के0 वी0 पसही उप-केन्द्र बना है जो ऊर्जीकृत है। शाहगंज में नया उपकेन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। घोरावल में पहल ही 33 के0 वी0 उपकेन्द्र चालू है। चतरा विकास खन्ड के रामगढ़ बाजार के समीप पन्नूगंज में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र प्रस्तावित है। इस उपकेन्द्र की योजना के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत होने पर कार्य संभव हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 178 पर ।)

जनपद वाराणसी, थाना फूलपुर में एक महिला की रिपोर्ट न दर्ज करने तथा दुर्व्यवहार करने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

20—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांके पुत्र बाबू नन्दन रमईपुर पिंडरा थाना फूलपुर, वाराणसी व गांव चरप थाना फूलपुर की एक महिला की दरख्वास्त को

तारीख 30 जुलाई, 1990 को पूर्व ब्लाक प्रमुख पिंडरा, वाराणसी मूलन सिंह ने अपने पत्र के साथ डी0 आई0 जी0, वाराणसी को एस0 ओ0, फूलपुर, वाराणसी द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने तथा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो इस पर डी0 आई0 जी0 वाराणसी ने क्या कार्यवाही एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी के खिलाफ किया ? क्या प्रश्नकर्त्ता ने भी मा0 मुख्य मंत्री को उक्त एस0 ओ0 द्वारा रिपोर्ट न लिखने की शिकायत 20 अगस्त, 1990 को पत्र लिखकर किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री बांके पुत्र बाबू नन्दन, निवासी रमईपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी का प्रार्थना पत्र श्री देव नाथ राम, मंत्री, मा0 क0 पा0 ब्लाक कमेटी, बड़ागांव वाराणसी के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1990 तथा श्रीमती इन्द्रावती देवी पत्नी रज्जू राम हरिजन का प्रार्थना पत्र श्री राजनाप्रसाद शास्त्री, मंत्री, मा0 क0 पा0, शाखा कमेटी, नहिया, पिंडरा थाना फूलपुर के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1990 के साथ डी0 आई0 जी0, वाराणसी रेंज को प्राप्त हुआ था जो थानाध्यक्ष, फूलपुर द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने तथा रिपोर्ट न लिखे जाने के विषय में था।

दोनों प्रार्थना पत्रों की जांच कराई गई। जांच में शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाए गए अरोपों को असत्य पाया गया।

जी हां। तत्कालीन थानाध्यक्ष, फूलपुर श्री अर्जुन सिंह को दिनांक 17 जनवरी, 1991 को थाना फूलपुर से अन्य कारणों से हटा दिया गया है।

जनपद–वाराणसी के थाना-लंका के ग्राम करोंदी की निवासी श्री आमानी देवी पत्नी श्री प्रसिद्ध नारायण यादव द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में एस0ओ0 द्वारा कृत कार्य- वाही

21—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयमानी देवी स्त्री प्रसिद्ध नारायण यादव, गांव करोंदी थाना-लंका, जिला वाराणसी ने 14 मार्च, 1989 को एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, शहर वाराणसी को कुछ लोगों के खिलाफ दिया था और उसी दिन उन्होंने एस0ओ0, लंका को आदेश दिया कि मामले को दिखलवा कर कृत कार्यवाही से अवगत करायें और यह भी बतायें कि प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। यदि हाँ, तो एस0ओ0, लंका ने पुलिस अधीक्षक को क्या जवाब दिया और अयमानी देवी के मामले में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्राप्त सूचनानुसार उक्त पत्र पर पारित आदेशानुसार थाना लंका पुलिस द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् द्वितीय पक्ष की ओर से शान्ति भंग का अंदेश पाये जाने पर विश्वनाथ चौहान एवं 4 अन्य के विरुद्ध धारा 107/116 एवं 103, क सी 0आर 0पी 0सी 0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक शहर को दी गयी।

जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ता, श्री जी0 आर0 सेठिया व नन्द लाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

22—श्री नकली सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ता, मुजफ्फर-नगर श्री जी 0आर0 सेठिया व नन्दलाल के गम्भीर भ्रष्टाचारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का एक शिकायती

शिकायती-पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1990 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ।

पूर्व में प्राप्त शिकायती-पत्रों, जिसके साथ प्रश्नकर्ता का पत्र भी सम्मिलित है, के आधार पर अधिशासी अभियन्ताओं सर्वश्री जी 0आर0 सेठिया तथा नन्द गोपाल के विरुद्ध अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई द्वारा जाँच कराई गई । जाँचोपरान्त दोषी पाये गये उक्त अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु ऊर्जा विभाग को लिख दिया गया है ।

पीपल साना तथा भोजपुर तहसील सदर, मुरादाबाद के मध्य विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

23--श्री मोहम्मद रिजवानुलहक--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीपलसाना तथा भोजपुर तहसील सदर, मुरादाबाद के मध्य विद्युत् की माँग बढ़ने के कारण परिषद् द्वारा कोई विद्युत् उपकेन्द्र स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ । पीपलसाना में 3 एम 0वी 0ए 0 क्षमता के 33/11 के 0वी0 विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-मुरादाबाद के थाना भोजपुर में अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

24--श्री मोहम्मद रिजवानुलहक--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1990 तक थाना-भोजपुर जनपद-मुरादाबाद का क्राइम स्टेटमेन्ट क्या था ? क्या उक्त अवधि में वहाँ अपराध बढ़े हैं ? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि तें भा0द0वि0 के विभिन्न धाराओं में 98 अभियोग पंजीकृत किये गये जबकि अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत 66 अभियोग पंजीकृत किये गये । प्रश्नगत अवधि में वर्ष 88 एवं 89 की तुलना में हत्या, डकैती, नकबजनी के प्रमुख अपराधों में कमी आयी है । प्रश्नगत अवधि में वर्ष 88-89 एवं 90 में भा0द0वि0 के अन्तर्गत क्रमशः 96, 96-ए, 98 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिससे किसी विशेष बृद्धि का होना प्रतीत नहीं होता है । पंजीकृत अभियोगों की नियमानुसार विवेचना कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर में पंजीकृत ब्लाइण्ड मर्डर के मामलों का वर्क आउट किये जाने की माँग

25--श्री मोहम्मद रिजवानुलहक--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद पर ब्लाइण्ड मर्डर के कुल कितने मामले ऐसे लम्बित हैं जो वर्क आउट नहीं किये जा सके तथा हत्या के ऐसे कितने मामले हैं जो अन्य एजेन्सियों को स्थानान्तरित किये गये हैं, उनकी संख्या कुल कितनी है ? क्या उनमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सरकार दण्डित करेंगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1990 में थाना भोजपुर पर ब्लाइण्ड मर्डर के कुल तीन अभियोग पंजीकृत हुये हैं जिनको वर्क आउट करने के प्रयास जारी है । इन हत्या के मामलों में से कोई मामला

अन्य एजेन्सियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है। लापरवाही नहीं बरती गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, सदर बाजार की निवासी श्रीमती चित्रा सक्सेना के अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी

26—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती चित्रा सक्सेना, निवासी सदर बाजार, शाहजहांपुर का दिनांक 19 नवम्बर, 1988 को अपहरण कर लिया गया था तथा नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी श्रीमती चित्रा का पता लगवाने एवं अभियुक्तों की तुरन्त गिरफ्तारी के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती चित्रा सक्सेना, निवासी सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर का दिनांक 19 नवम्बर, 1988 को अपहरण कर लिये जाने की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 21 नवम्बर, 1988 को थाना सदर बाजार में 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मु0 अ0सं0 476/88 धारा 364 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान दो अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शेष एक नामजद अभियुक्त तथा एक प्रकाश में आये अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । मामले में अपराध शाखा अ0 अ0 वि0 से भी विवेचना कराई गई । विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम रघुआडीह खुर्द का विद्युतीकरण

27—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में ग्राम रघुआडीह खुर्द का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो ट्रान्सफार्मर से ग्राम रघुआडीह खुर्द तक एल0 टी0 लाइन की लम्बाई कितनी है ? क्या इस गांव में बिजली की सप्लाई की जाती है और बल्ब जलते हैं ? क्या विद्युतीकरण हेतु 11 के0 वी0 ए0 की जिस लाइन का प्रारम्भिक आगणन स्वीकृत हुआ था उसमें परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

ट्रान्सफार्मर से ग्राम तक एल0 टी0 लाइन की लम्बाई 2040 मीटर है ।

जी हां ।

जी हां ।

11 के0 वी0 लाइन बनाने में अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण लाइन नहीं बनायी जा सकी है । अतः प्रारम्भिक स्वीकृत आगणन में परिवर्तन करके ग्राम रघुवाडीह बुजुर्ग में उपलब्ध एल0 टी0 लाइन से रघुवाडीह खुर्द की लाइन को जोड़ कर उसका विद्युतीकरण कर दिया गया ।

28—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।)

जनपद फैजाबाद के श्री अनिल कुमार वर्मा को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

29—श्री राम लखन वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर उन्होंने श्री अनिल कुमार वर्मा, ग्राम किशुनपुर, पो0 व थाना टाण्डा, जनपद फैजाबाद को सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देश दिया था और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव ने पत्रांक सी0 एम0 वि0 को0 एम—2/22—35 फैजाबाद—90, दिनांक 24 मार्च, 1990 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो 21 मई, 1990 को श्री वर्मा पर सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में हुये हमले के लिये कौन दोषी माना जायेगा ? मुख्य मंत्री के आदेश पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के मियांव तथा जलालपुर विकास क्षेत्र के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग

30—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद के मियांव तथा जलालपुर विकास क्षेत्र के किन—किन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? किन—किन गांवों का विद्युतीकरण होना अभी शेष है ? उक्त विकास क्षेत्रों के समस्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा करा दिये जाने का लक्ष्य है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

विकास खन्ड मियांव में एल0 टी0 मैंस द्वारा 21 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और 122 गांव शेष हैं। विकास खन्ड जलालपुर में एल0 टी0 मैंस द्वारा 27 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और 142 शेष हैं। इन सभी ग्रामों की सूची विद्युतीकरण की दिनांक सहित सदन के पटल पर रख दी गयी है।

लक्ष्यों का निर्धारण धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद फैजाबाद के जलालपुर थानान्तर्गत अशरफपुर भुवा ग्राम के तत्कालीन प्रधान श्री हौसिला प्रसाद वर्मा की मृत्यु के कारणों की जांच

31—श्री राम लखन वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर थानान्तर्गत अशरफपुर भुवा ग्राम सभा के तत्कालीन प्रधान हौसिला प्रसाद वर्मा की मौत 18 दिसम्बर, 1988 को हुई थी? क्या उक्त प्रकरण के सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

अपराध शाखा की जांच से मृतक हौसिला प्रसाद वर्मा की मृत्यु सड़क दुर्घटना से ही होना पाया गया है। जांच से सड़क दुर्घटना करने वाले अभियुक्तों का पता नहीं चल सका।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पशुधन विकास अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी) कोटद्वार को स्वीकृत धनराशि से क्रय की गई सामग्रियों के वितरण एवं उपयोग के संबंध में जांच के निर्देश

32--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि पशुधन विकास अधिकारी (चिकित्सा अधिकारी), कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल ने फसले-जायद, वर्ष 1986 में किसान के उपयोग के लिये खाद, बीज (बरसीम आदि) एवं कीट नाशक दवायें दी गई थीं ? क्या यह सही है कि प्रधान ग्राम सभा बालासौड़ द्वारा उक्त सामग्री किसानों को ऋण देकर बाजार में बेच दी गई थी ? क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री जमुना प्रसाद बौस)--

पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 1986-87 में शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1987 द्वारा चारा बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं आदि के लिये धनराशि स्वीकृति की गयी थी। इस धनराशि से कोटद्वार क्षेत्र में क्रय की सामग्रियों के वितरण एवं उपयोग के संबंध में जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

जल विद्युत परियोजना श्रीनगर (गढ़वाल) का कार्य का प्रारम्भ किया जाना

33--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत परियोजना श्रीनगर (गढ़वाल) का कार्य अक्तूबर, 1989 से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री नगर परियोजना पर निर्माण कार्य 25 अक्तूबर, 1989 से 11 दिसम्बर, 1989 तक तथा 4 मार्च, 1990 से 10 अप्रैल, 1990 की अवधि में बन्द रहा ।

इस बन्दी का कारण चौरास क्षेत्र, टेहरी गढ़वाल के परियोजना से विस्थापित परिवारों द्वारा अधिक मुआवजा एवं नियमित रोजगार हेतु आन्दोलन था।

परियोजना पर कार्य जो केवल उपरोक्त अवधि के मध्य बन्द रहा था, प्रारम्भ हो चुका है । बांध एवं पावर हाउस के सिविल कार्यों एवं विद्युत गृह के इलेक्ट्रो-मैकेनिक संयंत्रों की आपूर्ति एवं निर्माण हेतु अनुबन्ध माह नवम्बर, 90 में किये जा चुके हैं ।

प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग

34--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1989 से लेकर 1 मई, 1990 की अवधि में प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ अथवा पुलिस की गोलियों से कितने लोग मारे गये ? क्या मारने वालों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में दिसम्बर, 1989 से 1 मई, 1990 तक की अवधि में कुल 679 मुठभेड़ों में 93 डकैत मारे गये । इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1989 से अप्रैल, 1990 तक उसकी अवधि में 3 व्यक्ति उपद्रवी भीड़ पर पुलिस फायरिंग में पुलिस की गोली से मारे गये ।

पुलिस मुठभेड़ में मारे गये कुख्यात दस्युओं के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने का प्राविधान नहीं है । प्राप्त सूचनानुसार पुलिस फायरिंग में मारे गये तीनों व्यक्तियों के आश्रितों को शासन द्वारा एक-एक लाख रुपया प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता दी गयी है।

उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स में कार्यरत पोर्टर्स व अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाना

35--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स कब गठित की गयी थी ? क्या इसमें कार्यरत पोर्टर्स एवं अन्य सभी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन वर्ष 1953 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्ति पर किया गया था। स्पेशल पुलिस फोर्स में कार्यरत पोर्टर्स व अन्य कर्मचारियों को शासनादेश सं0 3788/8-2-88-100(17)-74, दिनांक 20 जून, 1988 द्वारा नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित कर दिया गया है। शेष का प्रश्न ही नहीं।

श्री नगर (गढ़वाल) में पशु पालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान हेतु नाइट्रोजन शीतलीकरण संयंत्र को स्थापित किये जाने की अवधि

36--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) में पशुपालन विभाग का कृत्रिम गर्भाधान हेतु नाइट्रोजन शीतलीकरण संयंत्र कब स्थापित किया गया है ? क्या यह वर्तमान समय में सुचारु रूप से चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस--

श्रीनगर (गढ़वाल) में एक तरल नत्रजन संयंत्र वर्ष 1983 में तथा दूसरा संयंत्र वर्ष 1989 में स्थापित हुआ। तीसरा संयंत्र जो वर्ष 1987 में क्रय किया गया, आपूर्ति की तिथि से ही एक पार्ट टूटा होने के कारण अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। इसमें केवल एक संयंत्र ही वर्तमान में कार्य कर रहा है और दो संयंत्र तकनीकी खराबी या पार्ट टूटा होने के कारण कार्यरत नहीं हैं।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के रानी चौरी (पर्वतीय) में वानिकी विषय को स्नातक स्तर की मान्यता

37--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के रानी चौरी (पर्वतीय) परिसर में वानिकी विषय में स्नातक स्तर में शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या इसे विधिवत् मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में स्थित आदर्श इण्टर कालेज, सल्टोआ के सहायक अध्यापक श्री किशोरी सिंह द्वारा उप निरीक्षक श्री फैजुद्दीन के विरुद्ध की गई शिकायत के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

38--श्री राम ललित चौधरी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10 जुलाई, 1990 को थाना कोतवाली पुरानी बस्ती के दरोगा फैजुद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध किसोरी सिंह सहायक अध्यापक आदर्श इण्टर

कालेज, सल्टोआ, जनपद बस्ती के शिकायती पत्र को अपने पत्र के साथ संस्तुत कर गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को भेजा था? यदि हां, तो उक्त दरोगा के कार्यकलापों की जांच कब और किस अधिकारी द्वारा करायी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही किशोरी के नाती भानु प्रताप सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में दिनांक 16 मई, 1990 को उपनिरीक्षक श्री फैजुद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध एक इस्तगासा दायर किया गया था, जो वाद संख्या 3115/90 पर धारा 192/193/218/220/167 भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है । चूंकि प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है, अतः प्रार्थना-पत्र में इंगित मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

39 --श्री शारदानंद अंचल--

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया) ।

जनपद-बलिया में ग्रामीण ऊर्जीकृत योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के आधार पर विद्युतीकरण

40--श्री राजधारी--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में वर्ष 89-90 में ग्रामीण ऊर्जीकृत योजना के अन्दर कितने गांवों को ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य था ? उस लक्ष्य के विरुद्ध कितने गांव ऊर्जीकृत हुए ? क्या सरकार लक्ष्य पूर्ण न होने के कारणों पर विचार करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बलिया जिले में वर्ष 1989-90 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत एल0टी0 लाइन बिछाकर कुल 23 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था ।

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 23 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

(दिनांक 20 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित ।)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ के गांवों में विद्युतीकरण की मांग

42--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित 173 गांवों के विद्युतीकरण हेतु संसाधन कब तक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकास खण्ड के सन्दर्भित 173 ग्रामों में से अब तक 3 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

43--श्री पंचानन राय--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त) ।

जनपद रायबरेली के थाना ऊंचाहार में दर्ज मु0 अ0 सं0 109/90 धारा 364 आई0 पी0 सी0 में पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

44--श्री शिवराम सिंह कुशवाहा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली में दर्ज मु0 अ0 सं0

109/90 धारा 364 आई0 पी0 सी0 में पुलिस थाना ऊंचाहार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण की जांच गुप्तचर विभाग से कराकर अभियुक्तों को सजा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में अंकित अपराध संख्या 109/90 धारा 364 भा0 दं0 वि0 में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा न्यायालय प्रेषित की गयी । विवेचना दौरान गुमशुदा राम सजीवन मौर्य स्वतः अपने घर वापस आया उसे कोई भगा नहीं ले गया था । अतएव, अब इस सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग से जांच करायें जाने का औचित्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के में पदोन्नति आरक्षित व्यक्तियों को रखा जाना

45—श्री तीरथ राज—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पदों पर की जाने वाली पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जन-जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता के कुल कितने पदों पर आरक्षण उपलब्ध है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1981 के बाद आरक्षण कोटे में किसी व्यक्ति की पदोन्नति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, कोटा पूरा नहीं है ।

कुल 156 पदों पर आरक्षण उपलब्ध हैं ।

यह सही नहीं है । वर्ष 1981 के बाद वर्ष 1985 एवं 1989 में आरक्षण कोटे में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पदों पर पदोन्नति की गयी है । रिक्त पदों पर पदोन्नति नियमानुसार अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर की जायेगी ।

46-47-48—श्री शारदानन्द अंचल—

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया) ।

जनपद अलीगढ़ के अनूपशहर रोड, शमशाद मार्केट में स्थित शिव मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जे का विचाराधीन मामला

49—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ में अनूपशहर रोड शमशाद मार्केट में एक प्राचीन शिव मन्दिर की काफी जमीन चारों तरफ से असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस धार्मिक स्थल की कुल जमीन की नाप कराकर सभी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर हदबन्दी कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शरद मित्तल कथित मैनेजिंग ट्रस्टी, शिव मन्दिर धर्मशाला ट्रस्ट, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ ने कतिपय व्यक्तियों के नाम 3 वर्षीय मौरुसी पट्टे निष्पादित किये थे । मौके पर भूमि पर कब्जे का विवाद है । इस भूमि को नगर मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के आदेशानुसार कुर्क करके पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है । भूमि पर स्वत्य सम्बन्धी एक वाद सिविल न्यायालय, अलीगढ़ में विचाराधीन है ।

चूंकि मामला विचाराधीन न्यायालय/न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही तद्नुसार हदबन्दी, की कार्यवाही नियमानुसार क्रियान्वित की जा सकेगी ।

जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर के ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम सभा, मरथना को रजिस्टर नं0 8 से हटाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

50—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा मरथना, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी का नाम थाना फूलपुर जिला वाराणसी में नम्बर आठ के रजिस्टर में लिखा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में क्षेत्र के प्रधानों व नागरिकों के द्वारा एक ज्ञापन मुख्य मंत्री को 30 जनवरी, 1990 को प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र के साथ दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त गांव का नाम नं0 8 रजिस्टर से काटने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, बल्कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त ग्राम प्रधानों के पत्र में यह अनुरोध किया गया था कि श्री चन्द्रबली सिंह का नाम थाना फूलपुर के रजिस्टर नम्बर 8 से निकाल दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में जांच कराये जाने के पश्चात् श्री चन्द्रबली सिंह के आपराधिक गतिविधियों एवं आम सोहरत को दृष्टिगत रखते हुये श्री सिंह का नाम रजिस्टर नम्बर 8 से काटे जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद आजमगढ़ में 132 के0 वी0 उपकेन्द्र लालगंज से 33 के0 वी0 बरदह, उपकेन्द्र को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति

51—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के 33/11 के0 वी0 बरदह फीडर को 132 के0 वी0 लालगंज व 132 के0 वी0 जौनपुर उपकेन्द्रों से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष से 132 के0 वी0 उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर से 33/11 के0 वी0 बरदह फीडर को प्रायः विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जी हां ।

132 के0 वी0 उपकेन्द्र लालगंज से 33 के0 वी0 बरदह उपकेन्द्र को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विद्युत वितरण खन्ड प्रथम के अन्तर्गत 33/11के0 वी0 बरदह फीडर में इंसूलेटर आदि की जर्जर अवस्था न होने की सूचना

52—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के विद्युत वितरण खन्ड प्रथम के अन्तर्गत 33/11 के0 वी0 बरदह फीडर से विद्युत आपूर्ति किये जाने वाले अधिकांश विद्युत तार ढीले हैं तथा इन्सूलेटर आदि इतने जर्जर अवस्था में हैं कि तेज हवा में तार गिर जाते हैं व विद्युत आपूर्ति बाधित होती है ? क्या सरकार इनके मरम्मत आदि की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । बरदह फीडर से विद्युत आपूर्ति किये जाने वाले तार ढीले नहीं हैं और न ही इंसूलेटर आदि जर्जर अवस्था में है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना-जामों के ग्राम मवई के मजरे कटारी में हरिजनों के घर पड़ी डकैती के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

53--श्री तीरथ राज--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक, गौरीगंज, सुल्तानपुर को संबोधित श्री तेजभान सिंह, सू0 पू0 विधायक का पत्र जिसके साथ ग्राम पूरे अक्खल मजरे कटारी में 6 हरिजनों के यहां पड़ी डकैती व ग्राम मवई पूरे तिवारी में थाना जामों, जिला सुल्तानपुर में हुई मारपीट की रिपोर्ट न लिखने संबंधी शिकायती प्रार्थना-पत्र संलग्न है, उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1990 को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों की किस अधिकारी ने मौके पर किन तारीखों में किन-किन लोगों की उपस्थिति में जांच की है ? क्या जांच के बाद दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी, गौरीगंज द्वारा कराई गई। मुरऊ पासी तथा माता प्रसाद पासी के प्रार्थना-पत्र की जांच श्री अशोक कुमार शुक्ल, उप प्रधान कटारी की उपस्थिति में श्री माता प्रसाद के लिखित बयान दिनांक 24 अगस्त, 1990 को श्री शिव कुमार शुक्ल, निवासी कटारी की उपस्थिति में तथा श्री राजाराम व सीतापति के लिखित बयान दिनांक 7 जनवरी, 1991 को श्री शिवकुमार शुक्ल, कटारी की उपस्थिति में अंकित किये गये। श्री अशोक कुमार शुक्ल तथा श्री शिव कुमार शुक्ल ने उपरोक्त व्यक्तियों के बयानों को लिखित रूप से प्रमाणित भी किया है। इन सब ने अपने घरों में डकैती की घटना घटित होना नहीं बताया और न ही कोई सामान लूटा जाना बताया। उन्होंने प्रार्थना-पत्र को झूठा बताया।

श्रीमती सदरुननिसा पुत्री नियामत के प्रार्थना-पत्र पर विवेचना के दौरान गवाहों के बयानात धारा 161 द0 वि0 स0 के अन्तर्गत मौखिक लिये गये। यह मौखिक बयानात अलग-अलग बिना किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थिति में केस डायरी में अंकित किये गये।

प्रार्थना-पत्रों में लगाये गये आरोपों की पुष्टि न होने के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जन प्रतिनिधियों व अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक प्रदान करने की नीति

54--श्री शिव राम सिंह कुशवाहा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में कितने जन प्रतिनिधियों एवं अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक दिये गये हैं ? अंगरक्षक देने की शासन की क्या नीति है ? जनपद इटावा में कितने अंगरक्षक शासन द्वारा किस श्रेणी के व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में कुल 715 जन प्रतिनिधियों एवं 292 अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक प्रदान किये गये हैं।

शासन की वर्तमान नीति के तहत शासनादेश दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 की तिथि में निम्नलिखित छः श्रेणियों के जिन महानुभावों को शासकीय व्यय पर अंगरक्षक/गनर/गार्ड की सुविधा प्राप्त थी, उन्हें प्रदत्त उक्त सुविधा अवधि समय-समय पर सामान्य आदेशों के अन्तर्गत बढ़ाई जाती रही है जो संप्रति 31 मार्च, 1991 तक के लिये अनुमन्य की गयी है —

1—वर्तमान मंत्री एवं वर्तमान सांसद/विधायकगण।
2—भूतपूर्व मंत्री एवं भूतपूर्व सांसद/विधायकगण।
3—जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं सदस्य।
4—नगर महापालिका/नगरपालिका/टाऊन एरिया के अध्यक्ष एवं सदस्य।
5—अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक।
6—ब्लाक प्रमुख।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यवश भयंकर जीवन भय उत्पन्न हो, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने की नीति है।

जनपद इटावा में 32 अंगरक्षक प्रदान किये गये हैं, जिनमें 6 श्रेणियों के 17 व्यक्ति हैं तथा सामान्य 15 व्यक्ति हैं।

जनपद मऊ के पुलिस उपाधीक्षक, घोसी के भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

55—श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1990 गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? जो वर्तमान पुलिस उपाधीक्षक, घोसी जनपद मऊ के भ्रष्टाचार के संबंध में है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विद्युत् विभाग में निर्धारित मापदन्ड के अनुरूप कर्मचारियों के चयन की मांग

56—श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में विद्युत् विभाग में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदन्ड से कहीं कम कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार लाइनों के रख-रखाव व बिलिंग हेतु निर्धारित माप दन्ड के अनुरूप नियुक्तियां यथाशीघ्र करने की कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ऐसा तो नहीं है।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मऊ में जनवरी, 1989 से अगस्त, 1990 तक आपराधिक घटनाओं का विवरण

57--श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में जनवरी, 1989 से अगस्त 1990 तक कितनी कत्ल, राहजनी एवं लूट की घटनायें हुयी हैं? वे किन-किन थानों के अन्तर्गत किस-किस ग्राम सभाओं में घटी हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद मऊ में जनवरी, 1989 से अगस्त, 1990 तक कत्ल की 42, राहजनी एवं लूट की 14 घटनायें घटित हुई हैं।

घटनाओं का थाना/ग्राम सभावार *विवरण संलग्न है।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक नरायनपुर व सुरहुरपुर मियांव की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग

58--श्री राम लखन वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर ब्लाक के नरायनपुर हरिजन बस्ती, अस्ताबाद सुरहुरपुर मियांव ब्लाक के मथुरा रसूलपुर बस्तियों में कई वर्ष पूर्व विद्युत पोल लगने के बावजूद अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं शुरू हो सकी है? यदि हां, तो जलालपुर व मियांव ब्लाक के ऐसे गांवों में विद्युत आपूर्ति कब तक शुरू हो जायेगी। क्या इसमें विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत हरिजन बस्तियों में खंभे न निश्चित आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

नरायनपुर हरिजन बस्ती, जलालपुर जिसका अभी एल0टी0 मेन्स बिछा कर विद्युतीकार समिति द्वारा चयनित होने के पश्चा विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी

जलालपुर विकास खण्ड के ग्राम अ रसूलपुर का भी एल0टी0 मेन्स बिछा क सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने विद्युतीकरण की कार्यवाही सम्भव हो

जलालपुर विकास खण्ड के ग्रा 1976 में किया जा चुका है। इस उपलब्धता के अनुसार कर दिया जा

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' अ

जनपद बुलन्दशहर के विद्युत् वितरण खण्ड, खुर्जा में हुये अग्निकाण्ड की जाँच

59—श्री बसन्त लाल गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड, खुर्जा (बुलन्दशहर) में दिनांक 21 अगस्त, 1989 को भीषण अग्निकाण्ड हुआ था ? यदि हाँ, तो क्या उक्त सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अख्तर हुसेन ने उक्त के सम्बन्ध में करोड़ों रुपये की राजस्व चोरी में लिप्त गिरोह के विरुद्ध न्यायिक जाँच बैठाने तथा पिछले तीन वर्षों की जाँच विशेष दल भेज कर कराने हेतु कोई पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ

प्रश्न में संदर्भित श्री अख्तर हुसेन, कार्यवाहक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र प्राप्त नहीं हुआ । उक्त अग्निकाण्ड की विद्युत परिषद् द्वारा विभागीय जाँच की गयी तथा उक्त तिथि को उक्त खण्ड में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया व गोरखपुर के विद्युत् वितरण खण्ड/उप खण्ड में परिषदीय नियमानुसार सीट रूटशेन प्रक्रिया न लागू करने की जाँच

60—श्री बसन्त लाल गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड/उप खण्ड, देवरिया और गोरखपुर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एक सीट पर पिछले 10 वर्षों या उससे ज्यादा समय से बिलिंग/एग्रीमेन्ट/पब्लिक डीलिंग सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं । क्या वहाँ परिषदीय नियमानुसार सीट रूटशेन सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विद्युत् वितरण मण्डल, गोरखपुर के अन्तर्गत वितरण खण्ड, गोरखपुर/देवरिया में 57 कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय से बिलिंग/एग्रीमेन्ट/पब्लिक डीलिंग सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं ।

उपर्युक्त 57 कर्मचारियों के मामले में नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी है । मामले की जाँच कराई जा रही है ।

जनपद लखनऊ में स्थित लेसू के निकट बलरामपुर चिकित्सालय में साइकिल स्कूटर स्टैण्ड का ठेका

61—श्री बसन्त लाल गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेसू निकट बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ स्थित साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड का ठेका पिछले दस वर्षों से किसको दिया गया तथा उससे कितनी आय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस आर्थिक हानि के लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम (लेसू) के निकट बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ स्थित साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड का ठेका राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नहीं दिया जाता है । उक्त ठेका नगर महापालिका के कार्यक्षेत्र में आता है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा आवासीय सुविधा न लेने वालों का नाम

62—श्री रमापति शास्त्री—

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हरदुआगंज तापीय परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्मियों को आवास आवंटित किये जाने की कोई नीति घोषित की गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या हरदुआगंज परियोजना के कर्मियों की परिषदादेश संख्या 2025–एन, जी/09 (अ) रा-वि-प, दिनांक 1 जुलाई, 1989 एवं आदेश संख्या 5300–एन-जी/09 (अ)/रा-वि0-प, दिनांक 17 जनवरी, 1990 के अनुसार टाइप तृतीय आवासों के आवंटन हेतु कोई वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि हां, तो टाइप तृतीय आवासीय सुविधा पाने के हकदार कर्मचारियों के नाम तथा परियोजना पर इनकी नियुक्ति तिथियां क्या हैं ? इनमें से जिन कर्मचारियों को अभी तक टाइप तृतीय आवास आवंटित नहीं किये गये हैं, उनके नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि टाइप तृतीय आवासीय सुविधा लेने से अनेक अवर अभियन्ताओं ने इंकार कर आवास भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो आवासीय सुविधा लेने से इंकार करने वाले कार्मिक/अवर अभियन्ताओं के नाम क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ ।

विभिन्न श्रेणी के परिषदीय आवासों को अनुमन्यता 1 अप्रैल, 1984 से पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर की गयी है । आवासों की उपलब्धता को दृष्टि में रख कर "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धान्त तथा परियोजनाओं पर आवासों की कमी को देखते हुये "परियोजना आवास आवंटन समिति" द्वारा पावर हाउस में कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रख कर यथा-सम्भव वरिष्ठता क्रम में आवास आवंटित किये जाते हैं ।

जी हाँ ।

वरिष्ठता क्रम सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

189 कर्मचारी शेष हैं । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् के अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति

63—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की क्या नीति है ? क्या शासन/परिषद् मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), शक्ति भवन विस्तार, चतुर्थ तल, लखनऊ के अधीन विगत 10 वर्ष से अधिक अवधि से तैनात अधिशासी अभियन्ताओं को लखनऊ से बाहर या अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरित करेगा ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विद्युत् परिषद् के अधिशासी अभियन्ताओं का सामान्यतया तीन-चार वर्ष की अवधि के बाद स्थानान्तरण करने की नीति है ।

जी हाँ, इस वर्ष की वार्षिक स्थानान्तरण व्यवस्था में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

64—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न-कर्ता के क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध के क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ । माननीय विधायक के पत्र में उल्लिखित 11 बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है—

1—ग्राम भेसाड़ विद्युत उपकेन्द्र, मऊ कुतुबपुर के ट्रांसफार्मर की खराब खूंटी को दिनांक 18 जनवरी, 1990 को बदल कर ठीक कर दिया गया है ।

2—चाँद पट्टी विद्युत उपकेन्द्र, रौनापार का ट्रांसफार्मर दिनांक 15 जनवरी, 1990 को बदल दिया गया है ।

3—चाँदपट्टी बाजार की विद्युत् आपूर्ति रौनापार से सुचारु रूप से चल रही है । इसे मऊ कुतुबपुर से कराना उचित नहीं है क्योंकि इससे दूरी बढ़ जायेगी । जमौन रसूलपुर की विद्युत् आपूर्ति भी रौनापार से चल रही है । इसे मऊ कुतुबपुर से करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

4—चाँद पट्टी बाजार एवं गाँव को अलग-अलग ट्रांसफार्मर लगाकर दिनांक 30 जनवरी, 1990 से विद्युत् आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ।

5—ग्राम सीरही विद्युत् उपकेन्द्र, लाटघाट का 63 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर 28 जनवरी, 1990 को बदल दिया गया है ।

6—श्री रामे सूरत यादव पुत्र श्री नीवरात यादव, ग्राम भैसाड़ के नाम 3 अश्वशक्ति का कनेक्शन है । उनके ऊपर 927 हजार रु0 का बकाया रसीदों की पूरी पोस्टिंग न होने के कारण दिखला दिया गया था जिसे ठीक कर दिया गया है और 10/90 तक रु0 7,292.30 का विद्युत बकाया है ।

7—ग्राम बैजावारी और बेलकुण्डा की विद्युत आपूर्ति विद्यु,त् उपकेन्द्र लाटघाट के बरडीहा फीडर से दिनांक 5 फरवरी, 1990 को कर दी गयी है ।

8—ग्राम जमीन नरहन विद्युत् उपकेन्द्र, जौनपुर की विद्युत् आपूर्ति माह जनवरी, 1990 में ट्रांसफार्मर की खराबी के कारण 1 जनवरी, 1990 से 12 जनवरी, 1990 तक अनियमित रही जिसे 13 जनवरी, 1990 को ठीक कर दिया गया ।

9—ग्राम अहिरौली और टेकनगाढ़ा की विद्युत् आपूर्ति विद्युत् उपकेन्द्र, मोवारकपुर से नियमित रूप से हो रही है ।

10—ग्राम चौकी बुजुर्ग (कोड सं0 857) विकास खण्ड, अजमतगढ़ का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 1979 में विद्युतीकरण किया गया था । इस ग्राम का अभी एल0टी0 में बिछाकर विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

11—33 के0वी0 उप केन्द्र रौनापार से विद्युत् आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है ।

65—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा तथा श्री रतन लाल अहिरवार—

(दिनांक 23 जनवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 132 द्वारा उत्तरित ।)

जनपद लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सेक्टर आई अलीगंज में नवनिर्मित आवासों का आवंटन

66—श्री गुलाब सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सेक्टर आई अलीगंज, लखनऊ में नव-निर्मित 60 क्वार्टरों को 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारियों को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे अध्यासियों के आवंटन आदेश निरस्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार 10 वर्ष के प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, केवल कुछ ही क्वार्टरों को 10 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को आवंटित किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

आवासों के अभाव एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के आधिक्य के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी को मांग पर उप कृषि निदेशक, आगरा द्वारा चने का बीज उपलब्ध कराया जाना

67—श्री गुलाब सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा वर्ष 1982–83 में सड़े चने के बीज हिसाब से खरीदा गया ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि 81–82 में आगरा से खरीदे गये सड़े चने के वहां अवशेष पड़ जाने पर 82–83 में उसे मिर्जापुर को धोखा धड़ी करके स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में महालेखाकार के आडिट आपत्ति रिपोर्ट तथा उसके जवाब की जांच मन्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, वाराणसी को सौंपा गया जिसमें उन्होंने विधिवत तथ्यों की जांच न करके आमक रिपोर्ट विभाग एवं शासन को भेजी है ? यदि हां, तो गलत जांच आख्या प्रेषित करने वाले ऐसे अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

श्री शंकर सिंह—

जी नहीं ।

जिला कृषि अधिकारी, मिर्जापुर की मांग पर उप कृषि निदेशक, आगरा मन्डल से कुल 400 कुंतल चना बीज उपलब्ध कराया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में स्वीकृत थानों का गजट नोटीफिकेशन

68—श्री मयंकर सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पांच नये थाने खोले जाने का आदेश 31 अक्तूबर, 1988 को दिया गया है ? यदि हां, तो वह थाने कौन से हैं और कहां खुलेंगे ? क्या शासन द्वारा इनका गजट नोटीफिकेशन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

शासनादेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1988 द्वारा जनपद बहराइच में तीन नये थाने खोले जाने के आदेश दिये गये थे।

ये नवीन थाने बोण्डी, रामगांव व रानीपुर में स्थापित किये जायेंगे।

उपर्युक्त तीन थानों के कार्यक्षेत्र का अभी गजट नोटीफिकेशन नहीं किया गया है। इनके नोटीफिकेशन संबंधी प्रस्ताव में कतिपय वांछित सूचनायें उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त हो जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर के ग्राम गनेशपुर में घटित घटनाओं के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

69—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र क्रम संख्या 143749, दिनांक 30 अगस्त, 1990 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को ग्राम गनेशपुर, थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद में हुयी लूट की घटना के पंजीकरण में लापरवाही बरतने तथा अपराधों पर पर्दा डालने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी तथा दोषियों को दंडित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्त्ता के संदर्भित पत्र की जांच कराई गई। जांच के मध्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0 अ0 सं0—7/91 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया गया। प्रश्नगत घटना की सूचना थाने पर पूर्व में उपलब्ध न कराए जाने के कारण पंजीकरण में किसी पुलिसकर्मी का दोष नहीं पाया गया।

जनपद मुरादाबाद के थाना भोजपुर को शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

70—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता का कोई पत्रांक सं0 143748 दिनांक 30 अगस्त, 1990 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद को मुकदमा अपराध संख्या 125/90 धारा 147/148/302 आई0 पी0 सी0 संबंधित थाना भोजपुर की विवेचना में लापरवाही बरतने तथा वादी की शिकायत पर धारा 120—बी का अभियोग पंजीकृत न करने और आरोप पत्र न्यायालय में जल्दबाजी में प्रेषित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या लापरवाही बरतने वाले विवेचनाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तथा धारा 120—बी के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1990 की जांच क्षेत्राधिकारी, ठाकुर द्वारा द्वारा को जा रही है। जांच प्रचलित है।

जनपद बाराबंकी के थाना रामसनेही घाट में स्थित ग्राम बहरेलाडीह में मारपीट करने के संबंध में श्री ओंकार सिंह के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रेषित किया जाना

71—श्री तीरथ राज—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी थाना रामसनेही घाट, ग्राम बहरेलाडीह में दिनांक 13 अगस्त, 1990 को मारपीट की कोई घटना हुई है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में ओंकार सिंह आदि के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा अंकित है? यदि हां, तो किस धारा में? क्या जांच अधिकारी ने ओंकार सिंह आदि के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

अभियोग धारा 147/148/149/323/324 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

जो हां। आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः शेष का प्रश्न नही उठता।

अंगरक्षक पाने वाले व्यक्तियों के आचरण सम्बन्धी आख्या प्राप्त किया जाना

श्री मोती लाल वेहलवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसी व्यक्ति को अंगरक्षक का पात्र मानने और अंगरक्षक देने के लिये शासन द्वारा क्या मानक व आधार निर्धारित हैं? निर्धारित मानक के अनुसार क्या किसी आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को भी अंगरक्षक पाने का पात्र माना गया है? यदि हां, तो जनपद कानपुर वेहात में वर्ष 1984 से सितम्बर, 1990 तक ऐसे कितने आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों को अंगरक्षक दिया गया है? इसी सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि अंगरक्षक देने के पूर्व अंगरक्षक पाने के आवेदक के आचरण सम्बन्धी आख्या क्या स्थानीय पुलिस अधीक्षक से प्राप्त की जाती है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिस व्यक्ति को सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्य से भयंकर जीवन-भय उत्पन्न होता है, उसे अंगरक्षक की सुविधा दी जाती है।

जी हां।

श्री लायक सिंह यादव, निवासी ग्राम मुन्डेरा, किन्नर सिंह, थाना मंगलपुर, कानपुर (वेहात) एवं श्री नागर सिंह, निवासी थाना बिल्हौर, कानपुर वेहात को अंगरक्षक उनके भयंकर जीवन भय को देखते हुये विशेष परिस्थितियों में दिया गया है।

सामान्यतः अधिकांश मामलों में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा एवं प्रशिक्षण शाखा, अभिसूचना विभाग से आचरण सम्बन्धी आख्या प्राप्त की जाती है।

जनपद कानपुर वेहात के थाना बिल्हौर में अंगरक्षक धारकों के प्रार्थना पत्र पर संस्तुति

श्री मोती लाल वेहलवी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर वेहात के अन्तर्गत पुलिस थाना बिल्हौर में जिन-जिन लोगों को अंगरक्षक दिये गये हैं क्या उन लोगों ने अंगरक्षक के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र किसको सम्बोधित थे तथा किन-किन तिथियों में प्रार्थना-पत्र

दिये गये ? किसके-किसके प्रार्थना-पत्र पर किस-किस विधायक अ विधान परिषद् सदस्य अथवा सांसद द्वारा संस्तुति लिखी गयी है ? इसी प्रसंग में क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि अंगरक्षक धारकों को किन-किन तिथियों में से किस-किस को अंगरक्षक उपलब्ध कराये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत दो व्यक्तियों श्री अशोक कुमार, ब्लाक प्रमुख को शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 1990 के द्वारा एक अंगरक्षक तथा चौधरी नाहर सिंह, नेता जनता दल को शासनादेश दिनांक 22 जून, 1990 के द्वारा एक गनर क्रमशः श्री नरेश उत्तम माननीय विधायक के पत्र दिनांक 27 जून, 1990 एवं श्री शिव कुमार बेरिया, माननीय विधायक के पत्र दिनांक शून्य में की गयी संस्तुतियों पर स्वीकृत किया गया है ।

श्री अशोक कुमार, ब्लाक प्रमुख को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात की रिपोर्ट दिनांक 21 जुलाई, 1990 पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 1990 द्वारा 3 माह के लिये एक अंगरक्षक स्वीकृत किया गया और श्री अशोक कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1990 एवं श्री केशरी लाल, सांसद (लोक सभा) के पत्र दिनांक 25 अक्तूबर, 1990 की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुये श्री अशोक कुमार को प्रदत्त अंगरक्षक की अवधि शासनादेश दिनांक 7 नवम्बर, 1990 द्वारा अगले तीन माह के लिये बढ़ाई गयी ।

चौधरी नाहर सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1990 पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 20 अक्तूबर, 1990 द्वारा श्री सिंह को प्रदत्त गनर का कार्य काल अग्रिम तीन माह के लिये बढ़ाया गया ।

जनपद-कानपुर देहात के बिल्हौर क्षेत्र में नलकूपों के संचालन का मामला

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को जानकारी है कि अगस्त, 1990 में लगभग 20 दिनों तक लगातार पानी बिल्कुल न बरसने और लगभग 1 माह तक बिजली न पहुंचने के कारण क्षेत्र बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात के सम्पूर्ण नलकूप पूर्ण रूप से बन्द रहे ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बिजली न पहुंचाने के क्या कारण रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बिल्हौर क्षेत्र में माह अगस्त, 1990 में विद्युत आपूर्ति बन्द नहीं रही । इस क्षेत्र में पनकी (कानपुर) तथा कन्नौज (फर्रुखाबाद) दोनों ओर से विद्युत आपूर्ति सम्भव है तथा एक ओर से कोई व्यवधान पड़ने पर दूसरी ओर से विद्युत आपूर्ति कर दी जाती है । अतः विद्युत आपूर्ति न होने से नलकूपों के बन्द रहने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर जनपद में पनकी पावर हाउस से बिल्हौर तक विद्युत तारों की कटिंग रोकने में क्षेत्रीय अधिकारियों का सहयोग

श्री मोती लाल देहलवी—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पनकी पावर हाउस कानपुर से बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात में पहुंचने वाली बिजली लाईन के तार जून 1910 से 4 सितम्बर 1990 तक कहां-कहां और कितने कितने बार काटे गये हैं ? तार चोरों के गिरोह को पकड़ने के लिये हाईडिल के उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा तार कटिंग की रिपोर्ट किन-किन थानों में दर्ज करायी गयी तथा क्या पुलिस अधिकारियों को भी तार कटिंग की सूचना देकर उनसे सहयोग देने का निवेदन किया गया ? यदि हां, तो पुलिस के किस अधिकारी को किस तारीख को सूचना देकर सहयोग पाने का निवेदन किया गया ? उस पुलिस अधिकारी से तार कटिंग के चोरों को पकड़ने में क्या-क्या सहायता व सहयोग प्राप्त हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत लाइन के दिनांक जून, 1990 से 4 सितम्बर, 1990 तक तार काटने तथा अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट जिन-जिन थानों में दर्ज करायी गयी, का विवरण संलग्नक (क) में दर्शाया गया है ।

जी हां ।

पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को लिखे गये पत्रों के दिनांक सहित की सूची संलग्नक* (ख) में दी गयी है ।

पुलिस के क्षेत्रीय अधिकारियों का यथा सम्भव सहयोग प्राप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा दलहन व तिलहन प्रमाणित बीज के उत्पादकों को भुगतान

76—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा दलहन, तिलहन एवं धान के प्रमाणित बीज उत्पादकों को विगत 3 वर्षों में बीज क्रय करने हेतु किस दर से भुगतान करते आ रहे हैं ?

क्या भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि सम्बन्धित किसानों को निगम द्वारा निजी बीज उत्पादकों को दिये जाने वाले दरों की तुलना में 150 रु0 प्रति कुन्टल बढ़ा कर ली गयी है ? क्या विभाग ने प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले कृषकों को राशि प्राप्त होने की संपुष्टि किसानों से कर ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह--

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में दलहन, तिलहन एवं धान के प्रमाणित बीज उत्पादकों को किये गये भुगतान की दरों का **विवरण संलग्न किया जा रहा है ।

भारत सरकार से प्राप्त 150 रु0 प्रति कुन्टल प्रोत्साहन धनराशि को दलहन एवं तिलहन ग्राम बीज योजना तथा खण्ड प्रदर्शन के अन्तर्गत उत्पादित असंशोधित बीज पर वर्ष 1989-90 तक 125 रु0 प्रति कुन्टल की दर से सम्बन्धित कृषकों को भुगतान किया गया है तथा शेष 25 रु0 प्रति कुन्टल की दर से निगम को यातायात तथा प्रशासनिक व्यय के मद में दिया गया है । वर्ष 1990-91 में इन योजनाओं के अन्तर्गत उत्पादित बीज पर प्रोत्साहन धनराशि बीज उत्पादकों को खरीफ, 1990 से दलहनी फसलों के बीज (अरहर, उर्द) पर सम्पूर्ण प्रोत्साहन धनराशि 200 रु0 प्रति कुन्टल तथा तिलहनी फसलों के बीज पर (सोयाबीन व मूंगफली) 125 रु0 प्रति कुन्टल सम्बन्धित कृषकों को तथा 25 रु0 प्रति कुन्टल की दर से निगम को यातायात तथा प्रशासनिक व्यय के मद में भुगतान किया जा रहा है । धान बीज पर प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य नहीं है ।

जी हां ।

विद्युत उप केन्द्र, मिर्जापुर (माल्टारी), आजमगढ़ के पास स्थित ग्रामों में विद्युत देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

77—श्री पंचानन राय--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उप केन्द्र, मिर्जापुर (माल्टारी), आजमगढ़ से पड़ोस के गांवों को बिजली दिये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1989

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 181 पर) ।
**(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 184 पर) ।

अधीक्षण अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।]

पत्र में ग्राम सभा, देवापार, पसारपारी पट्टी तथा अंजान शहीद आदि को नव-निर्मित 33 के0 वी0 उप केन्द्र, मिर्जापुर (माल्टारी) से विद्युत् आपूर्ति करने हेतु अनुरोध किया गया है । इस कार्य हेतु लगभग 1 कि0 मी0 लम्बी 11 के0 वी0 लाइन बनानी पड़ेगी । इसके लिये प्राक्कलन स्वीकृत हो चुकी है और सामग्री की व्यवस्था की जा रही है । सम्भे कार्य स्थल पर पहुंचा दिये गये हैं । शेष सामग्री की उपलब्धता होने पर ही कार्य प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

विधायक आवास नं0 1 में जन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आवंटित आवासों के किराये की वसूली

78--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक आवास संख्या 1 में जो गैर विधायक रह रहे हैं, क्या वह राज्य सम्पत्ति विभाग को प्रति माह किराया दे रहे हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के आवास का कितना कितना माहवारी किराया राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्धारित है और राज्य सम्पत्ति विभाग को किराये के रूप में कुल कितना धन प्रति माह प्राप्त हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बिना किराये के कुल कितने गैर विधायक लोग विधायक आवास संख्या 1 में रह रहे हैं और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ।

"क" श्रेणी कक्ष का किराया 9 रु0 प्रति दिन की दर से 270 रु0 प्रति माह (30 दिन का), "ख" श्रेणी कक्ष का किराया 7 रु0 प्रति दिन की दर से 210 रु0 प्रति माह (30 दिन का) निर्धारित किया गया है । राज्य सम्पत्ति विभाग को जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक कुल 1,03,022.25 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई है । इस प्रकार प्रति माह लगभग 8,595 रु0 की धनराशि प्राप्त होती है ।

वर्तमान में 13 ऐसे गैर विधायक हैं, जो नियमित किराया नहीं दे रहे हैं । स्वयं नहीं दे रहे हैं वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विधायक आवासों में आवास आवंटन का आधार

79--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक आवासों के कमरों में रहने की पात्रता एवं अधिकारी होने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या अर्हतायें निर्धारित हैं ? क्या यह अर्हतायें समय-समय पर परिवर्तित होती आ रही हैं ? यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन कितनी बार और कब-कब हुये हैं ? यदि नहीं, तो गैर विधायकों को किस आधार पर विधायक आवासों में आवास दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1957 के प्राविधानों के मुताबिक विधायक निवास में विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्य आवास आवंटन हेतु अर्ह एवं अधिकारी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी संख्या में माननीय विधायकों द्वारा अधिकारी कालोनियों में आवास आवंटित करा लेने के फलस्वरूप विधायक निवासों में कक्ष रिक्त रहते थे, जिसके कारण शासकीय राजस्व की हानि होती थी, अतएव माननीय सदस्यों की संस्तुति एवं उच्चादेश से विशेष परिस्थितियों में विधायक निवासों के आवास गैर विधायकों के पक्ष में भी उपलब्धता के आधार पर अस्थायी रूप से आवंटित किये जाते हैं।

परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों की विद्युत् अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का विचाराधीन मामला

80—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों की अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1985-86 में कोई परीक्षा ली गई थी जिसका परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो यह परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

यह मामला उच्च न्यायालय, लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (चतुर्थ), लखनऊ में न्यायाधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही कार्यवाही की जा सकेगी।

81—श्री पंचानन] राय—

[दिनांक 23 जनवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 30 द्वारा उत्तरित]

दादरी विधान सभा क्षेत्र एल0 टी0 लाइन का विस्तार न हो पाने के कारण विद्युत् कनेक्शन न दिया जाना

82—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु परिषद् (विभाग) में 31 अगस्त, 1990 तक पैसा जमा करा दिया गया है ? यदि हां, तो उनको अब तक विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दादरी विधान सभा क्षेत्र जनपद गाजियाबाद में 31 अगस्त, 1990 तक 22 ऐसे ग्रामों के निवासियों द्वारा विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पैसा जमा कर दिया गया है जिनका अभी एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त 12 पहले से विद्युतीकृत ग्रामों में उपभोक्ताओं द्वारा धन जमा कर दिया गया है जिनमें कनेक्शन देने के लिये एल0 टी0 लाइन का विस्तार होना है।

संसाधनों की कमी के कारण अस्थायी रूप से प्रथम 22 ग्रामों, जो केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत हैं, का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण का कार्य रुका हुआ है। इस कारण इन ग्रामों में कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। इसी प्रकार अन्य 12 ग्रामों में संसाधनों की कमी के कारण एल0 टी0 लाइन का विस्तार करके कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में फल एवं सब्जी मण्डी हेतु भूमि क्रय करने का प्रस्ताव

83—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डी, सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री शंकर सिंह—

प्रश्नगत मण्डी के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आपसी बातचीत के द्वारा भूमि क्रय करने का प्रस्ताव मण्डी परिषद् के परीक्षणाधीन है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्रामों को विद्युत् सामग्री के अभाव में विद्युत् कनेक्शन का न दिया जाना

84—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु विद्युत् विभाग (परिषद्) में अगस्त, 90 तक पैसा जमा करा दिया गया है? उक्त गावों को कब अब विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के 5 ग्रामों तथा विकास खण्ड दनकौर के 4 ग्रामों के कुछ उपभोक्ताओं ने विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अगस्त, 1990 तक धनराशि जमा करा दी है।

सामग्री के अभाव के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

जनपद इलाहाबाद के थाना मेजा के ग्राम जमुना में विषाक्त पेय जल से बारातियों के बेहोश होने का मामला तथा शुद्ध पेय जल की व्यवस्था

85—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 19 मई, 1990 को ग्राम जमुना, थाना मेजा, जिला इलाहाबाद में 68 बाराती विषाक्त जल पीने से बेहोश हो गये? यदि हां, तो इसके लिये ज़िम्मेदार कौन है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19 मई, 1990 को ग्राम जमुना, थाना मेजा, जनपद इलाहाबाद में विषाक्त पानी पीने से 68 नहीं बल्कि 69 बाराती बेहोश हो गये थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मेजा पर एक नामजद अभियुक्त के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 116/90 धारा 328/276 पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त आरोप सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया जो न्यायालय के विचाराधीन है।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शासन द्वारा ग्रामीण अंचल में शुद्ध पीने के पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विद्युत गृहों की अधिष्ठापित क्षमता तथा प्रति माह विद्युत उत्पादन

86--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 जनवरी, 1990 से लेकर 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता (इन्स्टाल्ड कैपेसिटी) क्या थी ? इसके विरुद्ध इस अवधि में प्रति माह औसतन विद्युत उत्पादन की दर क्या रही ? इसी अवधि में गत वर्ष विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और प्रति माह औसतन विद्युत उत्पादन की दर क्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश में 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विद्युतगृहों की अधिष्ठापित क्षमता 4956 मेगावाट थी तथा 1 अप्रैल, 1990 से 31 जुलाई, 1990 तक की अवधि में 5066 मेगावाट थी ।

इस अवधि में प्रति माह विद्युत उत्पादन की औसत दर 1596 मि0 यू0 रही ।

गत वर्ष 1 जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1989 तक अधिष्ठापित क्षमता 4696 मेगावाट तथा 1 अप्रैल, 1989 से 31 जुलाई, 1989 तक 4956 मेगावाट थी ।

इसी अवधि में प्रति माह विद्युत उत्पादन की औसत दर 1638 मि0 यू0 रही थी ।

जनपद चमोली को भेजे गये पुलिस कर्मियों के टी0 ए0, डी0 ए0 पर व्यय धनराशि

87--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में यात्रा काल के दौरान बाहरी जनपदों से कितने पुलिस कर्मियों को यात्रा ड्यूटी पर जनपद चमोली में भेजा गया ? उनके टी0 ए0, डी0 ए0 पर कुल कितना व्यय किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1989 में यात्रा काल के दौरान बाहरी जनपदों से कुल 269 पुलिस कर्मियों को यात्रा ड्यूटी हेतु जनपद चमोली में भेजा गया था ।

उनके टी0 ए0, डी0 ए0 पर कुल रु0 2,93,249. 80 व्यय किया गया है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक कम्पियरगंज के ग्राम सभा चन्दीपुर व मुहम्मदपुर उर्फ हगना में विद्युत कार्य पूर्ण करने की मांग

88--श्री गनपत सिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्राम सभा चन्दीपुर व मुहम्मदपुर उर्फ हगना ब्लाक कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या कितनों को विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ग्राम सभा चन्दीपुर का एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण 5 जनवरी, 1987 को किया गया था । ग्राम सभा मुहम्मदपुर उर्फ हगना के विद्युतीकरण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

ग्राम सभा चन्दीपुर की मुख्य 11 के0 वी0 लाइन का तार चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है । ग्राम सभा मुहम्मदपुर के कुछ भाग में, जिसमें विद्युतीकरण का कार्य हो गया है, विद्युत आपूर्ति की जा रही है । शेष भाग का कार्य संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है ।

ग्राम सभा चन्दोपुर में संसाधनों की कमी के कारण विद्युत आपूर्ति सामान्य नहीं की जा सकी है । इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं ।

89—श्री मोती लाल देहलवी—

[4 थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-जालौन के उरई दमकल विभाग में कार्यरत सिपाही श्री राम विलास के हत्यारों द्वारा पुलिस अधीक्षक, कानपुर के समक्ष बयानात

90—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के कथनानुसार कानपुर देहात की पुलिस व बदमाशों से गांव सुजानपुर में दिनांक 19 जून, 1990 की रात पुलिस थाना चौबेपुर में हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से गोलियों के चलने के पश्चात् जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई के दमकल विभाग में नियुक्त सिपाही राम विलास यादव के दो हत्यारे पुलिस द्वारा पकड़े गये और दो बदमाश भाग गये थे ? यदि हां, तो इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कितने-कितने और कौन-कौन लोग गोलियों से आहत हुये ? आहतों को डाक्टरी सहायता कहां दी गयी ? इसी सन्दर्भ में क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि पकड़े गये हत्यारों ने पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के समक्ष दिये गये बयान में मृतक राम विलास यादव के पास कुल कितना धन व कितने बदमाश होना बताया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19 जून, 1990 को थानाध्यक्ष चौबेपुर के साथ उपस्थित पुलिस पार्टी एवं बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश पकड़े गये, जिन्होंने दिवेचनाधिकारी के समक्ष दिये गये बयान में श्री राम बिलास यादव की हत्या किये जाने, मृतक के पास तीन हजार रुपये नकद, एक सूटकेस के होने एवं दो अन्य साथियों का होना स्वीकार किया गया। उक्त मुठभेड़ में किसी भी पक्ष का न तो कोई व्यक्ति आहत हुआ और न ही किसी का उपचार कराया गया।

91—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में लाइसेन्स की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स की स्वीकृति

92—श्री अकबर अली—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, मुस्लिमों, पिछड़े व कमजोर वर्ग के जिन इच्छुक लोगों को अब तक आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स नहीं मिले हैं उन्हें लाइसेन्स देने की कोई प्रभावी प्रक्रिया अपनाकर सरकार इन लोगों को लाइसेन्स प्रदान कराने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आग्नेयास्त्र के नये लाइसेन्स जारी करने पर दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 से प्रतिबन्ध लगाया गया है, किन्तु वर्तमान में 7 श्रेणी के आवेदकों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है, संलग्नक* जिसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी जाति/संप्रदाय के आवेदकों को बिना किसी भेदभाव के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आग्नेयास्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जा रहे हैं ।

*देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ सं0 185 पर

जनपद उन्नाव के निर्वाचन क्षेत्र पुरवा में विद्युत् आपूर्ति का मामला

93—श्री हृदय नारायण तथा श्री मस्तराम—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1990 में विद्युत् आपूर्ति का औसत प्रति उपगृह क्षेत्र अलग-अलग कितने घंटे प्रतिदिन रहा है? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता के क्षेत्र पुरवा के उन्नाव, मौरावां, पुरवा व नवाबगंज उपगृहों के क्षेत्रों के किसानों को प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने का, औसत दो घंटे भी नहीं है? यदि हां, तो अनियमित तथा कम विद्युत् आपूर्ति के क्या कारण हैं इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 15-1/2 घंटे विद्युत् उपलब्ध करायी गई है। निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) के मौरावां पुरवा एवं अजगैन (नवाबगंज) विद्युत् उपगृहों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में विद्युत् आपूर्ति निम्न प्रकार की गई :—

उपगृह का नाम	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
मौरावां	14. 40	18. 10	16. 52
पुरवा	18. 54	15. 00	15. 05
अजगैन (नवाबगंज)	12. 10	18. 34	19. 34

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विद्युत् आपूर्ति लगभग सामान्य रही न कि 2 घंटे से कम रही। इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड कार्यालय द्वारा दोषपूर्ण बिलिंग हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

94—श्री हृदय नारायण तथा श्री मस्तराम—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 90 में कितने बिल अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड उन्नाव के कार्यालय से जारी हुए? कितने बिलों को संशोधित करना पड़ा? कितने ऐसे बिल संशोधित हुए जिनमें संशोधित करने के बाद धनराशि शून्य या बहुत कम रह गई? दोषपूर्ण बिलिंग के लिये दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माह 7/90 में 19,762, माह 8/90 में 16,124 तथा माह 9/90 में 20,575 कुल 56,461 बिल जारी हुए। माह 7/90 में 210, माह 8/90 में 235 व माह 9/90 में 233 कुल 678 बिलों में संशोधन किया गया, जिनमें से माह 7/90 में 22, माह 8/90 में 15 तथा माह 9/90 में 36 कुल 73 बिलों में संशोधित राशि बहुत

कम रह गई । दोषपूर्ण बिलिंग के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों को चेतावनी, पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।

जनपद उन्नाव के थाना बिहार की पुलिस द्वारा हरिजनों को पीटने का मामला

95—श्री हृदय नारायण —

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना बिहार की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र अगस्त, सितम्बर, 90 तक पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उन्नाव को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि हरिजनों को पीटने-आदि के आरोपों सहित हिन्द मजदूर किसान पंचायत के जिला मंत्री गंगा प्रसाद भैय्या आदि ने अगस्त, सितम्बर, 90 में थाना मौरावां पर प्रदर्शन किया था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो दोनो प्रकरणों के जांच निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार पुलिस अधीक्षक विशेष जांच के माध्यम से दिनांक 16 अगस्त, 1990 को पेपर कटिंग प्राप्त हुई जिसमें थानाध्यक्ष द्वारा ग्राम दुवाई के चन्द्रिका प्रसाद पासी को लकड़ी न दिये जाने पर बुरी तरह मारने पीटने सम्बन्धी आरोप थे । जांच के दौरान थाना बिहार के विरुद्ध पेपर कटिंग में लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हुयी । अतएव आरोप की पुष्टि के अभाव में पुलिस कर्मियो के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 24 अगस्त, 1990 को जब अपर पुलिस अधीक्षक थाना मौरावां पर अर्दली रूम की कार्यवाही समाप्त होने पर थाने से चले तब हिन्द मजदूर पंचायत के जिला मंत्री श्री गंगा प्रसाद भइया व 15-20 अन्य व्यक्ति उनसे मिले तथा ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई ज्ञापन में कान्सटेबिल कमल सिंह व लाल जीत सिंह के सम्बन्ध में आरोप थे । इस सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त कान्सटेबिल की दिनांक 27 अगस्त, 1990 को बीट बदलने के आदेश दे दिये गये ।

जनपद उन्नाव के विद्युत् विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

96—श्री हृदय नारायण—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी उन्नाव को विद्युत् अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित विभिन्न शिकायतकर्ताओं के कुल कितने पत्र अगस्त व सितम्बर, 90 में प्राप्त हुए ? कितने पत्रों में शिकायतें अधिशासी अभियन्ता की भी थीं ? अधिशासी अभियन्ता की शिकायत वाले पत्रों की जांच किसने की ? क्या जांच में शिकायतकर्ताओं व प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लिये गये ? इन शिकायती पत्रों के जांच निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी को क्या दण्ड दिये गये हैं ? अन्य पत्रों की जांच किसने की और जांच निष्कर्ष क्या हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिलाधिकारी उन्नाव के माध्यम से विद्युत् अनियमितताओं के सम्बन्ध में माह अगस्त में 4 तथा सितम्बर, 1990 में 3 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ।

कोई नहीं । पत्रों में विद्युत् सम्बन्धी शिकायतें ही थी । इन पत्रों की जांच अधिशासी अभियन्ता से कराई गयी । कुछ शिकायतों पर शिकायतकर्ता से साक्ष्य लिये गये । जांच में कुछ साक्ष्यकर्ताओं द्वारा शिकायत फर्जी बतायी गयी, विद्युत् आपूर्ति में अनियमितता तकनीकी कारणवश होना पाया गया और रिश्वत की मांग तथा इसे प्रोत्साहित किया जाना सत्य नहीं पाया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बोझिया के श्री दूधनाथ यादव को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

97—श्री पंचानन राय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दूध नाथ यादव, ग्राम बोझिया, जनपद-आजमगढ़ के भाई की हत्या हो जाने के फलस्वरूप उन्हें आग्नेयास्त्र का लाईसेंस दिये जाने से सम्बन्धित उनका पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29 मार्च, 90 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के कतिपय विकास खण्डों में हरिजनों को कनेक्शन दिये जाने का मामला

98—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में विकास खण्ड माधोगढ़, रामपुरा, कुठौन्द एवं जालौन के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ? उनमें हरिजन बस्तियों में कुल कितने खम्भों का शासन के नियमानुसार प्रयोग किया गया है तथा सम्बन्धित गांवों में कितने हरिजनों को निजी तथा जनता कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विकास खण्ड, माधोगढ़ में 27, रामपुरा में 9, कुठौंद में 57 तथा जालौन में 36 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । (सूची संलग्न है)*।

विकास खण्ड, माधोगढ़ में 48, रामपुरा में 21, कठौंद में 87 तथा जालौन में 69 खम्भों का उपयोग हरिजन बस्तियों के लिये किया गया है ।

चूंकि अभिलेखों में उपभोक्ताओं की जाति नहीं लिखी जाती है, यह बताना कठिन है कि कितने हरिजनों को निजी कनेक्शन दिये गये हैं । जनता कनेक्शन विकास खण्ड, माधोगढ़ में 31, रामपुरा में 19, कुठौंद में 34 तथा जालौन में 62 दिये गये हैं ।

जनपद सोनभद्र में स्थापित मण्डी समितियों से प्राप्त आय का विवरण

99—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सोनभद्र में कौन-कौन मण्डी समितियां हैं ? उनकी आमदनी मार्च, 1989 से मार्च, 1990 तक क्या थी ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, सोनभद्र ने एक आदेश दिया है कि कोई भी छोटा या बड़ा व्यापारी सात आर, या अन्य किसी प्रपत्र द्वारा माल न ले जाये और मण्डी समितियों के कर्मचारियों को भी रसीद काटने से मना कर दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में मा0 गुलाब सिंह, विधायक, राजगढ़ तथा अन्य विधायकों व प्रमुख व्यक्तियों ने मुख्य मंत्री को 8 अगस्त, 1990 को ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ?

*(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ.....पर)

श्री शंकर सिंह—

जनपद सोनभद्र में राबर्टसगंज एवं दुद्धी दो मण्डी समितियां है जिनकी आमदनी मार्च, 1989 से मार्च, 1990 तक क्रमशः 12,24,753.90 रुपये तथा 15,00,262.59 रु0 थी ।

जिलाधिकारी ने मात्र ऐसे मामलों में सात आर बन्द करने के निर्देश दिये थे जिसको आधार बनाकर व्यापारी अनियमित रूप से कृषि उत्पादों को मण्डी परिक्षेत्र के बाहर भेज रहे थे, अथवा भेजने का उपक्रम करते थे कर्मचारियों को ये निर्देश इस उद्देश्य से दिये गये थे कि उन प्रकरणों में सात आर (रोकड़ रसीद) जारी न की जाय जिसके सम्बन्ध में 6 आर जारी नहीं किया गया है ।

कृषि विभाग में प्रश्नगत ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

100—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[दिनांक 22 फरवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 150 द्वारा उत्तरित]

101—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद बस्ती खण्ड विकास अधिकारी हैसर बाजार द्वारा धन का आहरण न कर पाना

102—श्री गनपत सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 305 कृषि आयोजनेतर (ख) बीज सम्बर्द्धन एवं वितरण (1) उत्तर प्रदेश में उन्नत बीजों के उत्पादन संग्रह एवं वितरण योजना के मद में खण्ड विकास अधिकारी, हैसर बाजार, जिला बस्ती द्वारा बिल संख्या 1; दिनांक 21 अक्तूबर, 1986 तैयार करके उप कोषागार, खलीलाबाद में पारण हेतु भेजा गया था जिसे दिनांक 31 अक्तूबर, 1986 को भुगतान हेतु बिल पारित करके उप कोषाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, हैसर बाजार को प्रति प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित धनराशि का सम्बन्धित व्यक्तियों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो क्यों ? क्या उक्त बिल की धनराशि का गबन किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो इस मामले में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि धनराशि का गबन नहीं किया गया है, तो अभी तक भुगतान न करने हेतु कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी धनराशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को अविलम्ब करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
चूंकि धन का आहरण नहीं हुआ ।

धन का आहरण एवं भुगतान नहीं हुआ, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गबन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अब तक भुगतान न किये जाने के लिये तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, हैसर बाजार उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के कृषि कार्यालय में कार्यरत श्री रमा शंकर के निलम्बन की जांच के उपरान्त विचाराधीन कार्यवाही

103—श्री गनपत सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर डा0 रघुबीर सिंह ने अपने आदेश संख्या 3164/स्था0-1-सिडी—गोरखपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 1986 द्वारा जिला कृषि कार्यालय, गोरखपुर के एक लिपिक श्री रमा शंकर को निलम्बित कर दिया, जब कि उनके नियुक्ति अधिकारी जिला कृषि अधिकारी हैं? क्या यह सत्य है कि सी0 सी0 ए0 नियम 49-ए के अन्तर्गत निलम्बन आदेश जारी करने का अधिकार मात्र नियुक्ति अधिकारी में ही निहित है? क्या उक्त निलम्बन आदेश को अकृत एवं अवैध तथा बिना क्षेत्राधिकार घोषित करने हेतु प्रत्यावेदन कृषि निदेशक, (मुख्य प्रशासन अनुभाग) की परियोजना, अधिकारी (कृषि) गोरखपुर, के पत्रांक 2863, दिनांक 16 सितम्बर, 1988 द्वारा प्रेषित है? यदि हां, तो उक्त अवैध आदेश अभी तक अवैध एवं अकृत घोषित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री शंकर सिंह—

जी हां।
जी हां।
जी हां।

सम्पूर्ण मामले की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) से कराई गयी। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट एवं निष्कर्ष आख्या के आधार पर आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के श्री जगदीश सिंह, कृषि रक्षा मटहट के कार्यकाल में हुए अनुदान वितरण की जांच

104—श्री गनपत सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश सिंह कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, मटहट, जनपद गोरखपुर के कार्यकाल में हुए अनुदान वितरण में गोलमाल के संबंध में श्री, जगजीत सिंह, अध्यक्ष कृषक संयोजक समिति की शिकायत कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर उप निदेशक कृषि रक्षा, संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर तथा कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ को माह अप्रैल, मई, जून, 1990 में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी उक्त कृषि रक्षा मण्डार के श्री जगदीश सिंह पर्यवेक्षक के कार्यकाल के अभिलेखों का सम्प्रेक्षक कृषि निदेशालय के सम्प्रेक्षण दल द्वारा करायेंगे? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह—

जी हां।
जांच करायी गयी किन्तु श्री जगदीश सिंह दोषी नहीं पाये गये।
मण्डलीय कार्यालय के सम्प्रेक्षण दल से कराया जा रहा है।
उपरोक्तानुसार।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड, कौशाम्बी के ग्राम मकन्द्रा में विद्युत् आपूर्ति

105—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मकन्द्रा विकास खण्ड, कौशाम्बी जनपद इलाहाबाद में बिजली के खंभे 5 वर्ष पूर्व से गड़े हैं जब कि तार नहीं है? इन गाँवों में विद्युत् आपूर्ति कब तक शुरु हो जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। ग्राम मकन्द्रा के अन्दर विद्युत् संबंधी कार्य पूरा है परन्तु 11 के0 वी0 की मेन लाइन, जो इस ग्राम को विद्युत् आपूर्ति करता है, उसका तार चोरी चले जाने से ग्राम में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

ग्राम में विद्युत् आपूर्ति मार्च, 1991 तक चालू हो जाने की आशा है।

जनपद पौढी गढ़वाल के विकास खण्ड, कोट के स्थान बहेड़ाखाल में पशु सेवा केन्द्र तथा नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र के किराये का नियमित भुगतान

106—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड, कोट के स्थान बहेड़ाखाल में पशु औषधालय और नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त केन्द्र किराये के भवन में चल रहा है? यदि हां, तो क्या उसका किराया नियमित रूप से भवन मालिक को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों और उसके लिये कौन दोषी है? क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र में घास की आपूर्ति करने वाली महिला को भी उसका पारिश्रमिक नियमित रूप से नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त भवन किराये तथा पारिश्रमिक का नियमित रूप से भुगतान कब तक किया जायेगा?

श्री अमुना प्रसाद बोस—

जी हां, अगस्त, 1986 से

जी हां।

पशु सेवा केन्द्र का किराया जून, 90 तक तथा नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र का किराया दिसम्बर, 90 तक का भुगतान किया जा चुका है। इसके आगे की अवधि के किराये का भुगतान न किए जाने के कारणों की जांच की जा रही है और यदि इसके लिये कोई दोषी पाया गया, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

पारिश्रमिक के बिलों का भुगतान किया जा चुका है। जहां तक भवन किराया का संबंध है, ऊपर के खण्ड में सूचना दी गयी है।

जनपद मेरठ के मोहल्ला इन्द्रानगर में स्थापित सिटिजन एल्मोनियम अल्य कंप रोलिंग फैक्ट्री की भूमि से संबंधित मामला

107—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिटिजन एल्मोनियम अल्य कंप रोलिंग फैक्ट्री, मोहल्ला इन्द्रानगर, मेरठ की भूमि का आवंटन आवासीय कालोनी के रूप किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर उपरोक्त फैक्ट्री का डाइसेन्ट एवं

पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब प्राप्त किया गया है ? क्या मा0 मंत्री उपरोक्त औद्योगिक इकाई का उक्त विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सिटीजन एल्मोनियम बल्ब कैम्प रोलिंग फैक्ट्री, मो0 इन्द्रानगर, मेरठ को भूमि का आवंटन उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया गया है। यह इकाई प्राइवेट भूमि पर स्थापित है तथा इस विभाग द्वारा उक्त इकाई को लाइसेन्स एवं पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली देहात के ग्राम बुर गोड़वा के शातिर अपराधी, श्री बासदेव, सुखदेव तथा नीबर का चालान

108—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा, थाना कोतवाली देहात में ग्राम बुर गोड़वा के शातिर बदमाश बासदेव तथा सुखदेव प्रसाद पुत्र किसन प्रसाद तथा नीबर पुत्र बन्धु के विरुद्ध 1979 से अब तक कितनी रिपोर्ट थाना कोतवाली देहात में दर्ज हुई हैं ? क्या उक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिनांक 1 सितम्बर, 1990 को जिलाधिकारी, गोण्डा को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बुर गोड़वा के बासदेव तथा सुखदेव प्रसाद के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात, गोण्डा में वर्ष 1986 व 1990 में एक-एक रिपोर्ट दर्ज हुई है।

जी हां। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर जांच के उपरान्त बासदेव, सुखदेव तथा नीबर का धारा 107/116 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 1990 को चालान किया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

109—श्री अरुण कुमार—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत अतरौली में विद्युत् उप केन्द्र को निर्मित करने की मांग

110—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत अतरौली में एक विद्युत् उप केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है ? क्या उसके लिये भवन आदि बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो विद्युत् उप केन्द्र के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक आरम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त केन्द्र कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां

उप केन्द्र में उपकरण लगाने की कार्यवाही संसाधनों की कमी के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी है।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद सोनभद्र में असलहों का लाइसेन्स देने का विवरण

111—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सोनभद्र में मई, 1990 से 8 सितम्बर, 1990 तक कितने असलहों के लाइसेन्स दिये गये हैं और उसमें कितने रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक के हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में एक रिवाल्वर, एक राइफल तथा आठ बन्दूकों (कुल 10 आग्नेयास्त्र लाइसेन्स) के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अनधिकृत ढंग से स्टार धारण करने के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

112—श्री शिव करन सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी नये उपनिरीक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रथम नियुक्त दिवस से ही दो-दो स्टार वर्दी में कन्धे पर लगाने हेतु आदेश है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरे प्रदेश के 5 वर्ष से कम सेवा वाले सभी अधिकारियों के गलत स्टार लगाने पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । पाँच वर्ष की सेवा तक उप निरीक्षकों को वर्दी में एक स्टार ही धारण करने का प्राविधान है । उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा समस्त जनपद/इकाइयों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके अधीनस्थ ऐसे उप निरीक्षकों, जिनकी सेवायें पाँच वर्ष से कम हैं, और वे अनधिकृत ढंग से स्टार धारण कर रहे हैं, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं गलत ढंग से स्टार धारण करने पर रोक लगाये जाने हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के उपाय

113—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1989 से मई, 1990 तक प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न की कुल कितनी घटनायें थानों पर पंजीकृत हुई और कितनी हरिजन महिलाओं के साथ प्रदेश में बलात्कार हुआ और कितने हरिजन जिन्दा जलाये गये ? क्या सरकार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगायेगी ? यदि हाँ, तो इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार माह दिसम्बर, 1989 से मई, 1990 तक प्रदेश में हरिजन उत्पीड़न की 8,008 घटनाएं घटित हुई तथा 130 महिलाओं के साथ इस अवधि में बलात्कार हुआ । जनपद फतेहपुर और अलीगढ़ में एक-एक हरिजन जिन्दा जलाये गये ।

2—हरिजन उत्पीड़न की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु पुलिस को ये निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक बीट कान्सटेबिल उप निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष हल्के के गश्त के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें एवं उसका अभिलेख बीट/थाना अभिलेखों में करें । इस समुदाय पर होने वाले अपराधों को रोकने

के लिये उत्पीड़कों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उच्च अधिकारियों को अवगत करायें ।

3—उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा विशेष प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गयी। जिले के अधिकारियों को माह में एक बार संवेदनशील जिलों में दौरा करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा लिखायी गई रिपोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने के आदेश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

114—श्री राम कुमार वर्मा—

[दिनांक 20 फरवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न संख्या 154 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद कानपुर देहात के भूतपूर्व सांसद श्री राम नारायण त्रिपाठी की गिरफ्तारी एवं रिहाई

115—श्री मोती लाल वेहलवी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर देहात के जिला परिषद् अध्यक्ष एवं क्षेत्र बिल्हौर के भूतपूर्व लोक सभा सदस्य एवं भूतपूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी को कानपुर नगर पुलिस द्वारा अगस्त, 1990 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था ? यदि हां, तो श्री त्रिपाठी की किस अपराध में और आई० पी० सी० की किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जिला कारागार से कितने दिनों पश्चात् किस आधार पर जेल से मुक्त किया गया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए श्री राम नारायण त्रिपाठी को सी० आर० पी० सी० की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत पुलिस हिरासत में लेकर न्यायालय के आदेश पर दिनांक 21 अगस्त, 1990 को जेल भेजा गया। सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिये गये मुचलके पर श्री त्रिपाठी, दिनांक 23 अगस्त, 1990 को जेल से छोड़ दिये गये।

जनपद बस्ती के ग्राम सभा डिडौहा के समस्त पुरवों का विद्युतीकरण

116—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1990-91 में जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर बस्ती के किन किन ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा डिडौहा जनपद बस्ती के सभी पुरवों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1990-91 में जनपद बस्ती के विकास खण्ड सदर बस्ती के ग्राम हथिरजा (कोड सं० 748) तथा ग्राम ताडाजीत (कोड सं० 817) का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

ग्राम सभा डिडोहा (कोड सं० 464) के सभी पुरवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक सरसवा के ग्राम निखोद में पुनः ट्रांसफार्मर लगाये जाने की माँग

117—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम निखोद ब्लाक सरसवा, जनपद इलाहाबाद में एक ट्रांसफार्मर तीन माह पूर्व जल गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, । ग्राम निखोदा, विकास खण्ड सरसवा जनपद इलाहाबाद का 25 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर अप्रैल, 1990 में जल गया था।

जी नहीं।

अभी तक इस ट्रांसफार्मर से ग्राम में कोई कनेक्शन न लिए जाने के कारण विद्युत् चोरी की संभावना को देखते हुए पुनः ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया।

महाप्रबन्धक दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर जांच की माँग

118—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा महाप्रबन्धक दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, लिमिटेड, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितताओं संबंधी शिकायत माह जनवरी 90 में की गयी थी जिसकी प्राप्ति की सूचना 5 फरवरी, 1990 के मुख्य मंत्री के पत्र द्वारा दी गयी है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

शिकायती-पत्र में लिखित प्रकरणों की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराई गयी जिसमें शिकायतों को निराधार पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में कांग्रेस (ई) द्वारा चलाये गये जेल भरो आन्दोलन के अन्तर्गत गिरफ्तार आन्दोलनकारियों का विवरण

119—श्री राम पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ई) द्वारा प्रदेश में एक सितम्बर से सात सितम्बर, 90 तक चलाए गये जेल भरो आन्दोलन के तहत जनपद हरदोई में दिनांक 5 सितम्बर, 90 को कितने आन्दोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी? क्या गिरफ्तार किए गये लोगों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई में एक सितम्बर, से सात सितम्बर, 90 के तहत दिनांक 5 सितम्बर, 1990 को 377 कांग्रेस (ई) आन्दोलनकारियों द्वारा गिरफ्तारी दी गयी। गिरफ्तार किय गये आन्दोलनकारियों की सूची संलग्न है। *

* छापी नहीं गयी।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ा गांव के कठिरांव निवासी, श्री उदय राज विश्वकर्मा के विद्युत् बिल का मामला

120—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री कैदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उदय राज विश्वकर्मा, निवासी कठिरांव, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी का कनेक्शन जिस ट्रांसफार्मर से था वह 25 मई, 1990 को जल गया और पुनः 11 अगस्त, 1990 को लगाया गया इतने दिनों के बाद ट्रांसफार्मर लगाने का क्या कारण है और क्या यह सही है कि इसी बीच का 25 मई, 1990 से 11 अगस्त, 1990 तक विद्युत् बिल इनको भेजा गया है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा इस अवधि का विद्युत् बिल माफ करेगी? इसके लिये दोषी कौन है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

विलम्ब का कारण ट्रांसफार्मरों की अनुपलब्धता है।

जी हां।

उपभोक्ता के विरुद्ध माह मई, 1990 में ट्रांसफार्मर जलने के दिनांक पर परिषद् का विद्युत् बिलों की धनराशि बकाया थी जो कि उन्होंने अगस्त, 1990 तक जमा नहीं की अतः उनके ट्रांसफार्मर जलने की अवधि का बिल माफ करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

121—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री कैदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में अंगरक्षक प्राप्त व्यक्तियों का विवरण

122—श्री पंचानन राय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे व्यक्तियों को शासन द्वारा अंगरक्षक प्रदान किया गया है जिन पर हत्या के मुकदमे या तो न्यायालय में चल रहे हैं या पुलिस अथवा सी0 आई0 डी0 में विवेचनाधीन हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार अंगरक्षक की सुविधा प्राप्त ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या 76 है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित श्री मुक्तेश्वरी महिला आश्रम के स्वामी मनमथन की हत्या से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मामला

123—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1990 में श्री मुक्तेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सैण, जिला टिहरी गढ़वाल में स्वामी मनमथन की गोली चला कर हत्या की गयी? यदि हां, तो हत्यारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार स्वामी मनमथन की हत्या के संबंध में दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को मु0 अ0 सं0 –3/90 अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड वि0 बनाम धनेश कुमार बलौयी, टिहरी गढ़वाल पंजीकृत किया गया। दिनांक 24 अप्रैल, 1990 को उसकी समस्त चल संपत्ति धारा 82/83 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कुर्क की गई। दिनांक 12 जुलाई, 1990 की रात्रि में उक्त अभियुक्त को मय हत्या में प्रयोग किये गये असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13 जुलाई, 1990 को उसे जेल भेजा जा चुका है।

उपरोक्त अभियोग में विवेचतोपरान्त उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

प्रदेश के आठवीं योजनाकाल में विश्वविद्यालय खोलने की मांग

124––श्री कुंवर सिंह नेगी––

क्या कृषि मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि आठवीं योजनाकाल में प्रदेश में कितने नये विश्व-विद्यालय खोले जायेंगे ? क्या पन्तनगर विश्वविद्यालय के पर्वतीय परिसर रानी चोरे टिहरी गढ़वाल को भी पूर्ण विश्वविद्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

कोई नहीं ।
जी नहीं ।
प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी लोक सभा क्षेत्र में 1 दिसम्बर, 1989 व 30 सितम्बर, 1990 तक महिलाओं के साथ हुये बलात्कार से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही

125—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के अमेठी लोक सभा क्षेत्र में 1 दिसम्बर, 1989 से 30 सितम्बर, 1990 तक कितनी महिलाओं पर जुल्म तथा बलात्कार की घटनायें पुलिस में दर्ज की गई और उन पर तत्काल क्या कार्यवाही महिलाओं की सुरक्षा हेतु की गई ।

श्री मुलायम सिंह यादव––

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर के अमेठी लोक सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्थानों में दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 से 30 सितम्बर, 1990 तक की अवधि में महिलाओं पर जुल्म तथा बलात्कार सम्बन्धी कुल 44 अभियोग पंजीकृत हुये । मामले की तत्परता से जांच करके पुलिस द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम रपड़ा में मृतकों के परिवार के सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी की स्थापना

126—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 7 अक्तूबर, 1990 को ग्राम रपड़ा, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में जो चार व्यक्ति मारे गये हैं उनके परिवार वालों को बन्दूक के लाइसेन्स नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा का शासन ने क्या बन्ध किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, मृतकों के परिवार के लोगों में से निम्नलिखित चार व्यक्तियों ने आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं:—

(1) श्री राधे सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
(2) श्री बुधपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
(3) श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
(4) श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुत्र श्री लोचन सिंह

जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर से प्राप्त सूचनानुसार उक्त व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक जांच कराई जा रही है । आवश्यक जांचोपरान्त जिला मैजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा मामलें का निस्तारण कर दिया जायेगा ।

इन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा हेतु ग्राम रपड़ा की सीमा पर स्थित ग्राम बरी प्रसिद्धपुर में पुलिस चौकी स्थापित कर दी गयी है, जो इन परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा के प्रति सजग एवं जागरूक है ।

जनपद मऊ के ग्राम पिलखी में कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्वीकृति के बाद परीक्षण के कार्य कराने की मांग

127—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मऊ के ग्राम पिलखी में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या स्वीकृति मिलने के बाद वहां कृषि विभाग द्वारा परीक्षण का कार्य नहीं शुरू कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां ।

कृषि अनुसंधान केन्द्र नहीं अपितु कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दी गयी है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पत्र दिनांक 3 मई, 1989 के द्वारा वहां कृषि विभाग द्वारा किसी प्रकार का परीक्षण कार्य नहीं कराया जाना है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन्स के अनुसार प्रसार एवं प्रशिक्षण का कार्य कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

(4थे बुध में अतारांकित प्रश्न सं0 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर कार्यालय में कार्यरत स्थापना लिपिक (राम कमल) के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

129—श्रीमती शारदा देवी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर में कार्यरत स्थापना लिपिक (राम कमल) का एक ही स्थान पर काफी समय से बनाये रखा गया है जब कि

शासनादेश के अनुसार प्रत्येक लिपिक को हर तीन वर्ष के बाद सम्बन्धित सीट से हटाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त लिपिक के मामले में अधिकारियों द्वारा शासनादेश लागू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त लिपिक ने कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर के आदेश सं0 255, दिनांक 11 मई, 1990 को उसके मूल रूप से बदल कर दिनांक 16 मई, 1990 को गलत प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश सं0 255, दिनांक 16 मई, 1990 की मूल प्रति तथा स्थापना लिपिक द्वारा दिनांक 16 मई, 1990 को प्रमाणित उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि उक्त लिपिक के ऊपर कौन सी कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह---

जी, नहीं ।

समयावधि पूर्ण न होने के कारण स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

जी, नहीं ।

स्थापना लिपिक ने कार्यालय आदेश की मूल प्रति को प्रमाणित किया ।

कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर के प्रश्नगत आदेश दिनांक 11 मई, 1990 की मूल प्रति तथा स्थापना लिपिक द्वारा दिनांक 16 मई, 1990 की प्रमाणित प्रति की प्रतियां संलग्न हैं । लिपिक के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 189 ..पर)

कृषि रक्षा पर्यवेक्षक मटहट, जिला गोरखपुर का स्थानान्तरण तथा कार्यभार से मुक्त किया जाना

130--श्रीमती शारदा देवी--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि रक्षा पर्यवेक्षक मटहट, जिला गोरखपुर (श्री जगदीश) का स्थानान्तरण जनपद से बाहर माह जून/जुलाई, 1989 में जनपद बस्ती के लिये हुआ था ? क्या उक्त स्थानान्तरण आदेश के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, मटहट, जिला गोरखपुर द्वारा उक्त पर्यवेक्षक को आदेश सं0 931, दिनांक 7 मार्च, 1990 द्वारा कार्य पर उपस्थित न रहने तथा आदेशों के उल्लंघन के कारण भारमुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त पर्यवेक्षक को अभी तक जनपद के लिये भार मुक्त नहीं किया गया है ? उक्त अनियमित कार्यवाही के लिये कौन दोषी है तथा उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शंकर सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

परन्तु उप निदेशक, कृषि रक्षा, गोरखपुर मण्डल द्वारा श्री जगदीश सिंह को उसी स्थान पर दिनांक 15 अप्रैल, 1990 तक के लिये रहने के संशोधित आदेश दिये गये । अन्ततः श्री सिंह को 2 जून, 1990 के आदेश से स्थानान्तरित तथा कार्यभार मुक्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के थाना महोली के छहेलिया निवासी, श्री सुमेर पुत्र उजागर, बलवन्त पुत्र तुलाराम तथा चुरई पुत्र मैकूलाल आदि हरिजनों को प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

131—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्रेषित प्रश्नकर्ता के तीन पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 1990 जिसमें श्री सुमेर पुत्र श्री उजागर, निवासी छहेलिया, थाना महोली, बलवन्त पुत्र तुलाराम तथा चुरई पुत्र श्री मैकूलाल आदि हरिजनों को उक्त ग्राम के ही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने, मारे-पीटे जाने आदि तथ्यों का उल्लेख है, प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त हरिजनों को विपक्षियों से सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये ? क्या उक्त हरिजनों की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र में अंकित घटना के संबन्ध में दिनांक 23 अक्तूबर, 1990 को प्रार्थी श्री सुमेर पुत्र उजागर, निवासी छैलिया की तहरीरी सूचना पर थाना महोली में मु0 अ0 सं0 370/90 अन्तर्गत धारा 452/504/506 भा0 दं0 वि0-3 हरिजन अत्याचार अधिनियम बनाम पदम् बहादुर आदि के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर विवेचना की गयी । विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट 28 दिसम्बर, 1990 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

हरिजनों की सुरक्षा हेतु ग्राम छहेलिया व उसके आस-पास बराबर पुलिस गश्त की जा रही है तथा दूसरे पक्ष पर धारा 107/116 (3) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रदेश में चयनित ग्रामों में विद्युतीकृत करने की योजना

132—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत् का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च होता है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के कितनी आबादी वाले ग्रामों को विद्युतीकृत करने की योजना सरकार बना रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश में विद्युत् का लगभग 49 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग होता है ।

ग्रामों के विद्युतीकरण में आबादी का कोई माप दण्ड निर्धारित नहीं है । योजना में ऐसे ग्राम लिये जाते हैं जिनमें पर्याप्त कनेक्शन मिलने की आशा होती है और इनका विद्युतीकरण चयन समिति द्वारा चयनित होने के पश्चात् संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है ।

133—श्री शिव राम सिंह कुशवाहा—

[दिनांक 22 फरवरी, 1991 को अतारांकित प्रश्न सं0 157 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रबन्ध समिति के समक्ष विचाराधीन मामलों का निर्णय

134—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रबन्ध समिति की

कितनी बैठकें 1 जनवरी, 1988 से 1 अगस्त, 1990 के मध्य सम्पन्न हुईं तथा इन बैठकों में क्या-क्या निर्णय लिये गये ? क्या ऊर्जा मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की प्रबन्ध समिति के समक्ष 1 अगस्त, 1990 तक कुल कितने विषय विचाराधीन लम्बित पड़े हैं ? इन विचाराधीन विषयों पर किस तिथि तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्नगत अवधि में परिषद् की प्रबन्ध समिति की कुल 23 बैठकें सम्पन्न हुईं । उक्त बैठकों में मुख्यतः अधिष्ठान, कार्य, नियुक्ति, पदों के सृजन, समितियों के गठन, वाहनों के क्रय, चिकित्सा सुविधायें आदि विषयों पर विचार हुआ और इनमें निर्णीत विषयों की स्थिति निम्नवत् रही :-

वर्ष	निर्णीत विषयों की संख्या
1988	168
1989	110
1990 (1 अगस्त, 1990 तक)	107

दिनांक 1 अगस्त, 1990 को प्रबन्ध समिति के समक्ष 21 विषय लम्बित थे जो अनुवर्ती बैठकों में निर्णीत हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर ग्रामों का विद्युतीकरण

135--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में जनपद बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितने गांवों का चयन किया गया था तथा मार्च, 1990 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त चयनित गांवों का विद्युतीकरण अब तक पूर्ण न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 1989-90 में जनपद बाराबंकी में विद्युत उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 7 जून, 1989 को किया गया था परन्तु सदस्यों की उपस्थिति पूर्ण न होने के कारण चयन नहीं हो सका था ।

वर्ष 1989-90 में जनपद के लिये एल0टी0 मेंस द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 28 ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया जो माननीय विधायकों/सांसदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु दी गयी सूचियों पर आधारित था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के थाना मरूआ सुमेरपुर के ग्राम धुन्धपुर के निवासी, श्री राम सनेही केवट के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रीयल जांच के आदेश

136--श्री संगम लाल शुक्ल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना जसपुरा के इन्चार्ज द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 1990 को श्री राम सनेही केवट, ग्राम धुन्धपुर, थाना मरूआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर को नदी में मछली पकड़ते समय पकड़वाकर उसका कत्ल कर दिया और फर्जी इनकाउन्टर बोल गया

रामपुर के पास 16/17 अगस्त को दरमयानी रात में दिखाया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17 अगस्त, 1990 को थानाध्यक्ष जसपुरा को सूचना मिली कि सुमेरपुर की तरफ सड़क पर बनी पुलिया के पास 6-7 सशस्त्र बदमाश बबूल, के पेड़ काट कर सड़क जाम कर रहे हैं, जो वाहनों को लूटेंगे। उक्त सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा । पुलिस बल ने डकुओं को पुलिस के हवाले करने को कहा । इस पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया । पुलिस पार्टी ने भी आत्म–रक्षार्थ फायर किये । बदमाश फायरिंग करते हुये भाग गये । मौके पर जाकर देखा गया तो एक बदमाश पड़ा है, जिसको हमराही जनता के व्यक्ति शिवमंगल सिंह व प्रकाश सिंह ने पहचान कर बताया कि यह मृतक बदमाश स्नेहिया उर्फ राम सनेही पुत्र बलुआ उर्फ सूरजपाल केवट, निवासी धुन्धपुर, थाना सुमेरपुर, जिला हमीरपुर का निवासी है । जिसके पास एक अदद बंदूक 12 बोर व 10 अदद कारतूस 12 बोर पड़े मिले ।

2. उपरोक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में मु0अ0सं0 107/90 धारा 147/148/149/307 भा0 दं0वि0 व अ0सं0 107/90 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त मामले में अदम गिरफ्त बदमाशों का पता न चलने के फलस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

3. प्रश्नगत प्रकरण में जि0म0, बांदा द्वारा मजिस्टोरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं, जो प्रचलित है ।

दारुलशफा ए ब्लाक की लिफ्ट नं0 1 को रेगुलर चलाने की व्यवस्था

137—श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा ए ब्लाक की लिफ्ट नं0 1 चार-चार दिन तक बन्द रहती है ? यदि हां, तो क्या लिफ्ट खराब है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और लिफ्ट को रेगुलर चलाने की व्यवस्था करेगी !

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्नगत लिफ्ट काफी पुरानी है जिसमें कभी-कभी खराबी आ जाती है जिसे तुरन्त ठीक कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लिफ्ट निरन्तर चलाने की व्यवस्था की गयी है ।

जनपद जौनपुर के मोहल्ला जगदीश पट्टी, थाना लाइन बाजार के शम्भू नाथ पटेल के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही

138—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला जगदीश पट्टी, थाना लाइन बाजार, जिला जौनपुर के शम्भूनाथ पटेल को थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर के एस0 ओ0 व एस0 आई0 तथा सात-आठ सिपाहियों ने अपराध संख्या 101 सन् 90 धारा 382/411 भा0 दं0 वि0 थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर के अन्तर्गत दिनांक 29/30 अप्रैल, 1990 की रात करीब ढाई बजे

मो0 जगदीशपुर, थाना लाइन बाजार, जौनपुर में जाकर घर से पकड़ा और थाने में ले जाकर बन्द कर दिया ? क्या इस सम्बन्ध में शम्भूनाथ पटेल ने एस0पी0, जौनपुर को 5 मई, 1990 को प्रार्थना-पत्र दिया है और डी0 आई0 जी0, वाराणसी एवं मुख्य मंत्री को भी पत्र भेजा है यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जाँच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मु0 अ0 सं0 101/90 धारा 382/411 भा0 दं0 वि0 थाना नेवढ़िया, जौनपुर के सम्बन्ध में मोहल्ला जगदीश पट्टी, थाना लाइन बाजार, जिला जौनपुर के शम्भू नाथ पटेल को थाना नेवढ़िया पुलिस द्वारा दिनांक 29/30 अप्रैल, 1990 को नहीं बल्कि दिनांक 2 मई, 1990 को प्रातः 4 बजे उसके घर से पकड़ा गया तथा अभियुक्त शम्भू नाथ पटेल की निशानदेही पर उसी समय प्रश्नगत मुकदमें से सम्बन्धित माल मुसरूका बरामद करके दिनांक 2 मई, 1990 को ही र0 न0 12 पर अभियुक्त शम्भू नाथ पटेल तथा उसकी निशान-देही पर बरामद माल थाना नेवढ़िया में दाखिल किया गया ।

जी हाँ ।

इस सम्बन्ध में जाँच कराई गई । जाँच से लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये । प्रश्नगत मामले की जाँच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

राज्य विद्युत् परिषद्, वाराणसी मड़ुआडीह मेन लाइन के तारों की कटिंग

139—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, वाराणसी मड़ुआडीह की लाइन जो पिंडरा सब–विद्युत् स्टेशन, वाराणसी को आती है, चोरों ने तारीख 24 या 25 मई, 1990 की रात काट लिया जिससे दिनांक 31 मई, 1990 तक विद्युत् सप्लाई अव्यवस्थित रही ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने अधिशासी अभियन्ता राम जी उपाध्याय विद्युत् मड़ुआडीह को 30 मई, 1990 को पत्र लिखा था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मड़ुआडीह से पिंडरा की मेन लाइन जो पिंडरा उप केन्द्र को जाती है उसको चोरों ने 24 या 25 मई, 1990 की रात को नहीं काटा था, बल्कि 28 मई, 1990 की रात को काटा था । इससे केवल 29 मई, 1990 को 0-45 बजे से 31 मई, 1990 को 20–45 बजे बजे तक विद्युत् आपूर्ति अव्यवस्थित रही ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के मऊ पावर हाउस में हुये रद्दी निर्माण का मामला

140—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ में मऊ पावर हाउस कालोनी में टी टाइप क्वार्टर के सामने थर्ड क्लास ईंट का खडंजा लगाया गया है और सभी शौचालय रद्दी बनाये गये हैं, दरवाजे खराब हैं तथा मालिकता हिरपुरनवर, पहाड़पुरा, मुंशीपुरा, सिंधी कालोनी तथा औरंगाबाद में ट्रान्सफार्मर रखने का चबूतरा रद्दी ईंट, सीमेन्ट व मैटिरियल आदि कम लगाकर बनाया गया है जिससे चबूतरे फट गये हैं ? क्या सरकार इसकी जाँच किसी उच्चाधिकारी से कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मऊ जनपद में मऊ पावर हाउस कालोनी में टी टाइप नहीं अपितु डी टाइप क्वार्टर हैं। उक्त डी टाइप के सामने ईंट का खड़ंजा बिछाने का कार्य नहीं हुआ है। अतएव घटिया क्लास ईंटे लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो शौचालय बने हैं वह अच्छे तथा मजबूत किस्म के हैं। दरवाजों की टूटी-फूटी एवं सड़ी-गली लकड़ियों को बदलकर उनकी मरम्मत की गयी थी। मालिकता हिरपूरा, पहाड़पुरा, मुंशीपुरा, सिधी कालोनी तथा औरंगाबाद में ट्रान्सफार्मर रखने के लिये जो भी चबूतरे बने हैं वह ठीक हालत में हैं। अतः रद्दी मैटिरियल लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के थाना नेवढ़िया में घटित घटना से सम्बन्धित आरोपित व्यक्तियों का न्यायालय में विचाराधीत मामला

141—श्री ऊबल—

क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे मु0 अ0 सं0 117/90 धारा 435/323/506 आई0 पी0 सी0 थाना नेवाढ़िया, जिला जौनपुर में घटना का दिनांक 19 अप्रैल, 1990 व 20 अप्रैल, 1990, समय साढ़े आठ बजे रात दिनांक 11 मई, 1990 में लिखा गया है ? क्या यह सही है कि सुगिया देवी ग्राम डोड़ी, थाना नेवढ़िया, जौनपुर ने तारीख 19 अप्रैल, 1990 व 20 अप्रैल, 1990 को लिखित घटना की सूचना थानाध्यक्ष, नेवढ़िया के नाम दी थी ? यदि हां, तो थाने में रिपोर्ट न लिखने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में सभी रिपोर्टों को प्रश्नकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को अपने पत्र के साथ भेजा था तो उन्होंने तारीख 9 व 10 मई, 1990 को रिपोर्ट लिखकर मुकदमा कायम करने का आदेश दिया था तब 11 मई, 1990 को थाना नेवढ़िया में रिपोर्ट दर्ज करके मुकदमा कायम किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायगी और नेवढ़िया के एस0 ओ0 तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कर्त्तव्य की लापरवाही और गरीबों की रिपोर्ट न दर्ज करने के सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।
जी हां।

इस सम्बन्ध में दिनांक 11 मई, 1990 को मु0 अ0 सं0 117/90 धारा 435/323/506 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त दिनांक 27 मई, 1990 को आरोप-पत्र संख्या 41 प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्पादित अनाजों के मूल्य का निर्धारण

142—श्री लिरयेन्द्र कुमार—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगामी सीजन में रबी की फसल में बोई जाने वाली फसलों—दलहन, तिलहन व अनाजों का उत्पादन लागत मूल्य क्या होगा ?

श्री शंकर सिंह—

मूल्य निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अतः राज्य सरकार द्वारा बताया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद जौनपुर के सांसद तथा अमरजीत सिंह, निवासी राजेपुर, थाना सराय ख्वाजा के पत्र पर कृत कार्यवाही

143--श्री तीरथ राज--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमरजीत सिंह, निवासी राजेपुर, थाना सराय ख्वाजा, जिला जौनपुर का कोई शिकायती-पत्र सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे के 14 अगस्त, 1990 के पत्र के साथ डी0 आई0 जी0 पुलिस, वाराणसी को प्राप्त हुआ है यदि हां, तो सरकार ने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की ? क्या कृत कार्यवाही से माननीय सांसद एवं प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका पत्रांक दिनांक क्या रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री अमरजीत सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 14 अगस्त, 1990 की जांच क्षेत्राधिकारी से कराई गई । मामले में 107/116/116 (3) दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही कर दी गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्नगत मामले की वस्तुस्थिति से माननीय सांसद राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के अर्द्ध शा0 प0 सं0 एस0 टी0 19/90, दिनांक 29 नवम्बर, 1990 द्वारा अवगत करा दिया गया है तथा प्रार्थी को भी अवगत करा दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर के उप कृषि निदेशक (प्रसार) के विरुद्ध शिकायतों की जांच

144--श्री गनपत सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में शासन एवं कृषि निदेशक को प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों में से कितने की जांच अब तक की गई है तथा कितने की जांच अभी तक लम्बित है? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अवशेष शिकायतों की जांच कब तक करा ली जायेगी ? क्या उक्त अधिकारी को गोरखपुर से हटा कर उसके विरुद्ध सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शंकर सिंह--

जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी, गोरखपुर जिनका पदनाम बाद में परिवर्तित हो कर उप कृषि निदेशक (प्रसार) हो गया, के विरुद्ध वर्ष 1988-89 में दो तथा वर्ष 1989-90 में आठ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ।

अब तक 4 शिकायतीपत्रों की जांच निदेशक स्तर पर पूरी हो चुकी है तथा शेष 6 शिकायतीपत्रों की जांच करवाई जा रही है ।

अवशेष शिकायतों की जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश जांच अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

समस्त शिकायतों की जांच पूर्ण होने के उपरान्त ही प्राप्त जांच आख्याओं के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही सम्भव होगी ।

गोरखपुर तथा महाराजगंज जनपदों में कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

145--श्री गनपत सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर कृषि

कर्मचारियों का एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में तथा जनपद गोरखपुर से जनपद महराजगंज तथा जनपद महराजगंज से जनपद गोरखपुर में स्थानान्तरण आदेश बिना क्षेत्राधिकारी वर्ष 1990–91 में पारित किये है? यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह––

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 1521/12–1–90––2204-1988, दिनांक 24 फरवरी, 1990 एवं कृषि निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या प्रसार–सी–1/89, दिनांक 11 दिसम्बर, 1989 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किये गये हैं।

चूंकि स्थानान्तरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किये गये हैं, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की जाँच

146––श्री गनपत सिंह––

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर ने उप कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न एवं अनधिकार कार्यवाहियों के विरुद्ध कृषि निदेशक (ए0 ए0 अनुभाग) को कोई पत्र माह अगस्त/सितम्बर, 1990 में प्रेषित किया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह––

जी हां।

तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर श्री बीरबल यादव का पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1990 कृषि निदेशालय में प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत शिकायती–पत्र में अंकित तथ्यों की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), गोरखपुर से कराई जा रही है।

जनपद रामपुर के मसवाती में विद्युत् सब-स्टेशन को बनाने की मांग

147––श्री शिव बहादुर सक्सेना––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में मसवाती में विद्युत् सब-स्टेशन का उद्घाटन किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या वह सब-स्टेशन बन रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव––

33 के0 वी0 उपकेन्द्र, मसवासी का शिलान्यास भूतपूर्व माननीय मंत्री श्री, निसार हुसैन द्वारा किया गया था।

उपकेन्द्र के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा उसकी बाउन्ड्री भी बना दी गयी है परन्तु संसाधनों की कमी के कारण उपकेन्द्र के निर्माण का आगे कोई कार्य नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण

148––श्री राम कुमार वर्मा––

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के

कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित उत्तर प्रदेश विद्युत् मजदूर संघ का कोई मांग-पत्र दिनांक 16 जुलाई, 1990 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस पत्र पर शासन स्तर पर संघ प्रतिनिधियों के साथ वार्ता आयोजित कर शासन समस्याओं का निराकरण करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

संघ की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य विद्युत् परिषद् स्वयं सक्षम है और परिषद् स्तर पर संघ से द्विपक्षीय वार्ता की गई और औचित्य के आधार पर समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का मामला

149—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष पर किया जाता है तथा 1 अप्रैल, 1989 से वेतन पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित है ? यदि हां, तो क्या वेतन पुनरीक्षण के लिए शासन परिषद् द्वारा वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो किस तिथि तक समिति का गठन कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

यद्यपि ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था या नीति निर्णय नहीं है कि परिषदीय सेवकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर किया ही जाया करे, तथापि इनके वेतनमानों का पुनरीक्षण 1 अप्रैल, 1969, 1 अप्रैल, 1974, 1 अप्रैल, 1979 एवं 1 अप्रैल, 1984 से किया गया है। दिनांक 1 अप्रैल, 1989 से वेतनमानों के पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहायक अध्यापक, पनकी विद्युत् परियोजना की सेवा तथा अवशेष वेतन का न्यायालय में विचाराधीन मामला

150—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहायक अध्यापक, पनकी प्रोजेक्ट, कानपुर को अपने पद पर वापस लेने का न्यायालय का कोई आदेश हो गया है ? क्या उन्हें अवशेष वेतन भी दिये जाने का आदेश हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी न्यायालय के आदेश के अनुसार श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहायक अध्यापक, पनकी विद्युत परियोजना को सेवा में वापस लेने और उन्हें अवशेष वेतन दिये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16 मई, 1989 में यह आदेश दिये हैं कि या तो श्री रमेश चन्द्र शर्मा को अप्रैल, 1982 से एल० टी० ग्रेड

वेतन 6 सप्ताह के अन्दर भुगतान किया जाय या कारण बताया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के संदर्भ में परिषद् द्वारा जवाबी प्रति शपथ–पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1990 को मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है जिस पर अभी कोई आदेश पारित नहीं हुये हैं। इस प्रकार यह प्रकरण अभी न्यायाधीन है।

जनपद अलीगढ़ के कासिमपुर में विद्युत् परिषद् कन्या इन्टर कालेज की सहायक अध्यापिका, श्रीमती चंचल कुमारी जैन को सेवा में बहाल करने तथा एरियर के भुगतान का विचाराधीन मामला

151—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती चंचल कुमारी जैन, सहायक अध्यापिका, विद्युत् परिषद् कन्या इन्टर कालेज, कासिमपुर, अलीगढ़ को न्यायालय के आदेश के अनुसार सेवा में बहाल करने और वय वेतन एरियर का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्रीमती चंचल कुमारी जैन को सेवा में बहाल करने और वेतन के एरियर का भुगतान करने का निर्णय लोक सेवा अधिकरण द्वारा अवश्य दिया गया है किन्तु उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में राज्य विद्युत् परिषद् की ओर से स्थगनादेश जारी करने की प्रार्थना सहित अपील दायर कर दी गयी है। इस प्रकार यह प्रकरण अभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण

152—श्री शिव करन सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रामनगर, बाराबंकी के कितने गांवों में विद्युतीकरण हुआ है और उन गांवों के हरिजनों के मुहल्ले में बिजली नहीं दी गयी है? क्या सरकार शेष गांवों का विद्युतीकरण पूरा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 67 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है और प्रत्येक ग्राम के साथ एक हरिजन मोहल्ले का विद्युतीकरण भी किया गया है।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत किया जाता रहेगा जो ग्रामों के उपभोक्ता सलाहकार समिति द्वारा चयन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में स्थित दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, निरालानगर में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

153—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी लिमिटेड, बी–71, निरालानगर, लखनऊ में कर्मचारियों की पदोन्नति, उच्चीकृत वेतन देने व भर्ती करते समय अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों का कोटा सरकार द्वारा घोषित आदेशों के अनुरूप पूरा किया जाता है? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में सोसाइटी के कर्मचारियों में क्या सरकार के आदेशों के अनुरूप आरक्षित पदों का कोटा पूरा है ? यदि हाँ, तो उनमें आरक्षित पदों की संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

कुल पदों पर अभी भी आरक्षित पदों का कोटा पूरा नहीं है। भविष्य में नये पद स्वीकृत होने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा किया जायेगा।

कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी की रसीदों में हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

154—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी की रसीदों में की गयी हेराफेरी के प्रति पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश, सतर्कता अधिष्ठान (विद्युत् प्रकोष्ठ) ने अपने पत्र संख्या अ0/अनु0 2–154/84, दिनांक 22 मार्च, 1988 के द्वारा जिन कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा संदेहास्पद बतायी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सतर्कता जाँच की संस्तुति अनुसार एक कर्मचारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उसकी सत्यनिष्ठा का प्रमाण–पत्र रोक दिया गया है। शेष तीन कर्मचारियों को कठोर चेतावनी दे दी गई है।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत में छटनी शुदा कर्मचारी श्री दल सिंगार को पुनः सेवा में लेने के आदेश

155—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दल सिंगार प्रजापति पुत्र मुरलीधर प्रजापति, गाँव मेघपुर, पो0 पुरे व तहसील केराकत, जिला जौनपुर जिसने कृषि विभाग जौनपुर में तकाबी संग्रह अमीन के पद पर 2 जून, 1972 से 31 अगस्त, 1975 तक कार्य किया है, की बाद में छटनी कर दी गयी ? क्या यह सही है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इसको कार्य करने के लिये ता0 21 फरवरी, 1990 को आदेश दे दिया है जिसकी प्रति जिलाधीश, जौनपुर व परगनाधीश तथा तहसीलदार केराकत को भी दे दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को जौनपुर के अधिकारियों ने मानकर दल सिंगार को कार्य करने की अनुमति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जाँच करेगी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करायेगी ?

श्री शंकर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम सखानीपुर में ट्रांसफार्मर का लगाया जाना

156—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल नं0 331, राजकीय गाँव सखानीपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी का ट्रांसफार्मर 6–7 माह पूर्व जल गया था ? यदि हाँ, तो उसको अब तक न लगाये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जाँच कराकर अवर/सहायक/अधिशासी अभियन्ता तथा अन्य दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, ग्राम सखानीपुर, ब्लाक बड़ागाँव का ट्रांसफार्मर मार्च, 1990 में जल गया था ।

ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही दिनांक 16 मई, 1990 को बदला जा चुका है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के पो0 शिवपुर, ग्राम कटवलिया के कुक्कुट पालन निरीक्षक सेवा-निवृत्त, श्री मेवालाल के पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान की माँग

157—श्री राम प्रसाद सिंह, श्री ऊदल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुक्कुट पालन निरीक्षक मेवालाल, गाँव कटवलिया, पो0 शिवपुर, शहर वाराणसी 31 जनवरी, 1985 को रिटायर हो गये ? क्या उनकी पेंशन तथा ग्रेच्युटी का पैसा आज तक उन्हें नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ एक ज्ञापन 16 मार्च, 1990 को माननीय मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी पेंशन व ग्रेच्युटी न देने के लिये कौन-कौन लोग दोषी हैं ? क्या सरकार तुरन्त पेंशन स्वीकार कर ग्रेच्युटी का भुगतान करेगी?

श्री जमुना प्रसाद बोस—

जी हाँ ।

उनकी ग्रेच्युटी में से उन पर वसूली हेतु अवशेष धनराशि रु0 5,134.45 रोक कर शेष धनराशि तथा पेंशन के भुगतान के आदेश महालेखाकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

जी हाँ ।

ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही करके ग्रेच्युटी व पेंशन की देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है । श्री मेवालाल द्वारा विभाग पर मुकदमा दायर करने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ ।

158–159—श्री रतन लाल अहिरवार—

[दिनांक 23 जनवरी, 1991 को अता0 प्र0 सं0 131–132 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद इलाहाबाद के थाना पिपरी के ग्राम मखऊपुर, निवासी श्री बृजलाल को जिलाधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्र का लाइसेंस प्रदान किया जाना

160—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6–11–88 को श्री [illegible] के भाई शंकर लाल निवासी मखऊपुर, थाना पिपरी, जनपद इलाहाबाद की हत्या हुई थी और श्री बृजलाल तथा उनके परिवारजनों के जान-माल की सुरक्षा के लिये बृजलाल ने आग्नेयास्त्र प्राप्त करने के लिये लाइसेन्स हेतु प्रार्थना–पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा आवेदक को राइफल का लाइसेन्स दिनांक 11 अक्तूबर, 1990 को स्वीकृत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

161—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

[दिनांक 27 जून, 1990 को अता0प्र0सं0 118 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सहायक सुपरवाइजरों की नियुक्तियां

162—श्री कल्यान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के आदेश संख्या 5728-कार्मिक (9)/रा0वि0प0-80, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 के अन्तर्गत "सहायक सुपरवाइजर" पद पर कार्यरत कर्मचारियों को बिना किसी लिखित, प्रयोगात्मक व मौखिक परीक्षा के अवर अभियन्ता (सामान्य श्रणी) पद पर प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कमचारियों के नाम व पदोन्नति की तिथि क्या है ? क्या उक्त पदोन्नतियां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (एस0ई0 एण्ड एम0 ई0एस0) विनियमावली, 1972 के विनियम 5-बी (11), 17 व 18 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह [यादव—

जी हां ।

सहायक सुपरवाइजरों के नाम व पदोन्नति की तिथि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जी नहीं ।

उल्लिखित नियुक्तियां परिषद् हित में एस0 ई0 एण्ड एम0ई0एस0 विनियम, 1972 की धारा 31 के अन्तर्गत की गई हैं, जिसके अनुसार परिषद् को यह अधिकार है कि वह किसी नियम को शिथिल करके नियुक्तियां कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रोन्नत किये गये कर्मचारियों की सूची

163—श्री कल्यान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा आपरेटिंग स्टाफ की अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् (एस0 ई0 एण्ड एम0ई0एस0) रेगुलेशन, 1972 के विनियम 5-बी (11) के अन्तर्गत जून व सितम्बर, 1977 में लिखित परीक्षायें तथा तदुपरान्त प्रयोगात्मक व मौखिक परीक्षायें आयोजित की गयी थीं ? यदि हां, तो परीक्षा में सम्मिलित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है तथा इनमें से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर प्रोन्नत किये गये कर्मचारियों के नाम व पदोन्नति की तिथि क्या है ? क्या 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक परीक्षा में प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर पदोन्नति हेतु पुनः साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

परीक्षा में सम्मिलित प्रत्यक कर्मचारी ने भिन्न-भिन्न प्रतिशत अंक प्राप्त किया है ।

प्रोन्नत किये गये कर्मचारियों के नाम एवं पदोन्नति की तिथि सम्बन्धित सूची सदन के पटल पर रख दी गयी ह ।

जी हां ।

वर्ष 1980 में परिचालन संवर्ग के प्रोन्नति कोटे को पूरा करने हेतु 106 पद भरे जाने थे । इन पदों के भरने हेतु परिचालन वर्ग के विभिन्न संगठनों द्वारा बराबर अनुरोध किया जा रहा था । चूंकि परीक्षा आयोजित करके चयन करने में समय लगने की सम्भावना थी, अतएव परिषद् द्वारा आदेश सं0 5159–का–0/रासिप, दिनांक 1 नवम्बर, 1985 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो अभ्यर्थी वर्ष 1977–79 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हैं किन्तु श्रेष्ठता सूची में नहीं आ पाये हैं, उन्हें वर्ष 1977–79 की लिखित परीक्षा को आधार मानकर प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षा का अवसर उन अभ्यर्थियों के साथ दिया जाय जो वर्ष 1985 की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के तहत लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं ।

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम टेहरा बनही (हरिजन बस्ती) का विद्युतीकरण

164—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो उसी गांव के टेहरा बनही (हरिजन बस्ती) को विद्युतीकृत कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार उक्त हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम की हरिजन बस्ती टेहरा बनही के विद्युतीकरण पर अनुमानित व्यय रु0 5,000 से अधिक होने के कारण इसका विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है । ग्राम की दो हरिजन बस्तियों (लखनी व धोबी टोला) का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, उन्नाव के सहायक अभियन्ता, श्री ए0एन0 सिंह का स्थानान्तरण

165—श्री सुन्दर लाल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उन्नाव के सहायक अभियन्ता, श्री ए0 एन0 सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच सतर्कता विभाग (विद्युत् परिषद्) के माध्यम से माह फरवरी, 1990 से माह अप्रैल, 1990 तक करायी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी बार क्या उनका स्थानान्तरण भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच के कारण ही अन्यत्र किया गया ? य तो उन्हें अभी तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

माह जून, 1990 में सतर्कता जांच के आदेश हुये थे ।

एक बार ।

जी नहीं ।

किसी सतर्कता जांच के आधार पर उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के आई0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों की विदेश यात्रा से प्राप्त उपलब्धियां

166—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि 1 जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1990 तक उत्तर प्रदेश के कितने और कौन-कौन आई0पी0एस0 अधिकारी सरकारी खर्च पर कितनी-कितनी बार और किस-किस मन्तव्य से विदेश गये ? विदेश जाने वाले किस-किस अधिकारी पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ? विदेश से वापस आने पर प्रदेश सरकार को उनसे कौन-कौन और क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माह जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1990 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग के दो आई0पी0एस0 अधिकारी, सर्वश्री वी0के0 जैन व राम चन्द्र शर्मा विदेश प्रशिक्षण पर भेजे गये । श्री वी0के0 जैन के विदेश प्रशिक्षण पर भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं वहन किया गया । श्री राम चन्द्र शर्मा के विदेश प्रशिक्षण पर रुपये 1170 का व्यय पुलिस विभाग द्वारा वहन किया गया है । उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने विदेशों की पुलिस प्रणाली की विस्तृत जानकारी, विशेषकर वहां की पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जा रही अत्याधुनिक उपकरण एवं पद्धति के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान एवं जानकारी हासिल की, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आधुनिक बनाने तथा उनके कार्य कुशलता बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक होगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ओबरा/पनकी, हरदुआगंज परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवास प्रदान करने की नीति

167—श्री राम कुमार वर्मा—

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ओबरा पनकी/हरदुआगंज विद्युत परियोजनाओं के कार्मिकों को परिषदीय आवास आवंटित किये जाने हेतु कोई नीति घोषित की गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विभिन्न श्रेणी के परिषदीय आवासों की अनुमन्यता 1 अप्रैल, 1984 से पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर की गई है । आवासों की उपलब्धता को दृष्टि में रखकर "प्रथम आगत प्रथम पावत" के सिद्धांत पर आवास आवंटित किये जाते हैं । प्रश्न में उल्लिखित परियोजनाओं पर आवासों की कमी को देखते हुये "परियोजना आवास आवंटन समिति" द्वारा पावर हाउस में कार्य की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर यथासंभव वरिष्ठतानुक्रम में आवास आवंटित किये जाते हैं ।

जनपद—अलीगढ़ में स्थापित हरदुआगंज ताप विद्युत् परियोजना कासिमपुर में आवास आवंटन के सम्बन्ध में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

168—श्री राम कुमार वर्मा—

ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरदुआगंज ताप विद्युत् परियोजना, कासिमपुर अलीगढ़ के कार्मिकों की परिषदादेश संख्या 2025—एनजी/09(अ)—राविप, दिनांक 1 जुलाई, 1989 एवं आदेश संख्या 5300—एनजी0—09(अ)—राविप/ दिनांक 17 जनवरी, 1990 के अनुसार टाइप-तृतीय आवासों के आवंटन हेतु कोई वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि हां, तो वह सूची क्या है तथा इस सूची में किस क्रमांक तक के कार्मिक को टाइप-तृतीय आवास आवंटित किया जा चुका है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

टाइप तृतीय एवं समकक्ष आवासों हेतु कुल 388 कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची है, जिसमें से 303 क्रमांक तक के कार्मिकों को आवास आवंटित कराये जा चुके हैं तथा उनमें से 191 कार्मिकों को टाइप तृतीय आवास आवंटित किये गये हैं ।

आवास आवंटन समिति हरदुआगंज, तापीय विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में आवासों का आवंटन

169—श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "आवास आवंटन समिति, हरदुआगंज, तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़)" के समक्ष दिनांक 30 जून, 1990 तक टाइप-तृतीय आवास आवंटन हेतु कितने कार्मिकों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं इनमें से कितने कार्मिकों को टाइप-तृतीय आवासों का आवंटन कर दिया गया है तथा शेष कार्मिकों के नाम, पद व वर्तमान पद पर परियोजना में तैनाती की तिथि क्या है ? इन्हें टाइप-तृतीय आवास किस तिथि तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । 194 कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

7 कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिये गये हैं ।

सूचना विधान सभा के पटल पर रखवा दी गयी है ।

आवासों की उपलब्धता पर वरिष्ठता क्रम में सम्भव हो सकेगा ।

जनपद मऊ में निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्रों की चहारदिवारी बनाने की मांग

170—श्री सुबास यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के अन्तर्गत स्वीकृत सब-स्टेशनों के बनने की कार्यवाही पूरी कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आने वाले दिनों में सब स्टेशनों तथा उसकी चाहरदिवारी पूरा करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मऊ जनपद के अन्तर्गत 13 स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों में से 11 उपकेन्द्रों की कार्यवाही पूरी करके उन्हें चालू कर दिया गया है । शेष 2 उपकेन्द्र (मादी सिपाह तथा ताजेपुर) निर्माणाधीन हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष उपकेन्द्रों के निर्माण की कार्यवाही चल रही है । उपकेन्द्रों पर चहारदीवारी बनाने का प्रावधान नहीं है ।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के 91 निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां में हरे पेड़ों के काटने वालों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना

171—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम बाबटमऊ के मजरा मछुआपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपना निजी पेड़ व्यक्तिगत प्रयोग के लिये जो मकान के सामने जर्जर अवस्था में खड़ा था, उसे काटने पर, सर्वश्री महेश चन्द्र, राधे श्याम, गया प्रसाद, छोटे लाल, राम कुमार तथा अहिबरन को धारा 4/10 तथा क्राइम नं0 32/90 के अन्तर्गत चालान करके इनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया है ? क्या जिस समय यह मुकदमा कायम कर दिया गया है ? क्या जिस समय यह मुकदमा किया गया उस समय शासन द्वारा निजी प्रयोगार्थ एक पेड़ काटने की छूट दी गयी थी ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा जनता को प्रताड़ित क्यों किया गया ? प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना मल्लावां पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मछुआपुर, थाना मल्लावां में राधे श्याम राठौर कई आदमियों के साथ हरे पेड़ का कटान कर रहे हैं तथा लकड़ी उठाकर कन्नौज बिक्री के लिये ले जाने वाले हैं । इस सूचना पर पुलिस मौके पर गयी और पाया कि राधे श्याम, महेश चन्द्र, गया प्रसाद, छोटे लाल तथा राम कुमार एवं अहिबरन नीम के पेड़ों को काट कर गिरा दिया है तथा नीम के ताजे हरे ग्यारह बोटे कटे पड़े हैं । इन लोगों से जब परमिट दिखाने को कहा गया तो नहीं दिखा सके । फलस्वरूप सभी के विरुद्ध थाना मल्लावां पर अ0 सं0 32/90 धारा 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना से पाया गया कि अभियुक्त 2 पेड़ नीम के काट चुके थे और तीसरा काटने का प्रयास कर रहे थे । इस दौरान किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्रताड़ित नहीं किया गया । विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है ।

जनपद शाहजहांपुर की पुलिस चौकी, नुरआपेहना पर पुलिस सिपाहियों द्वारा दीवान की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार विषयक शिकायत पर कार्यवाही

172—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

तृतीय सत्र 90 में द्वितीय बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सन्तोष कुमार दिनांक 27 जून, 1990 को किस थाने की पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया और धारा 147, 48, 352, 506 में बन्द किया गया तथा इनके वृद्ध पिता श्री जगवीर सिंह, जो कि 85 वर्ष के हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्रश्नगत घटना में उल्लिखित कार्यवाही थाना परौर, जनपद शाहजहांपुर की पुलिस द्वारा की गई ।

बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के बंगले के समक्ष घटित घटना तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

173—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के बंगले के सामने दिनांक 11 जून, 1990 को एक दम्पत्ति की हत्या की गई ? यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । इस प्रकार की घटनाओं पर नियन्त्रण हेतु संवेदनशील स्थानों पर पिकेट ड्यूटी लगाई जा रही है तथा क्षत्रों में गश्त में वृद्धि तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद में कानून व्यवस्था हेतु पिकेट एवं सचल दस्तों को निर्देश

174—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 23 जून, 1990 को इलाहाबाद में एक पेट्रोल पम्प लूट लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? क्या मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 23 जून, 1990 को नहीं बल्कि दिनांक 19 जून, 1990 को श्री दिनेश कुमार तिवारी, सेल्स मैन द्वारा स्कूटर में पेट्रोल भराने आये अज्ञात सूरत शिनाख्त तीन व्यक्तियों द्वारा 11 हजार रुपये लूट लिये जाने की दी गई सूचना पर थाना नैनी में मु0 अ0 संख्या 291/90 धारा 392 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना से 3 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिसमें से 2 अभियुक्त क्रमशः दिनांक 27 जून, 1990 व 13 अगस्त, 1990 को गिरफ्तार कर जेल भेजे गये तथा तीसरे अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिये जाने पर जेल भेजा गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त सूरत शिनाख्त न होने पर 169 सी0 आर0 पी0 सी0 में रिहा हो गये तथा एक अभियुक्त सूरत शिनाख्त हेतु उपस्थित नहीं हुआ ।

जनपद इलाहाबाद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में पिकेट एवं सचल दस्तों को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

175—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[उरे सोम में अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ट्रेन डकैतियों के नियंत्रण हेतु ट्रेन इस्कोर्ट को सतर्क रहने के निर्देश

176—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 26 जून, 1990 को कानपुर और प्रतापगढ़ में पड़ी ट्रेन डकैतियां, जिसमें एक रेलवे पुलिस की सरकारी रायफल भी लूटी गयी है, के बारे में सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

दिनांक 26 जून, 1990 को कोई घटना डकैती की घटित नहीं हुई है। दिनांक 24 जून, 1990 को ट्रेन 1 ए यू सी रेलवे स्टेशन कुन्डा हरनामगंज व गढ़ीमानिकपुर के बीच सशस्त्र डकैतों ने ट्रेन इस्कोर्ट के दोनों कर्मचारियों को घायल करके सरकारी दो रायफलें व 40 कारतूस ले लिये। दूसरी डकैती की घटना दिनांक 25 जून, 1990

को नीलांचल एक्सप्रेस थाना जी0 आर0 पी0, कानपुर के अधिक्षेत्र में हुई। प्रथम डकैती की घटना के दिन से ही लगातार जी0 आर0 पी0, जिला पुलिस व पी0 ए0 सी0 द्वारा अपराधियों का पता लगाने हेतु बदमाशों के मिलने के हर संभव स्थानों पर दबिश दी गई। फलस्वरूप दिनांक 3 जुलाई, 1990 को तीन अभियुक्त गिरफ्तार किये गये जिन्होंने इस घटना में शरीक जुर्म होते हुए अपने साथ अन्य 11 अपराधियों के शरीक होने का जुर्म इकबाल किया परन्तु उक्त तीनों अभियुक्तों के कब्जे से काफी प्रयास के बाद भी लूटी गई, रायफलें बरामद नहीं हुई। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटी गई रायफलों की बरामदगी हेतु निरन्तर प्रयास जारी है।

दूसरी डकैती के घटना के पश्चात् थाना जी0 आर0 पी0, कानपुर पुलिस द्वारा अपराधियों का पता लगाने हेतु निरन्तर प्रयास जारी रहा तथा हर संभव प्रयास किये गये। फलस्वरूप दिनांक 26 जुलाई, 1990 को एक अभियुक्त इस घटना में लूटे गये माल कीमती 8,350 रुपये के गिरफ्तार हुआ जिसने इस घटना के जुर्म को इकबाल करते हुए अपने साथ और अपराधियों की शरीक जुर्म होना बताया। एक अभियुक्त न्यायालय आत्म समर्पण कर जेल गया। शेष तीन अभियुक्त अभी फरार हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, के संबंध में अनुभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को तथा ट्रेन में चलने वाले ट्रेन इस्कोर्ट कर्मचारियों को और अधिक सतर्क रहने के आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। रेलवे के सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

जनपद फैजाबाद, तहसील टांडा, ग्राम फतेहजहूरपुर के विद्युतीकरण की मांग

177—कुंवर अरुण—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की तहसील टान्डा के ग्राम फतेहजहूरपुर का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यह ग्राम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार वर्ष 1988 में विद्युतीकृत है। विद्युत परिषद् के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत केवल वही ग्राम एल0 टी0 मेंस द्वारा विद्युतीकृत किये जाने हैं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत न हों।

जनपद इटावा में सुरक्षा व्यवस्था के लिये आधुनिक स्टेनगन का उपलब्ध कराया जाना

178—श्री रवीन्द्र सिंह चौहान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद में सुरक्षा के लिये जो आधुनिक स्टेनगन उपलब्ध कराये गये हैं उनका उपयोग किन-किन लोगों की सुरक्षा में किया जायगा? क्या वर्तमान विधायक उस श्रेणी में आते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार इटावा जनपद में नये माडलों की स्टेनगन पुराने माडल की स्टेनगन की भांति सुरक्षा डियूटी तथा एन्टी डकैती आपरेशन डियूटी के लिये उपयोग में लाया जा रहा है। नये माडल का स्टेनगन के उपयोग हेतु किसी प्रकार की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की गयी है।

जनपद बस्ती के थाना मेंहदावल में ग्राम प्रधान विसौवा की सूचना पर अभियोग की धारा में परिवर्तन

179—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि विष्णुदेव पाठक व जीतमन पाठक ने प्रमोद कुमार पुत्र श्री नन्दलाल धोबी को ग्राम नवडिहवा, थाना फरेन्दा, जनपद महराजगंज से अपहृत कर अपने गांव विसौवा, थाना मेंहदावल, जनपद बस्ती में इन्द्र देव पाठक की सहायता से दिनांक 30 अप्रैल, 1990 को उनकी हत्या कर दी है ? क्या यह सत्य है कि थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री अशर्फी लाल ने केवल इन्द्रदेव पाठक के विरुद्ध धारा 304 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य मिटाने में थानाध्यक्ष द्वारा सहयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार थानाध्यक्ष, मेंहदावल को तत्काल निलम्बित कर विष्णुदेव पाठक, जीतमन पाठक व इन्द्रदेव पाठक के विरुद्ध धारा 302 के अन्तर्गत मुकदमा दायर कर तत्काल उन्हें गिरफ्तार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम प्रधान, विसौवा ने थाना मेंहदावल पर यह लिखित सूचना दी कि दिनांक 1 मई, 1990 को रात्रि में श्री जीतमन पाठक के घर में एक व्यक्ति घुसा जिसकी मृत्यु श्री इन्द्रदेव पाठक द्वारा लोहे की छड़ मारने से हो गई थी। इस सूचना पर अप0 संख्या 50/90 अन्तर्गत धारा 304, आई0 पी0 सी0 दर्ज किया गया। हत्या का स्पष्ट प्रमाण पाये जाने के कारण उक्त अपराध धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया। विवेचना से श्री जीतमन पाठक व विष्णुदेव पाठक द्वारा प्रमोद कुमार धोबी को उसके घर से अपहृत कर अपने घर लाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। अतः उनको गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं है। थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्तों को साक्ष्य मिटाने में कोई सहयोग देना प्रकाश में नहीं आया। अतः उनको निलम्बित करने का प्रश्न नहीं उठता।

सी0 पी0 सी0 आई0 डी0, उत्तर प्रदेश में कार्यरत इन्सपेक्टरों का शासन के निर्देशों के आधार पर स्थानान्तरण

180—श्री उदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 सी0 आई0 डी0, उत्तर प्रदेश में कितने इन्सपेक्टर ऐसे हैं जो दो वर्षों से लेकर पांच वर्षों तक उक्त शाखा में कार्यरत रहे हैं ? क्या यह सही है कि दो वर्ष कार्य करने के बाद सिविल पुलिस में कार्य करना आवश्यक है ? क्या यह भी सही है कि सी0 पी0 सी0 आई0 डी0 में ध्रुव लाल यादव आठ माह, शिवमूर्ति सिंह यादव एक माह, हरिशंकर मिश्र 8 माह, रामरति यादव 6 माह, उदयभान सिंह आठ माह, विनोद यादव 8 माह, बी0 एल0 ओझा आठ माह, अभय सिंह 6 माह, चरन सिंह को तुरन्त इस वर्ष सी0 पी0 आई0 डी0 से सिविल पाली में स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या

औचित्य है ? क्या सरकार ऐसे सभी निरीक्षकों की लिस्ट सदन के पटल पर रखेगी जो दो वर्षों से अधिक अवधि से उक्त विभाग में कार्यरत हैं । क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उपरोक्त ट्रान्सफर किस नीति व किसके आदेश से किये गये हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्तमान समय में लगभग 115 निरीक्षक (मा0 पु0) अपराध अनुसंधान विभाग में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से नियुक्त हैं ।

जी नहीं ।

निरीक्षक सर्वश्री उदयभान सिंह, घूरेलाल यादव, शिवमूर्ति सिंह, हरिशंकर मिश्र, विनोद यादव एवं अभय सिंह, सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 में नियुक्त नहीं रहे हैं । निरीक्षक राम रति राम यादव को 9 माह एवं निरीक्षक बाबू लाल ओझा को लगभग एक वर्ष तक सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से नियुक्त रहने के उपरान्त जिला पुलिस में स्थानान्तरित किया गया है । उक्त स्थानान्तरण कानून एवं व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अपरिहार्य परिस्थितियों में क्रमशः शासन एवं पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशों के आधार पर किये गये हैं ।

कोई औचित्य नहीं बनता ।

जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर के ग्राम ढेरा, निवासी श्री मोहम्मद इब्राहीम उर्फ मुल्ला पुत्र श्री जैनअली के सम्बन्ध में समापति के पत्र पर कृत कार्यवाही

181—श्री अनवार मोहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, समापति, आश्वासन समिति, विधान सभा के पत्र सं0 1670/90, दिनांक 31 अगस्त, 1990 तथा सन्त बख्श रावत, समापति, अनुसूचित जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के पत्र सं0 200/अनु0 जा0 स0/ 90, दिनांक 23 अगस्त, 1990 के साथ संलग्न श्री मोहम्मद इब्राहिम उर्फ मुल्ला जी पुत्र श्री जैन अली, निवासी ग्राम ढेरा, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी का कोई प्रार्थना-पत्र उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा फर्जी गढ़े गये मुकदमें की सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप असत्य पाये गये । अतः मामले की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद वाराणसी के थानों में आपराधिक घटनाओं को रोकने के उपाय

182—श्री ऊदल व श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 90 से 9 सितम्बर, 1990 तक वाराणसी जिले के प्रत्येक थाने में कितने कत्ल, डकैतियां, बलात्कार, पुलिस द्वारा कितने इनकाउन्टर तथा दूसरे प्रकार के अपराध हुए हैं ? क्या सरकार ने उन्हें रोकने का कोई उपाय किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी में अप्रैल, 90 से 9 सितम्बर, 1990 तक की अवधि में कत्ल, डकैती, बलात्कार, इनकाउन्टर एवं दूसरे प्रकार के हुए अपराधों का थानावार विवरण संलग्न है ।

उक्त प्रकार के अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
(देखिये परची 'ज' आगे पृष्ठ 189 पर।)

जनपद गाजीपुर के समस्त थानों में घटित घटनाओं का विवरण

183—श्री ऊदल व श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में जुलाई, 89 से लेकर अगस्त, 90 तक प्रत्येक थाने में कितनी हत्यायें, कितनी डकैतियों तथा बलात्कार एवं इनकाउन्टर की घटनायें घटी हैं ? इसमें हरिजन जाति के कितने लोग मारे गये हैं ? कितने मामलों में चार्जशीट और कितने मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद गाजीपुर में, माह जुलाई, 89 से अगस्त, 90 तक हत्या, डकैती, बलात्कार एवं इनकाउन्टर की घटनाओं का थानावार विवरण निम्नवत् है :—

थाना	हत्या	डकैती	बलात्कार	इनकाउन्टर
1	2	3	4	5
कोतवाली	7	1	1	..
नन्दगंज	1	2	..	..
करण्डा	2	..	..	..
सैदपुर	5	4	1	..
खानपुर	..	1	..	..
सादात	1	2	..	..
भुड़कुड़ा	3	1	..	..
सादियाबाद	2	..	..	..
बिरनों	3	..	..	..
मरदह	1	..	..	..
कासिमाबाद	3	..	1	..
मुहम्मदाबाद	3	3	1	..
नोनहरा	1	..	..	..
भांवरकोल	3	..	..	..
करीमुद्दीनपुर	3	..	..	..
बड़ेसर	2	..	..	..
जमानियां	4	1	..	..
दिलदारनगर	4	4	..	..
गहमर	2	1	1	..
सुहवल	2	..	1	..

उक्त वर्णित घटनाओं में 6 हरिजन मारे गये, 59 मामलों में चार्जशीट तथा 6 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगायी जा चुकी है।

184—श्री कुंवर सिंह नेगी—

(4थे गुरु में अतारांकित प्रश्न संख्या 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद चमोली के विद्युत् विभाग में रिक्त पदों को भरने की मांग

185—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विद्युत् विभाग में अभियन्ताओं, अवर अभियन्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों के कुल कितने पद 15 सितम्बर, 1990 तक रिक्त पड़े हैं और ये रिक्तियां कब से चली आ रही हैं? इन रिक्तियों को न भरे जाने के क्या कारण हैं? शासन द्वारा इन नियुक्तियों को भरने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं और कब तक ये रिक्तियां निश्चित रूप से भर दी जायेंगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद चमोली में 15 सितम्बर, 1990 तक अधिशासी अभियन्ता का एक पद मई, 1990 से, सहायक अभियन्ता के दो पद जुलाई 88/. जनवरी, 90 से अवर अभियन्ता के दस पद, जुलाई, 88 से तथा श्रेणी 3 और 4 के अन्य 32 पद विभिन्न तिथियों से रिक्त थे। अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण यह पद भरे नहीं जा सके।

तथापि अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर जनवरी, 1991 में परिषद् द्वारा तैनाती कर दी गयी है। ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण में सहायक अभियन्ता पदों पर भी तैनाती करने का प्रयास किया जायेगा। परिषद् में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा होने के कारण शेष रिक्त पदों के भरे जाने के विषय में फिलहाल निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् में कृषक सदस्यों का मनोनयन

186—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तीन कृषक भी सदस्य होते हैं? क्या फरवरी, 1987 से कृषकों के उक्त तीनों पद खाली हैं? यदि हां, तो संस्था की प्रबन्धकारिणी परिषद् में सरकार द्वारा अब तक कृषकों का मनोनयन किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री शंकर सिंह—

जी हां।

वर्तमान में कृषकों के उक्त तीनों पद खाली नहीं हैं।

मनोनयन हो चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपनिदेशक का स्थानान्तरण

187—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के एक उप निदेशक के विरुद्ध कावर विधान सभा क्षेत्र, जनपद बरेली के तत्कालीन विधायक ने शिकायत जून, 1986 में की थी? क्या उस पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिकायत

होने के बावजूद उप निदेशक को रामपुर से स्थानान्तरण करके अपने ही गृह मण्डल मेरठ में नियुक्त कर दिया गया है जबकि यह मुजफ्फरनगर जनपद के रहने वाले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां ।

शिकायत की जांच तत्कालीन निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा की गई तथा शिकायत को निराधार पाया गया । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

कथित उप निदेशक को वार्षिक स्थानान्तरण में रामपुर से मेरठ तैनात किया गया । मण्डलीय अधिकारी अपने गृह मण्डल में पदस्थापित किया जा सकता है । अतः इसमें अनियमितता नहीं है ।

जनपद बाराबंकी के थाना सफदरगंज के ग्राम बघौरा के निवासी श्री राज कुमार पुत्र श्री बाबादीन द्वारा श्री ओम प्रकाश तिवारी, कान्सटेबिल के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर विभागीय जांच

188—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि श्री राज कुमार पुत्र श्री बाबादीन, निवासी ग्राम बघौरा, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी ने श्री ओम प्रकाश तिवारी, कान्सटेबिल, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, नवल किशोर रोड, लखनऊ एवं उनके भाई के विरुद्ध दिनांक 7 अगस्त, 1990 को थाना अलीगंज, लखनऊ में रिपोर्ट लिखाई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 338/90 धारा 420, आई0पी0 सी0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी है ? यदि हां, तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? इनके विरुद्ध कार्यवाही कर कब तक गिरफ्तारी की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार मु0अ0सं0 338/90 धारा 420, भा0दं0वि0 का मुकदमा दिनांक 7 जुलाई, 1990 को वादी श्री राम कुमार पुत्र श्री बाबादीन, निवासी बघौरा, थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी द्वारा अभियुक्तगण ओम प्रकाश तिवारी व उनके भाई जय प्रकाश तिवारी पुत्र जय जय राम तिवारी, निवासी टाइप 11-122 केन्द्रांचल कालोनी, थाना अलीगंज, लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। वादी द्वारा उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित एच0डी0 मोटर साइकिल यू एच ई 4996 अभियुक्त के हाथों बेची गई जिसमें कुछ रकम बकाया रह गई थी । अभियुक्तों द्वारा पूरा पैसा न देने पर तथा बिना लिखा-पढ़ी किये कागजात जय प्रकाश तिवारी के नाम स्थानान्तरण करा दिया गया । रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी के कार्यालय से रिकार्ड मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर श्री राम कुमार के प्रार्थना-पत्र की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में स्थित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज के निदेशक, डाक्टर राम प्रताप सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर सी0आई0डी0 से जांच के सम्बन्ध में

189—श्री राम तेज यादव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के प्रसार निदेशक, डाक्टर राम प्रताप सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1990, 24 मार्च, 1990 एवं 5 अप्रैल, 1990 तथा सांसद श्री मित्रसेन

यादव द्वारा दिनाँक 31 दिसम्बर, 1989 तथा 3 जून, 1990 को दिये गये पत्रों पर सी० आई० डी० जाँच के आदेश दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो उसकी प्रगति क्या है और उस पर दोषी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री शंकर सिंह—

इन पत्रों पर नहीं अपितु अन्य पत्रों पर इस प्रकरण की जाँच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश को सौंपी गयी । जाँच अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

190—श्री मोती लाल देहलवी—

(3रे मंगल में अता0प्र0सं0 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

जनपद रामपुर, तहसील शाहाबाद, ग्राम जेतोली के कतिपय परिवारों के पलायन का मामला

191—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में 8 एवं 9 सितम्बर, 1990 को तहसील शाहाबाद की ग्राम जेतोली के कुछ परिवार साम्प्रदायिक दंगे के डर से पलायन करके तहसील मुख्यालय पर रामलीला मैदान में आ बसे थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । शेष का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर में मुहर्रम के अवसर पर तनावग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा के उपाय

192—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रामपुर में मुहर्रम को लेकर हर वर्ष तनाव होता है ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर और सरकार उसे रोकने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना अनुसार, मोहर्रम के विवाद से सम्बन्धित कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहां प्रति वर्ष तनाव उत्पन्न होता हो । प्रायः ताजिये निर्धारित ऊंचाई से अधिक बनाने के कारण अथवा मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाने आदि के कारण अस्थायी रूप से तनाव उत्पन्न होते रहे हैं, जिनका तत्कालिक समाधान कर दिया जाता है ।

जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी में स्थापित ट्रान्सफार्मर से विद्युत वितरण का मामला

193—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों की मांग पर इन्दिरानगर, लखनऊ के ए0 ब्लाक में सचिवालय कालोनी हेतु एक ट्रान्सफार्मर वर्ष 1989 में लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ट्रान्सफार्मर की बिजली तीन भागों में बांट दी गयी है और कुर्मांचल ब्लाक में अधिक घरेलू कनेक्शनों पर अधिक लोड के कारण सचिवालय कालोनी की बिजली प्रायः चली जाती है ? यदि हां, तो जब सचिवालय कालोनी के लिये

ट्रान्सफार्मर लगाया गया था तो अन्य ब्लाकों को उससे बिजली देने का क्या औचित्य है ? इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार अन्य सम्बद्ध ब्लाकों को उस ट्रान्सफार्मर से अलग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं । वर्ष 1989 में ट्रान्सफार्मर केवल सचिवालय कालोनी हेतु नहीं लगाया गया था बल्कि सचिवालय कालोनी एवं निकटवर्ती क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति हेतु लगाया गया था ।

उक्त ट्रान्सफार्मर से सचिवालय कालोनी के साथ-साथ कर्मचिल नगर के एक भाग के विद्युत उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है । कर्मचिल नगर में स्थित आटा चक्कियों के लोड के कारण इस ट्रान्सफार्मर पर उसकी क्षमता से अधिक भार नहीं है । अतः इस कारण प्रायः बिजली का चला जाना सही नहीं है ।

ट्रान्सफार्मर केवल सचिवालय कालोनी के लिये नहीं लगाया गया । इससे निकटवर्ती क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को आपूर्ति का भी प्रावधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

चूंकि ट्रान्सफार्मर पर इसकी क्षमता से कम भार है, अतः अन्य क्षेत्रों की आपूर्ति इससे अलग करने का कोई औचित्य नहीं है ।

अनुपूरक प्रश्नगण में स्थित इन्दिरा नगर सचिवालय कालोनी ए ब्लाक में स्थापित ट्रान्सफार्मर के चारों ओर जाली का लगाया जाना

194--श्री सुवास--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरानगर सचिवालय कालोनी ए ब्लाक सुधार समिति की ओर से कोई पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 28 अगस्त, 1990 मुख्य मंत्री को वहां पर लगे ट्रान्सफार्मर जो जमीन से 4 फिट ऊंचाई पर है और जिसमें जाली नहीं लगायी गयी है, के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में सुधार समिति का पत्र दिनांक 28 अगस्त, 1990 प्राप्त हुआ है । परिषद् के अभिलेखों के अनुसार इस विषय पर पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1990 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्नगत ट्रान्सफार्मर पर जाली लगाने का कार्य दिनांक 24 फरवरी, 1991 को पूर्ण कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा की तहसील अलीगंज में 3 विद्युत उपगृह बनाने का प्रस्ताव

195--श्री लटूरी सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील जलेसर व तहसील अलीगंज में 132 के0 वी0 विद्युत गृह एक साथ 3 या 4 वर्ष पूर्व बनवाने की

स्वीकृति दी गयी थी ? क्या उसमें से तहसील जलेसर में 132 के0 वि0 विद्युत गृह बन कर तैयार हो गया और नगर अलीगंज में अभी तक उसका कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी 132 के0 वी0 के उक्त विद्युत गृह को अलीगंज तहसील व नगर जनपद एटा में बनवाएंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

132 के0 वी0 उप संस्थान तहसील जलेसर तथा अलीगंज में निर्माण हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुयी थी जिसमें 132 के0 बी0 जलेसर विद्युत उपगृह का निर्माण पूर्ण हो चुका है । 132 के0 वी0 विद्युत उपगृह, अलीगंज के लिये सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है और आवश्यक सामान के क्रय की कार्यवाही चल रही है परन्तु इसका निर्माण कार्य निम्नलिखित कारणों से प्रारम्भ नहीं हो सका है :

(1) अलीगंज विद्युत उप संस्थान के लिये भूमि का चयन करके उसके अर्जन का प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिकारी को फरवरी, 1983 में भेज दिया गया था परन्तु भूमि का अर्जन अभी तक नहीं हो सका है। इस भूमि को सीधे भूस्वामियों से खरीदने के लिये भी विद्युत परिषद द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं ।

(2) अलीगंज उप संस्थान के प्रस्ताव के समय जैसा कि अनुमान लगाया गया था नई औद्योगिक एवं कृषि इकाइयों के न आने के कारण अपेक्षित विद्युत भार में वृद्धि नहीं हो पायी है। वर्तमान में अलीगंज क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था वहां स्थापित 33 के0वी विद्युत उप संस्थान से की जा रही है तथा इस क्षेत्र की विद्युत मांग की 132 के0 वी0 एटा उप संस्थान तथा नये बनाये गये 132 के0 वी0 जलेसर उप संस्थान पूरा करने में सक्षम है।

(3) आवश्यक धन की उपलब्धता न होना।

2—उप संस्थान अलीगंज तहसील में ही प्रस्तावित है एवं भूमि अर्जन तथा आवश्यक धन की उपलब्धता होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3—प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश निर्वाचित ग्राम प्रधानों की हत्या का विवरण

196—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में प्रधानों के चुनाव के बाद अब तक कुल कितने प्रधानों की हत्या हुयी है ? शासन द्वारा प्रधानों की सुरक्षा हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार प्रधानों के चुनाव के बाद अब तक कुल 173 प्रधानों की हत्या हुई है।

2—सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम प्रधान चुनाव के पश्चात जहां पर तनावपूर्ण स्थिति एवं पार्टी बन्दी है वहां पर निरोधात्मक कार्यवाही की गयी तथा गश्त में जाने वाले कर्मचारीगण को सख्त हिदायत दी गयी है कि शान्ति व्यवस्था हेतु कड़ी निगरानी रखी जाय।

बांदा जनपद के ग्राम दुवरिया में पुलिस एवं जनता से संतोषा यादव गैंग के मध्य हुई मुठभेड़ में दो व्यक्तियों की मृत्यु

197—श्री राम प्रसाद सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–52 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पहाड़ी गांव रानीपुर के शिवरतन मजरव दुवरिया के स्वीकरन यादव के पुत्र ओम प्रकाश यादव को थाना पहाड़ी के उपनिरीक्षक द्वितीय व तीन सिपाहियों एवं सत्रह नामजद बंदूकधारियों ने मिलकर 4 मार्च, 1988 को हत्या कर दी थी ? क्या इस सम्बन्ध में 5 मार्च, 1988, 7 मार्च, 1988 तथा 21 मई, 1988, 29 अगस्त, 1988 व 16 सितम्बर, 1988 को एस0 पी0 बांदा व मुख्य मंत्री को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी अपने पत्रांक अ 37/386, दिनांक 23 दिसम्बर, 1988 द्वारा संबंधित अपराधियों के पकड़ने, अस्लहों को जब्त करने के लिए लिखा गया था ?. यदि हां, तो इन उपरोक्त पत्रों के आधार पर की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 4 मार्च, 1988 को थाना पहाड़ी, जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम दुवरिया पुरवा में पुलिस एवं जनता से संतोषा यादव गैंग के मध्य मुठभेड़ हुई जिसमें राम प्रसाद ब्राह्मण, निवासी इटपा व ओम प्रकाश यादव, निवासी शिव रजन का पुरवा, थाना पहाड़ी घटना स्थल पर मारे गये।

वर्तमान समय में उक्त प्रकरण से संबंधित मु0 अ0 संख्या 34/88 थाना पहाड़ी की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद के कुख्यात असलम उर्फ भोड़ा गिरोह के पकड़ने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी

198—श्री मो0 रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 110 क उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्परिक्षेत्रीय डाकू, सरगना असलम उर्फ भोदा ने जनपद रामपुर, नैनीताल, बिजनौर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत तथा मुरादाबाद के विभिन्न थानों में कुल कितनी वारदातें की हैं ? उसकी गिरफ्तारी के संबंध में दिनांक 18 अगस्त, 1990 तक कब–कब तथा क्या–क्या कार्यवाही की गयी है ? अब तक गिरफ्तारी न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

डाकू सरगना असलम उर्फ भोदा ने जनपद रामपुर, नैनीताल, बिजनौर, बरेली में मुरादाबाद में कुल 71 वारदातें की हैं। इसकी गिरफ्तारी के संबंध में धारा 82/83 दन्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की गयी तथा अनेक अवसरों पर दबिशें दी गयीं। इसके अतिरिक्त जनपद मुरादाबाद में स्पेशल स्क्वाड की स्थापना की गयी ह। असलम उर्फ भोदा अब भी फरार ह।

जनपद मुरादाबाद के कुख्यात असलम उर्फ मौदा गिरोह के पकड़ने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी

199—श्री मो0 रिजवानुल हक—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैंग नं0 आई0 आर0–2 (एम) की परिभाषा क्या है तथा जो 45 सदस्य गैंग में सक्रिय है उनके नाम व उन पर घोषित इनाम की धनराशि क्रमशः कुल कितनी है ? गैंग के जिन आठ सदस्यों को पकड़ने के लिये इनाम की धनराशि में वृद्धि की गयी है, उनके नाम तथा बढ़ी हुयी धनराशि किस पर कितनी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आई0 आर0–2 (एम) गैंग के कोड नम्बर है जिसका अर्थ है इण्टरजेंज–2, मुरादाबाद/ जिसका शाब्दिक अर्थ–अन्तर्परिक्षेत्रीय गैंग है ।

इस गैंग में 45 सदस्य थे जिनमें से एक सदस्य कलुवा उर्फ बाबू दिनांक 30/31 जुलाई, 1990 को अमरोहा नगर की पुलिस मुठभेड़ में मारा गया । शेष 44 सदस्यों के नाम व उन पर घोषित इनाम की धनराशि का विवरण संलग्न* है ।

आठ सदस्यों, जिन पर घोषित इनाम की धनराशि 100 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये की गयी है, का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—अफसर पुत्र रहीम खां, निवासी मिलक मेवाती, भगतपुर, मुरादाबाद ।

2—फारुख उर्फ गंजा पुत्र बब्बन, निवासी खेरखता, भगतपुर, मुरादाबाद ।

3—शौकत पुत्र जरीर हुसेन, निवासी फतेहपुर, ढिंडौली, मुरादाबाद ।

4—नन्हे पुत्र असरफ, निवासी परपतनगर, थाना स्वार, जनपद रामपुर ।

5—सफीक उर्फ रफीक उर्फ नन्हें पुत्र शब्बीर, निवासी नरपतनगर, स्वार, रामपुर ।

6—महबूब पुत्र भोलू, निवासी नरपतनगर, स्वार, रामपुर ।

7—सगीर उर्फ मुल्ला पुत्र शकूर, नरपतनगर, स्वार, रामपुर ।

8—रूपा उर्फ रूपचन्द्र पुत्र ओम प्रकाश, निवासी चाहसीरी, कोतवाली, बिजनौर ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 6 मार्च, 1991 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में श्लोका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 8 सूचनायें स्वीकार हुई हैं :—

जिनमें पहली सूचना श्री राम लखन वर्मा की, दूसरी श्री नरेन्द्र सिंह की, तीसरी श्री हृदय नारायण की, चौथी श्री संत श्री राम द्विवेदी की, पांचवां श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की, छठी श्री दयाराम भास्कर की, सातवीं श्री सुन्दर लाल की तथा 8वीं सूचना श्री बदन सिंह की है । परन्तु आज दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं श्री सन्त श्री राम द्विवेदी और श्री बदन सिंह, इनके स्थान

*देखिये नत्थी 'ठ' अगे पृष्ठ 191 पर ।

पर प्रतीक्षा सूची में भी अत्य प्रकाश सिकत तथा श्री हरिवंश सहाय की सूचनायें ले ली गयी हैं, जो आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जा रही हैं और अन्य शेष माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं। ....(व्यवधान)....

मेरे सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायं।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश में जमाखोरी एवं काला बाजारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सजीवन वर्मा—

[महोदय, काला बाजारियों, जमाखोरों तथा अधिकारियों की मिली भगत के कारण प्रदेश में जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान मात्र दिखावा बन कर रह जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुयें उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रही हैं और उन्हें मंहगें दामों पर खरीदने को उपभोक्ता विवश कर रहे हैं।

प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह जनपद फैजाबाद में विगत दिनों कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिये मारे गये छापे में लगभग 20 लाख रुपये का अवैध खाद्यान्न चीनी, वनस्पति घी आदि पकड़ा गया, सम्बन्धित व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मामले भी दर्ज हुये लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 20 लाख रुपये का बरामद माल गायब हो गया। उक्त माल कहां गया न पुलिस बता पा रही है न खाद्य विभाग के अधिकारी।

उक्त मामला आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर इसमें दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावटी की पुलिस द्वारा अकारण गिरफ्तारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह—

[महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा की आज्ञा से एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं।

दिनांक 21 फरवरी, 1991 को दिन के लगभग 10 बजे थाना गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर के थानाध्यक्ष ने कहीं अपने सिपाहियों के साथ मेरठ आये और बगैर कोई कारण बताये या वारन्ट दिखाये जबरदस्ती जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता श्री महीपाल सिंह पुत्र श्री धर्म पाल सिंह निवासी ग्राम खानपुर, थाना जारी, जिला मेरठ को जबरदस्ती जीप में डाल कर बुलन्दशहर ले गये। राजनैतिक कारणों से श्री महीपाल सिंह की हत्या का षडयंत्र पुलिस ने किया था, लेकिन सौभाग्य से स्थानीय लोगों की जानकारी मिलने पर सैकड़ों लोग थाने पर गये और अधिकारियों को तार (टेलीग्राम) भेज कर घटना की शिकायत की। जनता के दबाव में महीपाल को कोतवाली बुलन्दशहर से छोड़ दिया गया। उक्त सारी घटना को अनेक लोगों ने देखा है।

जनपद मेरठ में गत एक वर्ष से एक वर्ग से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हत्यायें हो चुकी हैं और मेरठ की जनता का विश्वास है कि इन हत्याओं में पुलिस की साजिश है। किसी गहरी

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साजिश के तहत निर्दोष महीपाल को पुलिस ने अपहरण किया। जनपद मेरठ की जनता में भय, आतंक एवं रोष व्याप्त है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यदि तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती है तो स्थिति विस्फोटक हो जायेगी।]

जनपद उन्नाव की विद्युत् आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण—

[महोदय, उन्नाव जिले की विद्युत् आपूर्ति अनियमितता से आम जनता परेशानी में है। जिला केन्द्र पर भी बिजली की उपलब्धि वर्तमान समय में 10 घंटे भी नहीं है। सायंकाल को सारा शहर अन्धकार में डूब जाता है। उत्तर प्रदेश की तहसीलों में क्षेत्रफल व आबादी में द्वितीय स्थान की तहसील का केन्द्र पुरवा कस्बा विद्युत् आपूर्ति की बदतर अनियमितता झेल रहा है। सायंकाल तो विद्युत् बिल्कुल नहीं मिलती, परिणामस्वरूप चिकित्सा कार्य सहित सभी आवश्यक सेवायें अव्यवस्थित हैं। चूंकि अधिकांश अवर अभियन्ता अपने-अपने मुख्यालयों पर नहीं रहते इसलिये देख-रेख नहीं हो पाती।

विधान सभा पुरवा क्षेत्र की चोरी गई विद्युत् लाइनें 1—असरेन्दा, 2—भूपतिपुर, 3—जोरावरगंज वर्षों से रिपेयर नहीं हुई है। पुरवा-मौरावां के बीच बनाई जा रही 33 के0 वी0 ए0 की लाइन के खम्भे मात्र लगा कर काम बन्द कर दिया है। हिलौली फीडर को भी दो हिस्सों में बांट कर विद्युत् व्यवस्था सुधारने के फैसले को क्रियान्वित नहीं किया गया है। अराजकता की स्थिति यह है कि कर्मचारी महीनों जेल में रह चुके हैं, अनेकों पर जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

विद्युत् उपभोक्ता संघर्ष समिति की तरफ से महामंत्री रजा मोहम्मद ने आन्दोलन का नोटिस दे रखा है, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रकरण को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर मुख्यालय के अधिवक्ताओं में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[मान्यवर, सीतापुर जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं में व्याप्त घोर असन्तोष का मामला आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अधिवक्ताओं में असंतोष इतना गहन है कि उन्होंने सामूहिक रूप में 2(दो) न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया है। दोनों न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध अधिवक्ता संघ ने प्रस्ताव पारित कर पक्षपात, अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं जिसमें धन लेने के भी आरोप शामिल हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि तत्काल जांच कराकर दोनों के विरुद्ध कड़ी प्रभावी कार्यवाही की जाय। जब तक कार्यवाही नहीं होगी, बहिष्कार चालू रहेगा।

बहिष्कार से वादकारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। अब तक जांच न होने से सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। आरोप सही है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी मांग है कि शिकायतों की अविलम्ब जांच कराकर त्वरित कार्यवाही की जाय ।]

जनपद आजमगढ़ के थाना दीदारगंज में पुलिस द्वारा हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दया राम भास्कर--

[माननीय, मैं आपका ध्यान तथा माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जनपद आजमगढ़ थाना दीदारगंज के इन्चार्ज एवं थाना खता सराय, जनपद जौनपुर के इन्चार्ज मिल ग्राम रम्भोपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, निवासी एवं तहसील कर्मचारी फूलपुर के रामधारी के घर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश लिये ही 4-5 फरवरी 1991 को रम्भोपुर स्थित घर में तलाशी लेना और औरतों से 3,000 रु0 की मांग डरा धमका कर करना, पैसा न पाने पर तहसील कर्मचारी फूलपुर श्री रामधारी राम की गिरफ्तारी 6 बजे शाम को रास्ते में से ड्यूटी से छूटकर घर जाते 5 फरवरी, 1991 को उक्त दोनों थाने के थाना इन्चार्ज एवं उनके स्टाफ ने किया और उनसे भी छोड़ने हेतु 3 हजार रुपया की डिमान्ड किया, पैसा न पाने पर खेता सराय थाना पर ले जाकर कपड़े उतरवाकर भोगो कर नाक में पानी डलवाया, बेहोश होने पर आग से सेकाई किया और रात भर बन्द रखा, खबर पाकर परिवार एवं मित्रों के पंहुचने पर उनसे भी पैसे की मांग की गई फिर भी पैसा न पाने पर शाहगंज कोतवाली भेजा गया, एक कर्मचारी को तीन दिन ड्यूटी पर जाने से रोका गया, यह सारा मामला बदले की भावना से पुलिस दरोगा इस लिये किया कि रम्भोपुर के दलितों का पेड़ दरोगा दीदारगंज चौधरी उसी गांव के भरत आदि को मिलाकर कटवाकर बेच लिया था जिसका विरोध रामधारी ने किया था, निराधार एक कर्मचारी के घर तलाशी और गिरफ्तारी कर घोर मानहानि किया, तथा समाज में मान प्रतिष्ठा को गिराया है । जिससे इलाके में घोर आतंक छाया है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त दोनों थाना इन्चार्जों को लाइन हाजिर करा के उनके विरुद्ध आरोपों को जांच करायी जाय और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का शासन को निर्देशित किया जाये ।]

जनपद बाराबंकी की तहसील राम नगर में दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं पर हुये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

[मान्यवर, बाराबंकी जनपद की तहसील राम नगर के अन्तर्गत स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे भारतीय दलित पैंथर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर 4 मार्च को राम नगर थाने की पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जमकर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसायीं गयीं, जिससे 50 से अधिक लोग घायल हो गये ।

भारतीय दलित पैंथर शाखा राम नगर के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों कार्यकर्ता लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह से जुलूस लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे, इसी समय थानाध्यक्ष, आर0 पी0 कनौजिया पुलिस दल के साथ लाठियां बरसानी शुरू कर दी जिससे दर्जनों कार्यकर्ता गम्भीर रूप से घायल हो गये । जुलूस का नेतृत्व करने वाले राम सेवक, सुमन, परशुराम गौतम, छेदा लाल गौतम, राजेन्द्र बागी घायल हो गये हैं ।

थाने पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि इस क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हत्यायें प्राण घातक हमले व लूट मार की घटनायें हुई। थानाध्यक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहे, न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे ।

नोट---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतिरिक्त हरिजन उत्पीड़न व सीमती अत्याचार प्रमुख थे ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण का सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करता हूं ।]

आगरा महानगर में कुकिंग गैस वितरण एजेन्सियों द्वारा की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल—

[मान्यवर, आगरा महानगर में कुकिंग गैस की जब से कैश एवं कैरी व्यवस्था समाप्त करके शत प्रतिशत होम डिलीवरी की व्यवस्था लागू की गई है तभी से वहां की अनेक गैस एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ताओं का भारी उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा है तथा मनमानी करते हुये भारी अनियमितताये की जा रही हैं । कुकिंग गैस का बुकिंग 35 दिन बाद किया जाता है और डिलीवरी एक-एक, दो-दो महीने तक नहीं दी जाती है । उपभोक्ता सारा काम छोड़कर गैस एजेंसी के चक्कर काटते रहते हैं और धक्के खाकर लौट आते हैं । उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर न दिये जाकर खुले आम डेढ़ सौ रुपये में बेचे दिये जाते हैं । कुछ ऐसी भी एजेंसिया हैं जिन्होंने अपनी एजेंसी मुनाफे की निश्चित मासिक रकम लेकर ऐसे लोगों को दे दी है जहां गिरोह बनाकर बैठे लोग उपभोक्ताओं को पीड़ित और परेशान करते हैं तथा ऊंचे दामों पर गैस सिलेण्डर बेच कर वास्तविक उपभोक्ताओं को नहीं देते । उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार व मारपीट की घटनायें भी कुछ गैस एजेंसी पर हो रही हैं । इन बातों से व कुकिंग गैस के न मिलने से जनता में भारी क्षोभ, आक्रोश व उत्तेजना व्याप्त है । व्यवस्था में सुधार के लिये प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं । यदि यही स्थिति जारी रही तो जन असन्तोष भड़क कर कभी भी सड़क पर आ सकता है ।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुये मांग करता हूं कि सरकार आगरा में कुकिंग गैस की एजेंसी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच व उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की सुगम-सरल व सुनिश्चित व्यवस्था किये जाने के लिये आगरा के जिला प्रशासन को आदेशित करें ।]

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया के प्राचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय—

[मान्यवर, मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपार रानी जिला देवरिया के प्राचार्य डा0 रामाचरण उपाध्याय ने महाविद्यालय के विभिन्न निधियों से भारी धन का गबन एवं व्यपहरण किया है । इन्होंने वर्ष 1984 से 1990 के बीच कम से कम 40 लाख रुपये हजम कर लिया है । उक्त अवधि में इन्होंने वेतन संकाय मद से 5 लाख रुपया निकाल लिया है जिसके कारण उच्च शिक्षा निदेशक ने इनका वेतन भुगतान रोक दिया है । इन्होंने उक्त अवधि में परीक्षा शुल्क, पत्रिका शुल्क, काशन मनी, प्रवेश फार्म बिक्री, प्रयोगशाला शुल्क, विभागी प्रयोगशाला शुल्क, प्रवेश परीक्षा शुल्क, शोध पत्रिका शुल्क, गृह परीक्षा शुल्क, चिकित्सा शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, व्यक्तिगत परीक्षा शुल्क आदि खातों से कम से कम 40 लाख रुपये निकाल लिया है । इन खातों को ये निजी खाता मानते हैं । सारा पैसा इन्होंने हजम कर लिया है । प्रबन्धक ने 27 दिसम्बर, 1990 को इनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराया है । विज्ञान के सामानों तथा डेड स्टाक के सामानों का भौतिक सत्यापन जरूरी है, भारी घपला है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महाविद्यालय कभी नहीं जाते जिससे छात्र आन्दोलित हैं । ट्रेन रोकते हैं । अल्पसंख्यक का वातावरण समाप्त है ।

अतः माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि महाविद्यालय का स्पेशल आडिट कराया जाय तथा सामानों का भौतिक सत्यापन कराया जाय ।]

नियम 301 की सूचना लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेई—

माननीय, 28 फरवरी, 1991 को नियम 301 के अन्तर्गत मेरी भी एक सूचना थी प्रतीक्षा सूची में नम्बर एक पर थी । इस संबंध में मैंने जब आपसे आग्रह किया तो आपने उस दिन यही व्यवस्था दी थी बैठक में यह निर्णय ले लिया गया है कि जो माननीय सदस्य अनुपस्थित होंगे, उनकी सूचना नहीं ली जायेगी

(व्यवधान)

लेकिन आप आज दूसरी व्यवस्था दे रहे हैं इससे माननीय हम लोगों के अधिकारों का हनन होता है, जिसकी आप सुरक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

हमारा निर्णय इस संबंध में यह है कि जो निर्धारित नियम है कि जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हों, उन्हीं की सूचना स्वीकार की जाए और जो नहीं हैं, उनकी सूचना प्रतीक्षा सूची में ले ली जाए। बीच में इस कारण ऐसा हुआ, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं कि उस दिन शलाका में जितनी भी सूचनाएं थीं, सभी स्वीकार इसलिए कर ली गयीं थीं क्योंकि उस दिन सदन व्यवस्थित नहीं था । वरन नियम यही है कि जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे, उन्हीं की सूचना शलाका के अनुसार स्वीकार की जायेगी और जो उपस्थित नहीं होंगे, उनकी सूचना प्रतीक्षा सूची में आयेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय इस 301 के बारे में एक निवेदन यह है कि आप नाम तो पढ़ देते हैं परन्तु विषय भी यदि पढ़ दिया करें तो इससे सदन के सभी माननीय सदस्य भी अवगत होंगे और साथ ही जो पत्रकार हैं, उनकी भी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष—

पहले की कार्यवाही यदि आप देखें, जिसमें मैंने विषय भी नाम के साथ पढ़े हैं आज मैंने केवल नाम इसलिए पढ़े हैं कि आज सदन निश्चित रूप से व्यवस्थित रूप से चल रहा है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं । (हंसी) व (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, सदन आज व्यवस्थित ढंग से चल रहा है आप भी इसके लिये बधाई के पात्र हैं और मेरा यह प्रश्न भी सदन के शांतिपूर्वक चलने से ही जुड़ा हुआ है ।

(शोर के साथ व्यवधान)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ समझा गया ।

श्री अध्यक्ष—

आज सदन के व्यवस्थित होने पर बधाई देने का मतलब यह नहीं है कि सदन अव्यवस्थित कर दिया जाए। (फिर सूक्ष्म हंसी) (एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर).....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी कोई और विषय नहीं लिया गया है, 301 ही चल रहा है।

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है, लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है और बुरी तरह से उनको मारा-पीटा गया है ....

(श्री शिव करन सिंह द्वारा बोलने का प्रयास किये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मेरा निवेदन है कि इस संबंध में सदन में चर्चा करायी जाय।

श्री सुन्दर लाल बाराबंकी—

बाराबंकी में पुलिस ने निर्मम लाठी चार्ज किया है, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाय।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 में पहली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है कि सदन को प्रत्येक वर्ष में 90 दिन तक चलना चाहिये। दूसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी जी की है कि अग्रिम जमानत की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। इसे लागू कराने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु श्री नेगी ने प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किया है। चूंकि सदन की सहमति से असरकारी दिवस अप्रैल में निर्धारित किया गया है, अतः सदस्य चाहते हैं कि इनके विधेयक को पहले ही ले लिया जाय। इस मामले को कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

प्रक्रिया नियमावली के नियम; 14 में यह प्राविधान है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया सदन का उपवेशन वर्ष में 90 दिन का होगा। ऐसे मामलों में अध्यक्षपीठ से यही निर्णय दिये जाते रहे हैं कि सरकार को 90 दिन का उपवेशन कराना चाहिये, किन्तु चूंकि अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत सदन को आहूत करने और सत्रावसान करने का अधिकार श्री राज्यपाल महोदय को है, अतः इस संबंध में कोई निश्चित निर्देश नहीं दिये जा सकते। श्री नेगी जी के मामले को कार्य-मंत्रणा समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जायं। माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना नम्बर एक पर है इसलिय उनको बोलने के लिये प्राथमिकता दी जायगी।

सदन को संवैधानिक प्रक्रियानुसार चलाये जाने के संबंध में

औचित्य का प्रश्न

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननवर, आपके माध्यम से माननीय सदन से अनुरोध है कि एक साल में सदन चलने की अवधि 90 दिन की नियमावली में और संवैधानिक प्रक्रिया में निर्धारित की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल में सदन की बैठक तीन बार होती है —एक वर्षाकालीन उपवेशन, एक आय-व्ययक पर चर्चा के लिये उपवेशन तथा एक शीतकालीन अधिवेशन । आय-व्ययक पर जो अधिवेशन होता है उसमें 93 अनुदानों की ग्रान्ट आती है अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन-जिन विभागों की ग्रान्ट आती हैं, जिनमें प्रदेश के विकास का कार्य हम करना चाहते हैं ऐसे 93 अनुदान हैं जिन पर चर्चा करने के लिये सदन में समुचित समय की आवश्यकता है। इसलिये यह जो आय-व्ययक का बजट पेश हो रहा है इसमें कम से कम उन ग्रान्ट्स को छोड़ कर कि जो निर्विवाद हैं, शेष पर कम से कम 42 दिन चर्चा होनी चाहिये । किन्तु सदन में जो कार्य-मंत्रणा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें केवल 17 दिन ही हैं ग्रान्ट की चर्चा के लिये । यदि हम हिसाब लगायें तो केवल दो या तीन घंटे ही मिलेंगे हमको चर्चा के लिये ग्रान्टवाईज । जहां विकास का कार्य हो वहां चर्चा में हम समय की सीमा से बंधे होंगे।

एक परम्परा चली आ रही है कि जितने मामले सदन में चलते होते हैं सारे के सारे जिलों में विभागों की ओर से बजट पहुंचते-पहुंचते बहुत समय लग जाता है। अभी तक बजट का पैसा पहुंचा नहीं है । इसलिये आवश्यकता है कि माननीय सदन में आय-व्ययक पर चर्चा के लिये 42 दिन सुनिश्चित किये जायं। इससे हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हित होगा और हम सदन में बैठ कर प्रदेश के आय-व्ययक पर विचार कर सकेंगे। जो कुछ शंकायें विभाग को रहती हैं उन पर हम सब बैठ कर विषद चिन्तन, विषद विचार कर सकेंगे और उसके बाद ही आय-व्ययक को स्वीकार किया जायेगा कि इसमें कैसे नियंत्रण और संतुलन बनाये रखा जाय।

इसलिये सदन की बैठक ग्रान्ट पर विचार करने के लिये 42 दिन तक चलनी चाहिये जिसके लिये हमको केवल 17 दिन का समय दिया गया है, यह बहुत ही सीमित समय है। इसलिये मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं कि सदन कम से कम 42 दिन के लिये सुनिश्चित किया जाये ।

श्री कंदल—

उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वर्मा जी ने इस सदन को 90 दिन करने के लिये विचार करने के लिये सुझाव रखा है। मुझे दुःख इसलिये है कि माननीय वर्मा जी इस सदन को क्या 90 दिन चलने देंगे। यह मेरा आरोप है, यह सदन को नहीं चलने देंगे और बजट 'हां' और न में पास होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम सदन को चलाने की जिम्मेदारी सभी को समझनी चाहिये । मैं 90 दिन से ज्यादा सदन में बैठा हूं । इसलिये मैं कहता हूं और निवेदन करता हूं कि यह पूरे सदन की जिम्मेदारी है, माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है । सरकार ने तो कई बार कहा है कि सदन 90 दिन चलायेंगे। मैं कहता हूं कि आज ही सदन नहीं चलने पायेगा। मुझे आशंका है। मेरा निवेदन है कि कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्रणा समिति में सभी दल के नेता होते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी होते हैं, वह आपस में बैठ कर निश्चित करें कि सदन 90 दिन चलेगा या नहीं चलेगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, ऊदल जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हम सदन को चलने नहीं देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अपनी बात प्रस्तुत करने का अधिकार है और सरकार हमारी बात का उत्तर देने के लिये उत्तरदायी है। जब सरकार जान-बूझ कर सच बात को झूठ बताती है और झूठ बात को सच कहती है, तो सदस्यों को उत्तेजित हो जाना लाजमी है। सरकार प्रश्नों के उत्तर टाल देती है, कार्य-स्थगन के जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उनका भी उत्तर स्पष्ट नहीं देती है, तो हमारे सामने क्या विकल्प रह जाता है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है, तभी ऐसा होता है। मेरी और मेरे दल की पूरी मंशा है कि यह सदन 90 दिन चले।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। इसको आप पिछले दो दिनों में देख चुके हैं। नेता विरोधी दल 2-3 दिन से बोलने के लिये तैयार हैं, लेकिन वर्मा जी सदन को चलने नहीं देते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य वर्मा जी हैं और वह वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं। जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति में पास हो जाता है, उसे ही यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। तो पता नहीं वर्मा जी ऐसा क्यों करते हैं। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर रखना चाहते हैं लेकिन वह ऐसी हालत में रख नहीं पाते हैं।

हम सब को सहयोग का वातावरण बनाना चाहिये लेकिन क्या हो रहा है (व्यवधान) अब आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष --

कृपया शान्ति रहें आप अपनी बात संक्षेप में कह कर समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार--

आप देख रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं उसका दिग्दर्शन कर दिया है (व्यवधान) सदन चले लेकिन विभिन्न दलों के नेता जब आपके कक्ष में जाते हैं और जो बात वहां तय करके आते हैं उसके अनुसार यहां पालन होना चाहिये (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय प्रमोद कुमार तिवारी जी यहां सदन चलने की बात करते हैं और दिल्ली में लोक सभा में क्या हो रहा है। संसद में आप देख रहे हैं दो दिन से सदन नहीं चलने दे रहे हैं (व्यवधान) उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

यह तो देश को अव्यवस्थित कर रहे हैं, देश को नहीं चलने देना चाहते हैं। लोक सभा में एक सही मुद्दे पर बात कह रहे हैं। यह तो देश को नहीं चलने देना चाहते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, एक बार नहीं अनेक बार यह सवाल उठा है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब इधर बैठते थे तो स्वयं इस बात को कहते थे । हम सभी चाहते हैं कि सदन ज्यादा चलना चाहिये वर्मा जी 90 दिन की बात कह रहे हैं मुख्य मंत्री जी 120 दिन चलाना चाहते हैं ऊदल जी कहते हैं कि कुछ लोग नहीं चलन देना चाहते हैं । माननीय, जितनी जिम्मेदारी सदन चलाने की हम लोगों को है उससे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जनहित में इस बात को देखना चाहिये कि सदन ज्यादा से ज्यादा चले उससे सरकार का ही फायदा होगा । लेकिन पता नहीं क्या कारण है जब उधर चले जाते हैं तो सदन को चलाने से क्यों भागने लगते हैं। कारण मुझ समझ में नहीं आता है । माननीय प्रमोद तिवारी बहुत परेशान हैं यहां सदन म माननीय नेता विरोधी दल का भाषण नहीं हो पा रहा है लेकिन दिल्ली में तीन रोज से क्या हो रहा है सरकार गिराने की चेष्टा कर रहे हैं। तो दो तरह की बात कर रहे हैं दिल्ली में कुछ और लखनऊ में कुछ और बिहार में कुछ और बंगाल में कुछ और लखनऊ में कुछ और तो यह कैसे होगा सब जगह एक ही प्रक्रिया होनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मणि जी आप बैठें (व्यवधान)

श्री शिवकरन सिंह—

माननीय, जब अध्यक्ष जी यहां पर बैठे थे तो मैं बोल रहा था आप बीच में आ गये मुझे बैठा दिया (व्यवधान) तब से 15 मिनट हो गये मुझे मौका नहीं दे रहे हैं ..

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी का औचित्य का प्रश्न आ गया उस पर बात चल रही है (व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

बाराबंकी में मैंने प्रश्न उठाया था कि हरिजनों पर लाठी चार्ज हो गया उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है (व्यवधान) क्या बात है 15 मिनट हो गये मुझे समय नहीं मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय सदस्य बाराबंकी आप बैठ जायं (व्यवधान) आप बैठ जायं । आपके दल के माननीय पंचानन राय बोल रहे हैं । उसके बाद आप बोल लें ।

*श्री पंचानन राय—

माननीय, माननीय सदस्य वर्मा जी, नेता जनता दल और हमारे मुख्य सचेतक सभी ने एक बात पर चिन्ता व्यक्त की, ऊदल जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने 90 दिन से ज्यादा सदन के चलने के दुष्टान्त दिये । इस सत्यता को सभी दल स्वीकार करते हैं कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की बराबर है लेकिन आचरण इससे हम भिन्न करते हैं । सवाल यह है कि सदन शान्तिपूर्ण वातावरण में गम्भीर चिंतन प्रदेश की समस्याओं के लिय कर सके इसके बारे में सभी दल के नेताओं को अपने दल के सदस्यों को नियंत्रित करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिये । जब किसी सदस्य का नाम पुकारा जाय तो बहुत से सदस्य टोका टोकी जो करते हैं वह नहीं करना चाहिये । इसलिये सदन को व्यवस्थित करने की जरूरत है और इसकी भी जरूरत है कि हम विचार इस सदन की नियमावली के अनुसार करें ।

विधान सभा में किसी एक बात पर चर्चा हो सकती है लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पुराने दलों के सदस्य और नेता भी वहां खड़े होकर अपनी अपनी बात कोई दिल्ली और कोई पश्चिम बंगाल की बात करने लगते हैं । हम और हमारा दल जो नियमावली बनी है उसके अनुसार जो सदन में हमारा अधिकार है उसके अनुसार ही सदन का बहिर्गमन करते हैं और यह नहीं करते हैं कि सदन में मारपीट करें और सर तोड़ दें, यह घटित हो चुका है, इसलिये इसको बन्द करने की जरूरत है । मान्यवर, नियमावली का अनुपालन करते हुये हम और हमारे दल के साथी निरन्तर यह प्रयास करते हैं कि सदन ज्यादा दिन चले और शान्तिपूर्वक चले । मान्यवर, सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिये क्योंकि रोज प्रश्नों के समय में व्यवधान पैदा होता है उसका कारण है कि प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं और जवाब कुछ दिये जाते हैं, इसलिये सरकार को भी संवेदनशील होना चाहिये और प्रश्नों का उत्तर सही-सही और जो पूछा जाय उसका उत्तर दिया जाये । इसी के साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां गैर राजनीतिक हरकतें करते हैं उनको नियंत्रित करना चाहिये चूंकि वह नहीं चाहते हैं कि सदन शान्तिपूर्वक चले और हम इसकी निन्दा करते हैं ।

*श्री कल्याण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी ने जो गम्भीर प्रश्न इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है उससे मुझे गहरा दुख है इस बात पर कि जिस गहराई से उसका निष्कर्ष निकलना चाहिये था उसकी ओर ध्यान न देकर हम आपस में ही सतही आरोप-प्रत्यारोपों में फंस कर रह गये । मान्यवर, यह सच है कि जब तय हो चुका है कि 90 दिन सदन चलना चाहिये तो 90 दिन चले । अब बजट सत्र सबसे लम्बा होता है और हमने श्री तिवारी जी (श्री नारायण दत्त तिवारी) के साथ बैठकर बात किया तो मालूम हुआ कि केवल 17 दिन ही आवंटित हो रहे हैं अभी तक मुझे यही जानकारी है जब कि इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा कराने के लिये, ग्रान्ट्स पर बहस कराने के लिये 21 दिन से कम की अवधि कभी तय नहीं की गयी थी । तो यह जानकर दुख है कि 21 दिन से घटाकर 17 दिन कर दिया है ।

मान्यवर, जितने दिन अधिक सदन चलेगा, इससे विपक्ष के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को यहां सदन में उठायेंगे और कुछ नीतिगत बातें भी यहां उठाने का उनको तथा सभी दलों के नेताओं को मौका मिलेगा और सरकार को भी अपनी बात कहने का, चूंकि सदन ही एक ऐसा स्थल है जहां प्रदेश की जनता की समस्यओं को दूर करने का, और गलत बात को स्पष्ट करने का मौका मिलता है । जैसे कहीं काम में ढिलाई आ रही है, प्रशासन तंत्र कहीं सहयोग नहीं कर रहा है और विकास के काम में अवरोध हो रहा है, तो माननीय सदस्य उन बातों को यहां उठायेंगे और सरकार उन पर कार्यवाही करेगी इसलिए सदन जितने दिन अधिक चलेगा विपक्ष को लाभ होगा और सत्ता पक्ष को भी लाभ जायेगा और कुल मिलाकर प्रदेश की जनता को लाभ जायेगा । इस प्रकार यही एक ऐसा स्थल है जहां जन-जीवन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो सकती है ।

जहां तक प्रश्न है सदन चलने का तो वह चले, व्यवस्थित ढंग से चले, शांति-पूर्वक चले और इसमें सभी दलों माननीय सदस्यों और नेताओं की जिम्मेदारी है तथा विपक्ष के साथ ही साथ सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि ज्यादा शोर शराबा उसी समय होता है जब शासन से स्पष्ट उत्तर नहीं आता है या कभी-कभी प्रतिष्ठा का प्रश्न शासन बनाकर अड़ियल रवैया अख्तियार कर लिया जाता है । कि जिससे दूसर बाकी के लोगों में उत्तेजना की बात पदा होती है और सदन उससे अव्यवस्थित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होता है। मैं आशा करता हूं कि जितनी लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और पार्टियां हैं डिबेट के द्वारा यहां पर अपनी और प्रदेश की समस्याओं को हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इस संबंध में अपने दल की ओर से यहां पर आश्वासन दे रहा हूं कि सत्र व्यवस्थित ढंग से और शान्तिपूर्वक चले, इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन यहां पर आपस में आरोप-प्रत्यारोप की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शारदा प्रताप शुक्ल जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आपकी कोई बात नहीं लिखी जायगी.....(व्यवधान) आपके दल के दो नेता इस पर बोल चुके हैं।

लोक निर्माण विभाग संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

(मंत्री जी के खड़े होने पर पुनः जनता दल की ओर से) (व्यवधान) मान्यवर, देखिये यह लोग सदन को ज्यादा दिन चलाने की मिसाल दे रहे हैं। इसमें कोई बो राय नहीं है कि हम लोग यहां पर चुनकर आए हैं अपनी बात को रखने के लिये और समय कम मिलेगा तो जो जनता ने हमें आदेश दिया है, उसका हम उल्लंघन कर रहे होंगे। लेकिन यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, जैसा कल्याण सिंह जी ने कहा है, इसको मैं नहीं जानता हूं। इसके लिये हम सबकी जिम्मेदारी बराबर है। सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि सदन ज्यादा से ज्यादा दिनों तक व्यवस्थित तरीके से चले। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सदन 90 दिन चले। जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार खुली सरकार है। वह किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहेगी। हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा इस सदन में आलोचना करने का लोगों को अवसर मिले, जिससे सुधरें। सदन कम दिन चले ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। किन्तु इसके लिये इस तरह से किसी के द्वारा औचित्य के प्रश्न के द्वारा भाषण दे देने से यह सदन 90 दिन चलने वाला नहीं है, यह संभव नहीं है। इसके लिए सभी को अपने आचरण पर नियंत्रण करना पड़ेगा और इसके लिए पूरा प्रयास करना होगा। साथ ही इसके लिये आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि वेल में आप, किसी हालत में नहीं आयेंगे, और कोई बोल रहा हो, उसको चाहे जितनी कड़वी बात हो, वह भी आपको सुननी होगी। किसी को भी आलोचना और कटु आलोचना को आपको यहां पर धैर्य से सुनना चाहिये। दूसरे की बात को सुनने की सहनशक्ति यदि आप में नहीं है तो यह सदन 90 दिन चलना संभव नहीं है। आपको इस पर विचार करना है कि इस तरह के प्रश्नों पर इतना काफी समय देना क्या यह संसदीय परम्परा के अनुकूल है। जैसा कि आपने आज यहां देखा। दो दिन से और अभी आज इतने समय तक नेता विरोधी दल का बजट भाषण नहीं हो पा रहा है। दो दिन हो चुके हैं और आज भी होना है और उसमें भी समय निकाला जा रहा है। यह यहां का विषय ही नहीं है। यहां तो कार्य मंत्रणा समिति का विषय है और रघुवर दयाल वर्मा जी उस समिति के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य हैं । वह विनियोग विधेयक 5 तारीख को पारित कराने के लिये कार्य मंत्रणा समिति में अपनी सहमति दे चुके हैं । जब एक बार वह यह निर्णय ले चुके हैं तो यहां पर उसके विपरीत उन्हें इसे यहां नहीं उठाना चाहिये । जैसा आज आप यहां कह रहे हैं, आपका दायित्व था कि इसे आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ही उठाते, वहां इस पर कहते । जब आपने उसे वहां मान लिया है तो औचित्य का प्रश्न उठाने के लिये ही यहां पर इसे नहीं उठाना चाहिये । फिर भी हम इस बात के लिये तैयार हैं कि आप कार्य मंत्रणा समिति बुला लें, विनियोग विधेयक 5 अप्रैल को ही पास हो मले हो उस तक जितने भी शनिवार पड़ते हैं, वे ले लिए जाय । और अनुदान की मांगों पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय । श्रीमन्, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की कि लोग खड़े हो गए (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको वह पूरा कर दें, फिर यहां आप अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बाराबंकी कृपया बैठें । एक प्रश्न चल रहा है कृपया आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

नेता जनता दल ने अपनी चिन्ता व्यक्त की । इन्होंने कहा कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये । 90 दिन की बात है । तो कम तो आप करते हैं, मैं माननीय नेता जनता दल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह हमारे यहां वरिष्ठ मंत्री जी थे, तो हमने कहा था कि बजट एक साथ एक दिन में पारित न किया जाय, लेकिन आपने जोर देकर कहा था कि आज ही पारित करा लो, जब कि हम कह रहे थे कि ज्यादा समय दिया जाय । हमने कभी कार्यवाही कम चलाने की राय नहीं दी, लेकिन यह जब इधर थे और पिछले साल का बजट पास हुआ, तब हम इस राय पर नहीं थे लेकिन इनके आग्रह पर हमने ऐसा किया । इनकी सत्यता को मानने से इनकार नहीं होना चाहिये ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही देख लें । एक दिन में बजट पास कराने को मैंने नहीं कहा था । इनको पता नहीं कैसे मालूम हो गया कि एक दिन में मैंने बजट पास कराने को कहा था । आप मान्यवर, सदन की कार्यवाही देख लें । मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था ।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम 90 दिन ही नहीं, 90 दिन से ज्यादा सदन चलाना चाहते हैं । यह परम्परा रही है कि नेता सदन का भाषण हो, नेता विरोधी दल का भाषण होता है, तो उस दिन सारे कार्य-स्थगन प्रस्ताव जिन नियमों के अन्तर्गत आते हैं उनको नहीं उठाया जाता है, तो क्या आप तत्काल नेता विरोधी दल का भाषण सुनने को तैयार हैं ।

(अवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव--

अब आप खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जानना चाहूंगा कि जो संसदीय परिपाटी का मुख्य मंत्री हवाला दे रहे हैं, तो अगर किसी माननीय सदस्य को कोई जिज्ञासा होती है तो वह बीच में खड़े होकर पूछ सकता है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव--

जब नेता सदन बोलते हैं तो हर चीज पर चर्चा हो जाती है संसदीय परिपाटी यह है कि तत्काल नेता विरोधी दल का भाषण सब नियमों को स्थगित करके कराएं। हम तो सदन 90-95 दिन चलाने को तैयार हैं लेकिन आपके साथी क्या 90 मिनट भी चलाने देंगे ;

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न का इसलिए औचित्य नहीं बनता है क्योंकि कार्यमंत्रणा समिति में वर्मा जी स्वयं थे।

(व्यवधान)

और सब दल के माननीय सदस्य उस कार्य मंत्रणा समिति में रहते हैं। उस कार्यमंत्रणा समिति में 5 अप्रैल, 1991 तक का कार्यक्रम निश्चित हो गया है, जो इस सम्मानित सदन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, जब सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो वह सही है। उस पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 174 में है कि महामहिम राज्यपाल इस सम्मानित सदन को आहूत करते हैं वही सत्रावसान करते हैं।

(व्यवधान)

पूर्व में भी अध्यक्ष पीठ द्वारा निर्णय दिए गए हैं कि सदन 90 दिन तक चले इसके लिए सरकार का प्रयास होना चाहिये। संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि अगर सम्मानित सदन सहमत हो तो हर शनिवार को ले लिया जाय।

कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार कर लेगी, यह भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)--

मान्यवर यह बता दें कि इनका श्री रघुबर दयाल वर्मा का ओहदा क्या है।

असरकारी दिवसों में सरकारी कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी नियमावली के नियम 23(1) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक शुक्रवार को दो बजे अपरान्ह से पांच बजे अपरान्ह तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और उसको अग्रेता दी जायगी सरकारी कार्यों से। मान्यवर, यह परम्परा पहले से ही है, यह नियम रहा है कि प्रत्येक शुक्रवार को असरकारी कार्य दिवस होता रहा है और असरकारी सदस्यों के जितने भी

लोक महत्व के कार्य हैं उन पर विचार किया जाता रहा है । परन्तु कुछ समय से इन नियमों और परम्पराओं को छोड़ दिया गया है । असरकारी सदस्यों के जो लोक हित के विषय हैं, बिल हैं, लोक महत्व के प्रश्न हैं और उन पर जो विचार करने का समय मिलता रहा है उसको समाप्त कर दिया गया है । असरकारी दिवसों में सरकारी कार्य ही रहा है । असरकारी दिवसों को सत्र के आखीर में निर्धारित किया जाता है और आखिरी दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि सदन नहीं चल पाता है और असरकारी दिवस में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, लोक हित के विषय के मामले हैं उन पर विचार नहीं हो पाता है । मान्यवर, जो हमारी कार्य मंत्रणा समिति है, जो यहां की परम्परायें हैं, उसके विरुद्ध उस दिन हमारे कार्यों को निर्धारित नहीं किया जाता है इससे असरकारी सदस्यों के अधिकारों का घोर हनन हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि इस औचित्य के प्रश्न पर विचार करें और प्रत्येक शुक्रवार का दिन असरकारी दिवस के रूप में किया जाय और उस दिन असरकारी कार्य हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका यह विषय कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दिया जायगा । कृपया आप अपने साथियों से जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं, उनके समक्ष इस विचार को रखें और उनसे निवेदन करें कि वह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आपके विचार को प्रस्तुत करें । उसमें विचार कर लेंगे ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री--

मान्यवर, मेरी एक नियम 300 की सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने केवल कार्बन कापी प्रस्तुत की है । यह उचित नहीं है इसलिये इसको नहीं लिया जायगा ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के सम्बन्ध में मैंने सूचना दी है । यह कार्यवाही का हिस्सा है । यह नियम 300 में किस प्रकार नहीं आता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो सूचना दी है उसमें नियमावली या संविधान कि उल्लंघन की कोई बात नहीं है । इस लिये वह नियम 300 में नहीं आती ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, नियमावली से सम्बन्धित हो, कार्यवाही से सम्बन्धित हो या संविधान के उल्लंघन से सम्बन्धित सूचना नियम 300 में आती है । तीनों में से किसी एक शर्त का पूरा होना जरूरी है । मेरी सूचना कार्यवाही से सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह उस कसौटी पर नहीं आती है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

मान्यवर, मैंने नियम 300 से सम्बन्धित सूचना दी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सोनकर जी, आप अध्यक्ष पीठ को क्या कार्बन कापी देंगे ? आपने कार्बन कापी दी है इसलिय इसको निरस्त किया है ।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री--

मान्यवर, हमारी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने मुझको कार्बन कापी दी थी, इसलिये मैंने उस पर कोई नोटिस ही नहीं ली । आप कृपया समय न बर्बाद करें । आप कृपया बैठ जायं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा थानाध्यक्ष वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने नियम 311 में एक सूचना दी है, जो कि नियम 311 में नहीं आती है । आप इस तरह से नियम 311 का दुरूपयोग न करिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर, माननीय श्याम देव राय चौधरी ने जो सूचना दी है, वह विशेषाधिकार हनन की सूचना है । मान्यवर, इस सदन की यह परिपाटी रही है कि जब कभी किसी माननीय सदस्य ने अपनी आप बीती कोई सूचना दी है, तो उसको पूरा सम्मान दिया गया है ।

माननीय श्याम देव राय चौधरी के साथ पुलिस ने वहां के मंत्री जी के इशारे पर इनको लाठियों से मारा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम 311 के माध्यम से आया है, इसलिये इनकी सूचना अस्वीकृत है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, जो माननीय श्याम देव राय चौधरी ने सूचना दी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आज जो सूचना उन्होंने दी है, वह यह है कि होली के समय पर खाद्यान्न और चीनी का वितरण न होना ।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पता नहीं कौन सी नोटिस आपके सामने आ गयी है । माननीय श्याम देव राय चौधरी ने अपनी सूचना में स्पष्ट रूप से लिखा है कि विशेषाधिकार हनन की सूचना ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्याम देव राय चौधरी ने अपनी सूचना में लिखा है कि होली के अवसर पर खाद्यान्न और चीनी का वितरण न होना ।

माननीय श्याम देव राय चौधरी और कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उनको सुन लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, मुझको कब सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी कोई सूचना विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिये मैं आपको कोई समय नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, आप कह दीजिये, मैं सदन से चला जाऊं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, आप कहिये, तो मैं चला जाऊं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय प्रमोद तिवारी जी, जरा सम्भालिये माननीय सदस्य को ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य कल दें देंगे, कल इनको सुन लीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य सचेतक ने कह दिया, मैं कल सुन लूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, शहर दक्षिणी वाराणसी जहां से मैं जन प्रतिनिधि हूं वहां पर भयंकर जल कष्ट है । वहां की तीन समस्यायें हैं, पहली है जल की कमी, दूसरी दूषित पेयजल की आपूर्ति है और तीसरा जो जल कर की वसूली है उस पर नोटिसों में लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, कुर्कियां हो रही हैं । इन सारी चीजों के विरोध में मैं और नगर पालिका वाराणसी के कई सभासद और 5–600 की संख्या में नागरिक 23 फरवरी, 1991 को दिन में करीब एक बजे शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में वाराणसी जल संस्थान पर पहुंचे ही थे कि बिना किसी कारण के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिये, मेलपुर थाना के थाना ध्यक्ष दीनानाथ शर्मा जो विभिन्न कारणों से मुझसे नाराज थे, मान्यवर, मैं जन प्रतिनिधि हूं चाहे पुलिस उत्पीड़न का मामला हो, चाहे जन समस्याओं से सम्बन्धित कोई मामला हो या कोई समस्या हो न समस्याओं को लेकर मुझे बार-बार प्रशासन के सामने आना पड़ता है और सत्य को कहना पड़ता है इसी कारण शायद वह मुझसे नाराज थे ।

मैं शांतिपूर्ण जुलूस को ले कर वहां पंहुचा ही था कि बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी कारण के, बिना किसी अशांति उत्पन्न हुये उन्होंने मुझ पर डन्डा भांजना शुरू कर दिया और कहा कि बड़े नेता विधायक बनते हो आये दिन कोई न कोई समस्या लाकर बवाला खड़ा कर देते हो, यह कहते हुये मुझे लाठी से मारा । उसके बाद जब मैं विरोध करने लगा कि मैं विधायक हूं और बिना कोई कारण बताये ऐसे अल्फाज कह रहे हों और डन्डा चला रहे हो तो उन्होंने मेरी पीठ और पैर पर लाठियों से मारा और धक्का देकर गिरा दिया । मेरी पीठ पर चोट लगी है और घुटना फूटने से रक्त बहा, उसके बाद भी हम लोग उत्तेजित नहीं हुये और शांति पूर्ण तरीके से वहां सभा किये । जो वहां पर जल संस्थान के महाप्रबन्धक हैं वह जब मांग-पत्र लेने आये तो उनके शब्द थे कि जल समस्या हमारे यहाँ बहुत भयंकर है और इस समस्या को लेकर विधायक जी हमारे पास कई बार आये हैं लेकिन कभी भी कोई अभद्रता या अशांति नहीं हुई लेकिन इस बार पुलिस ने जो इनके साथ बेहूदगी और मारपीट की है वह शर्मनाक है और मैं इसके लिये दुखी हूं । मान्यवर, जन प्रतिनिधि के साथ डन्डे का व्यवहार किया जाना, लाठी से पीटा जाना, उसको अपशब्दों से सम्बोधित किया जाना यह कहाँ तक उचित है । मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र पर प्रहार है और जो जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है उसका हनन है ।

मैं यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो दिन पहले इसी माननीय सदन में वक्तव्य दिया था जब युवा जनता दल के लोगों पर लाठी चार्ज का प्रकरण चल रहा था मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हरेक का अधिकार है और मैंने भी किया था लेकिन यदि प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई ढेला चलायेगा और किसी का सर फटेगा तो उसके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा । मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, उसके बावजूद मुझे मारा गया और अपमानित किया गया । यह लोक तंत्र का अपमान है । मैं सदन से चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय और विशेषाधिकार का जो हनन हुआ है उसके लिये जो दोषी थानाध्यक्ष हैं दीनानाथ शर्मा उनको अविलम्ब मुअत्तल किया जाय और उनको कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाय । वाराणसी में जो जल कष्ट है और उससे जो असंतोष व्याप्त है उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाय कनेक्शन न काटा जाय तथा कुर्की न की जाय ।

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपकी इस सूचना की प्रतिलिपि भी मेरे पास नहीं है और शायद आपके पास भी नहीं है लेकिन जो कुछ मैंने सुना है माननीय चौधरी साहब को, तो हमारा उनसे अनुरोध जरूर है कि जब हम लोग प्रदर्शन करें और वहाँ पर इस तरह की बात हो जाय तो अधिकारियों को विशेषाधिकार की नोटिस में न घसीटा करें । मेरा अनुरोध है कि विशेषाधिकार का नियमावली में प्राविधान है लेकिन उसकी कुछ सीमायें हैं । इसमें अधिकारियों को लाकर खड़ा कर देना मैं समझता हूं कि जो विशेषाधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं करते । श्रीमन्! वैसे भी जो आपने मौखिक उल्लेख किया है हम इसको दिखलवा लेंगे कि उनके प्रति कहीं अनादर नहीं हुआ हो । हमारे पास इसकी अधिकृत सूचना नहीं है । जहां तक इनकी जल समस्या के बारे में प्रश्न है आप इस सम्बन्ध में अवगत होंगे कि इसी सदन में उन्होंने धरना दिया था । उसके बाद तय हो गया था कि बातचीत के जरिये से कोई रास्ता निकाल लिया जाना चाहिये । इनको प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और ऐसा नहीं होना चाहिये था कि प्रदर्शन किया जाय और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े । सूचना हमारे पास नहीं है । कोई सूचना होगी तो परीक्षण करा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय, यह मामला गम्भीर है । आये दिन विधायकों के साथ इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं । जो भी चौधरी साहब ने कहा, इसको देखते हुये इस सदन की अवमानना हुई है और जन-प्रतिनिधियों की अवमानना हुई है । मैं केवल इतना ही अनुरोध कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण को, चूंकि एक विधायक से सम्बन्धित है, कृपा करके इसको विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम विचार करने के लिये स्वीकार करते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

माननीय, मेरी नियम 300 की सूचना का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तीन नम्बर की सूचना शासन को उचित निर्देश दे दिये जायेंगे । बाकी की श्री पंचानन राय, श्री कुंवर सिंह नेगी और श्री रविकान्त गर्ग की सूचना नियम 300 में नहीं आती ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

आज दिनांक 6 मार्च, 1991 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं । (1) श्री अकबर हुसेन बाबर और श्री रमाकान्त यादव, श्री राम लखन वर्मा तथा श्री जयराज गौतम की अकबरपुर कताई मिल के अवैध तालाबन्दी के बाद श्रमिकों को कालोनी से निकाले जाने, सुरक्षा के नाम पर प्रदेश के असामाजिक तत्वों को एकत्र किये जाने तथा हिंसक घटनायें किये जाने के सम्बन्ध में, (2) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री कल्यान सिंह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर निर्धारित मात्रा में राशन न उपलब्ध होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में, (3) श्री ऊदल तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की दिनांक 28 फरवरी, 1991 को गांव असवारी, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में मारुति कार से कुचल कर तीन लड़कियों की मृत्यु तथा कई महिलाओं के घायल होने के सम्बन्ध में, (4) श्री रघुवर दयाल वर्मा की माह जनवरी, फरवरी, 1991 में जनपद आगरा और फिरोजाबाद में स्टाम्प की चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (5) श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश की नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (6) श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, नवाबगंज, गोण्डा में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मिल बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (7) श्री पंचानन राय की प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत तीन लाख से अधिक शिक्षकों को जनवरी एवं फरवरी माह के वेतन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (8) डा0 सरजीत सिंह डंग तथा श्री रामकुमार शुक्ला की शासनादेशों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रदेश के चिकित्सालयों के लिये औषधियां राज्य के सार्वजनिक उपक्रम यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 से न खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, (9) श्री मयंकर सिंह की बहराइच जनपद में सरयू नदी में विषाक्त पदार्थ मिलाये जाने से पशुओं एवं नागरिकों में बीमारी फैलने के सम्बन्ध में तथा (10) श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव की दिनांक 1 मार्च, 1991 को जनपद जौनपुर, थाना बदलापुर के ग्राम कस्तूरीपुर में 12–13 हरिजनों को मारे-पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । उपरोक्त 10 सूचनाओं में से अन्तिम 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा शेष 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा ।

(घोर व्यवधान)

मैं पहली सूचना पर श्री अकबर हुसैन बाबर को बुला रहा हूं ।

(श्री बदन सिंह व अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

(घोर व्यवधान)

माननीय बदन सिंह जी कृपया बैठ जायें । आपका ओला वृष्टि का प्रश्न है, वह भी जरूरी है, अन्त में मैं एक मिनट आपको दे दूंगा । अभी कृपया बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैंने भी सूचना दी थी उसको आपने लिया ही नहीं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें ।

पहली सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री रमाकान्त यादव व श्री राम लखन वर्मा व श्री जयराज गौतम से सम्बन्धित है, इनसें से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, हरिजनों से सम्बन्धित मामला है, उसको सुनें ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अकबर हुसेन बाबर जी को बुला लिया है, वह खड़े हैं, आप लोग बैठें । विद्यार्थी जी हरिजनों की समस्या पर आपको सुन लेंगे, एक सूचना है हमारे पास हरिजनों की समस्या पर । आप लोग बैठ जायं ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैंने श्री अकबर हुसैन बाबर को बुला लिया है, आप लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं, मेरी सूचना आप नहीं सुन रहे हैं ।

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, तीन हजार श्रमिक परिवारों से सम्बन्धित मामला है, मैं इसकी ग्राह्यता पर ही बोलूंगा । पिछले सत्र में इसी सदन में यह मामला उठा था जब माननीय आजम खां साहब श्रम मंत्री थे, उन्होंने वहीं पर घोषणा की थी कि यह तालाबन्दी अवैधानिक है । फिर भी 8 महीने के बाद भी वह तालाबन्दी नहीं समाप्त हुई है और तीन हजार श्रमिक परिवार मौत के कगार पर खड़े हैं । शासन ने कहा कि यह तालाबन्दी अवैधानिक है और आश्वासन

दिया गया कि उचित कार्यवाही की जायगी । उसके बावजूद भी आज 8 महीने के बाद भी उस फैक्टरी का बन्द रहना, श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलना ही इस सूचना की सबसे बड़ी ग्राह्यता है ।

मान्यवर, फैक्टरी बन्द है, कहा गया था कि फैक्टरी घाटे पर है, मेरे पास साक्ष्य है कि यह फैक्ट्री घाटे में नहीं है । कहा गया कि श्रमिकों ने स्लो डाउन किया, जब कि कोई स्लो डाउन नहीं था । यह बात उठी थी एक आई० ए० एस० अधिकारी को मारा गया उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवा लिये गये किसी कागज पर, जिस कागज पर उनके हस्ताक्षर की बात है, उस कागज पर ए० डी० एम० व एस० डी० एम० तथा और भी कई लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं । जो यह बात कही जा रही है कि मजदूरों ने आई० ए० एस० अधिकारी से गलत दस्तखत करवाये तो मान्यवर जो कागज पर और लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, उसमें केवल मजदूर ही नहीं गुनहगार हैं और यदि यह सच है फिर तो वहां के ए० डी० एम० को बरखास्त किया जाना चाहिये था ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

तथा वहां के ए० एस० पी० को बर्खास्त किया जाना चाहिये था, मेरा कहना यह है कि ये सारे आरोप झूठे हैं और यह मामला दूसरा है । हमारे यहां श्रम मंत्री जी बैठे होंगे जौनपुर में स्वयं उन्होंने ओझा जी के कक्ष में कहा कि वह जी० एम० बहुत बदमाश है, लाखों रुपये का उसने घोटाला किया है । हमारे माननीय श्रम मंत्री जी जानते हैं कि वह बहुत बेईमान आदमी है । वह यह भी जानते हैं कि फैक्टरी में जबरदस्ती तालाबन्दी की गयी है । इसी सदन में मान्यवर, कहा गया था कि एक भी व्यक्ति निकाला नहीं जायेगा, किसी के साथ मारपीट नहीं की जायेगी लेकिन आज हो क्या रहा है । मान्यवर, मैंने दो बार इस विषय को सदन में उठाया है और माननीय अध्यक्ष जी को भी लिखकर दिया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अजीब स्थिति हो गयी है । फैक्टरी को बेचने की साजिश हो रही है और शासन के सामने झूठे तथ्य रखे जा रहे हैं । मान्यवर, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर 70 हजार रुपये व्यय हो रहा है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि ऐसे मसले पर, जिस पर तीस हजार श्रमिकों के जीवन यापन का प्रश्न निहित है, तथा जिस पर इस सदन में घोषणा भी की गयी थी उसकी अवहेलना की गयी है । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये ।

*श्री जय राज गौतम--

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल हमारे क्षेत्र से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और इसमें 3500 श्रमिकों का मामला जुड़ा हुआ है । इसे कई बार माननीय सदन में उठाया गया और इसमें पिछले कई महीनों से ताला बन्दी चल रही है । 7 जून, 1990 को रूल-4 के अन्तर्गत लाक आउट किया गया, श्रम आयुक्त ने उसे अवैधानिक तथा गैर कानूनी कहा है । 21 जून को तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी ने भी यह कहा कि यह गैर कानूनी है । श्रीमन् आज 3500 श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है । आज उनके सामने खाने पीने की समस्या है, रहने की समस्या है । इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा , आज हमारे माननीय मंत्री श्रम मंत्री जी भी मौजूद हैं, जब तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह तालाबन्दी अवैध है तथा गैर कानूनी है, और हमारे माननीय श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि यह सही नहीं है फिर भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा लोक महत्व का प्रश्न है और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम लखन वर्मा—

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल को तालाबन्दी को श्रम मंत्री जी ने यहां पर अवैधानिक बताया है लेकिन आज तक वहां पर ताल बन्दी हटायी नहीं गयी है और न शासन ने इस पर कोई स्थान दिया है। मान्यवर, इसमें 3500 श्रमिकों का प्रश्न जुड़ा हुआ है तथा वे लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हुए हैं। जब माननीय श्रम मंत्री जी ने इस तालबन्दी को अवैध ठहराया है तो फिर कौन से ऐसे कारण हैं कि वहां पर तालाबन्दी हटायी नहीं गयी है। आज इस घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तालाबन्दी अगर अवैध है, जैसा कि श्रम मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, तो उसको तत्काल हटाया जाय और मिल को खुलवा कर मजदूरों को भुखमरी के कगार से बचाया जाय।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण मामला है, अकबरपुर मिल में 8 महीने से तालाबन्दी चल रही है, इस कारण पूरे प्रदेश के टैक्सटाइल मजदूरों में असंतोष व्याप्त है। सरकार जब मानती है कि तालाबन्दी अवैध है तो तालाबन्दी को क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है? बाद में यह कहा जायगा कि अक्षमता के कारण इस मिल को ज्वाइन्ट सैक्टर में दे दिया जाय। इसलिये मान्यवर, मेरा कहना यह है कि आप इस मामले को अत्यन्त गंभीर मानते हुए यहां चर्चा कराइये और तालाबन्दी को खत्म कराइये। यह 3500 मजदूरों का सवाल है, उनके जीवन यापन के लिये तत्काल कोई व्यवस्था कराइये।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल इस मिल का मामला नहीं है बल्कि प्रदेश के अन्दर जितनी ए ग्रुप तथा बी ग्रुप की मिलें हैं, उन सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जैसा कि अभी बाबर साहब ने कहा कि वहां का प्रबन्ध तंत्र जो है, वह अपनी मनमानी कर रहा है। अकबरपुर मिल में प्रबन्ध-तंत्र के लोग गुन्डों को इम्प्लाय करते हैं, जो नाजायज कट्टा और पिस्तौल रखते हैं तथा श्रमिकों को मारते हैं। डेलीवेजेज पर रखने के लिये भी उनसे घूस ली जाती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, सूत को बड़े पैमाने पर बाजार में बेचकर मिल में घाटा दिखाया जाता है। ए ग्रुप तथा बी ग्रुप, दोनों प्रकार की कताई मिलों के मामले को जोड़कर इस सदन में एक घंटे की चर्चा कराई जावें और मेरा श्रम मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस मामले को दिखवा लें और विजीलेंस से इसकी जांच करावें। इस अकबरपुर की मिल में एक अफसर है, जिन्होंने कानपुर में अपने कारखाने खोल रखे हैं और जिसके माध्यम से वह बड़े पैमाने पर सूत का ब्लैक मार्केट करते हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाय और जितनी भी कताई मिलें हैं, उन सभी के बारे में चाहे विजीलेंस से जांच करवा दें या अन्य किसी संस्था से करवा दें?

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अकबरपुर कताई मिल के संबंध में इस आदरणीय सदन में कई बार चर्चा हो, चुकी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वहां 8 महीने से तालाबन्दी चल रही है इससे मान्यवर, साफ जाहिर है कि यह मामला नियम 56 के अंतर्गत नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके संबंध में शासन भी चिन्तित है और इस संबंध में उप श्रमायुक्त ने तथा श्रमायुक्त ने कई बार अपने स्तर से वार्तायें की हैं। मैं इस आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है, सचेष्ट है और सक्रिय भी है कि इस इकाई को चलाया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के फुटकर मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं और मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है लेकिन प्रदेश सरकार इस महंगाई को नियंत्रित कर पाने में पूरी तरह विफल हुई है। इसके संबंध में सरकार की तरफ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम लिया जाता है। इनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली दो कारणों से पूरी तरह अर्थहीन हो गई है। पहली बात तो यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर सामान उपलब्ध नहीं है, अभी माननीय मंत्री जी से आंकड़े गिनाना शुरू कर देंगे। उनके आंकड़े सही हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से सामानों की उपलब्धता नहीं के बराबर है। उसका परिणाम यह है कि जिलाधिकारी जब वितरण करने बैठता है, तो अगर किसी परिवार को 20 किलो गेहूं मिलना चाहिये तो उसे दो किलो दे दिया जाता है और इस मामले में सबसे ज्यादा खराब स्थिति ग्रामीण अंचल की है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति एक किलो चीनी और ग्रामीण अन्चल में 250 ग्राम मिलती है। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल का जो गरीब नागरिक है, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सामान प्राप्त नहीं कर सकता है। अभी होली का त्योहार आया। होली के मौके पर सरकार ने यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त कोटा दिया जायेगा, परन्तु अतिरिक्त कोटा आवंटित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी एक किलो अतिरिक्त चीनी नहीं मिली। आज वितरण प्रणाली में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर कहीं सामान पहुंचता भी है तो वह ब्लैक हो जाता है।

मान्यवर, यह समस्या किसी एक जिले की नहीं है यह तो पूरे प्रदेश की समस्या है। आज गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति महंगाई के कारण चरमरा गई है। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि उन्हें सामग्री उपलब्ध कराई जाय। आज इसके कारण पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ असंतोष है। इस आदरणीय सदन में आज सरकार इस बात की घोषणा करे कि निर्धारित मात्रा में कार्ड-धारकों को सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी और साथ ही आवश्यक आवंटन भी किया जायेगा। दूसरा शहरों और देहात में जो भेद कर रखा है, उसे दूर किया जाना चाहिये। वितरण प्रणाली में जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए किसी ठोस योजना को विकसित किया जाना चाहिये। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवश्यक सामान की आपूर्ति हो सके इस पर शासन को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, यह एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों गरीब लोगों की जिन्दगी से सीधा जुड़ा हुआ है। मंहगाई को रोकने में यह सरकार पूरी तरह से विफल ही है। मान्यवर, इस संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। समस्या के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है कि आवश्यक मात्रा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को गेहूं, चीनी, चावल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मिट्टी का तेल आवंटित नहीं हो पा रहा है और कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में उक्त सामान नहीं मिल पा रहा है, इसलिये इन चीजों की उपलब्धता को सरकार सुनिश्चित करवाये। इससे भी भयंकर स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वह चीनी हो, चाहे वह मिट्टी का तेल हो पूरा का कोटा गायब हो रहा है और पूरी सामग्री ब्लैक हो जा रही है। गरीब आदमियों को न चीनी मिल रही है और न मिट्टी का तेल मिल रहा है। इसलिये श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सवाल यहां पर उठाया है, उस पर बल देते हुए मैं सरकार से निम्न चीजों की मांग करना चाहता हूं :

पहला, प्रत्येक कार्डधारक को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न चाहे, वह मिट्टी का तेल हो, चाहे वह चीनी हो, की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित कर ई जाय,

दूसरा, सार्वजनिक वितरण में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और कालाबाजारी व्याप्त है, उसे समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये जायं,

तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में जो भेद रखा गया है, उसे दूर किया जाय।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल की खपत को गांवों में ज्यादा होती है क्योंकि वहां बिजली नहीं है, इसलिये वहां पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाय।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने भी नियम 51 में इस पर सूचना दी है।

श्री उपसभापति—

मान्यवर, इनका तो आगे है, वह यही है। परन्तु नियम 56 में इनकी सूचना नहीं है

(श्री पंचानन राय के बोलने के लिये खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आपस में बात न करें।

श्री उदल—

अभी राय साहब प्रक्रिया नियमावली की बात कर रहे थे तो नियम 56 में नियम 51 कहां से आ गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप ही के सम्मानित साथी हैं, कोई जन समस्या उठा रहे हैं, मैंने समय दे दिया। मैंने माननीय राम चन्द्र बच्चन सिंह जी को भी समय दे दिया था, आपके दल का पूरा समय है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, इस सदन में निरन्तर यह परम्परा रही है कि जब नियम 56 लिया जाता है तो नियम 51 में अगर उसी से सम्बन्धित कोई सूचना है, तो उसमें उसे जोड़ दिया जाता है। मैंने नियम 51 में इसी विषय को दिया था कि प्रति कार्ड आधा किलोग्राम चीनी दी जाती थी होली के अवसर पर लेकिन यह आदेश इतने विलम्ब से हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में होली के अवसर पर जनता को चीनी नहीं मिल सकी, जब कि दुकानदारों को मिल गयी। दुकानदारों ने उसको ब्लैक में बेचा, और बाजारियों का फायदा हो गया, जनता की होली बिलकुल फीकी हो गयी।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय खाद्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

नियम 51 में मेरी भी सूचना थी, मुझे भी समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सम्मानित सदस्य हैं, आप बैठ जाइए । मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी को बुला लिया है । आपके दल के दो बड़े नेताओं नेंबात रख दी है ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी)—

कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई है, मैं इससे इंकार नहीं करता हूं लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार उसे नियंत्रित करने में विफल रही है । खाड़ी युद्ध की आड़ में जिस समय व्यापारियों के एक बहुत बड़े समूह ने ऐसी चीजों के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि करना शुरू किया जिसका खाड़ी युद्ध से कोई मतलब नहीं था, तो सरकार ने नियंत्रण के लिये दो प्रकार से कोशिशें की । एक तो जो गेहूं का आवंटन 50 हजार मीट्रिक टन प्रति माह था, केन्द्र सरकार के पूल से जो मिलता था ज0 डी0 एस0 की दुकानों के लिये, उसको बढ़ा कर एक लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध किया, जिसे केन्द्र स्वीकार किया और 50 हजार मीट्रिक टन की जगह 75 हजार मीट्रिक टन कर दिया । इस तरह से एक तो उधर कोशिशें की । दूसरे हमारे अनुरोध पर खाद्य निगम ने निगम में 80 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह आटा मिलों और प्राइवेट व्यापारियों को खुले बाजार में बेचने के लये 320 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से गेहूं छोड़ा । जितनी व्यग्रता माननीय गुप्त जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस ओर दिखायी कि सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, अगर उसका दसवां हिस्सा भी, व्यापारियों के एक बड़े वर्ग ने जिस तरह खुले बाजार में छोड़े गये गेहूं से मुनाफाखोरी की, उसके प्रति आवाज उठायी होती तो बात दूसरी होती । एफ0 सी0 आई0 से व्यापारियों ने जो गल्ला उठाया उसे अलग-अलग मुनाफाखोरी के लिये बेचना शुरू किया ।

(जब होर्डिंग शुरू हुयी तो मैंने छापे डलवाये तभी अखबारों में विश्व हिन्दू परिषद् एवं भारतीय जनता पार्टी वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार ताँडव नृत्य कर रही है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । वह यह कि मैंने अपने भाषण के दौरान ग्राह्यता पर बोलते हुये यही कहा था कि खाद्य वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार है । उसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप शुरू कर दिये । मैं चूंकि मान्यवर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं इसलिये माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किसी भी जमाखोर व्यापारी की किसी भी प्रकार की सिफारिश की हो, या किसी भी व्यापारी को कालाबाजारी पर किसी प्रकार का संरक्षण दिया हो । उसको यहां बताएं । इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी और इस सरकार को चुनौती देता हूं । अन्यथा वह आरोप व लांछन जो माननीय मंत्रीजी भी अभी लगाये हैं, ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए । मान्यवर इस प्रकार से माननीय मंत्री जी द्वारा जान बूझ कर बदनाम किया जा रहा है और यह सत्य है कि वितरण प्रणाली में काफी गड़बड़ियां हैं, जिसके सुधारने में यह सरकार बिल्कुल असफल रही है.....(शोर)...

श्री उपाध्यक्ष

ठीक है इसको (कार्यवाही) में दिखवा लेंगे . . . (शोर)

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बहुत ही निरीह और अनर्गल आरोप लगाये हैं। काला बाजारी, चोर बाजारी व जमाखोरी इत्यादि के किसी भी एक मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार का सहयोग दिया हो, या किसी काला बाजारी करने वाले व्यापारी की गिरफ्तारी में कोई सिफारिश की हो, संरक्षण दिया हो, बता दें अथवा अपने कहे शब्दों को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी आरोप-प्रत्यारोप करने लगे।.....(शोर).....

श्री कल्याण सिंह—

नहीं मान्यवर जो आरोप माननीय मंत्री जी ने लगाये हैं, उनकी जांच होनी चाहिये वरना यह इन शब्दों को वापस लें।.....(शोर).....हम मान्यवर दोनों चीजों के लिये तैयार हैं।

(एक साथ कई अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीक्षित जी आपकी पार्टी के दो माननीय वरिष्ठ सदस्य इसी बात पर बोल चुके हैं। विषय काफी स्पष्ट हो गया है, इसलिये अब आप विराजें। अब आपके बोलने की आवश्यकता नहीं रही।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बातें आप सदन में अभी कह रहे थे; वह सब की सब बे-बुनियाद और अनर्गल थीं, एक जिम्मेदारी की जगह से ऐसी बे-तलब बातें नहीं कहना चाहिये, जब कि आपके विभाग में हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है.....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया दीक्षित जी विराजिये, शुक्ला जी आप भी बैठिये, मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् मैं आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं करता। मैंने स्पष्ट शब्दों में पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अखबारों में छपा है दैनिक जागरण में, जो आपके मा० ज० पा०, फैजाबाद के महा मंत्री या मंत्री हैं श्री कंछल, जो उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल के साथ आपके दल के भी किसी पद पर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जब सरकार द्वारा जमाखोरी व काला बाजारी के विरुद्ध छापे डाले जा रहे थे तो अखबारों में उन्होंने स्पष्टतया कहा, जिसे मैंने खुद पढ़ा कि खाद्य मंत्री व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सवाल यह है कि जनवरी, 1991 से लेकर अब तक साढ़े तीन करोड़ रुपया का अवैध माल व्यापारियों के यहां से जब्त हुआ है। उनकी मदद में किसी पार्टी के कार्यकर्ता सामने नहीं आये हैं। उत्तर प्रदेश में अकेली भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है या उससे जुड़े लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा है कि मैं तैयार हूं जांच के लिये यह सरकार इस बात की जांच क्यों नहीं कराती ? जांच से कतराती क्यों है ? मेरा आरोप है इनके ऊपर कि यह कालाबाजारियों से मिले हुये हैं और कालाबाजारियों को पकड़वाना नहीं चाहते हैं । मैं चुनौती दे रहा हूं इनको कि इस बात की जांच क्यों नहीं हो जाती है । यदि जांच को स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित हो जायेगा कि माननीय मंत्री जी यहां पर कितने झूठ कह रहे हैं ।

श्री अवल—

श्रीमन्, 28 फरवरी, 1991 को गांव अ रवारी.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष जी, क्या यह प्रकरण समाप्त हो गया जो आपने दूसरे सदस्य को बुलवा लिया है । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ अनर्गल बातें सदन में कहीं जिससे सदन में उत्तेजना पैदा हो गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर निर्णय दूंगा, आप कृपया बैठ जायं ।।

(माननीय मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं श्रीमन्, कोई अनर्गल बात नहीं कह रहा था, लेकिन अगर सत्य इतना कड़आ है कि हमारे मित्र उसे अनर्गल कह रहे हैं तो यह हमारी मजबूरी है । आपने जिन मुद्दों को उठाया है उसके सम्बन्ध में सरकार को स्थिति स्पष्ट करना या उसके सम्बन्ध में जानकारी देना हमारा दायित्व है । वहां पर दो-तीन चीजें उठायी गयी । एक चीज नेता भा० ज० पा० ने उठाया कि जितना सामान मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है ।

आज हमारी अनुमानित आबादी प्रदेश की करीब 14 करोड़ की है और उत्तर प्रदेश में कुल 13.55 करोड़ यूनिट्स हैं । स्पष्ट है कि फर्जी यूनिट बहुत ज्यादा संख्या में बनी हैं और हमें आवंटन हो रहा है केन्द्र सरकार से 1981 की सेन्सेस के आधार पर, 29 जनपद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि जिनकी टोटल आबादी जितनी है उससे ज्यादा यूनिट्स हैं । उन सब में कुछ राजनीतिक लोगों की, कोटे के दुकानदारों की मिली-जुली साजिश से ब्लैक का धंधा होता था । उस पर अंकुश लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

एक चीज आपने कही कि शहरों में चीनी ज्यादा मिलती है, पहाड़ों में चीनी ज्यादा मिलती है पर देहातों में चीनी बहुत कम मिलती है । जैसे ही मैंने खाद्य मंत्री का चार्ज लिया, सही बात यह है कि यह देख कर मुझे भी आश्चर्य हुआ । अभी आपने कहा कि होली में चीनी जो उठायी गयी है, इसका ब्लैक होगा ऐसी गुंजाइश है । इसके लिये हमने कहा है कि जिन कार्ड धारकों को होली पर चीनी नहीं मिल पायी है, वह चीनी लैप्स नहीं होगी बल्कि मार्च में 500 ग्राम की दर से प्रति यूनिट पर चीनी दुकानदार को देनी पड़ेगी । उसको ब्लैक नहीं किया जा सकेगा ।

हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि भविष्य में होली, दीपावली, और ऐसे ही कई त्योहार पर चीनी दी जायेगी । सरकार की कोशिश है, हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि आगे जब आपने बताया कि कमी है देहात के लोगों के लिए यह सही है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा देहात

में मरने-जीने पर शादी में या समारोहों में चीनी की ज्यादा किल्लत होती है और विचार कर रहे हैं कि जहां पर ज्यादा चीनी मिल रही है, उसमें कुछ कटौती करके शादी ब्याह और इस तरह के त्योहारों पर लोगों को चीनी उपलब्ध करा सकें । अभी यह विचाराधीन है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से प्रयत्नशील है और शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

इसी तरह से खाद्यान्न तेलों का है । आपने कहा कि गेहूं नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संक्षेप में उत्तर दे दें ।

श्री श्यौनन्द नाथ तिवारी—

हमने भारत सरकार को लिखा है कि गेहूं के कोटे में कटौती न की जाये और अब यह तय हो गया है कि कटौती नहीं की जायेगी । गेहूं का जो आवंटन हुआ है, उसमें कटौती नहीं की जायेगी । जिन दुकानों ने गेहूं नहीं उठाया है वह उठायेगी हमने एडिबिल आयल 2. हजार मीट्रिक टन आयातित तेल भारत सरकार से मांगा है और जब से उसका आवंटन हुआ डालडा और दूसरी इस प्रकार की चीजों के दामों में घटौती आयी है । ऐसा नहीं है कि हम प्रयत्नशील नहीं हैं । हमारे सामने समस्यायें थीं, हमने आपके ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया है । जमाखोरी, मिलावट, मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाया है और इसमें तमाम राजनैतिक दलों ने हमारा सहयोग दिया, लेकिन कुछ साथियों ने जो गोण्डा के हैं, बनारस के हैं, मिर्जापुर के हैं और आगरा के हैं, उनके द्वारा इस तरह की बात आई कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है । मैं फिर बी० जे० पी० के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जाने-अनजाने में कोई ऐसा काम न करें जिससे देश राष्ट्रीय संकट में पड़ जाये ।

श्री अवधेश—

माननीय नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाया है । यह घटना 26 फरवरी, 1991 की है । हमारे क्षेत्र में असकरी गांव है, जो थाना फूलपुर के अन्तर्गत आता है । होली का दिन था । रात के 10 बजे के करीब मारुति कार नं० डब्लू० एम० डब्लू० 7879 बायीं पटरी से दायी पटरी पर चली गयी और एक लड़की को धक्का मार दिया, जिससे उसकी जांघ टूट गयी और कार गड्ढे में गिर गयी । 2–3 और लड़कियों और औरतों को भी चोटें आयीं । कार का ड्राइवर और मालिक भागना चाहता था और उसने 5–6 चक्कर आगे पीछे लगाये । तीन लड़कियां तो तत्काल वहीं पर मर गयीं और किसी का जंघा टूटा और किसी का हाथ टूटा और किसी का पैर टूटा । लेकिन इस घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, जो लड़कियां मर गयीं, उन्हीं की रिपोर्ट लिखी गयी । मैं वहां पर 3 तारीख को गया था, लेकिन उस दिन तक वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं गया और न कोई पुलिस का ही अधिकारी गया । जो कार मालिक है वह ब्लाक रामनगर, जिला जौनपुर का ब्लाक प्रमुख है और करोड़पति आदमी है और हिमताज तेल का मालिक है और इसी कारण प्रशासन कोई इस घटना पर ध्यान नहीं दे रहा है । तीन लड़कियों की तत्काल मृत्यु हो गयी । और 12, 14 महिलाओं के हाथ पैर टूट गये । गाड़ी ने दाहिने साइड में जाकर मारा है इसलिये इसकी ग्राह्यता को स्वीकार कर सरकार को निर्देश दे और मृतकों को सहायता दें तथा पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करें । 28 तारीख की घटना है और इस माह को 4 तारीख तक वहां नहीं गये अगर हो सके तो इस घटना की अपराध अनुसंधान संगठन से जांच करा लें और करोड़पति पार्टी के खिलाफ मुकदमा दायर करें । इसकी ग्राह्यता को स्वीकार करें ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, जिस घटना का विवरण माननीय ऊदल जी ने दिया है वह बड़ी दुखद है तीन लड़कियों की अकारण मृत्यु हो गयी और करीब 14, 15 लड़कियों के हाथ पैर टूट गये। तो इस संबंध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं एक तो हमारी पुलिस इस प्रकार की दुर्घटनाओं में भले ही सौ आदमी मर जायं संवेदनशील नहीं होती है केवल 304 में मुकदमा दायर कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

महिलायें किस कारण साथ जा रही थीं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

गांव के पास का मामला है होली के दिन थे। तो मैं कह रहा था कि आई0 पी0 सी0 में कुछ ऐसा संशोधन हो जाय चाहे ऐक्सीडेन्ट हो या इस तरह से कोई जान-बूझ कर किसी की कोई मार दें तो उसको सजा मिलनी चाहिये (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका इस तरह का कोई नोटिस नहीं है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

इस तरह की घटनाओं में जब कोई आदमी मर जाता है तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है और न किसी तरह की सहायता दी जाती है। यह बहुत कष्टकर बात है शासन को ऐसी दुर्घटनाओं के लिये कुछ न कुछ सहायता अवश्य देनी चाहिये।

तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं ट्रैफिक पुलिस के बारे में उसका भी ठीक प्रबन्ध नहीं रहता है। मैं बाराबंकी का उदाहरण देना चाहता हूं जो लखनऊ से मिला हुआ है करीब 20 हजार गाड़ियां 24 घंटे में वहां से गुजरती हैं वहां एक इंस्पेक्टर और दो सिपाही ट्रैफिक के हैं। इतने मंत्री वहां जाते हैं। सादी वर्दी में पुलिस को खड़ा करना पड़ता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस के केवल 3 व्यक्ति वहां मौजूद हैं। ट्रैफिक के लिये ट्रैफिक पुलिस ही प्रभावी होती है। तो यह दुर्घटना अत्यन्त लोक महत्व की है इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

मान्यवर, मैं इसी (दुर्घटना) के बारे में जो बनारस की है के संबंध में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका इसमें नाम नहीं है (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी आपको इस संबंध में कुछ कहना है (व्यवधान) आपने कोई नोटिस नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

आप अपनी तरफ से दो तीन बातें सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार कई दिनों से आम बजट पर चर्चा नहीं हो रही है इस प्रकार सदन का समय नष्ट होता चला जा रहा है। माननीय शास्त्री जी आप नियमों के अन्तर्गत नोटिस दें आपको अवश्य मौका दिया जायेगा आपकी बात सुनेंगे अन्यथा कैसे आपको सुनें।

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

श्रीमन् यह घटना जैसा माननीय ऊदल जी ने और राम चन्द्र बक्श जी ने बताया सुनकर दुख हुआ लेकिन पूरी सूचना जिलाधिकारी से प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संबंधित गाड़ी पकड़ ली गयी है। इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है की जायेगी और उसके निर्देश आज ही दें देंगे और डी0 आई0 जी0; बनारस से कह देंगे कि वह जांच करे और माननीय ऊदल जी भी स्वयं चाहे तो बता दें इस दुःखद घटना के संबंध में जो भी संभव सहायता हो सकती है हम करेंगे।

श्री ऊदल—

मैंने दे दी है।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं एक लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। अभी माह जनवरी-फरवरी में श्रीमन् आगरा और फिरोजाबाद में दो जगह ए0 डी0 एम0 वित्त ने रजिस्ट्रार कार्यालय में छापा मारा और वहां पर जो तथ्य प्रकाश में आये उससे इस सरकार को लज्जा आनी चाहिये लेकिन लज्जा नाम की चीज इनके पास नहीं है। मान्यवर, मैं निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि बयनामा रजिस्ट्री कार्यालय में लिखे जाते हैं संपत्ति आदि के जिन पर निश्चित मात्रा में स्टैम्प लगते हैं तो हुआ यह है कि जो बयनामा लिखे गये जिन पर स्टैम्प 150 रुपये का था वह 750 रुपये कर दिया गया और इस तरह से बयनामा में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गयी है और प्रदेश में जहां-जहां छापे मारे गये, जो सब-रजिस्ट्रार आफिस है, ट्रेजरी आफिस से जहां से स्टैम्प की बिक्री होती है वहां से बेचने वाला वेन्डर स्टैम्प लेकर सब-रजिस्ट्रार आफिस, दीवानी और तहसीलों में बैठकर बेचते हैं; तो जब वैलूएशन मिलाई गयी तो मालूम हुआ कि स्टैम्प की बिक्री ही नहीं हुई और बयनामा ज्यादा का हुआ। इस तरह से करोड़ों रुपये का घपला छापे में पकड़ा गया। तथ्यों से जानकारी में आया है कि वर्षों से स्टैम्प वेन्डर फर्जी स्टैम्प बनाकर बच रहे थे और वह फर्जी स्टैम्प बनाने में माहिर हो गये हैं। मुद्रणालय जहां से स्टैम्प छपकर आते हैं वहां से लेकर नीचे स्तर सब-रजिस्ट्रार आफिस तक सारे अधिकारी और वेन्डर्स सब मिलकर करोड़ों रुपये के स्टैम्प की चोरी कर रहे हैं और सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं। फिरोजाबाद आगरा आदि अनेक नगरों में जहां-जहां स्टैम्प वेन्डर्स के खिलाफ जाली स्टैम्प बनाने और बिक्री में गड़बड़ी एवं काट-पीट कर फिर उन्हें बेचने के संबंध में रिपोर्ट थानों में लिखायी गयी है उनके संबंध में स्टैम्प वेन्डर्स के खिलाफ शासन की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, यह भी जानकारी में आया है कि पंजीकृत मामलों में जिनके खिलाफ आई0 पी0 सी0 की कार्यवाही विचाराधीन है वह भागकर लखनऊ और दिल्ली में डेरा जमाये हैं और संबंधित जिलों के ए0 डी0 एम0 (वित्त) के ट्रान्सफर कराने में लगे हैं और सरकार वेंडर्स के दबाव में आकर उन अधिकारियों के खिलाफ ट्रान्सफर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कार्यवाही कर रही है इसलिये मैं चाहता हूं कि ट्रान्सफर की कार्यवाही रोकें और इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायें एवं जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही करें चूंकि रजिस्ट्रार आफिस में तमाम दस्तावेजों को वहां से हटाया और फाड़ा जा रहा है जिससे भ्रष्टाचार पर परदा पड़ सके। मान्यवर, यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें स्टैम्प वेन्डर्स तथा कुछ राजनीतिक नेता लोग भी शामिल हैं, इसलिये सभी कार्य रोक कर इस पर आप चर्चा की अनुमति दें।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, जो वर्मा जी ने यहां स्टैम्प के संबंध में प्रश्न उठाया है जिसमें राजकीय धन की क्षति का प्रश्न है तो हम जांच करा लेंगे लेकिन कोई भी आरोप राजनीतिक नेता या राजनीतिक व्यक्ति पर लगाकर इसको हल्का न करें। इसलिये मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसमें हम गंभीरता से जांच करायेंगे और जिससे आप कहेंगे उससे जांच करवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत नगरपालिका और महापालिका के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने के संबंध में मेरी सूचना है। पिछले वर्ष जब सरकार सत्ता में आई थी, तो उसने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था और उसके परिणाम स्वरूप पुंगी समाप्त हुई किन्तु नगरपालिका कर्मचारियों को वेतन मिलना बन्द हो गया। हरिजन उत्पीड़न समाप्त करने की बात कही गई।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण न दें, अपने विषय तक सीमित रहें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

आज प्रदेश के 60 परसेन्ट से अधिक वाल्मीकि समाज के लोग यानी सफाई कर्मचारी, जो नगरपालिकाओं पर आश्रित हैं, उनको 3–3 और 6–6 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश की 75 प्रतिशत नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनके सफाई कर्मचारियों को वेतन 6–6 महीने से बकाया है किन्तु सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप वहां पर आए दिन अनशन, धरना, प्रदर्शन और हड़ताल आदि होती रहती हैं और सफाई का कार्य वहां अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या पर यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जहां–जहां पर 6–6 महीने से अधिक समय से सफाई कर्मचारियों का वेतन बकाया है, उसके बारे में सरकार कोई सुनिश्चित नीति तय करे और उनके खिलाफ कार्यवाही करे। और सरकार अपनी ओर से उनके कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश की 70 प्रतिशत नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के कर्मचारी वेतन न मिलने से प्रभावित हैं। इसलिये वह काम नहीं करते हैं, जिससे नगरों में भारी गन्दगी व्याप्त है। इसलिये उससे बीमारी फैलने की आशंका है। सरकार को इस पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए मांग करता हूं कि इस विषय पर चर्चा कराई जाए और सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

हमने भी मान्यवर, इस पर आपको नोटिस दिया है, और आपने हमसे बोलने का समय भी देने के लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा बोलें।

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

यह जो मसला है नगरपालिका कर्मचारियों का केवल नहीं है। मान्यवर यह हमारे प्रदेश में जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं काम कर रही हैं चाहे वह नगरपालिकायें या महापालिकाएं हों, जिला परिषदें या टाउन एरियाज हों यह इन सभी की समस्या है। हर जगह इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि उनका वर्णन यहां पर अवश्य होना चाहिये। आज इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है यह सरकार और प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये। समय पर उनको वेतन नहीं मिलता है। यदि वेतन मिलता भी है तो उसमें से अनुचित कटौती होती रहती है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यहां पर जो वेतन वितरित करने वाले कर्मचारी हैं उनका रवैया इनके साथ अमानवीय है। यह उन्हें वेतन कुछ देते हैं और हस्ताक्षर कुछ पर करा लेते हैं। यह कम वेतन देकर उनसे ज्यादा वेतन पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर सफाई कर्मचारी अनपढ़ होते हैं। उनको यह पता नहीं रहता है कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए।

वाराणसी नगर महापालिका में ऐसी घटनाएं कई बार सुनी गई हैं। इतना ही नहीं गाजीपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में और लखनऊ में इस तरह की बातें ही होती रहती हैं। लखनऊ का कान्ड तो आज ही अखबारों में निकला है कि यहां 14 कर्मचारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। उनका यह दोष था कि यह 14 कर्मचारी अपना बकाया वेतन मांग रहे थे और यहां के अध्यक्ष ने उनको वेतन नहीं दिया था। और यह भी बात है कि नानपारा नगरपालिका का जो अनुदान सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दिया गया था, वह धनराशि दूसरे मद पर खर्च कर दिया ..... (व्यवधान) इसमें मैं तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहले तो इन कर्मचारियों को वेतन देने के लिये एक नीति सरकार के द्वारा बनाई जाए और समय-समय पर उसका पुनरीक्षण हो कि उसके अनुसार वेतन दिया जा रहा है या नहीं। दूसरे नानपारा के जो अध्यक्ष हैं उनको तत्काल मुअत्तल किया जाय और उससे यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्हें जो पैसा दिया गया, उसको उन्होंने दूसरे मद पर क्यों खर्च कर दिया?

मान्यवर, 1 महीने से जौनपुर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बनारस तथा गाजीपुर में भी हड़ताल रही है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन देने तथा इन कर्मचारियों पर विशेष रूप से ध्यान देकर इनको उत्पीड़न से बचायें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री अकबर हुसैन लाबर, श्री रमा कांत यादव की जो अकबरपुर कताई मिल में अवैध तालाबंदी से सम्बन्धित सूचना पर मैं निर्देशित करता हूं कि सरकार इसमें वक्तव्य दे। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री कल्याण सिंह की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों पर निर्धारित मात्रा में राशन न उपलब्ध होने सम्बन्धी सूचना पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार की जाती है। माननीय अबल, माननीय

राम पाल सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे । श्री रघुवर दयाल शर्मा द्वारा दी गयी सूचना जो स्टाम्प चोरी से सम्बन्धित है उसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दी गयी सूचना जो प्रदेश की नगर महापालिकाओं तथा नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में है, इस पर मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री बचन सिंह--

माननीय, मुझे सुन लें । बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बचन सिंह, आप अपनी बात एक मिनट में कहिए ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनकर अस्वीकार कर दें लेकिन आप पहले सुन तो लें ।

माननीय, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई नवाबगंज, गोंडा बंद हो जाने के कारण वहां पर किसान बैलगाड़ियां लिये खड़े हैं । उन्होंने होली नहीं मनाई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी अनुमति नहीं है । आप बैठिये ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय, यहां पर गन्ना मंत्री बैठे हैं । यह सरकार गन्ना कृषकों की बड़ी दुहाई देती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात में कार्यवाही का अंग नहीं बनने दूंगा । आप बैठिये । हमने आपकी समस्या पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

माननीय, मैं हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

माननीय, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी । मैं सदन नहीं चलने दूंगा । चाहे आप हमें निलम्बित कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री शिव करन सिंह--

'मान्यवर, हमारे यहां लाठी चार्ज हुआ है' । तमाम लोग घायल हो गये हैं । मेरी बात सुन लीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, बाराबंकी, आपकी कोई नोटिस हमें उपलब्ध नहीं है । आप बैठिये ।

श्री शिव करन सिंह--

अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं बहिष्कार करता हूं । मैं जा रहा हूं ।

(माननीय शिवकरन सिंह सदन से चले गये) ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । कृपया बैठ जायें ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मैं नहीं बैठूंगा चाहे आप मुझे निकलवा दीजिये । मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय बदन सिंह को बुलाया है ।

श्री अर्जुन सिंह यादव--

मान्यवर, उसके बाद सुन लीजियेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय यादव जी जो आप कह रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, शासन का ध्यान आकृष्ट करा लिया है । आप-व्यवक की सामान्य चर्चा पर अब में बुलवाऊंगा । शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । मैं आपको बुलवा देता लेकिन आपके साथी आपको बोलने नहीं दे रहे हैं । आप अब कृपया बैठ जायें । आप अपने दल में स्वयं अनुशासन नहीं बना पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट बोल लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं नहीं सुनूंगा । शासन का ओलावृष्टि की तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया है । मैं शासन से कहता हूं कि इसमें आवश्यक कार्यवाही करें ?

(व्यवधान)

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आगरा में जो ओलावृष्टि हुई है उसमें मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि आवश्यक कार्यवाही करें । अब आप कृपया बैठ जांय । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । कृपा पूर्वक आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

कुंवर देवेन्द्र रमण सिंह--मान्यवर एक-एक मिनट बदन सिंह जी और अर्जुन सिंह जी को दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय मणि जी का आदर करता हूं और इनकी बात मानते हुये इनको समय देता हूं ।

*श्री बदन सिंह--

मान्यवर, 25, 26 फरवरी, 1991 को भयंकर ओलावृष्टि हुई किरावली, फतेहगढ़, बाह, खेरागढ़, और आगरा तहसील में लाही और जौ की पूरी फसल नष्ट हो गई है । जिसकी वजह से वहाँ के किसान हाहाकार कर रहे हैं । सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि तहसील किरावली में वहाँ के लेखपालों और तहसीलदारों ने जो इस फसल के नुकसान का आंकलन किया है । यह आंकलन घर बैठकर किया है । तहसीलदारों और लेखपालों द्वारा दो से 28 प्रतिशत तक हानि दिखाई गई है जबकि शत-प्रतिशत हानि हुई है । असत्य सूचना देने की वजह से किसान का दिल टूट गया है । इस सूचना को जिला प्रशासन को दे दिया गया है । मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि लेखपाल और तहसीलदारों ने जो असत्य सूचना दी है उनका तुरन्त निलम्बन किया जाय । और उच्चाधिकारियों को खेत-खेत देखने के लिये भेजा जाए कि कितना नुकसान हुआ है । क्योंकि ओला वृष्टि किसी खेत में नुकसान हुआ है किसी में नहीं हुआ है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उच्चाधिकारियों को इस नुकसान को देखने भेजें ताकि सही आँकलन हो सके । और किसानों को राहत मिले ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

ओला-वृष्टि की हानि से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन तहसील किरावली के किसानों का टूटा हुआ दिल तब और अधिक टूट गया, जब वहाँ के लेखपालों और तहसीलदारों ने ओला-वृष्टि की हानि केवल दो प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक ही आँकी है और यह असत्य सूचना जिला प्रशासन आगरा को भेज दी, जबकि वहाँ पर रबी की फसल की शत-प्रतिशत हानि हुई है । अतः मैं आपके माध्यम से शासन से माँग करता हूं कि ओला-वृष्टि से हुई हानि के लिये लाही की प्रति बीघा 6 हजार रु 0 और जौ गेंहूं की फसल के लिये 4 हजार रु 0 प्रति बीघा की आर्थिक सहायता की जाय और उन सभी लेखपालों और तहसीलदारों को जिन्होंने असत्य सूचना जिला प्रशासन को दी है, उनको निलम्बित किया जाय ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री अर्जुन सिंह यादव--

माननीय, दिनांक 1 मार्च, 1991 को लगभग 3-4 बजे दिन में जनपद जौनपुर, थाना बदलापुर के ग्राम कस्तूरीपुर के 12-13 हरिजनों को ग्राम ऊबपुर सेल्हवा के ब्राह्मणों द्वारा मारा पीटा गया, उनका 6 मड़हा जला दिया गया, जिसमें एक बकरी जल कर मर गयी। घायलों में एक हरिजन की हालत बहुत ही गम्भीर है। मुल्जिमानों में शिव प्यारे तिवारी, राम शिरोमणि तिवारी, राजू तिवारी आदि ने धमकी दी है कि जेल से छूटने के बाद चाहे दो-चार लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च करना पड़े, परन्तु कस्तूरीपुर ग्राम के हरिजनों को मार डालूंगा। घर, जानवर सबको जला कर मार डालूंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर आज की सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराई जाय।

(नेता विरोधी दल के पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय नेता बिरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वे कृपया दो मिनट के लिये बैठ जायं।

मान्यवर, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि तीन दिन से यह प्रकरण चल रहा था कि युवा जनता दल के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ था।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मणि जी, आपने क्या यह निर्णय कर लिया है, कि सदन न चलने दिया जाय। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि सदन 90 दिन तक चले और दूसरी तरफ आप सदन चलने नहीं देना चाहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी थी, उसमें दो दिन बर्बाद हो गये, उस समय सदन नहीं चलने दिया। आप कृपया बैठ जायं। आप रोज इस प्रकरण को उठायेंगे? आप इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं। कृपया उस प्रकरण को बारम्बार न छेड़ें।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के बोलने से पहले माननीय नेता सदन यहां पर इस बात की घोषणा कर दें कि जांच कराई जायगी और कार्यवाही की जायगी, बात खत्म हो जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो मांग कर रहे हैं, आप चर्चा के समय अपने भाषण के माध्यम से कह लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, नेता सदन बैठे हुये हैं, नेता विरोधी दल कुछ बोलें उसके पहले ही नेता सदन घोषणा कर दें और हम सब लोग शांति से नेता विरोधी दल के भाषण को सुने, इतनी सी बात है।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, दो दिन तो सदन नहीं चलने दिया गया और जब यह सब बातें हैं कि मैजिस्ट्रेट को मारा गया, घायल हुआ और गम्भीर घायल हुआ और दूसरे इस तरह से दबाकर कहलाना चाहते हो तो नहीं हो सकता है, यह सवाल नही है । इस पर बार-बार आप यह कहते हैं कि 90 दिन का सदन चलाये । पुलिस पीटी गयी, मैजिस्ट्रेट पीटा गया इसके अतिरिक्त भी अगर ज्यादा बल प्रयोग हो गया है तो मैं दिलवा लूंगा ।

एक सदस्य—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

आपस में बात न करें शांति से बैठें । नेता विरोधी दल इस सम्मानित सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं, वह खड़े हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आपका दल आयेगा तो आपको समय देंगे, मेहरोत्रा जी, आपको भी समय अवश्य देंगे ।

वित्तीय वर्ष–1991–92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमान् खिलाफ आर्थिक हवाओं के रहते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने साहस का प्रदर्शन करके एक टिमटिमाती हुई शमा जलाई है मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । यह उन्होंने जो शेर पढ़ा वह बिल्कुल समय और हालात के मुताबिक था उन्होंने यह पढ़ा कि—

"मेरे साहस को सराहो, मेरे हमराही बनो,
मैंने इक शम्मा जला दी है, हवाओं के खिलाफ ।"

जब बजट पेश हो चुका है हवाओं के खिलाफ तो उसका मतलब एक ही है आर्थिक हवायें । आर्थिक स्थिति की हवायें प्रदेश में हो, देश में हों, या संसार में हों, तो इस विपरीत हवा के रहते हुये भी क्योंकि जब हवा चलती है तो लौ स्थिर नहीं रह सकती है, यह मजबूरी है क्योंकि जब हवा खिलाफ चलती है तो लौ स्थिर नहीं रह सकती, मैं यह नहीं कहता कि लौ बुझ जायेगी क्योंकि लौ बुझना किसी के हित में नहीं होगा, कोई भी हवा हो कोई हवा खिलाफ हो शमा के चाहे इधर को बहे या उधर को बहे, क्योंकि हवा है हवा में स्थिर लौ नहीं रह सकती है और हवाओं मे शमा को भी जलना पड़ता है कभी-कभी । इसलिये मैं भी टिमटिमाती हुई बधाई देता हूं । इसका मतलब नहीं है कि बधाई नहीं देना चाहता हूं, लेकिन दे रहा हूं, क्योंकि आर्थिक हवाओं की मजबूरी है (हंसी) ।

आज के हालात में कर्ज और आमदनी का हिसाब पेश करना आसान है लेकिन यथार्थता का मुकाबला करना, यथार्थ बजट पेश करना बड़ा कठिन है ।

नोटः—(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसी भी मुख्य मंत्री के लिये, केवल सम्भावित इस समय के मुख्य मंत्री ही नहीं, सभी के लिये। इसका प्रमाण बोट आन एकाउण्ट है जो केन्द्र में प्रस्तुत किया गया था, वित्त मंत्री, केन्द्र की ओर से। जितने भी प्रान्तों में जिस भी दल के मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किये गये, वे इसके प्रमाण हैं। सभी दलों की सरकारें बजट पेश कर चुकी हैं। सभी टिम्बर्मिते हुये बजट हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी है। ऐसी स्थिति में रहते हुये क्या बजट पेश होना चाहिये, हमारे साधन क्या हैं, खर्च क्या है, योजनायें क्या हैं, इनका मूल्यांकन होना बड़ा जरूरी है। खास तौर से इस सदन में। मैं बड़ा चिंतित होता हूं कि इतनी गम्भीर समस्यायें हमारे प्रदेश में हैं, इन पर गम्भीर चिंतन करने का अवसर हमें कब मिलेगा। इतने दिनों बाद आज चर्चा शुरू हुई है, कल समाप्त होने वाला है। यहां इतने विद्वान सदस्य हैं, ये कब चर्चा कर सकेंगे। नीतियों पर चर्चा हो सकेगी या नहीं।

इस समय इतनी गम्भीर स्थिति है कि सदन में प्रत्येक आर्थिक विषय पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिये। श्रीमन् मैं यह भी आग्रह करूंगा कि बजट भाषण में जितनी भी राजनीतिक बातें हैं, कम कहीं जांय तो अच्छा होगा। यह वित्त मंत्री के रूप में दिया गया बजट है। मुख्य मंत्री कोई हो, कभी इशारतन कहना आवश्यक हो तो दूसरी बात है, लेकिन आम तौर पर इसमें योजनाओं और आर्थिक विषयों की सदन को और प्रदेश की जनता को, जो प्रदेश की आर्थिक समस्यायें हैं, उनकी जानकारी कराई जाय, उनका कच्चा चिट्ठा सामने आये, यह बजट का उद्देश्य होता है। इसका पालन मुख्य मंत्री जी ने बहुत कुछ किया है, कहीं कहीं हम भी गलतियां कर जाते थे, मैं नहीं कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने गलती की, लेकिन चर्चा लीक से हट गयी। बजट की जो परम्परा है, इसमें राजनीतिक बातें कम से कम कही जानी चाहिये। इनके सिद्धांतों से मैं सहमत हूं। जिन सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने की है, वह सही है। वे ऐसी हैं जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता। उनकी भाषा नीति, मैं समझता हूं कि जिनकी ओर वे इशारा कर रहे हैं, वे भी इसका विरोध नहीं कर सकते। उन सिद्धांतों से हम सहमत हैं। मैं भाषा नीति से सहमत हूं। भाषा नीति के बारे में प्रदेश में बहुत भ्रम है। भाषा नीति में कोई विशेष विवाद नहीं है। मैंने पिछले वर्ष के प्रारम्भ में एक बात कही थी, वह भाषा नीति के विरोध में नहीं थी। जो बड़ी 14 भाषायें हैं, कौन नहीं चाहेगा कि सिखाई जाय, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा था कि अंग्रेजी का बहिष्कार ऐसे वातावरण में नहीं होना चाहिये। उससे बहुत नुकसान होगा। यह बात दिन-प्रतिदिन मैं आज भी कहता हूं कि अंग्रेजी अनिवार्य रूप से न पढ़ाई जाय, सही है। लेकिन ऐसा न लगे कि हम अंग्रेजी के इतने विरुद्ध हैं, जितना उल्लेख मुख्य मंत्री जी ने किया है। इस समय 40 नये किस्म की टेक्नालाजी संसार के सामने आयी है।

गरीब देशों के लिये तो और भी चुनौती है। जो नयी टेक्नालाजी आयी है कम्प्यूटर, सुपर कम्प्यूटर, माइक्रो इलेक्ट्रानिक और डिफेंस में सबसे ज्यादा, मिजाइल, क्लस्टर बूम आदि, ऐसे बम जो हवा में से, सांस में से आक्सीजन निकाल लेते हैं, सैनिक सांस ही नहीं ले सकते, बमों में नक्शे भर ऐसे चलते हैं, जैसे पदयात्री चल रहा हो, ये नयी टेक्नालाजी आ गयी हैं। पचास साल बाद आयी है। कुछ तो सीखना पड़ेगा। अगर देश ऐसा बन जाय और उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन जाय जिसमें नयी टेक्नालाजी सीखने के लिये, जल्द से जल्द कोई गम्भीर गुंजाइश न रहे, तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिये।

जहां से भी मिले, हम उस विचार को ग्रहण करना चाहिये, अंग्रेजी भाषा में नयी टेक्नालाजी की किताब मिल जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी सीखना चाहिये, उसमें परहेज नहीं करना चाहिये, उसमें अनुवाद होगा, तो कब देख पायेंगे, टैक्नीकल शब्दावली इस हद तक अभी नहीं पहुंची है। मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी अंग्रेजी के पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहे हैं।

भाषा नीति में भ्रम कोई नहीं है, इस समय मजबूरी है संसार की स्थिति को देखते हुये, जैसा कि खाड़ी युद्ध में हमने देखा है, नयी टेक्नालाजी का सीखना जरूरी है। आत्म निर्भरता के लिये उसको

ओर संकेत करना दायित्व है । बाकी नीतियों का जो प्रतिपादन किया है, उस नीतियों से, दो नीतियां जो कही गई हैं, उससे हम सहमत हैं । उन नीतियों से आज हम उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं । इसी प्रकार जहां तक बजट का प्रश्न है, यह आठवीं योजना का बजट है और दूसरे वर्ष का बजट है । आठवीं योजना बन नहीं पायी है अस्थिरता के कारण केन्द्र में और अनेक अन्य कारणों से आठवीं योजना बन नहीं पायी है और इसीलिये प्रदेश की आठवीं योजना नहीं बन पायी । लेकिन उसी उद्देश्य जो लिखे गये हैं वह उद्देश्य वही हैं जिनको हमने भी आठवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया था । हमने भी उन उद्देश्यों को आठवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया था । इसलिये इसमें कोई मतभेद नहीं है । जो उद्देश्य आपने कहे हैं उसमें सिर्फ लिखने का हेरफेर है । मैं नहीं जानता कि आठवीं योजना का नया प्रारूप सामने आया या नहीं आया है । उसमें कोई विशेष हेरफेर नहीं है । मैं श्रीमन् दो बातों पर विचार कराना चाहूंगा, माननीय नेताओं से और सम्मानित सदस्यों से, हमें दो-तीन विषयों पर विचार करना पड़ेगा सदन में ।

एक आठवीं योजना के प्रारूप पर कि आठवीं योजना का प्रारूप क्या होना चाहिये, सीमित समय में बजट के अवसर पर उस पर बातचीत नहीं की जा सकती है । कम से कम एक-दो दिन का समय होना चाहिये, उसमें आठवीं योजना के प्रारूप पर विचार होना चाहिये । दूसरे, बिजली बोर्ड के बारे में है, सबसे अधिक बोझ हमारे ऊपर पड़ रहा है । दूसरा महत्वपूर्ण विषय इसलिये बिजली बोर्ड के बारे में है । बिजली बोर्ड के विभाजन की बात चल रही है, बिजली बोर्ड में क्या कमियां हैं, इन सब चीजों के सम्बन्ध में अगर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों का सहयोग नहीं ले पाये तो इसमें बिजली बोर्ड की स्थिति और बदतर हो जायेगी । किसानों का सहयोग लेंगे, श्रमिकों का सहयोग लेंगे, उद्योगों का सहयोग लेंगे तब बिजली बोर्ड का पुनः सृजन हो सकता है । तीसरी बात, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स, उसके बारे में विशेष विवाद होना चाहिये, क्योंकि बहुत से बुनियादी सवाल इस बजट में उठाये गये हैं, पिछले वर्ष में दुर्भाग्य से उपस्थित नहीं था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके उसमें हमारा उल्लेख किया, मेरी पत्नी का इसमें उल्लेख है, उसके प्रति मैं उनको और सदन को धन्यवाद नहीं दे सका, आज मेरा इसका उल्लेख करना कर्तव्य बनता है । पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में कहा था, इस बात पर जरूर माननीय सदस्यों ने विचार रखे होंगे, हमारे सदस्यों ने रखे भी । पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स जो हैं उनको क्या समस्यायें हैं, क्यों घाटा हो रहा है मुनाफा क्यों नहीं है, क्या घाटा हो रहा है, इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिये इस समय बजट के अन्दर मिलता है वह बहुत ही सीमित है ।

पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स सौ के लगभग हैं । कौन से कार्पोरेशन हैं और इसमें सरकार की क्या नीति है, कौन से कार्पोरेशन समझते हैं कि बन्द होने चाहिये या नहीं होने चाहिये । निजीकरण समिति की बाबत पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी । मेरे पास पिछले वर्ष का बजट भाषण है, जिसमें यह कहा गया था कि हम जो नये उद्देश्यों और नये कार्यक्रमों को चला रहे हैं उसमें पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स के घाटे को कम करने के लिये हम एक नया नीति घोषित करेंगे और उसको निर्धारित करने के लिये एक उन्होंने निजीकरण समिति का उल्लेख किया था उन निजीकरण समिति ने क्या राय दी है इसकी रिपोर्ट क्या है यह बहुत ही महत्व का विषय है क्योंकि इस सम्बन्ध में इस बजट में भी उन्होंने उल्लेख किया है । आटो ट्रैक्टर, प्रतापगढ़, सीमेन्ट कार्पोरेशन के बारे में कुछ निर्णय लिये गये हैं । मैं केवल यह कहूंगा कि आज हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को ज्वाइन्ट सेक्टर में लाने का प्रयास करें । हम कितने ही दुखी क्यों न हों लेकिन आज अगर कोई सही दाम उठाता है तो उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि संसार भर में ऐसा हो रहा है । तो हम सिद्धान्त के विरोधी नहीं हैं लेकिन हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि हम सहयोग कर रहे हैं ।

मैं इतना जानता हूं कि एच0 एम0 टी0 ने प्रतापगढ़ फैक्टरी के बारे में कोई सहमति दी थी । एच0 एम0 टी0 ने प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर लेन में हामी भर दी थी । अगर ऐसा

था तो ज्वाइन्ट सेक्टर हो सकता था तो इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिये क्योंकि जिस पार्टी को दिया गया है वह बहुत ताकतवर पार्टी नहीं है। इसलिये एच0 एम0 टी0 में अगर इसको लिया होता तो अधिक प्रभावी हो सकता था। मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास सूचना नहीं है। इसी प्रकार सीमेन्ट कार्पोरेशन के बारे में ज्वाइन्ट चुका सीमेन्ट कार्पोरेशन का सवाल है यह ज्यादा सही एग्रीमेन्ट है क्योंकि इसमें मजदूरों का मजदूरी और उनकी सेवायें सुरक्षित रखी गयी हैं। लेकिन सरकार की ओर से पूरा विवरण होना चाहिये क्योंकि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स समझती है घाटा हुआ है यह कच्चा चिट्ठा इसमें आना चाहिये और कम से कम एक बात तो निश्चित होनी चाहिये कि जिन सौ लोगों से इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है, निर्विवादित हो और दूसरी इस बारे में उनका निजी अनुभव हो। मैंने इसी सम्बन्ध में, अभी मैं गया था तो कुछ प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि वहां क्या हो रहा है, मैंने देखा कि आज बिहार में 15 चीनी मिलों में जो घाटा हो रहा था उनमें वे आर0 पी0 जी0 ग्रुप को बेचा खरीदा जा रहा है क्योंकि वह ज्वाइन्ट सेक्टर में लिया जा रहा है इसी तरह से बिजली घर भी बिहार में निजी पार्टी बना रही है, इसी तरह से आन्ध्र प्रदेश में महेन्द्रा आलविन निजाम को प्राइवेटाइस किया जा रहा है, अम्बानी ग्रुप पेट्रो केमिकल डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, कर्नाटक में मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर मलयाम को सौंप दिया गया है, केरल में केरला मिनरल्स एण्ड मेटेल्स टाटा को मदद से चल रहे हैं तो यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि यही पार्टी अच्छी हैं और उनके पास ज्ञान व अनुभव है।

तो हमारा यह काम है कि रोजगार मिले, टैक्स न लगाना पड़े तो यह सिद्धान्त अपनाना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रतापगढ़ वाले मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस बजट में जो प्राविधान किया गया है व जो योजना बनायी गयी है वह उसके अनुरूप नहीं है। योजना जो हमारे प्रदेश की, इस बजट में ली गई है, वह 3,910 करोड़ रुपये की है, जिसका उल्लेख इस बजट में किया गया है, लेकिन इस बजट में जो प्राविधान है, वह कुल 3,220 करोड़ रुपये के लगभग है, इसमें 211 करोड़ रुपया जो बजट के बाहर संस्थागत वित्त से मिलने वाला है, उसको घाटा दिया जाय, तो लगभग 3,114 करोड़ रुपये मात्र का प्राविधान है। इस प्रकार 796 करोड़ रुपये की व्यवस्था होना बाकी है। इसके कारण क्या हैं, अभी केन्द्र का बजट नहीं आया, अभी कर समिति की रिपोर्ट नहीं आई और जिस नई समिति का आपने ऐलान किया है, जिस प्रकार की समिति पिछले वर्ष भी बनाई गई थी, उसकी भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 796 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं है, इसका उल्लेख भी होना चाहिये था, अन्यथा लोगों को भ्रम गलतफहमी हो जाती है कि सारे रुपये व्यवस्था है और जब आप पूरक बजट के द्वारा या कन्टेनजेन्सी के द्वारा पैसा लेते हैं, तो गलत फहमी होती है।

आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे अर्थवेत्ता जो विश्लेषण करते हैं, बजट से बिल्कुल भिन्न स्थिति बाद को दिखाई देती है, इसमें किसी मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री का दोष नहीं है। आज दुनिया की आर्थिक हालत ही ऐसी है, हमारे देश की ऐसी है कि बजट से बिल्कुल भिन्न रूप हमारे सामने आता है, इसको हमें रोकना है। यह वित्त विभाग का दायित्व है कि वह योजना के अनुसार खर्च को सुनिश्चित करे और गैर योजना खर्च को कम से कम होने दे दूसरी ओर वह इस बात का भी प्रयास करे कि बजट का रूप तो गणेश का बनाया जाय और मूर्ति कोई दूसरी बनाई जाय, यह काज वित्त विभाग का दायित्व है। मुझे आशा है कि वित्त विभाग बजट के अन्दर इस तरह की योजना को बनाने में सक्षम होगा और हमारे सारे सदस्यों का सहयोग वित्त विभाग को, योजना विभाग को इसके लिये अवश्य मिलेगा।

आज पहली जरूरत यह है कि इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि बुनियादी योजना के प्राविधानों की किस प्रकार पूर्ति की जायेगी? दूसरे तरफ हम यह देखते हैं कि संसाधन जो हमारे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान जाना बड़ा जरूरी है।

जब हम संसाधनों का परीक्षण करते हैं, तो हमें फाइनेन्स कमीशन को धन्यवाद देना होगा । फाइनेन्स कमीशन से हमें जो सहायता मिली, केन्द्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान मिला, वह एक हजार 50 करोड़ से बढ़कर 2,220 करोड़ हो गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया । फाइनेन्स कमीशन को हमें इस बात के लिये धन्यवाद और बधाई देनी चाहिये कि उसने उत्तर प्रदेश के साथ न्याय किया । हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कई बार फाइनेन्स कमीशन से चर्चा करने का । लेकिन फाइनेन्स कमीशन को हम उस वक्त बधाई देना शायद भूल गये, जब उनके सदस्यों ने, उनके चेयरमैन साल्वे साहब ने उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी मदद की । पिछले वर्ष के बजट में भी इसका उल्लेख नहीं था ।

अब फाइनेन्स कमीशन से और भी अधिक मदद लेनी होगी । मेरे पास फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य आर्थिक विषयों पर अधिकार रखना चाहते हैं, वह जरूर इसका अध्ययन करेंगे । इस समय इतना समय नहीं है कि इसका पूरा उल्लेख यहां किया जा सके, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि फाइनेन्स कमीशन की जो कुछ संस्तुतियां हैं, उनको लागू कराने का इस बजट में उल्लेख होना चाहिये था । इन संस्तुतियों को लागू कराने के लिये भारत सरकार से प्रभावी कार्यवाही करने और उससे कितनी सहायता उत्तर प्रदेश को मिलेगी, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । जैसा अभी माननीय सदस्य, आगरा श्री बदन सिंह जी ने उल्लेख किया, ओला पीड़ितों का । कई बार यहां ऐसे प्रस्ताव आते हैं, कोई दुर्घटना हो गई, बाढ़ से कोई दुर्घटना हो गई, जो प्राकृतिक आपदायें होती हैं अब इसके लिये एक कैलेमिटी रिलीफ फण्ड बनाया गया है, जिसमें 96 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को देना है और 64 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को देना है । इसमें से कितनी राशि खर्च हुई पिछले साल आपदा के कार्यों में, उसका उल्लेख यहां पर नहीं है । उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यह राज्य के बजट से बाहर होगा और इसकी राशि बैंक में जमा होगी । परन्तु बजट में इसका उल्लेख नहीं है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस आपदा निधि के खाते को राज्य के बजट से बाहर खोलने पर शासन विचार कर रहा है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसे हमारे समय में ही हो जाना चाहिये था । ऐसी निधियों का लेखा-जोखा सदन के सामने आना चाहिये ताकि यह मालूम हो सके कि किस जिले में आपदा से कितना नुकसान हुआ और वहां पर कितनी सहायता राशि इस निधि से दी गई । पूंजी लेखों का जो यह परिपत्र छपवाकर हमें यहां पर दिया गया है, उसी प्रकार ऐसी निधियों के बारे में अलग से परचियां छपवाकर ही इस आदरणीय सदन को उपलब्ध करा दी जाय ताकि माननीय सदस्यों को यह मालूम हो सके कि यह पैसा कहां खर्च हो रहा है । अब कम से कम 25 निधियां हैं । मान्यवर, अब होता क्या है, मेरा भी यह अनुभव है कि सदन में अब इन चीजों पर कम दिलचस्पी रहने के कारण विभाग भी यह सोचने लगते हैं कि ज्यादा खबर देकर क्या फायदा, जब सवाल पूछेंगे तो जवाब दे दिया जायेगा । हमें ऐसे वातावरण को भी समाप्त करना होगा ।

मैं दो-तीन निधियों का जिक्र यहां पर करना चाहता हूं । पिछले साल पूर्वांचल के लिये 25 करोड़ की निधि बनाई गई और बुन्देलखण्ड के लिये पांच करोड़ की निधि बनाई गई, अब यह बढ़ाकर तीस करोड़ व साढे सात करोड़ कर दी गई है । अब यह पता नहीं है कि इन निधियों का पैसा किन-किन योजनाओं पर खर्च किया गया । इसके बारे में कोई विवरण हमें नहीं मिला । निधि का नाम तो छपा हुआ है, परन्तु उसका विवरण नहीं छपा है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह पैसा खर्च हो गया है । पच्चीस करोड़ व तीस करोड़ को मिला दिया जाय तो यह 55 करोड़ हो जाता है । इस निधि का कुछ तो विवरण होना चाहिये. ऐसे ही बुन्देलखण्ड का 7.50 करोड़ और 5 करोड़ मिलाकर 12.50 करोड़ रु0 हो गया । निधि तो बन जायगी लेकिन निधि बनी रहती है राज्य के बजट में, न खर्च होता है न आमदनी

होती है । हमने वाहवाही भी ले ली और काम कुछ हुआ नहीं । बुन्देलखण्ड को ले लीजिये । यह ठीक है कि वहां के विकास के लिये हम सबको चिन्ता है । वहां की सबसे बड़ी योजना है राजघाट योजना, सिंचाई की योजना है, उसको पूरा करना था । इससे 4 जिलों में पानी पंहुचेगा । जैसा मैंने पिछली बार अनुपूरक अनुदानों पर बोलते हुये कहा कि राजघाट सिंचाई योजना के बारे में या केन नहर प्रणाली या मोदहा या पयसुनी बांध के बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बात करनी चाहिये । बामसागर बांध है, जिससे मिर्जापुर जिले को पानी मिलना है । इस पर 60 करोड़ के लगभग रुपया खर्च हो चुका है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का लेकिन यह बात तय नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश को पानी कितना मिलेगा । इन बुनियादी बातों की ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये ।

राजघाट बांध के बारे में आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार 4 करोड़ रुपया नहीं दे रही है । वह कहती है कि दतिया नहर में 4 कि0मी0 जमीन को लेने का नोटीफिकेशन नहीं निकल रहा है । वह कहते हैं कि तब तक रुपया नहीं देंगे जब तक उत्तर प्रदेश सरकार 4 कि0मी0 के बारे में अपना नोटीफिकेशन नहीं निकालती है । सारा स्टाफ बैठा है, इन्जीनियर बैठे हैं, काम रुका पड़ा है । मध्य प्रदेश अपना हिस्सा नहीं देता है, उत्तर प्रदेश इसलिये नहीं देता है कि मध्य प्रदेश नहीं दे रहा है । साल में एक बार इसके लिये मुख्य मंत्रियों की बैठक होती रही है, केन्द्र सरकार जो बैठक बुलाती है, वह अलग है। यह आवश्यक है कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिये जितनी योजनायें हैं, पयसुनी, राम सागर, बरियारपुर बेयर इत्यादि, जब तक मध्य प्रदेश राजी नहीं होगा, योजनायें बन नहीं सकती हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा । अगर मध्य प्रदेश राजी होता है तो 12 करोड़ रुपये का हिस्सा राजघाट को दे दीजिये, दो साल में बांध बन सकता है, बुन्देलखण्ड में 1993 में पानी पंहुच सकता है । उनको प्रेरित करके उनका हिस्सा बढ़वा दें । अगर उनकी ओर कुछ वाजिब होता है तो उसको कर्ज के रूप में मान लें या केन्द्र की ओर से दिलवा दें ।

इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कितनी ही बार विचार किया गया है । सबसे बड़ी बात जो आवश्यक है वह है वहां के जो खेतिहर मजदूर और दस्तकार हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाना । 52 प्रतिशत बजट ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में खर्च करने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन उस 52 प्रतिशत का "ब्रेक अप" क्या है, इसका हिसाब आना चाहिये । हमारे जमाने में 60 प्रतिशत गाँवों के विकास पर खर्च हो रहा था । और मैं यह भी कहूंगा कि कृपा करके अब पुरानी सरकारों की बहुत ज्यादा उलाहना होगी जिसे वह अब बन्द ही कर दें, वैसे मैं इसे मानता हूं कि आलोचना बुरी चीज नहीं है और जो आरोप पिछले वर्षों में लगाये हैं आपने कि पिछली सरकारों से हमें जर-जर ढांचा ही मिला है, लेकिन विगत वर्षों में जो हमें अपनी आय के स्रोतों पर व रोजगार इत्यादि पर ध्यान जितना देना चाहिये था नहीं दिया जा सका । वैसे पिछले डेढ़ व दो वर्षों में आपने स्वयं महसूस किया होगा कि आलोचना करना तो आसान है, लेकिन किसी भी काम को कार्य-रूप में परिणत करना कितना कठिन है ।

इसी बात को लेकर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी क्या रणनीति होनी चाहिये । और सथरिया और गोरखपुर क्षेत्र को आप नोयडा की भांति इण्डस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते थे, यह आपकी स्कीम है, और इस सम्बन्ध में आपने जो भी कहा चूंकि योजना वही है इसलिये मैंने अपने वर्ष 1988-90 के भाषणों को पढ़ा है, तो वही बातें आपने भी दोहराई हैं यह कह कर मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि योजना जब वही है; तो आदमी को कुछ न कुछ कह कर बात तो शुरू करनी है, अब अलग बात हो कि कुछ बातें बदल दी जायें लेकिन योजना चूंकि एक है, इसलिये रूप वही होगा, जो हमने किया था, वही आपको कहना और करना पड़ा और जिन-जिन बातों से हासिल करने

की हमने चेष्टा की थी, वही आपने किया । मैं कहना यह चाह रहा था कि योजना में बातें वही होती है, लेकिन बातों का जामा दूसरा पहना दिया जाता है । असली बात क्या है, जो हो नहीं रहा है, जिसका प्राविधान होना चाहिये था और अब तक नहीं हुआ । जैसा कि मैंने अभी कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही लीजिये कि 25 करोड़ और 30 करोड़ को मिला कर कुल 55 करोड़ रुपयों की निधि हो जायेगी ।

जैसा कि आपने अलग-अलग जिलों की अलग-अलग सूचना दी है कि इलाहाबाद जिले में 90 फीसदी छोटे किसानों की अलाभकर है, अर्थात् छोटी है या यूं कह लीजिये कि बिल्कुल मार्जिनल है । आजमगढ़ में 94.024 फीसदी है । बहराइच में 90.05 फीसदी हैं अलाभकर जोतें, बलिया में 90.78 प्रतिशत, बस्ती में 88.08 प्रतिशत अलाभकर जोतें, वाराणसी में 90.08 फीसदी, सुल्तानपुर में 94.09 प्रतिशत, प्रतापगढ़ में 94.04, गोण्डा में 92.02, गोरखपुर में 93.54 तथा जौनपुर में 96.19 फीसदी है । इससे आप स्वयं देखें कि यह कुल मिलाकर पूर्वी यू0 पी0 में कुल 1018.69 हेक्टेयर अलाभकर जोतें हैं । कुल मिलाकर जो मार्जिनल प्रतिशत है वह 92.06 है । अब अगर हमें अपने गांवों के विकास के लिये उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें पैदावार उत्पादक योजना बनानी होगी कि जिसका देश के स्तर पर लाभ हो । धान की उत्पादक योजना, गन्डक योजना, गेहूं की उत्पादक योजना, डेन्च योजना, हर जिला लेवल के प्लान बन रहे हैं, क्या उसके लिये समय है हमारे पास इस योजना पर विचार करने के लिये । हर विधायक को हर जिला परिषदों की ब्लाक योजना, जिला योजना जो उत्पादकता बढ़ाने की है, देखना चाहिये । यह केवल सब सीडी से होने वाला नहीं है केन्द्र को, उत्पादन को देखते हुये खाद की सबसीडी कम करनी पड़ी, लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

आखिर जो रुपया खर्च हो रहा है उसकी दिशा क्या होनी चाहिये । क्या केवल अनुदान बांटने के लिये ही होना चाहिये या उससे उत्पादन बढ़े, यह भी देखना चाहिये । हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान जो हैं हर जिले में, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सेन्ट्रल उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, प्रति एकड़ पैदावार के मामले में जो कि अच्छी नहीं है, फिसल रही है, हर जिले में प्रोफेशनल प्लान योजना बननी चाहिये जिसका ढांचा मजबूत हो । आर्थिक रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस गांव में क्या आवश्यकता है । कई योजनायें तो बैंकों ने लागू की है, क्रेडिट प्लान की । यह बैंक की जिम्मेदारी है कि उस गांव के लिये क्रेडिट प्लान बनाये हर गांव को ण योजना जिससे कि वह सम्बद्ध है, बनी हुई है । हर खेत में उत्पादन बढ़ सके, गरीबी कम करने का और कोई रास्ता नहीं है । जन संख्या की वृद्धि को भी रोकना होगा । सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की गरीबी तब तक नहीं जायेगी जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या कम न हो ।

आज हम आलोचना कर रहे हैं पुरानी सरकार की कि प्रति व्यक्ति आय घट रही है । जहां आलोचना करते हैं वहीं दूसरी ओर यह देखना है कि जिस समय उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा की गयी थी उसमें स्पष्ट माना गया है कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक आय में वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति की दर से । लेकिन वह इसमें पूरा नहीं पड़ता क्योंकि देश में जन संख्या की वृद्धि अधिक हुई है । तो जनसंख्या में वृद्धि से आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की दर कम होकर रही है ।

तो मैं यह चाहता था मुख्यमंत्री जी से कि जो बजट में उद्देश्य है सामान्य ग्राम्य विकास का और जो उन्होंने घोषित किया है तो हमें योजना की रणनीति को स्पष्ट करना होगा जिससे कि उत्तर प्रदेश का समग्र रूप से विकास हो सके ।

भूमि सेना के सिद्धान्त का मैं स्वागत करता हूं, यह अच्छा विचार है किन्तु जो भूमि सेना बना रहे हैं जो आकटे हैं भूमि के उन्हीं की बन रही है । भूमि सेना का विचार यह नहीं था, उसमें यह था कि जो बेकार आदमी, तालाब या कुआं खोदती जाय, वह भूमि सेना होगी ।

मैं जानता हूं कि वह व्यावहारिक नहीं है, इसलिये पुरानी परिभाषा से अलग होना पड़ा । मेरे पास जो ओ0 ओ0 है, उनका अध्ययन किया है, वह भूमि सैनिक नहीं है, वह भूमि आवंटी है । सही मायने में वह भूमि आवंटन की सेना है, लेकिन विचार अच्छा है, लेकिन जब उसको लागू करने में कठिनाई हुई, इसलिये आवंटन की सेना हो गयी । मैं एक और बात कहूंगा, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रयास किया, अन्त में विकास दल को, जिसकी अभी परेड हुई थी । इसका नाम ही रखा गया, ग्रामीण विकास दल (ग्रा0 वि0 दो0) जो गांव के विकास के लिये समर्पित है । महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को मजबूत कर रहे हैं, वह ठीक है । यह गांव में नयी क्रान्ति के केन्द्र बिन्दु बनें । प्रादेशिक विकास दल जो एक स्थायी कर्मचारियों की पूरी टीम है, उनको गाइड करें और युवक कल्याण विभाग उनको गाइड करे, जिससे ग्रामों में नव चेतना जागृत हो, तो यह सोचना था और इसको सरकार करना होगा । मुझे विश्वास है कि यह भूमि सेना भूमि आवंटन सेना नहीं होगी, बल्कि वास्तविक भूमि सेना के रूप में कार्य करे ।

(इसी समय घण्टा बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुये ।)

श्री भगवान कौल शुक्ल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । केन्द्र में राजीव गांधी ने सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप अपने स्थान पर बैठिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् गरीब वर्ग के लिये बीमा की बात कही गयी थी । इसी प्रकार की बहुत सी योजनायें हैं, वह कहां हैं, इसका अन्दाज नहीं है । सर्वहित बीमा निदेशालय का गठन किया गया था, जिससे रिक्शा वालों, झोपड़ियों में रहने वालों और खेतिहर मजदूरों का बीमा हो सके ।

श्रीमन् उद्यमिता निधि की स्थापना 10 करोड़ रुपये से की गयी थी । इसमें ढाई करोड़ रुपया राज्य सरकार को लगाना था और बाकी केन्द्रीय संस्थाओं को लगाना था, लेकिन आज तक वह भी नहीं बनी है । उस का कोई प्राविधान नहीं है । कुटीर ज्योति जो गरीबों के लिये बनायी गयी थी, जिसके माध्यम से 2 लाख 10 हजार कनेक्शन दिये जाने थे, वह योजना भी बन्द है । निर्बल आवास की योजना थी, जिसमें ढाई लाख मकान बनाने का लक्ष्य था, वह इस बजट में एक लाख ही रखा गया है । क्या कारण है कि जो योजनायें गांव के विकास के लिये बनायी गयी थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया । वित्तीय संसाधनों के लिये जो प्रयास होने चाहिये, वह नहीं किये गये । यह महत्वपूर्ण विषय है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने-अपने जिलों में इस बात को देखें कि बैंकों से पर्याप्त पैसा जिले के विकास के लिये मिल रहा है या नहीं । मेरे पास कुछ जिलों के सन् 1990 के आंकड़े हैं अगर इलाहाबाद जिले में 100 रुपया बैंक में जमा हुआ तो उसका केवल 32.23 प्रतिशत वापस देहात और शहर में आया, देहात में तो और कम आया इसी तरह से अन्य जिलों का है अल्मोड़ा में 23.61 प्रतिशत, आजमगढ़ में 30.77 प्रतिशत, बलिया में 35.65 प्रतिशत, बरेली में 37.81 प्रतिशत, चमोली में 16.17 प्रतिशत, देहरादून में 27.45 प्रतिशत, देवरिया में 35.79 प्रतिशत, इटावा में 39.14 प्रतिशत, फैजाबाद में 36.16 प्रतिशत, गढ़वाल में 16.32 प्रतिशत, गाजीपुर में 31.70 प्रतिशत, गोरखपुर 31.23 प्रतिशत, हरिद्वार 33.87 प्रतिशत, जौनपुर 25.10 प्रतिशत, झांसी 32.82 प्रतिशत, मऊ 28.32 प्रतिशत, पिथौरागढ़ 27.23 प्रतिशत, प्रतापगढ़

29.82 प्रतिशत, टेहरी-गढ़वाल 19.30 प्रतिशत, उन्नाव 31.64 प्रतिशत, उत्तरकाशी 31.59 प्रतिशत और यह तमाम जिले हैं सबका कहां तक बताऊं। कारण क्या है ? कारण यह है कि जिला को जो कमेटियां फाइनेन्शियल कमेटियां हैं उनकी बैठकें नहीं होतीं ह। जिले के क्रेडिट प्लान में दिलचस्पी बहुत कम है।

मैं जानना चाहता हूं कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कितनी कमेटियां हुई ? तो जो क्रेडिट रेशियो हैं वह 44 फीसदी और 46 फीसदी है जबकि रिजर्व बैंक के निर्देश हैं कि 60 फीसदी होना चाहिये। बात यह है कि बैंकों से, एल0 आई0 सी0 से फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूट्स से बात नहीं होती है। राज्य स्तर की फाइनेन्शियल कमेटी की बैठकें नहीं होती यह होनी चाहिये। इस तरह के जिलों के जितने लीड बैंक हैं उनकी बैठकें होनी चाहिये। यू0 पी0 को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पुलों के लिये क्यों नहीं ऋण देते हैं। हमने 87 पुलों के लिये ऋण लिया था, पुलों के लिये आज राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। महाराष्ट्र में सड़कें निजी क्षेत्र में बनाई जा रही हैं, कारखानों से कहा जा रहा है वह अपने अपने क्षेत्र में सड़कें और पुल बनायें क्योंकि राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं हैं। इसलिये एल0 आई0 सी0 से, बैंकों से, यूनिट ट्रस्ट से इन कार्यों को मजबूत करना होगा और जो 60 प्रतिशत जमा राशि का अनुपात है उसका अनुपालन होना चाहिये। आज हो क्या रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट फाइनेन्स आफिसर हैं, ए0 डी0 एम0 (फाइनन्स) वह अन्य ए0 डी0 एम्स0 की तरह कानून व्यवस्था में लगे हुये हैं और वह जिले के संसाधनों को देख नहीं पा रहे हैं बैंकों से पैसा आ रहा है या नहीं इस चीज को वह नहीं देख पा रहे हैं। खाली सेल्स टैक्स और इक्साइज से रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं है। मुझे दो चार जगह जिलों में व्याह शादियों में जाने का मौका मिला जहां मैंने ए0 डी0 एम0 (फाइनेन्स) से बात की, मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां क्रेडिट डिपाजिट रेशियो क्या है तो उन्हें पता नहीं है कि किस बैंक में कितना रुपया जमा हुआ है और कितना खर्च हुआ। वह कहते हैं कि हमारा सारा समय कानून व्यवस्था देखने में लग रहा है। तो बैंकों से बात नहीं होती है, बैंकों से जिलों में बैठकें नहीं होती हैं तो गांवों का विकास क्या होगा जो रुपया बैंकों में जमा होता है उसका आप हिसाब नहीं रख पाते हैं।

कोआपरेटिव बैंक और दूसरे बैंक ऋण माफी की आपकी योजना से परेशान हैं।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

ऋण माफी के लिये आपने अच्छी बात कही है, श्रेय भी लिया है, इसलिये बधाई आपको लगभग 36-37 लाख लोगों का ऋण माफ हुआ होगा। लेकिन आगे के लिये रास्ता खराब हो गया है। अभी यहाँ कटिंग लाया हूं। श्री मनमोहन सिंह जो प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं उनसे कुछ प्रश्न पूंछे गये कि कर्ज माफी से आर्थिक व्यवस्था में क्या असर हुआ है ? बात बे बात अनुदान देने, कर्ज मेलों से अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर हुआ है ? तो उन्होंने बताया—

"ऐसे समय आते हैं, जब इन उपायों की जरूरत होती है। परन्तु मैं समझता हूं कि अब बात बिल्कुल अलग हो गयी है। कर्ज माफी ने हमारी अर्थ-व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे छोटे स्तर पर बैंकिंग की साख पर प्रश्न चिह्न लग गया है। बैंकिंग प्रणाली मुद्रा चक्र चलाती रहती है, लेकिन जहां कर्ज लेने वाले व्यक्ति के दिमाग में यह बात हो कि इसे वापस नहीं करना है तो इसका बुरा असर बैंकिंग प्रणाली पर पड़ेगा ही, इसके लिये अत्यधिक राजनीतिकरण को ही मैं मुख्य रूप से दोषी मानता हूं" तो यह बात अर्थ शास्त्री ने कही है जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 14 हजार करोड़ रुपये का भार बजटों पर आ गया है और नाराजगी चारों तरफ है। कहते हैं कि बुनकर भाइयों का कर्ज माफ किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने बुनकरों का कर्ज माफ हुआ और कितना कर्ज था ?

श्रीमन्, आज जो कारपोरेशंस के कर्जे हैं वह वैसे के वैसे ही हैं । मुख्यमंत्री जी एक सर्वे आप करायें कि कितना लोन ड्यू था और उसका कितना हिस्सा आप माफ कर सके और कितना मिला है ? इस बजट में भी जो केन्द्र ने कल पेश किया है उसमें 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान राज्यों के लिये है जिसमें एक हजार करोड़ रुपये पिछले वर्ष के लिये दिया, तो इस प्रकार अभी और प्राविधान करना होगा । अगले बजट में 7 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान करना होगा । तो रिजर्व बैंक कहां से घाटे को पूरा करेगा ? श्रीमन् एक तरफ कर्ज माफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ सब्सिडी घटा रहे हैं 2500 करोड़ रुपये की और 1500 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में हो रहा है । इसलिये मैं यह कहूंगा कि सावधानी से विचार करें और यह देखें कि इस तरह की कोई कमी न आये जिससे आगे के लिये उत्पादन में नुकसान हो । प्रत्येक ब्लाक में 500 कृषकों को कृषि यंत्र देने की योजना हमने लागू किया था, उसका आज क्या हुआ ? इसमें कोई उल्लेख नहीं है । वह योजना एक साल के लिये नहीं थी चूंकि इरादा था छोटे किसानों को नये यंत्र मिलें, नई टेक्नालोजी मिले और ट्रैक्टर की ओर ही ध्यान न रहे ।

चौधरी चरण सिंह की स्पष्ट नीति थी, कम से कम जो लोग हममें से चौधरी साहब की आर्थिक नीति को मानते हैं वह देखें, हमारे क्षेत्र में स्वर्गीय जगन्नाथ बाली जी के फार्म में चौधरी साहब जाते थे तो वहां वह ट्रैक्टर से खेती करते हुये नहीं पाते थे बल्कि वह हल से खेती करते हुये पाते थे जिसका उन्होंने भाषण में उल्लेख किया था कि ट्रैक्टर के बजाये नये तरीके के यंत्रों से खेती की जाये । तो जो छोटे किसानों के लिये कांग्रेस ने नीति बनायी थी कि छोटे किसानों को गरीबी रेखा से ऊपर उठायेंगे और डी0आर0डी0ए0 योजना से गांवों को जोड़ने के बारे में शासन की नीति क्या है ? और कई अन्य योजनायें हैं जिनका इसमें उल्लेख नहीं है जैसे इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली में खोला गया था उसके बारे में तथा अन्य बड़ी याजनाओं के बारे में आज क्या स्थिति है वह जानना चाहेंगे ।

चीनी मिलों के बारे में कुल दो चीनी मिलों का इसमें उल्लेख है, बाकी जो चीनी मिलें हमारे यहां बन रही हैं या बनने वाली हैं और कौन से नये लाइसेंस देने हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं है । गन्ना मूल्य का बकाया वसूल करने के लिये आपने जो कहा है और किया है उसके लिये धन्यवाद, लेकिन नई चीनी मिलें कहां हों, इसका काई जिक्र नहीं । महाराष्ट्र से मैं आ रहा हूं, वहां पर 37 नई चीनी मिलें लग रही हैं ।

एक सदस्य—

मक्के की खरीद ही बहुत कम मात्रा में हो रही है तो और मिलों की क्या जरूरत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपके जनपद में ऐसा होगा, उसका हमें दुख है, लेकिन हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं प्रदेश में अधिक से अधिक चीनी मिलें लगें, इसके लिये आवश्यक है कि लाइसेंस दिये जायें । लेकिन मालूम हुआ कि अभी लाइसेंसिंग कमेटी की कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है । किसी को कुछ मालूम तो हो कि कहां से क्या होगा । इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं । मैं मुख्यमंत्री जी को और लोक निर्माण मंत्री को बधाई देता हूं, बहुत से पुल और सड़कें बन रही हैं । लेकिन बहुत से ऐसे पुल और सड़कें हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है या आधे बन चुके हैं, लेकिन उनको पूरा करने की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है । मैं चाहूंगा कि वह ऐसे पुलों और सड़कों की एक लिस्ट बनवायें और उनको पूरा करा दें । इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रदेश का लाभ होगा ।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

श्रीमन्, आप बैठिये, जो भी सूचना होगी आपको मालूम हो जायगी। यह आपका या यहां का विषय नहीं है, आप कृपा करके शान्ति से बैठिये।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुछ निगमों को जो बन्द करने का निर्णय लिया गया है वह दस्तकारों के हित में नहीं है। जैसे बर्तन निगम—ब्रासवेयर (कारपोरेशन), मुरादाबाद है। वह इसलिये बनाया गया था कि जो गरीब दस्तकार हैं उनका आर्थिक सहायता मिल सके और जो जस्ता मिलता है वह उन्हें सही कीमत पर मिले। इसको बन्द करने का फैसला लिया गया है या नहीं? लेकिन जो उन्होंने निर्णय लिया है वह शायद अभी नीचे नहीं पहुंचा है। छीपीओं के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति है आज नये-नये निगम बन रहे हैं, जैसे एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक बीज विकास निगम के स्थापना की बात कही गयी है, और उत्तर प्रदेश पोल्ट्री ऐण्ड लाइवस्टाक निगम बनाने सरकार जा रही है इसका भी प्राविधान है। किन्तु कौन से नये निगम बनने चाहिये और कौन बन्द होने चाहिये, इसके बारे में जब तक पूरा सोच-विचार नहीं होता, इस पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा बजट में संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के उन्नयन और संरक्षण के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह क्या होगा 5 करोड़ का और इसकी रूपरेखा क्या होगी, किस तरह सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित रखी जायगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसकी रूपरेखा स्पष्ट हो और मैं यह भी चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री जब अनुदान प्रस्तुत करने खड़े हों तो उसमें वह इसे अवश्य स्पष्ट करें। इसी तरह 50 करोड़ रुपए की एक निधि रोजगार बढ़ाने के लिए रखी गयी है। यह 50 करोड़ रुपया रोजगार बढ़ाने की किस योजना में व्यय होगा, स्पष्ट नहीं है। उद्मियों के लिये 30 हजार नये उद्योग लगाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अगर फाइनेन्स की रूप-रेखा को सही नहीं किया जायगा तो ऋण समय से नहीं मिलेगा और बिजली भी नहीं मिलेगी। बीमार उद्योग बहुत से हो गये हैं ऋण अदा न कर पाने की वजह से नीलामी हो जाती है इस सम्बन्ध में हमने काफी प्रयास किया कि फाइनेन्स की रूप-रेखा बदले। आई0 डी0 बी0 आई0 अपनी नीति बदले। फाइनेन्स कार्पोरेशन एक बोटल नेक, रुकावट बन गया है। फाइनेन्स कार्पोरेशन को मुख्यमंत्री जी स्वयं देखें। उसके नियमों को बदला जाए। बीमार उद्योगों को देखा जाए।

ट्रेनिंग के बारे में कहूंगा ट्रेनिंग की हालत आज ऐसी है कि लखनऊ में तीन साल पहले एक इण्डस्ट्री खोली गई थी, उसका शिलान्यास हो गया ट्रेनिंग तो छोटी बिल्डिंग में चल रही है लेकिन आर्कीटेक्ट ने नक्शा सही नहीं बनाया। जिसकी वजह से बहुत से कार्यक्रम रुके हुये हैं। अम्बेदकर यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत देर हो रही है। इसमें देरी होने का एक मात्र कारण यह है कि आर्टीटेक्ट नक्शा नहीं बना पा रहा है। उद्यमिता संस्था का नक्शा ठीक नहीं बन पा रहा है। बहुत से काम आर्कीटेक्ट का नक्शा न बन पाने के कारण रुक गये हैं, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज का भवन नक्शा न बन पाने के कारण नहीं बन पा रहा है। करोड़ों रुपये का प्राविधान कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये किया गया है।

जो बापू भवन और इन्दिरा भवन बन रहा है रजिस्ट्रार आफिस इसमें आ सकता है। बड़े-बड़े भवन बन रहे हैं यह शासन और केन्द्र के नजदीक है इसमें रजिस्ट्रार भवन को कर दिया जाए इससे खर्चा कम होगा। भवन निर्माण के लिये जो पैसा लगाया जाता है उस पैसे की इससे बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्राविधान किये गये हैं उन सब पर मैं विस्तार से जब अनुदान का अवसर आयेगा तो मैं निवेदन करूंगा, लेकिन मैं जोर देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि एक-एक करके विभागों की मानीटरिंग होनी चाहिये। पर्वतीय विकास विभाग की जो योजना है वह योजना वह हिमांचल से तीस करोड़ रुपये कम है। हिमांचल प्रदेश की योजना 410 करोड़ रुपये की है। 20 करोड़ रुपया हिमांचल को और दिया जा रहा है।

वह बाढ़, ओला और भू-स्खलन जो उसके लिये हैं । 20 करोड़ रुपया हिमांचल को ज्यादा दिया गया है । उत्तर प्रदेश को योजना आयोग के द्वारा 20 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा रहा है ? क्या इसकी मांग की गई ? हिमांचल प्रदेश की योजना इतनी बड़ी हो गई और इतने बड़े उत्तर प्रदेश को जहां इतना बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, और जो हिमांचल प्रदेश से किस प्रकार से योजनाओं में कम नहीं है उसको कम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के विभाजन को रोकने के लिये आवश्यक है कि उसको और धन दिया जाना चाहिये । इसलिये मैं मांग करता हूं कि 410 करोड़ रुपये की योजना उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की होनी चाहिये । हिमांचल प्रदेश से 30 करोड़ रुपया कम रखा गया, योजना आयोग ने इस बात को नहीं देखा। मोहन धारिया साहब हमारे मित्र हैं । शायद उनको यह बात नहीं मालूम है । लेकिन मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री इस बात को लेंगे और हिमांचल प्रदेश के मुताबिक 410 करोड़ रुपये की योजना रहेगी । गढ़वाल और अल्मोड़ा में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । ओलावृष्टि और भू-स्खलन से यहां पर हिमांचल प्रदेश से कम नुकसान नहीं हुआ । हिमांचल प्रदेश को इसलिये फायदा हो कि वहां अलग शासन है उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र कहीं वंचित न हो जाय इसका हमें पूरा ध्यान देना है । हमारा जो पर्वतीय विकास विभाग है वह पर्वतीय विकास पर पूरी नजर रखे ताकि पर्वतीय क्षेत्र की जनता में, जो कुछ समय से आन्दोलित है, यह भाव न पैदा हो कि अलग शासन न होने की वजह से आज उचित अनुदान योजना आयोग नहीं दे रहा है ।

मैं इस पक्ष का बिल्कुल नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो । यह इस देश के हित में नहीं है । यह आज का प्रश्न नहीं है यह कल आने वाले भविष्य का प्रश्न है इसलिये हमें पर्वतीय विकास को मजबूत करना होगा । अभी प्रधान मंत्री हिमांचल प्रदेश गये थे । वहां उन्होंने एक योजना का शुमारम्भ किया । यह योजना है वन लगाओ पैसा कमाओ । जिसके मुताबिक वन भूमि पंचायतों को आबंटित की जायगी तथा उस पर लगाये गये 50 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर 5 एकड़ के भू-खण्ड पर एक वर्ष बाद 200 रुपये प्रतिमास एवं 80 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने पर 300 रुपये प्रति मास के हिसाब से धनराशि पंचायतों द्वारा वन रक्षकों को आवंटियों को सामाजिक वनीकरण के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से बांट दी जायगी । यह योजना पर्यावरण विभाग और भारत सरकार ने मंजूर कर ली और हिमांचल प्रदेश में लागू हो गयी । उन्होंने अपनी वनीकरण की नीति को बदल कर यह किया । इससे वहां के गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा । क्या हम इस प्रकार की योजनायें न केवल उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में बल्कि मिर्जापुर, बुन्देलखण्ड और जहां भी इस तरह क्षेत्र हैं, जहां वनीकरण की आवश्यकता है क्या वहां लागू नहीं कर सकते । यह योजना भारत सरकार ने हिमांचल प्रदेश में मंजूर किया है, पर्यावरण विभाग जो मेनका गांधी के अन्तर्गत है उसने मंजूर किया है । हमें यह देखना चाहिये कि इस प्रकार की रोजगार प्रधान योजनायें हमारे प्रदेश में लागें । भूमि सेना का जो आपका विचार है उसको वहां उन्होंने वनीकरण से जोड़ दिया है । हमें उनकी योजना की हूबहू नकल नहीं करनी चाहिये लेकिन हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप योजनायें बनाकर अनुदान का लाभ उठाना चाहिये । साथ ही साथ में यह कहना चाहूंगा कि जो सिंचाई विभाग है उसके ऊपर अधिक ध्यान देना जरूरी है । ट्यूबवेल कारपोरेशन बना हुआ है ।

आज हमारे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं मिर्जापुर में, बनारस और इलाहाबाद जिलों में जो हमारी पंप योजनायें हैं क्या सही समय पर उनको बिजली मिल पा रही है । क्या सिंचाई विभाग का पूरा रिव्यू इस बीच हो पाया है या नहीं ।

नये सिंचाई मंत्री जी शायद यहां पर नहीं हैं । मैं यह चाहता था कि वह कोई नया रिव्यू करते । आज सबसे अधिक सिंचाई विभाग के रिव्यू की जरूरत है । कितने चीफ इंजीनियर्स हैं, उनका रिसर्च का क्या काम हो रहा है । मैंने एक मिसाल दिया था गंगा कमाण्ड का, क्या हो रहा है,

आज सारी योजना का क्या हो रहा है । मैं यह चाहता था कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कोई हमारा, यह मैं सुझाव दूंगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई योजनायें हैं, जहां पर ये योजनायें लाभकर हैं, जैसे पूर्वांचल, अब बहराइच जिले को पानी आज मिल सकता है । जो दूसरी सरजू कैनाल बन रही है, क्या इस पर कोई अध्ययन हो रहा है ? क्या हमारी सिंचाई विभाग की योजना को बदला जा रहा है ? क्या ट्यूबवेल योजनायें जो हमारी अलग-अलग हैं, उन पर हमें ऊर्जीकरण में कितनी सफलता प्राप्त हो रही है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है, मैं उसकी ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय, कांग्रेस ने चन्द्र शेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो क्या माननीय नेता विरोधी दल यह स्पष्ट करेंगे कि यहां पर क्या स्थिति रहेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय, मेरा ध्यान एकलव्य की तरह इस प्रोजेक्ट पर है । सदन के अन्दर जो बजट पेश हुआ है, उस पर मैं अपना विनम्र विचार पेश कर रहा हूं । श्रीमान्, मैं यह वर्ल्ड बैंक का उल्लेख कर रहा था । मेरे पास एक कटिंग रखी हुई है कि वर्ल्ड बैंक नाराज है । श्रीनगर की योजना जो सबसे सस्ती योजना है, उसके लिये, उसके लिये जो रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया था, लगभग 300 करोड़ रुपया कर्जा मिला था वर्ल्ड बैंक से, उस पर काम शुरू नहीं हुआ । 31 मार्च तक वर्ल्ड बैंक ने टाइम दिया है । कि 31 मार्च तक और कुछ काम नहीं करेंगे, तो हम रुपये देना बन्द कर देंगे । श्रीनगर के बिजली प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा बिजली मिल सकती है लेकिन हम उस पर रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं । तो मैं चाहूंगा कि बिजली की स्थिति सुधार करने के सम्बन्ध में नये प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी, जो विद्युत मंत्री भी शायद हैं, इसके लिये अलग से चर्चा होना बहुत आवश्यक है और कम से कम वर्ल्ड बैंक ने जो 300 करोड़ रुपया श्रीनगर के लिये दे दिया है, उसे न लेने के लिये कोई कारण नहीं होना चाहिये, क्योंकि पन बिजली यह अपनी योजना है । यह हमारी ऊंचाहार योजना को बन्द करने के बजाय इसको चालू करना चाहिये ।

मैं यह भी चाहूंगा कि जहां पर इतने बजट का साहित्य प्रकाशित हो रहा है, वहां पर यह साहित्य भी अलग से छपा हुआ मिलना चाहिये । वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट यू0पी0 में कितना मिला उसका क्या विवरण है, बाहर दूसरे देशों से सहायता जर्मन से क्या मिली, रूस से क्या मिली और दूसरे देशों से क्या मिली और उसका हम कितना खर्च कर सके यह ब्योरा अलग से छप कर आना चाहिये । मैंने स्वयं इसको सोचा था, मैं नहीं कर सका, मेरी भूल ही मान ली जिये । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसका कारण देंगे ताकि सदन के सदस्यों को, जनता को यह मालूम हो सके कि कौन-कौन सी बाहरी देशों से सहायता मिलने वाली स्कीमें यू0 पी0 में आई और उसकी क्या प्रगति हुई तो वह एक जगह मिलेगा उसका पूरा ब्योरा तो उसका विवरण होने से ही लाभ होगा और उससे सहायता भी मिलेगी ।

श्रीमन्, मैं, जो बजट में तमाम बातें हैं, इसमें बधाई देना चाहता हूं दो विषयों के लिये एक तो बिक्री–कर की जो आमदनी बढ़ी है और भी बढ़ने की गुंजाइश है, 1400 करोड़ रुपया आपने रखा है और इसके लिये मैं सुझाव दूंगा, हमारे खाद्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे बड़ी आपत्तियां हैं । व्यापार मित्र के नाम से जो संगठन बना था वह इसलिये बनाया गया था कि व्यापारियों को विश्वास में लेकर काम किया जाय होता यह है कि कुछ हो जाता है तो व्यापारी लोग यह समझते हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है । उनको विश्वास में लेकर काम किया जाय । नयी मूल्य का तरीका है, सेल्स टैक्स का तरीका है तो इसमें व्यापारियों ने सहयोग दिया और 1400 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में वसूल हुआ । दो हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश से अकेले आने

इसमें कोई सन्देह नहीं । मैंने इसका प्रयास किया और सफलता भी मिली, आपकी सरकार को भी मिल सकती है इसलिये इसमें सन्देह नहीं है । इसी तरह से अल्प बजत योजना में भी बहुत सफलता मिल सकती है और मिली है, सबसे बड़ी बचत उत्तर प्रदेश की है । यह जो लिखा है हमारे प्रदेश में और कई दूसरे प्रदेशों में भी सन्डे आब्जर्वर ने, लिखा है–अनिग व्हाइल पार्टीसिपेटिंग इन डेवलपमेन्ट ।

मैं उत्तर प्रदेश को भी बधाई देता हूं अब तो बैंक बनाया है भारत बचत बैंक । तो यह बने या न बने लेकिन उत्तर प्रदेश में यह अल्प बचत की योजना ज्यादा सार्थक रूप से प्रभावी रूप से चल सके, इसका पूरा प्रयास होना चाहिये । संसाधनों के बारे में मैं, बहुत कुछ कह चुका हूं क्योंकि अब सदन के और भी नेता बोलना चाहते हैं, और लोग भी बोलना चाहते हैं कहने को तो मेरे पास इतनी सामग्री है कि मैं सब बातों पर विचार व्यक्त कर सकता हूं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मैं सब बातों पर विचार व्यक्त करूं । यह उत्तर प्रदेश के बजट को मैं एक पार्टी का बजट नहीं मानता हूं यह प्रदेश का बजट है इसलिये सभी दल के लोगों की मदद इसमें आवश्यक है क्योंकि कोई दल ही शासन करता है लेकिन यह आर्थिक जो मानचित्र है प्रदेश का उसका मूल्यांकन हो, उसका चित्रांकन हो, उसका छायांकन हो और भविष्य की रूप–रेखा हो इसलिये मैं किसी भी प्रदेश के बजट को, उसके आर्थिक विकास की एक रूप–रेखा का दिग्दर्शक, एक महत्वपूर्ण प्रारूप मानता हूं ।

इसी दृष्टिकोण से मैं श्रीमन्, आपको और आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इस बजट का मूल्यांकन करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति हो, हमारे देश की आर्थिक स्थिति हो वह बहुत संतोषजनक रहने वाली नहीं है । आज आप देखें कितनी हमारी आलोचना होती थी कांग्रेस शासन काल में कि महंगाई हो रही है महंगाई हो रही है अब आप श्रीमन्, देखें सारा देश रिकार्ड तोड़ महंगाई की चपेट में है और खास तौर से जो इसका हिसाब है साल भर पहले गेहूं का मूल्य 1.84 रुपये प्रति किलो था जो साल भर पूरा होते ही 3.45 रु0 किलो हो गया, चावल 2.50 रु0 किलो आसानी से मिलता था और अब वही 5.50 रु0 प्रति किलो धड़ल्ले से बिक रहा है, चीनी 10 रुपये किलो मिल रही है जबकि पहले साल भर पहले 7.60 रु0 में मिलती थी, सरसों का तेल 17 रुपये प्रति किलो था जो अब 34 रुपये प्रति किलो हो गया है ।

इसी तरह से वनस्पति घी का दाम 25 से बढ़कर 42 रुपये जा पंहुचा है । सब्जियों के दाम भी इसी तरह से बढ़े हैं । नमक का दाम दुगना हो गया । लखनऊ नगर पिछले दिनों पचास पैसे से बढ़कर एक रुपया हो गया । मैं केवल आलोचना ही नहीं कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि जब हमारा शासन था तो रोज आलोचना होती थी, कहते थे कि सरकार इस्तीफा दे । अब दाम क्यों बढ़े इसका कारण ढूंढ़ना होगा । मंहगाई मध्य प्रदेश में भी है, यहां भी है । आज साढ़ 13 फीसदी मुद्रास्फीति हो गयी । मैं कहूंगा कि इस बजट पर इस दृष्टिकोण से विचार हो । मैं यह भी आग्रह करूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने "मैं" कहा है, इसको "हम" में बदल दें । हम सब साहस करें । मैं कहेंगे तो लोग समझेंगे कि व्यक्तिगत है, आप हमराही बनें । हम शमा जलायें, खिलाफ हवायें तो चल ही रही हैं । चाहे खाड़ी से हों, इधर से तो आ ही रही है । इसलिये मैं को हम में बदल लें तो अच्छा होगा मैंने पिछले साल धृष्टता की थी, अपनी बात कहना धृष्टता लगती है, मुझे मौका मिला था तो कहा था कि "आओ मिल कर इन्कलाबे ताजा नौ पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जायें कि सब देखा करें ।" तो मैं को हम में बदल दें तो यह सबसे बड़ी सफलता होगी । हम को मैं में बदलना आसान है लेकिन मैं को हम में बदलना कठिन है, लेकिन आप प्रयास करेंगे, इसका मुझे विश्वास है । मैं इस बजट के सार्थक बिन्दुओं का समर्थन करता हूं, लेकिन जो ऐसे बिंदु हैं जो सार्थक नहीं

नई नीति के लिये कहा था कि टिमटिमाती हुई बधाई दे रहा हूं । इन शब्दों के साथ में इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं ।

(किसी भी माननीय सदस्य के न खड़े होने पर ।)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, लगता है कि कोई तैयार होकर नहीं आया है । सब एक ही कुर्सी एकलव्य की तरह से देख रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

लगता है कि माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के बाद कोई कुछ नहीं कहना चाहता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी को अग्रिम बधाई दे रहा हूं । बहुत दिनों से उछला कूदा करते थे कि शायद मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय । इनको मंत्री बनने के लिये अग्रिम बधाई दे रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, चूंकि नाम ले लिया है, इसलिये कह रहा हूं । बधाई देनी थी तो प्रसन्न मुख से देनी चाहिये थी, दुखी मन से क्यों दे रहे हैं ।

श्री कवल—

मान्यवर, इधर से किसी को खड़े होना चाहिये था, अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तो हम तैयार हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के बाद चुप्पी का मतलब है कि उनकी बात स्वीकार्य हो गयी ।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण पढ़ा... जो घाटा इसमें दर्शाया गया है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह घाटा कैसे पूरा किया जायेगा । जाहिर है कि आने वाले जमाने में इस घाटे की पूर्ति के लिये जनता पर टैक्सों का अधिभार का बोझ बढ़ेगा जिससे उनका जन जीवन और त्रस्त हो जायेगा । मान्यवर, बजट भाषण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति की सामाजिक सुरक्षा के लिये कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अल्प संख्यक की सुरक्षा के लिये भी कोई इस प्रकार की गारण्टी का उल्लेख इस भाषण में नहीं किया गया है । मान्यवर, इस बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 52 फीसदी ग्रामीण विकास के लिये व्यय किया जायेगा । लेकिन जो अनुभव है पिछले दिनों का वह यह बताता है कि जो भी ग्रामों के उत्थान के लिये धन दिया जा रहा है उसका बहुत बड़ा अंश भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में चला जाता है । और जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वह सड़कें ठीक हैं न तो बन पा रही हैं और जो बनती भी हैं वह अधूरी रह जाती हैं । इसलिये मान्यवर, जो भी विकास के लिये कार्य गांवों में हो रहे हैं उससे जितना ग्रामीण जनता को लाभ पंहुचना चाहिये था वह उन्हें न पंहुच कर, निहित स्वार्थ वश लोगों को उससे ज्यादा फायदा पंहुच रहा है ग्रामीण अंचलों में जो भी इस प्रकार की सड़कें या सड़क मार्ग बन रहे हैं उसमें न तो ठीक से मिट्टी डाली जाती है और न ठीक से कार्य होता है जिसका नतीजा यह है कि उसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधूरा छोड़कर आगे दूसरे काम किये जाते हैं जिसका नतीजा व दुष्परिणाम यह है कि उसको पिच न करने के कारण वह सड़कें फिर बरबाद हो जाती हैं, गिट्टी उखड़ जाती है, फिर शासन को दुबारा उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है जिसमें जो ठेकेदार हैं और लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर व कर्मचारी हैं, उनको फायदा होता ह । मान्यवर, इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम भूमि के सुधार के लिये भूमि सेना तैयार कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन मान्यवर, इस प्रदेश में 4 फीसदी लोगों के पास 40 प्रतिशत जमीन का हिस्सा पड़ा ह, उनसे जमीन निकाल कर जो फाजिल जमीन बचती है, उसको भूमिहीनों और गरीबों में बांटने के लिये कोई बात इस भाष ण में नहीं कही गयी है । ग्रामीण बरोजगारी जो है उसको हल करने के लिये सबसे अच्छी बात यही है कि जो भूमि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में फंसी हुई है उसको निकाल कर गरीबों में बांटा जाय । लेकिन इस तरह की बात का कोई भी उल्लेख इस भाषण में नहीं है । जो हदबंदी है, जो बहुत ही दोषपूर्ण है उसको ठीक करके, जमीन निकालकर गरीबों को जमीन देने की बात इस भाषण में नहीं कही गयी है । जो जमीन आवंटित है भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों को उसके बारे में कोई ठोस कार्यक्रम इसमें नहीं बताया गया है कि आवंटित भूमि पर किस प्रकार से भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों को कब्जा दिलाया जाय । नतीजा यह ह कि आज हर जिले में आवंटियों को लंहान कष्ट हो रहा है, बार-बार दरख्वास्त देने के बाद भी न डी0एम0 न एस0 डी0ए म0 मौके पर पैमाइश करके कब्जा दिलाते हैं ।' इसके अतिरिक्त जो फालतू जमीन है फारेस्ट डिपार्टमेंट की, सिंचाई विभ ाग की जो डूब की जमीन है, जिन पर पानी निकल चुक है, उन पर जंगल के उन आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों, गरीबों का कब्जा न होकर, बड़े-बड़े भूमि स्वामियों का कब्जा है । पट्टे जो दिये जाते हैं वह बड़े-बड़ भू-स्वामियों को, जो जंगल के निवासी भी नहीं हैं, उनको दिये जाते हैं । जिससे जंगल के आदिवासी हरिजनों और वहां के मूल निवासी जो हैं, आज भूमिहीन की हालत अत्यन्त कष्टमय हो गयी है । हमारे बनारस जिले में चकिया एक ऐसा जंगल है जिसमें 20 ऐसी पहाड़ियां हैं । यह सवाल बार-बार उठाया गया है, सदन में भी उठाया गया है, उन नग्न पहाड़ियों को जो जंगल के अन्दर स्थित हैं उनको वहां के 10 हजार से अधिक आदिवासी परिवार से खनन के आदेश दिये जायें जिससे सरकार को भी लाभ होगा और बेरोजगारी की जो हालत है वह भी सुधर जायेगी । आज 5 वर्ष से यह मामला लम्बित पड़ा हुआ है और यह सचिवालय से वन विभाग, वन विभाग से सचिवालय व माइन विभाग में लटका हुआ है ।

इस सम्बन्ध में आदेश दिये जायें कि उन पहाड़ियों को मुक्त कराया जाये जिससे उनके परिवारों को रोजी-रोटी चल सके । मान्यवर, पुलिस की बड़ी तारीफ की गयी है, पुलिस के बल पर तो यह सरकार चल रही है इसलिये तारीफ की गयी है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है । जिस पुलिस की यह तारीफ कर रहे हैं वह पुलिस न किसी की हुई है और होगी । आज जो उत्तर प्रदेश के अन्दर आग लगी हुई है साम्प्रदायिकता की उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ रहा है जब माननीय बीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस वक्त जब मेरठ में दंगा हुआ था तो पी0 ए0सी0 का हाथ था ×[दंगा]कराने में और ××[अल्पसंख्यक] की ×××[सामूहिक हत्यायें कराने] की जिम्मेदारी भी पी0 ए0सी0 की थी जो मौजूदा पुलिस है चाहे वह पी0ए0सी0 हो या सामान्य पुलिस उससे अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं हो सकती । इसके लिये अलग से सरकार को संगठन बनाना पड़ेगा और बनाना भी चाहिये । मान्यवर, आज जो पुलिस का रवैया है उसे सरकार को बदलना होगा । मान्यवर, इसमें श्रमिकों के कल्याण के बारे में कोई बात नहीं की गयी है । आज उत्तर प्रदेश में जो कारखाने हैं, कताई मिलें हैं तथा अन्य जो मिलें हैं, उनकी हालत काफी खस्ता हो गयी है । दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है । आज हार्टिको, सीमेन्ट कार्पोरेशन, आटो ट्रैक्टर से हजारों

नोट—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा इनकी हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है। आज जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, वह घाटे पर चल रहे हैं, इनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आज भ्रष्ट अधिकारियों को दण्ड देने के बजाय इनाम दिया जा रहा है कि तुमने जो कुछ किया है इन कार्पोरेशन को घाटे में ले जाने में, इसलिय इनाम में हम दूसरे के हवाले करते हैं मान्यवर आज मिलों में तालाबन्दी चल रही है, जिससे बेरोजगारों की पल्टन खड़ी हो गयी है तो इस सरकार को ऐसी श्रम नीति अपनानी चाहिय जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। आज जो सार्वजनिक उपक्रम की हालत है, जो सार्वजनिक उपक्रम ह वह ज्वाइन्ट सेक्टर में दिये जा रहे हैं। आज यह नीति बनानी चाहिये कि किसको इन्हें देना है और किसको नहीं देना है। आज यह कहीं ऐसे लोगों को तो नहीं दिया जा रहा है, जो हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा दें। इस प्रकार के एक दो निर्णय लिये गये हैं, जो बहुत ही गलत कदम है, इस ओर में इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर फिर से विचार करे और ऐसे उपक्रमों को गलत हाथों में न दें। जैसे ऊंचाहार परियोजना को ऐसे व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है, जो बहुत बदनाम है, जिसके हाथ में योजना को देने से आम जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी नें अपने बजट भाषण में 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि वह योजना क्या है, जिसमें 50 लाख लोगों को काम दिया जायगा। इसी प्रकार मान्यवर, मुख्य मंत्री जी नें 10 हजार के कर्जे माफ कर ने की बात कही, बहुत सी जन सभाओं में भी कही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि जिसका कर्जा माफ होना चाहिये, उनका माफ न होकर उन लोगों का माफ हुआ है, जिन लोगों ने कर्जे की एक किश्त भी नहीं दी। जिन लोगों की हालत खराब थी, जिन्होंने डर के के मारे, तहसील के लाकअप में बन्द होने के डर से अपनी किश्तें दीं, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ वाह रे सरकार, वाह रे हमारे मुख्य मंत्री। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि 2 अक्तूबर, 1989 तक जिन लोगों के भी कर्जे हैं, उन सभी का कर्ज माफ होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिन्होंने किश्तें दी, जिनका माफ होना चाहिये, उनका नहीं हुआ और आज भी उनसे कर्ज की वसूली की जा रही है। यह बात साफ है कि इस कर्ज माफी का जितना ढोल पीटा गया और कहा गया कि किसानों के लिये बहुत बड़ा काम किया है, वह वास्तव में हुआ नहीं। जिनका फायदा होना चाहिये, वह नहीं हो पाया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में डा0 लोहिया, जय प्रकाश जी का उल्लेख किया और कहा कि यह उनकी नीतियों पर आधारित बजट है। मैं नहीं समझ पाया कि बिला वजह उनको क्यों घसीटा जा रहा ह। हमारे ऐसे समाजवादी नेताओं को, जिनकी देश की आजादी के आन्दोलन में बड़ी भूमिका रही है और जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के नता रहे हैं, उनको बिला वजह इस बजट भाषण में घसीट लिया गया, जबकि उनकी एक बात भी, एक नीति भी नहीं अपनाई जा रही है। कहा गया, व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा ह कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है पूंजीवादी व्यवस्था जो चल रही है, शोषण की व्यवस्था जो चल रही है, उसको बदल दिया जाता, तो मैं समझता कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है।

लेकिन हुआ यह है कि पुलिस वालों को खुली छूट मिल गई, चाहे जिसके हाथ-पैर तोड़ दो, चाहे जिसको मारो, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? अभी जौनपुर में सी0 पी0 आई0 और सी0 पी0 एम0 के लोगों को पुलिस वालों ने पीटा, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये और सभा भी नहीं करने दी। इस प्रकार आज पुलिस का जुल्म व अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। आज आवश्यकता है गांव के विकास की और गांव के विकास के लिये आवश्यक है, सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जाय, सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की जाय, ट्यूबवेलों का निर्माण कराया जाय। प्रथम

पंचवर्षीय योजना के जो ट्यूबवेल बने हैं, वह सारे के सारे बेकार ही रहे हैं, बैठ गये हैं, लेकिन उनको फिर से रीबोर करने के लिये सरकार के पास न तो पैसा है और न कोई उपाय है। नये ट्यूबवेल लगवाने की तो कोई बात ही नहीं है। बनारस में जिला योजना में एक ट्यूबवेल मिला है, इस पर वहां के सारे विधायक आपस में तू-तू मैं-मैं कर रहे थे, कि यह हमको मिलना चाहिये। जिला योजना के नाम पर विकास का जो काम गाँवों में होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह आज नये सिरे से सर्वेक्षण कराएं कि जो ट्यूबवेल एरिया हैं, वहाँ कहाँ-कहाँ नये ट्यूबवेल लगाने की जरूरत है। जो नहरें बनी हैं, वह भी ठीक से नहीं चल रही हैं। बनारस में दो नहरें है, एक शारदा सहायक की शाखा है और एक ज्ञानपुर पम्प नहर चल रही है, उसमें जो माइनर खोदी गयी, जिसके लिये किसानों की कीमती जमीन ली गई, उसमें मुख्य नहर से आज तक पानी ही नहीं आया उन क्षेत्रों में सिचाई कैसे होगी। वहाँ पर न तो ट्यूबवेल लगाये गये और न नहर बनाई गई। आज वहाँ के किसान भूख के कगार पर पहुंच गये हैं। उनकी तरक्की की बात करना तो ख्याली पुलाव है। हमारे यहाँ एक लिफ्ट पम्प नहर है अदला नरोत्तमपुर। विगत 10-15 साल से उस पर लाखों रुपये खर्च कर दिया गया है, परन्तु आज तक उसमें पानी नहीं आया जिससे नरोत्तमपुर गाँव में सिहोखा गाँव में और शाहंशाहपुर गाँव में सिचाई के लिये पानी नहीं है और न ही वहाँ पर ट्यूबवेल दिये गये और न नहर ही वहाँ पर है।

जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, इस सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हमारे यहाँ कुछ विद्यालय दिये गये। उनमें मनमानी हुई। विद्यालय खोलने में न तो विधायकों की राय ली गई और न सांसदों की। आज जिलों के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत प्राइमरी विद्यालय खोले जाने के लिये विधायकों से व सांसदों से राय ली जाय। इसलिये आवश्यक है कि नये प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने के लिये और कन्या पाठशालाओं को खोलने के लिये जो योजनायें बनाई जा रही हैं या बनाई गई हैं, वह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि हर एक किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिये। तीन तीन किलोमीटर तक स्कूल नहीं हैं। जिन गाँवों में स्कूल नहीं हैं, वहाँ पर स्कूल नहीं खोले गये बल्कि वहाँ खोल दिये गये जहाँ पर स्कूल हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हर ब्लाक में एक कन्या पाठशाला हाई स्कूल तक होना चाहिये उसके बाद इण्टरमीडिएट तक होना चाहिये। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कन्या पाठशाला खोलने से काम चलने वाला नहीं है। देहात की लड़कियों को शहर आने में काफी तकलीफ होती है, इसलिये मैं पुनः बल देता हूं कि हर ब्लाक में एक कन्या पाठशाला अवश्य खोला जाना चाहिये।

माननीय, भ्रष्टाचार की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज तक सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। लोक निर्माण विभाग तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमारे यहाँ एस0 एन0 नाहर नाम के एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर 30 हजार रुपये घूस लेते हुये रंगे हाथ पकड़े गये थे। वह 27 दिन तक जेल में भी रहे, परन्तु उन्हें न निलम्बित किया गया और न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई अपितु उन्हें आदरपूर्वक कुर्सी पर बैठा दिया गया। कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने दस लाख के बिलों पर हस्ताक्षर कर उनका भुगतान ठेकेदारों को करवाया और उसमें से हजारों रुपये कमाये। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े कदम उठाये जांय। वर्कचार्ज कर्मचारी जो लोक निर्माण विभाग में हैं, सिंचाई विभाग में हैं, उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया है। उनकी एप्लीकेशन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार जो मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं, उन्हें वर्क चार्ज में नहीं लिया जा रहा है।

माननीय, इस तरह से इन तमाम विभागों में

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

ऐसे कर्मचारी भरे पड़े हैं, जिनको काम देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज प्रदेश में आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है । वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप मंहगाई और रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसको रोकने में वर्तमान सरकार विफल है । वर्तमान सरकार ने जनता से जो वायदा किया था आम जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिये, जीवनोपयोगी चीजों को सस्ता करने के लिये, उस सम्बन्ध में जनता का प्रदेश सरकार से मोहभंग हो चुका है । यह सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है । जो सरकार क्रान्तिकारी रथ पर चढ़कर कोरे आश्वासनों का ढिंढोरा इस प्रदेश में पीटती थी और कोई आश्वासन पूरा नहीं हो सका है, इससे सिद्ध हो गया है कि वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है ।

मैं बाराबंकी जनपद की बात करना चाहता हूं । आज बाराबंकी जनपद में कानून व्यवस्था शून्य है । अफीम के तस्कर और तस्करी के धन्धे में लगे हुये लोगों से जिनके सम्बन्ध हैं, आज बाराबंकी की पुलिस ऐसे अपराधी तत्वों को पकड़ने के बजाय, माफिया संगठनों को संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रही है । बाराबंकी जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । आज वहां पर गुण्डागर्दी का ताण्डव हो रहा है आम नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक वैमनस्यता के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गम्भीर अपराधों में फंसाने का काम किया जा रहा है । बाराबंकी जिले में हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में एक हत्याकाण्ड हुआ है, जिसमें प्रदेश के पूर्वमंत्री पंडित श्याम लाल बाजपेयी ने वर्तमान जनता दल के सांसद राम सागर पर आरोप लगाया है । राजनीतिक वैमनस्यता के चलते श्री शिव शंकर शुक्ल और उनके भाई के परिवार के लोगों को गम्भीर हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है । यह मान लिया कि राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हरी शंकर अग्रवाल हैं, जिनकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर उनका कब्जा है, उस पर बाराबंकी जिले के सांसद जबर्दस्ती कुछ लोगों को ले जाकर नाजायज कब्जा करा रहे हैं ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

आज मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जनपद बाराबंकी में माननीय मंत्रीगण विशेषकर लोक निर्माण मंत्री किसी भी प्रकार की राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर कोई कार्यवाही न करें और मैं यह भी मानता हूं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं घटनायें हैं, जो घटी हैं, लेकिन उनकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं है, लेकिन उनको जानकारी कराकर उनका ओर ध्यान अवश्य दिया जाय और सामाजिक कार्यकर्ता को पीड़ित किया जा रहा है, उसको रोकने के प्रयास किये जांय । साथ ही यह भी अवगत करा दूं कि आदरणीय सदन को हमारे क्षेत्र (निर्वाचन) में बहुत ही चोरियां, डकैतियां व अन्य जघन्य अपराध हो रहे हैं और पुलिस कप्तान व दरोगा, बाराबंकी सब के सब भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त हैं । बल्कि अगर यह कहा जाय कि हमारे यहां आज हर जगह बजाये इस सरकार के दरोगा राज्य है । इसलिये मेरी मांग है कि प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बाराबंकी, श्री भोला नाथ यादव और श्री नरेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष, जैदपुर, बसन्धारी जो खुलेआम में अफीम की तस्करी कर रहे हैं, के फौरीतौर पर स्थानान्तरण किये जांय और बाद स्थानान्तरण के इनके विरुद्ध लगाये गये चार्जेज के अनुसार जांच कराई जाये । जब तो यह समझा जा सकता है कि यह सरकार नैतिकता के आधार पर कार्यवाही करना चाहती है और कर भी रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब मैं बजट पर क्या बोलूं । यह बजट तो बिल्कुल निर्जीव है । मैं इस बजट का समर्थन इसलिये भी नहीं करता कि यह कांग्रेस बुद्धि से बनाया गया है, जो कुल मिलाकर निराशावादी ही बजट होगा । और सर्वांगीण विकास कार्यों की ओर इसमें कोई ध्यान नहीं दिय गया है । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का विगत वर्षों में कहना था कि हमें मिला ही क्या है, सारा खजाना खाली मिला है और मैं समझता हूं कि जो भी बचा-खुचा इन्हें मिला था, वह यह लोग भी खा गये । इन्हीं कारणों से आज सारे विभाग पंगु बने हुए हैं और महंगाई दिनो-दिन बढ़ रही है, जिससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का नागरिक परेशान है, त्राहि-त्राहि कर रहा है ।

कपड़ा, दवायें, डीजल तथा अन्य तमाम खाद्य सामग्री के भाव बहुत ही बढ़े हुये हैं और हमारे माननीय खाद्य मंत्री महोदय को अभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं । स्वयं माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में ही चीनी, तेल व अन्य सामग्री की प्राप्ति हेतु 50 फीसदी जनता के राशन कार्ड तक नहीं बने होंगे और यही स्थिति तमाम यहां पर बैठने वाले माननीय सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों की होगी और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अधिकतर सरकारी गल्ला दुकानों पर चीनी व मिट्टी का तेल उपलब्ध ही नहीं है । इससे आज आम जनता परेशान है और आज हर जगह पर मुनाफाखोरी बढ़ती जा रही है । इन सारी बातों को खत्म करने के लिये यदि कोई ठोक कदम यह सरकार या माननीय खाद्य मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री जी उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनका समर्थन करेंगे और अगर केवल छोटे-छोटे लोगों को सताना ही है और पैसा लेकर खुले आम काला-बाजारी की छूट देना है तो फिर बात दूसरी हो जाती है । आज प्रदेश के मंत्रिमंडल के दर्जनों लोग ऐसे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में [× × ×] जिनके खिलाफ [× × ×] या जो अपराध के मामले में महारत हासिल किये हुये हैं ऐसे लोग बाराबंकी में शरण लिये हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठिये । अब कोई दूसरे माननीय सदस्य खड़े हों ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)--

मान्यवर, बस मैं अब एक ही मिनट और बोलूंगा । तो मैं यह कह रहा था कि हैदरगढ़ में जो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय स्वीकृत है वहां मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय बनाया जाय ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिये, मुझे एक सूचना देनी है । कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 6 मार्च, 1991 में सदन के वर्तमान सत्र के अनुमोदित कार्यक्रम में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश की है:

1--दिनांक 7 मार्च, 1991 को सदन की बैठक न हो ।

2--दिनांक 11 मार्च, 1991 को बजट पर सामान्य चर्चा का अन्तिम दिन होगा ।

3--शनिवार दिनांक 16 मार्च, 1991 तथा 30 मार्च, 1991 को भी सदन की बैठक हो ।

4--शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा ।

लोक निर्माण विभाग, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना अभी सदन में दी गयी है, सहमत है ।

नोट:--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)।

*श्री फौजदार प्रसाद—

मान्यवर, मुझे बजट पर बोलने के लिये जो मौका मिला है उसके लिये मैं आभारी हूं। बजट पर दो शब्द कहना यह हमारा औचित्य है और मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो यह बजट पेश किया गया है, बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

यह जो बजट पेश किया गया है इसमें व्यवस्था परिवर्तन की बात कही गयी है परन्तु सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं कही गयी है। इस बजट में सामाजिक परिवर्तन की बात होनी चाहिये इस सम्बन्ध में हमारे दल की ओर से एक सुझाव है कि जितनी अनुसूचित जातियों के विकास के लिये बात इस बजट में रखी गयी है जैसे कि शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, यह मात्र औपचारिकता मात्र है। शौचालय के लिये तो बहुत ही कम मात्रा में धन दिया गया है। क्षेत्रों में जो शौचालय बनाये जा रहे हैं उसके लिये मात्र 1200 रुपये और 300 रु0 काश्तकार के द्वारा इस तरह से कुल मिला कर 1500 रुपये में कोई शौचालय नहीं बन पा रहा है।

अनुसूचित जाति का विकास कह कर जो शौचालय बनाये जा रहे हैं वह मात्र 1500 रु0 की धनराशि से अपूर्ण हैं। अगर अनुसूचित जाति का विकास करना ही है तो इस धन की मात्रा को और बढ़ाया जाय ताकि ढंग से शौचालय बनाये जा सकें और कारगर हों।

दूसरी तरफ जमींदारी उन्मूलन की जो बात है प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बाद भी कुछ काश्तकार ऐसे हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और जो सोसाइटी बना कर नाजायज नामों से उस पर कब्जा किये हुये हैं, लेकिन सरकार ने अपने बजट में कोई संकेत नहीं किया है कि ऐसी भूमि को उनसे लेकर गरीबों में आवंटित की जायेगी। मान्यवर, जो भूमि गरीबों को आवंटित की गयी थी, उसका कब्जा उनको अभी अभी नहीं मिल पाया है। इसके बारे में भी सरकार ने अपने बजट में कोई चर्चा नहीं की है और न ही सरकार कोई व्यवस्था कर पायी है। मान्यवर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास की बात कही गयी है, लेकिन वह मेरे विचार से अपूर्ण है। अगर आप उनके विकास की बात सोचते हैं, तो उनको पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिये। आज भी वह लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और उनका तमाम प्रकार से शोषण किया जा रहा है, लेकिन इस बजट में किसी का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस प्रकार से उनका शोषण कम किया जायेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार होता है और जो उनका शोषण हो रहा है, उसके बारे में सरकार को नियम बनाना चाहिये और कानून बनाना चाहिये।

मान्यवर, जहां तक शिक्षा के मानक का सवाल है, उसको ऊंचा करने की बात कही गयी है। तो इस बारे में आपसे मेरा निवेदन है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनका सर्वे कराया जाये और जहां पर विद्यालय कम हैं, या जहां पर नहीं हैं, वहां विद्यालयों का निर्माण कराया जाये। एक ओर आप डाक्टर अम्बेदकर जन्म शताब्दी बना रहे हैं और लगभग 1500 स्कूल हैं, उनको अनुदान सूची में रखने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। डा0 अम्बेदकर के नाम पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामाजिक न्याय देने की बात आप कहते हैं और दूसरी ओर उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है । तो जो बजट पेश किया गया है, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । मान्यवर, नहरों और तालाबों की बात कही गयी है । जहां पर नहरें बनायी गयी हैं, वहां पर तो विकास हो रहा है और जहां पर नहरें नहीं हैं, वहां पर विकास नहीं हो रहा है और लोगों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा ह और जो सामाजिक असमानता होती जा रही है, उसको समाप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है । यह जो बजट रखा गया है, वह गरीबों के हित का नहीं है । मान्यवर, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री फौजदार प्रसाद—

[मान्यवर, हमारे दल के लोगों को जानबूझकर कम समय दिया जाता ह ।]

श्री अध्यक्ष—

आपने क्या कहा । दुबारा कहिये ।

श्री फौजदार प्रसाद—

मान्यवर, मैंने कोई बात नहीं कही है, मैंने तो यह कहा है कि हमारे दल के लोगों को जानबूझ कर कम समय दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आरोप है । आप नये सदस्य हैं, आरोप नहीं लगाया जाता है ।

श्री फौजदार प्रसाद—

[मान्यवर, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं । दो मिनट का समय और दे दें ।]

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री फौजदार प्रसाद—

मान्यवर, अनुसूचित जाति के विकास के लिये मुर्गी पालन सुअर पालन, बकरी पालन के लिये सहायता देने की बात कही जाती है लेकिन उसके लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जाति के विकास के लिये केवल मुर्गी पालन और सुअर पालन के लिये धन देने की बात न हो बल्कि उनके लिये छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोलने के लिये धन दिया जाय । केवल मात्र मुर्गी पालन, सुअर पालन से उनका उत्थान नहीं होगा आज सामाजिक गैर बराबरी बढ़ती जा रही है । इसलिये बजट भाषण में संशोधन किया जाय और अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के विकास के लिये छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोलने के लिये धन देने की व्यवस्था की जाय । ताकि उनके साथ सामाजिक न्याय हो सके । जहां एक एक तरफ सरकार उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात करती है वहां दूसरी तरफ उनको आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिल रहा है । तो इसके लिये कोई अधिनियम बनाया जाय जिससे उनको आवंटित भूमि का कब्जा मिल सके । अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों

नोट—[✕ ✕ ✕] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री फौजदार प्रसाद]

की आज उपेक्षा हो रही है । उनके लिये आरक्षित कोटा पूरा नहीं हो रहा है । हम कोटा बढ़ाने की बात नहीं करते हैं बल्कि जो उनका निर्धारित कोटा है उसको पूरा किया जाय। इस बात का बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है । इसलिये इसे अंकित किया जाय और उनका कोटा पूरा किया जाय ।

*परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जब बजट पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे तो मैं उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था । मान्यवर, जब आखिर में मैंने उनको सुना तो उन्होंने जो आपत्ति व्यक्त की कि इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जोर शेर पढ़ा पृष्ठ 51 में—"मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो,

मैंने इक शम्मा जला दी है, हवाओं के खिलाफ ।" तो इसमें उनको सबसे बड़ा एतराज यही है कि इसमें एक शब्द "मैं" क्यों आया, हम क्यों नहीं आया । तो हम खुश होंगे वह मैं को हम में बदल दें । यह तिवारी जी पर जाता है कि वह मैं को हम में बदल दें । यह कभी बधाई देते हैं कभी कहते हैं एक दिन का समर्थन है, कभी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा है । यह सच है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में स्थायित्व नहीं होगा तो आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है खासकर जनतांत्रिक प्रणाली के अन्तर्गत । तो अगर सांप्रदायिक तूफान के खिलाफ मुलायम सिंह जी ने हिम्मत और बहादुरी के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास की ज्वाला को आगे बढ़ाया और उन्होंने उसमें यह लिख दिया कि मैंने शम्मा जलाई है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है । हम चाहेंगे कि वह मैं को हम में बदल दें (व्यवधान) यह बात सही है कि सोनकर जी यहां से वहां बैठ गये (व्यवधान) छोटी-छोटी बातों में इतना तूफान मचा दें और सरकार से समर्थन वापस ले लें अगर घर के बाहर कोई दरोगा खड़ा हो जाय तो उसमें तूफान की क्या बात है । अगर कोई शिकायत है तो उसे कह । एक मैं और हमको लेकर आलोचना को इतने बड़े पैमाने पर होकर चले गये ।

लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि प्रदेश के विकास में, आर्थिक विकास में तिवारी जी, जो विद्वान हैं, जिनसे हमारे जैसे लोगों को भी अक्सर सीखने का मौका मिलता रहा है और भविष्य में मिलता रहेगा और पता नहीं उनकी योग्यता का लाभ कब तक प्रदेश को या देश को मिलता रहेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके अनुभव का लाभ हमको मिले ।

मान्यवर, एक बात और श्री तिवारी जी ने कहा और अक्सर कहते हैं कि प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में और आर्थिक विकास के सम्बन्ध में कि नई तकनीक आनी चाहिये और सबसे आधुनिकतम तकनीक को अपनाना चाहिये । यह सही है और यह भी सही है कि पहली पंच वर्षीय योजना से आज तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कि अंतिम स्वरूप नहीं दिया जा सका है उसमें विकास का आधारभूत जो फार्मूला रहा है विकास को लायें, आधुनिकता को लायें और उसमें विकास का काम होगा तो कुछ लोगों को उसमें जरूर समेट लेंगे और विकास की धारा बहेगी, छनते हुये जाये लेकिन वह कुछ लोगों तक ही पंहुचेगी और बहुमत तक हो सकता है कि न जाये । मान्यवर, आजादी में जिन मूल्यों को गांधी जी के समय में देखा वह इस फार्मूले के विपरीत दिया है और पायेंगे कि किसी देश का विकास करना है तो आधुनिक तकनीक को वहां तक अख्तियार करना होगा जहां तक प्रदेश का सामाजिक ढांचा उस आर्थिक ढांचे को स्वीकार करने को तैयार है ।

यदि अमेरिका या जर्मनी की आधुनिक तकनीक को पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले आयें तो क्या वहां का सामाजिक ढांचा उस आर्थिक ढांचे की तकनीक को स्वीकार करेगा ? मान्यवर, आज किसी तकनीक को ले आयें और मानव संसाधनों की उपेक्षा करें और बड़ी बडी मशीनरी ले आयें जिससे हाथ का काम करने वालों को चुनौती का सामना करना पड़ जाये तो यह विचार करने की बात है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज सबसे बड़ी बात है कि विकास को स्थानीय विशिष्टताओं के साथ जोड़ना होगा आधुनिक तकनीक को स्थानीय विशिष्टताओं के साथ जोड़कर आगे चलना होगा तभी विकास हो पायेगा और इस बजट में यही आधार रखा गया है । मान्यवर, महात्मा गांधी, डा0 लोहिया, डा0 अम्बेदकर, आचार्य नरेन्द्र देव आदि का नाम लेना व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि विचार हैं और स्वतंत्रता संग्राम से निकले विचार हैं । यदि हम आजादी की लड़ाई से बजट को मिलाने की कोशिश करें तो पहली चीज 52 प्रतिशत गांव के विकास पर खर्च किया गया है । इसका ब्रेक-अप मांगा गया है । यह सही है कि इस ब्रेक-अप के बारे में श्री तिवारी जी को हमसे ज्यादा जानकारी है । और जो उन्होंने एक बात कहा कि हमारे समय में 60 प्रतिशत गांव पर खर्च होता था तो वित्त आयोग और योजना आयोग इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि नहीं, वह ज्यादा जानते हैं । यह सही है कि पिछली सरकार ने जो बजट पेश किया था उस में 51.4 प्रतिशत पैसा गांव के लिये लायें और इस साल 52 प्रतिशत है । अब 52 से 60 प्रतिशत पर जाने की बात है ।

इस बजट की सबसे बड़ी बात है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, में साम्प्रदायिक हवायें चलीं और पूरे प्रदेश के आर्थिक विकास को तेज करने की बात आयी तो औसत आय को बढ़ाना है और अमन चन विकास के साथ जोड़ने की बात है तो यहां बाबरी मस्जिद और राम-जन्म भूमि सवाल ने प्रदेश को 10 साल पीछे ढकेल दिया है । मान्यवर, आज नवजवान व्यक्ति को रोजगार देने की जो प्राथमिकता थी, भूखे बच्चों को दूध देने की, बीमार को दवाई देने की जो प्राथमिकता थी वह गौण हो गयीं और प्राथमिकता खड़ी कर दी गयी कि मन्दिर बनेगा । इस तरह जो विकास होना चाहिये था उसको अवरुद्ध करने की कोशिश की गयी है ।

उस आर्थिक विकास की धारा के बहने पर रोक लगा दी गई है, किन्तु मरसक उसको बरकरार रखने के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जो साहसपूर्ण कोशिश की है वह राजनीति के इतिहास में अपनी छाप छोड़ेगी । इसी के लिये हमें वह शेर याद आती है कि हमारी हिम्मत को सराहो और इसी शेर में हमारी बात की अभिव्यक्ति होती है । इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में और तमाम विकास की धाराओं को तरह-तरह से रोकने के प्रयासों के बीच हमारी सरकार ने अपने बजट में कोई भी नया टैक्स प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया है । किन्तु इसके लिये विरोधियों की ओर से बड़ी कोशिश की गई ।

हमें तो विरासत में पूरा घाटे का बजट मिला था, हम नुकसान में चल रहे थे । किन्तु हमने जो नया बजट शुरू किया है वह घाटे में नहीं, बल्कि 50 करोड़ रुपया जो हमारे खजाने में था उसको लेकर प्रदेश के विकास कार्य को मजबूती के साथ शुरू किया है और हमने जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है । बढ़ती हुई बेरोजगारी इस सरकार को अभिशाप के रूप में मिली थी । इसको दूर करना सभी सरकारों का नम्बर एक का काम होना चाहिये, और इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितनी रोजगार देने की योजनायें इस बजट में हैं, उतनी किसी बजट में नहीं थी । पिछले 15–20 सालों के बजट में इतने रोजगार के अवसर कभी सृजित नहीं किये गये, न रोजगार के लिये इतनी योजनायें प्रदेश में दी गई । 50 करोड़ रुपयों से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की योजना है । इसके लिये वित्तीय प्राविधान भी किया गया है । मैं तो तिवारी जी से चाहूंगा कि वह मैं से हम हो जायें । वह मैं को हम में बदल दें और उनके पास वित्तीय ज्ञान का जो सागर है जो असीम अनुभव है उसको लेकर वह मुलायम सिंह जी का सहयोग करें और दोनों मिलकर, हम मिलकर इसे प्रदेश की विकास की गति को बहुत तेज चलाकर आगे ले जायें ।

वह पूरे का पूरा सहयोग मुलायम सिंह की सरकार को दें इससे हम प्रदेश को निश्चित रूप से निर्विघ्न आगे बढ़ा सकते हैं । इसके अलावा सबसे बड़ी पूर्वांचल के लिये बात यह है । हमारे पास जो आंकड़े हैं, तिवारी जी प्रदेश के चार बार मुख्य मंत्री, पन्त जी एक बार और बहुगुणा जी भी एक बार मुख्य मंत्री इस प्रदेश के रह चुके हैं और यह सबके सब पहाड़ के मुख्य मंत्री रहे हैं ।

[परिवहन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)]

आप एक हजार की आबादी में सड़कों की लम्बाई देख लें अस्पताल में कितने बिस्तर हैं यह देख लें या प्रति व्यक्ति शिक्षा देख लें तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल और बुन्देलखण्ड की अपेक्षाकृत सब से अधिक विकास पहाड़ में हैं । और यह पहली बार हुआ है । जिस पूर्वांचल ने आजादी की लड़ाई में अगुवाई की, 1857 के स्वतंत्रता-युद्ध में अगुवाई की है, उसके लिये सरकार ने पहली बार 20 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की है, और बुन्देलखण्ड के लिये 5 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, जिसे बढ़ाकर अब साढे सात करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । आज की विपरीत स्थिति में—चाहे साम्प्रदायिकता का ज्वार-भाटा हो या खाड़ी-युद्ध हो, या असन्तोष की बहती धारा हो या फिर क्षण रूष्टा, क्षणें तुष्टा की नीति हो, इसमें जो शमां मुलायम सिंह ने जलाई है, उसमें आपको साथी बनना चाहिये, हमराही बनना चाहिये, ताकि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके और प्रदेश की बेरोजगारी को दूर किया जा सके । इसके साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनता रहा, और अभी माननीय मंत्री जी के विचारों को सुनता रहा । मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, मुझे आपने समय दे दिया तो सोचा बोल लूं तो मैं सारांश में अपने पर्वतीय अंचल की बात आपके सामने रखना चाहता हूं । पहले मैं सम्मानित सदस्यों को निमंत्रण देना चाहता हूं कि वह पर्वतीय क्षेत्र में आये और पहाड़ों की स्थिति को देखें । हमारे मंत्री जी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी के बारे में कहा । तिवारी जी के बारे में कहा कि चार बार मुख्य मंत्री जी बने । पन्त जी का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन चन्द्रभानु गुप्त जी का जिक्र करना वह भूल गये, वह भी मुख्य मंत्री रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, इसलिये मैं सम्मानित सदस्यों को निमंत्रण देना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में चलें और पहाड़ों की हालत को देखें, वहां की परेशानी को देखें मैं जिस जिले से जीत कर आया हूं, मेरी हमेशा यह मांग रही है कि हमारा उत्तराखंड अलग प्रान्त बना दिया जाय । जब तक उत्तराखण्ड अलग राज्य नहीं बनता है पहाड़ों का विकास नहीं हो सकता है ।

मुझे राम मनोहर लोहिया जी के साथ, आचार्य जी के साथ, जय प्रकाश नारायण जी के साथ रहने का मौका मिला है । मुलायम सिंह जी मुझसे बहुत जूनियर हैं, लेकिन मुझे यह बात क्यों कहानी पड़ी कि उत्तर प्रदेश के साथ रहकर पहाड़ों का विकास नहीं हो सकता है । जो भी भ्रष्ट अधिकारी हुआ उसको पहाड़ों में भेजा गया । तिवारी जी कहते हैं कि आन्दोलन पर्वतीय क्षेत्र में चल रहा है मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, अगर यह पक्षधर रहते तो क्या अलग प्रान्त बन जाता ? पर्वतीय क्षेत्र में 35–36 किलोमीटर दूर पैदल महिलायें और बच्चे सामान लेने जाते हैं । मैं आज ही पहाड़ से आ रहा हूं एक दाना गेंहूं नहीं है । 6–6 रुपये किलो आटा खरीदने पर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है ब्लैक में लोगों को गेंहूं खरीदना पड़ रहा है । मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दाना गेंहूं लोगों को नहीं मिल रहा है । 4–5 किलोमीटर से पानी ढोने के लिये महिलाओं और बच्चों को मजबूर होना पड़ रहा है । अंशकालिक शिक्षकों की नौकरी लगाने की बात कही गई । हाई स्कूल और इण्टर कालेज बगैर शिक्षकों के चल रहे हैं । आज भी लगभग 400 शिक्षक यहां नौकरी मांगने आये हुये हैं । अंशकालिक चिकित्सक हैं वह तदर्थ नियुक्ति चाहते हैं । उनको नहीं दी जा रही है । मान्यवर सड़कों की हालत तो यह है कि 82 के बाद एक सड़क नहीं बनी है । वन संरक्षण अधिनियम के खिलाफ आन्दोलन किया गया उसमें हमारे ऊपर भी मुकदमा चल रहा है । हम बार–बार कह रहे हैं बिजली की लाइन नहीं है उनको बनाया जाये । इनके पास जमीन कम है उसके बाद यह कहते हैं कि जो सरकारी भवन बनाने हैं उसके लिये अपनी खेती योग्य भूमि दे दीजिये ।

पहाड़ के लोगों के पास खेती की जमींने बहुत कम हैं और छोटे–छोटे हमारे खेत हैं इसलिये अगर खेतों की जमीन किसी दूसरे काम के लिये ली जायगी तो खेती की जमीन कम हो जायगी ।

यह आज जो 330 करोड़ रुपया मिला है इस पर लोग आंख लगाये बैठे हैं । जिस तरह से गंगा, यमुना, राम गंगा का पानी मैदानों में आता है उसी प्रकार से इस बजट का पैसा नीचे मैदान में आता है, बड़े-बड़े अफसर, इंजीनियर लोग जो यहां से मंजे गये हैं धोखाधड़ी करके इस पैसे को खा जायेंगे। तो कम से कम इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा । दूसरी बात कब तक हम पहाड़ के लोगों को आप गुमराह रखेंगे । मुख्य मंत्री का कहना है कि पहाड़ों का विकास कर देंगे । अलग पहाड़ी राज्य का नाम न लो । लेकिन आज पहाड़ के लोग मजबूर हो गये हैं और वह ठोकरें खा रहे हैं । एक-एक नौकरी के लिये 10-10 हजार रुपय रिश्वत देनी पड़ रही है चाहे वह हरिजन हो या सवर्ण हो ।

आज यह स्थिति है कि मुख्य मंत्री जी ने जितने भी आदेश किये हैं, मैंने मुख्य मंत्री जी से चिट्ठियां लिखायी हैं, लेकिन आज तक एक पर भी अमल नहीं हुआ है । जब मुख्य मंत्री की लिखी चिट्ठी पर अमल नहीं होता तो अन्य मंत्रियों की बात कौन कहे । अधिकारी कह देते हैं कि चिट्ठी नहीं आयी है । हमने मुख्य मंत्री जी को समर्थन दिया और आज समर्थन का परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां कोई काम नहीं हो रहा है । [× × ×] हम मित्रों के यहां बारातों में गये। गांवों में लोग कहते हैं [× × ×] । आखिर हम कब तक इस बात को बर्दाश्त करेंगे । पहाड़ों को बजट तो दिया जा रहा है लेकिन उसका लाभ पहाड़ के लोग नहीं उठा पा रहे हैं । हमारी स्थिति को आज गहराई से समझना होगा । अगर हमारी स्थिति को गहराई से नहीं समझा गया तो स्थिति खराब हो जायगी । हमारे मुख्य मंत्री जी देहरादून गये, हल्द्वानी गये, काठगोदाम गये लेकिन पहाड़ पर नहीं गये । जो लोग पहाड़ों पर गये हैं उन्होंने पहाड़ों को देखा है । जो वहां घूमे हैं उनको वहां की स्थिति मालूम है । मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री यहां पर बैठे और अन्य मंत्री भी यहां पर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल कर दीजिये । आपने वहां पर टूरिस्ट होस्टल बनाने की बात कही है । आप वहां पर 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं । यह होटल बड़े-बड़े लोग बनायेंगे । इन होटलों में बड़े लोग ही ठहरेंगे जिनके पास लाखों रुपये होंगे । आप मुझे यह बतायें कि जो हमारे पहाड़ के शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिये कौन सी योजना बना रहे हैं । पहले हम लोगों को फौज में ले लेते थे, वफादार माना जाता था लेकिन आज फौज में नहीं लिया जा रहा है । आज हमारे यहां के लड़के शहरों को भाग रहे हैं और वहां छोटी-छोटी नौकरियां कर रहे हैं । आप मेरे कमरे में जाकर मेरी दुर्दशा देखें । 7-8 लड़कों को मैं 8-9 महीनों से खिला रहा हूं और आज तक उनको नौकरी पर नहीं लगा पाया हूं । किसको मैं अपनी पीड़ा बताऊं । हम अगर इस प्रदेश से अलग होना चाहें तो आप उसका समर्थन नहीं करेंगे, इसकी सिफारिश नहीं करेंगे और अगर हम आपके साथ रहते हैं तो आप हमारा कोई काम नहीं करेंगे ।

हमारी हालत [× × ×] जैसी हो गयी है । [× × ×] पति की वफादार होती है, पति की सेवा करती है, सुबह शाम पति की सेवा करती है लेकिन पति उसे न खाना देता है न कपड़ा देता है और न उसका कोई ख्याल रखता है । तो वही हालत हमारे पहाड़ की हो रही है । चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या चाहे आपकी सरकार रही हो हमारी हालत एक जैसी रही है ।

स्वर्गीय माननीय चौधरी चरण सिंह जब थे, उन्होंने कहा कि हम अलग प्रान्त बनायेंगे, उत्तर प्रदेश का विभाजन करेंगे, यह प्रदेश बड़ा हो गया है । माननीय अजीत सिंह जी ने भी यही कहा । माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी यही कहा और माननीय मुलायम सिंह जी ने भी यही कहा, लेकिन जब ये सत्ता में आये, तो इन्होंने इसका विरोध किया और यह कहा कि हम पहाड़ के लिये अलग प्रान्त की बात ही नहीं करेंगे । मान्यवर, आज भी पर्वतीय अंचलों की महिलायें 4-4, 5-5

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री जसवन्त सिंह--]

किलोमीटर दूर से पीने के लिये पानी लाती हैं और 26-26 27-27 किलोमीटर दूर से खाद्यान्न ले आती हैं । इन पर्वतीय अंचलों के लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन हमारे पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिये गहराई से देखेगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 का अननुमोदन करता है ।

ऐसा है मान्यवर, कि सहकारी समितियों के कार्य-कलाप समाप्त हो गये, कायदे से इनका चुनाव होना चाहिये, तो श्रीमन् इन्होंने चुनाव तो कराया नहीं, फिर दूसरी व्यवस्था ले आये कि हम प्रशासक रखेंगे; तो श्रीमन्, हम तो यह चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराये जायें, लेकिन इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है । इस समय सहकारी समितियों के अन्दर जो भ्रष्टाचार पैदा हो रहे हैं, उसको देखते हुए एक कमेटी बनाई जाय और शीघ्र चुनाव कराये जायें ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर इस पर कोई विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है । अभी आपने देख रखा है और इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ गयी है कि नीचे तो चुनाव हो गये थे, लेकिन जो अपेक्स बाडी थी उनके चुनाव नहीं हो पाये थे ।

श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना"--

जहां पर चुनाव नहीं हो पाये, जो वर्मा जी प्रस्ताव लाये हैं, उन्हीं सबके कारण चुनाव नहीं हो पाये हैं । इसमें आप इतना संशोधन कर लें कि जो चुने हुये प्रतिनिधि थे, चेयरमैन थे, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटर बना दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन), विधेयक 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1--प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे ।

3—धारा 35 का संशोधन—मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे ।

4—निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड 4, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

सहकारिता एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री राम शरण दास)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) तृतीय संशोधन अध्यादेश, 1990 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, 1991

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 का अनुमोदन करता है ।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

माननीय, जिला परिषदों और जिन जनपदों में चुनाव नहीं हुये हैं, श्रीमन्, उन्हें बार-बार यह सरकार टालती रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नये जनपदों का सृजन हुआ उनमें जिला परिषद् के सदस्यों के चुनाव तो हो गये लेकिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ । अब अध्यक्ष के चुनाव के लिये इन्होंने उनका चुनाव भी समाप्त कर दिया, चुने हुये जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव भी सरकार ने निरस्त कर दिया जो अपना काम कर रहे थे तो जिला परिषद् जैसे महत्वपूर्ण महकमें को जिसके अन्तर्गत डी०आर०डी०ए० के सारे विकास के कार्यक्रम सम्बद्ध हैं और जिन जनपदों में जिला परिषद् के अध्यक्ष नहीं हैं वहां काम चलाने के लिये बड़ी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं । नतीजा यह हुआ कि सारी विकास की राशि जिलाधिकारियों के हित में संचित कर दी गयी है और जिलाधिकारी मनमाने ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं । जैसे हैण्ड पम्प का मामला है जहां जिलाधिकारी इसका प्रशासक भी है जिला परिषद् का और डी० आर० डी० ए० का मालिक भी बन गया है वहां यह वही लागू करता है डी० डी० ओ० (जिला विकास अधिकारी) के मार्फत हरिजन पेय जल के मामले में हैण्डपम्प उनके द्वारा लगवाये जा रहे हैं जिनकी मरम्मत का न कोई हिसाब है न रख-रखाव का कोई हिसाब है यह हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे तो यह किसको देंगे । डी० आर० डी० ए० की बैठक चलती नहीं, विचार होता नहीं तो हैण्ड पम्प को देखेगा कौन । इससे लाखों रुपया सरकार का बेकार हो रहा है । एक बड़ी रकम को जिलाधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ मिल कर एक भ्रष्टाचार का स्रोत खोले हैं जिससे स्थिति भयानक हो गयी है । इसलिये मैं चाहता हूं कि जिला परिषद् का चुनाव कराने के लिये यह सरकार तिथि तय करें और यह सरकार चुनाव कराये । चुनाव को राजनीतिक घटना के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये यह बार-बार चुनाव टाल रहे हैं । यह चुनाव कराने की तिथि जल्द तय करें और इसका चुनाव कराने के लिये आप भी निर्देशित करें ।

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम यादव)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

माननीय, माननीय वर्मा जी ने अभी कुछ सुझाव के रूप में इस विधेयक का एक तरह से समर्थन ही किया है जैसा कि पूरा सदन इस बात से अवगत है कि हमारे पूरे प्रदेश में 47 जिलों में हमारे निर्वाचित अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं निर्वाचन उसी समय हो गया होता अगर कुछ जिलों के बटवारे के समय जिनकी सीमायें नहीं निर्धारित थीं इसके कारण उस समय चुनाव नहीं कराये गये । इसी तरह से हमारा महराजगंज और गोरखपुर के अभी कुछ ब्लाकों का सीमांकन बाकी है ब्लाक के कुछ हिस्से महराजगंज और गोरखपुर दोनों में आते हैं इसी तरह से यह जनगणना के कारण अभी यह जो सीमांकन का कार्य है यह रुक गया है । हम इनकी राय से सहमत हैं । सरकार कटिबद्ध है और हम लोग चाहते हैं कि निर्वाचन हो और जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालन हो । माननीय वर्मा जी ने जैसा कहा, हम निकट भविष्य में चुनाव करायेंगे । अभी जनगणना के कारण सीमांकन बाकी है । जल्द ही चुनाव करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1—प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा ।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे ।

3—निरसन और अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 359, 1990) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

क्षेत्रीय विकास एवं पंचायतीराज मंत्री (श्री बलराम यादव)—

माध्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद फिरोजाबाद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 15 के लिये दिनांक 12 मार्च, 1991 निश्चित की जाती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से पहली सूचना जो श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री भारत सिंह रावत तथा श्री कुंवर सिंह नेगी की है, पौड़ी में नरभक्षी बाघ के आतंक से असवालस्कूं गाँव में 14 लोगों की जानें जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह सूचना नियम 56 में दी गयी थी, इसे नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया । इसके अलावा श्री हरिवंश सहाय, श्रीमती सियादुलारी, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री पंचानन राय, श्री सुन्दर लाल श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री किशन गोपाल, श्री दयाराम भास्कर, श्री रामलखन वर्मा, श्री चन्द्रभान मौर्य तथा श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री की सूचनाएं हैं । श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । अन्य सभी सूचनायें निरस्त की जाती हैं ।

जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय को जलेसर रोड से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(मंत्री जी द्वारा वक्तव्य पढ़ना आरम्भ किये जाने पर)

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व राज्य मंत्री (श्री संत बख्श रावत)—

[जनपद फिरोजाबाद का सृजन उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी, 1989 द्वारा किया गया । नवसृजित जिले का मुख्यालय फिरोजाबाद में रखा गया व इसमें जिला आगरा की तहसीलें फिरोजाबाद, एत्मादपुर का पूर्ण क्षेत्र तथा जिला मैनपुरी की तहसील शिकोहाबाद व तहसील जसराना के 96 ग्राम सम्मिलित किये गये ।

2—उक्त नव सृजित जनपद फिरोजाबाद के सृजन के उपरान्त दिनांक 6 फरवरी, 1989 के पत्र द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय हेतु राजकीय कार्यालयों एवं आवासीय भवनों के लिये 4 राजस्व ग्रामों क्रमशः लालऊ, रहना, ककरऊ तथा सुखमलपुर निजामाबाद की कुल 194.291 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अर्जित किये जाने का प्रस्ताव किया गया व बताया गया कि अर्जन पर करीब 9.30 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा । अपने पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1989 में जिलाधिकारी ने अपने उक्त प्रस्ताव को संशोधित करते हुये प्रस्ताव भेजा कि भविष्य के विकास तथा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये मौजा—ककरऊ, सुखमलपुर, निजामाबाद, सेलई, दीदामई, आराजी रूद, पेमपुर रैपुरा तथा दौलतपुर में 183.98 एकड़ भूमि अर्जित की

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जाये । इस पर लगभग रु0 2.15 करोड़ का व्यय आंकलित किया गया । संशोधित प्रस्ताव भेजे का कारण यह था कि प्रस्तावित भूमि औद्योगिक विकास निगम द्वारा पहले से ही अध्याप्त थी । शासन स्तर पर विचारोपरान्त नवसृजित जनपद फिरोजाबाद में आवासीय एवं अनावासीय भवनों हेतु उपयुक्त भूमि के चयन एवं सम्बन्धित अन्य सभी प्रयोजनों जैसे भूमि अध्याप्ति भवन निर्माण आदि के कार्य को प्राथमिकता एवं तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिये मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति का दिनांक 4 अगस्त, 1989 को गठन किया गया ।

3—इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में उक्त समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 1989 को निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी निवास हेतु सिंचाई विभाग की खण्डहर पड़ी फकरुद्दीन कोठी निरीक्षण भवन की भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करा ली जाय और प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु फिरोजाबाद–जलेसर मार्ग पर स्थित औद्योगिक विकास निगम द्वारा अर्जित भूमि में से सड़क के बाईं ओर स्थित ग्राम दौलतपुर में 168.57 एकड़ भूमि का राजस्व विभाग को हस्तान्तरण करा लिया जाय ।

4—उक्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 22–1(1)/88 (358)–रा0–5, दिनांक 11 जनवरी, 1990 द्वारा जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय हेतु 191.81 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये रु0 186.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । जिलाधिकारी से इस धनराशि में से अर्जित क्रय की गयी भूमि तथा उपयोगिता धनराशि का विवरण मांगने पर जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ने दिनांक 30 सितम्बर, 1990 के पत्र द्वारा शासन को सूचित किया कि उक्त धनराशि में से 60 लाख रुपये उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूमि अर्जन हेतु दिये जा चुके हैं लेकिन इसी बीच मुख्यालय स्थापित करने के स्थान के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुये जिसे देखते हुये आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी । इन प्रत्यावेदनों में यह बताया गया कि जो मौजूदा स्थान जिला कलेक्टरी बनाने के लिये चयन किया गया है वह करीब 8 किमी0 दूर है । विकल्प के रूप में यह सुझाव दिया गया कि जिला कलेक्टरी बनाने के लिये कनेटा ग्राम के पास दो फरलांग पर वजीरपुर व गुनपई का ऊसर है । यह जमीन ऊसर है और गांव समाज की है व उसको लेने में शासन को खर्चा नहीं होगा और खेती की अच्छी भूमि बच जायेगी । इसके अतिरिक्त इसी सम्बन्ध में श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 29 जून, 1990 भी प्राप्त हुआ, जिसके साथ बार एसोसियेशन फिरोजाबाद का पत्र दिनांक 25 जून, 1990 संलग्न करते हुये सांसद महोदय द्वारा बार एसोसियेशन द्वारा प्रस्तावित स्थान पर जिला मुख्यालय स्थापित किये जाने की प्रबल संस्तुति की गई । बार एसोसियेशन द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 25 जून, 1990 में फिरोजाबाद–जलेसर रोड पर मुख्यालय स्थापित किये जाने पर तीव्र विरोध प्रकट करते हुये कहा गया कि फिरोजाबाद–जलेसर रोड पर जिला मुख्यालय के लिये जिस भूमि का चयन किया गया है वह जनपद की संपूर्ण जनता के हित के अनुकूल नहीं है । अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि जिला मुख्यालय के लिये कनेटा के पास वजीरपुर–जहेलपुर में मुख्यालय स्थापित किया जाय । इस मांग को लेकर बार एसोसियेशन, शिकोहाबाद द्वारा चलाये जा रहे जन-आन्दोलन को बार एसोसियेशन फिरोजाबाद द्वारा न्यायिक एवं जनहित में बताया गया और उसे अपना समर्थन देने की बात कही गयी ।

5—बार एसोसियेशन फिरोजाबाद की उक्त मांग पर जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से आख्या मांगी गयी, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1990 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम वजीरपुर, जहेलपुर, आकलाबाद, हसनपुर एवं गुनपई में गांव सभा की खुली भूमि तलाश की गयी । मालूमात करने पर लगभग 15 हेक्टेयर छुटपुट भूमि ही मिल पाई है, जबकि जनपद मुख्यालय के लिये लगभग 100 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी । इसके अतिरिक्त

इस प्रस्तावित स्थल के लिए शिकोहाबाद अथवा फिरोजाबाद से कोई सीधा रास्ता नहीं है। फिरोजाबाद वालों को शिकोहाबाद की तरफ लगभग 4 किमी0 और शिकोहाबाद वालों को फिरोजाबाद की तरफ 16किमी0 चलकर लगभग 6 किमी0 अन्दर जाना होगा। इसके लिये फिरोजाबाद-शिकोहाबाद रोड से 6 किमी0 लम्बी 100 फुट चौड़ी सड़क भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिये अलग से भूमि अध्याप्ति करनी पड़ेगी। अतः बार एसोसियेशन के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा मक्खनपुर के निकट जिला मुख्यालय भवन के निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जिला मुख्यालय के लिये चयनित स्थान (क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़) फिरोजाबाद-जलेसर रोड पर फिरोजाबाद से 4 किमी0 दूर दौलतपुर गाँव में स्थित था जबकि जिलाधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 1990 द्वारा बताया कि उन्होंने फिरोजाबाद-शिकोहाबाद मार्ग पर फिरोजाबाद से 9 कि0मी0 दूर स्थित मक्खनपुर के निकट भूमि के चयन हेतु पूरे मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का निरीक्षण कराया एवं गहराई से विचार करने के उपरान्त प्रस्तावित किया कि जिला मुख्यालय फिरोजाबाद-शिकोहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर खलीलगंज (क्षेत्रफल 230 एकड़) गाँव में स्थापित किया जाये। जिलाधिकारी ने इसकी उपयुक्तता पर प्रकाश डालते हुये बताया कि यह गाँव गैर-आबाद है तथा फिरोजाबाद-शिकोहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिरोजाबाद से 6 कि0मी0 तथा मक्खनपुर से 3 किमी0 की दूरी पर स्थित है तथा इस ग्राम में मुख्यालय स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह स्थल अत्यन्त सुगम, उपयुक्त एवं सभी को मान्य होगा तथा इसमें जनता, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को कोई कठिनाई नहीं होगी। जिलाधिकारी ने इस स्थान को मुख्यालय के उपयुक्त पाया एवं आयुक्त, आगरा मण्डल द्वारा भी स्थल का निरीक्षण करके जिलाधिकारी के उक्त प्रस्ताव से अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

6—अन्ततोगत्वा जिला फिरोजाबाद के मुख्यालय हेतु फिरोजाबाद-शिकोहाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर फिरोजाबाद से लगभग 6 किमी0 दूर गैर-आबाद ग्राम खलीलगंज में 211.28 एकड़ भूमि तथा ग्राम विजयपुर नगला भावसिंह की 94.64 एकड़ भूमि (कुल 305.92 एकड़ भूमि) अर्जित करने का निर्णय हुआ। चूंकि भूमि कृषिक श्रेणी की थी, अतः भूमि उपयोग परिषद् का भी अनुमोदन प्राप्त किया गया व धारा 4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 1991 को जारी की गई।

7—नवसृजित जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के ऊंचे स्तर के कार्यालय स्थापित होने आवश्यक होते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यालयों तथा आन्तरिक सड़कों, पार्कों, ड्रेनेज आदि के लिये भी भूमि का प्राविधान रखना होता है। इस प्रकार लगभग 300 एकड़ भूमि की न्यूनतम आवश्यकता एक स्थान पर होती है। इस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ही खलीलगंज एवं ग्राम नगला भावसिंह में एक मुश्त उपलब्ध 305 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही की गई है। ग्राम खलीलगंज व ग्राम विजयपुर नगला भावसिंह से सटा हुआ ऊसर क्षेत्र नहीं है। ऊसर क्षेत्र खलीलगंज से करीब 3-4 किमी0 दूरी पर है, जिसके बीच कुछ ग्राम पड़ते हैं। ऊसर में इस मुश्त आवश्यकतानुसार भूमि भी उपलब्ध नहीं है।

8—चूंकि समयोपरान्त जिला मुख्यालय का विस्तार भी होता रहता है, अतः भविष्य की मांग को भी दृष्टिगत करना आवश्यक होता है। ग्राम खलीलगंज व नगला भावसिंह में भविष्य में भी विस्तार की आवश्यकता होने पर भूमि उपलब्ध हो जावेगी।

9—खलीलगंज में जिला मुख्यालय की स्थापना से शिकोहाबाद तहसील व जसराना तहसीलों एवं फिरोजाबाद में सम्बद्ध ग्राम क्रमशः 20 किमी0 व 30 किमी0 के अन्दर हो जाती है व इस प्रकार इन तहसीलों/क्षेत्रों को मैनपुरी जिले से निकाल कर फिरोजाबाद जनपद में सम्मिलित करने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है अन्यथा इनके मैनपुरी से निकालने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

10—जलेसर में जिला मुख्यालय की स्थापना से कस्बा फिरोजाबाद पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। चूंकि फिरोजाबाद में सम्मिलित तहसील शिकोहाबाद तथा जसराना तहसीलों

के ग्रामों की जनता को जिला मुख्यालय, फिरोजाबाद कस्बा से होकर जाना पड़ता, जिसके कारण कस्बा के यातायात आदि का घनत्व बढ़ जाता। ज्ञातव्य है कि कस्बा फिरोजाबाद अत्यन्त घनी आबादी का कस्बा है।

11—अधिगृहीत की गयी भूमि में ग्राम विजयपुर नगला भावसिंह के 35 गाटा नम्बर हैं, जिसमें 110 कृषक प्रभावित होंगे। ग्राम खलीलगंज के 88 गाटा नम्बर हैं, जिनमें 194 कृषक प्रभावित होंगे। प्रभावित भू-स्वामियों की धारा 4 की विज्ञप्ति की तिथि को प्रचलित बाजार भाव की दर पर प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा व उस पर 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम भी देय होगा। इस प्रकार अर्जित भूमि का यथेष्ट प्रतिकर समस्त प्रभावित भू-स्वामियों को प्रदान किया जावेगा।]

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसी भूमि से सटा हुआ सोती का नगला के पास 60 एकड़ ऊसर भूमि मौजूद है और एक फसली जमीन है, जो मुख्यालय बनाने के लिये उपयुक्त है। क्या उस भूमि को देखने के लिये विधायकों की एक समिति बनायेंगे ?

श्री सन्त बक्श रावत—

माननीय, माननीय वर्मा जी ने जो ऊसर के बारे में कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय वर्मा जी ने एक पत्र राजस्व सचिव को दिया था और उस पत्र पर माननीय वर्मा जी के साथ जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को भेजा था और वहां पर कोई ऊसर भूमि जितनी हमको जिला मुख्यालय बनाने के लिये चाहिये थी, उतनी नहीं उपलब्ध पायी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय, मुझे बड़ा खेद है, माननीय में निवेदन करना चाहूंगा कि वह 3 फसली जमीन है इसमें 75 निजी नलकूप हैं, तीन राजकीय नलकूप हैं और 24 डीजल पम्प हैं, तीन फसली जमीन है यह मौके पर साबित है नक्शा देख सकते हैं। वहां से खिसक कर जहां एक फसली जमीन है, 60 एकड़ ऊसर है। उस जगह को लेने में क्या कठिनाई है। इसलिये में कह रहा हूं कि इसमें एक कमेटी बना लें जो इसे देख ले। इससे कई लोग बरबाद हो जायेंगे। में माननीय बाबू राम यादव जी की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि आप ऊसर को इस्तेमाल में लें खेती की जमीन न ली जाय। माननीय, इसलिये सीधी सी बात है कि कमेटी बना दें इसमें तमाम लोग बरबाद होंगे इसमें खेती की 3 फसली जमीन ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री बाबू राम यादव)—

माननीय, मैं तीन बार वहां जा चुका हूं, सारे लोग वहां तैयार हैं कि हमारी जमीन ले ली जाय, वर्मा जी को पता नहीं क्या ऊसर से लगाव हो गया है, वहां के लोग जमीन खुशी-खुशी देने के लिये तैयार हैं कि इसे लेकर जिला मुख्यालय बना दिया जाय, वहां के लोगों से बात हुई है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, कोई तैयार नहीं है । जो आदेश दिये हैं, मान्यवर इस प्रकरण को किसी कमेटी से दिखवा लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निदेशित करता हूं माननीय मंत्री जी इसे दिखवायें ।

अब हम 11 मार्च, 1991 के पूर्वाह्न 11-00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
6 मार्च, 1991

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नत्थी 'क'

(देखिये सा0 प्र0 सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

संलग्नक—1

प्रमुख मांगें

1. गेहूं का लागत मूल्य पर 25% बोनस जोड़कर निर्धारित किया जाये ।
2. किसानों के कर्जमाफी का वादा तत्काल पूरा किया जाये ।
3. किसानों की उपजाऊ भूमि का सरकारी और गैर सरकारी कार्यों के लिए अधिग्रहण पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहीत भूमि का बाजार रेट पर मुआवजा दिया जाये ।
4. कृषि यन्त्र इत्यादि ऋणों से बिचौलियापन समाप्त किया जाये ।
5. गांव और शहरों में आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली में समानता लायी जाये ।
6. भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर 1990 तक चलाये गये सभी मुकदमें वापस लिये जायें ।
7. दोहरी शिक्षा नीति की समाप्ति, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान तथा किसानों व भूमिहीन मजदूरों के लड़कों को रोजगार की व्यवस्था ।
8. कारखाने के उत्पादन एवं खेतों के उत्पादन मूल्य का अनुपात समाजस्यपूर्ण निर्धारण ।
9. देश के नदियों में बाढ़ नियन्त्रण एवं पर्यावरण प्रदूषण निवारण के लिए भारतीय किसान यूनियन नदियों को गहरा करने के लिए मिट्टी बालू खोदकर सड़कों तथा रेलवे लाइनों के किनारे निचली और जलभराव वाले स्थान पर श्रमदान द्वारा पोटकेर फलदार वृक्षारोपण तथा शाक भाजी की व्यापक स्तर पर खेती करने की अनुमति तथा कृषि गोपालन एवं बागवानी पर आधारित उद्योग स्थापित करने में सरकार सहयोग दे ताकि प्रदेश की अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान हो सके । प्रदेश भर में मंगलवार के दिन यह प्रयोग सड़कों के किनारे ईंट के भट्ठों द्वारा बर्बाद की हुई भूमि पर करेंगे और जिले-जिले में रचनात्मक कार्यों के संगठन खड़ा करेंगे ।
10. प्रदेश की नदियों में जल प्रदूषण बहुत बढ़ गया है जिसे शहरों के गन्दे पानी को सिंचाई कार्यों में प्रयोग लाने की योजना सरकार को दी गयी है । यदि सरकार भारतीय किसान यूनियन को आर्थिक सहायता दे तो किसान व मजदूर मिल कर श्रमदान द्वारा जल प्रदूषण को आसान तरीके से दूर करके प्रदूषित जल को सिंचाई कार्यों में योग करके प्रदूषण निवारण का विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं ।
11. ऊर्जा संकट के निवारण हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्रमुख स्रोत गोबर के भरपूर उत्पादन हेतु बड़ी-बड़ी गोशालाएं स्थापित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन को आर्थिक सहयोग दिया जाये जिसकी योजना सरकार को जन चेतना समिति द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर)

विकास खण्ड, चित्रकूट (शिवरामपुर) में 31 दिसम्बर, 1990 तक एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत ग्रामों की सूची :

क्रमांक	ग्राम का नाम	कोड	विद्युतीकरण का दिनांक	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	पटिया जप्ती	137	15-2-87	
2	कटेहा माफी	139	28-2-78	
3	परसौगा	140	30-3-71	
4	साई पुर माफी	141	20-7-72	
5	कन्टीपुर	150	15-8-69	
6	कसहाई	154	13-3-67	
7	सपहा	155	31-5-70	
8	लोढ़वारा	156	20-12-87	
9	बन्धुइन	158	17-12-67	खम्भे व तार नहीं हैं ।
10	बरवारा	159	31-3-83	
11	ताम्बनी	161	30-12-69	खम्भे व तार नहीं हैं ।
12	दुबारी	163	30-9-70	"
13	गौरी	164	30-9-70	"
14	ऐरन माफी	165	30-9-70	"
15	बनकट	167	28-12-66	"
16	करवी माफी	168	15-3-84	
17	खोह	169	31-3-71	
18	क्रोल गदहिया	171	28-2-79	
19	बनाड़ी	173	25-12-81	
20	सिद्धपुर	175	14-3-84	
21	सीतलपुर तरौंहा	176	5-12-77	
22	रेंहुटिया	177	30-7-71	
23	सेमरिया चरन दासी	178	30-3-71	
24	धुरेटनपुर	179	23-6-72	
25	मानपुर	180	23-6-72	
26	लोखरिहा	184	20-5-81	

1	2	3	4	5
27	शिवरामपुर	191	9-11-68	
28	पथरौड़ी	192	29-3-82	
29	पन्डरी	195	31-3-86	
30	रैपुरवा माफी	196	22-3-83	
31	तरांव	197	21-3-87	
32	भैसोफा	198	10-2-85	
33	बीरा	200	23-3-87	
34	इटखरी	204	23-12-84	
35	हिनौता माफी	205	26-3-87	
36	रमयापुर	215	28-3-87	
37	कपसेठी	217	31-3-84	
38	चन्द्रगहना	219	20-2-83	
39	अमालपुर	220	15-2-87	
40	डिलौरा	223	20-12-81	
41	कटरा गूदर	225	31-3-71	
42	तरौंहा खरल	226	5-11-66	
43	खुटहा	227	15-8-69	
44	पुरवा तरौहा	232	31-1-83	
45	समापुर	235	21-3-83	
46	भारतपुर तरांव	238	23-6-72	
47	भरथौर	241	14-12-69	
48	चिहारा	242	3-85	
49	हरिहरपुर	244	25-5-72	
50	मुकुन्दपुर	254	23-6-72	
51	खोही	256	15-3-67	
52	संग्रामपुर	258	25-7-70	
53	बरमपुर।	259	28-8-70	
54	बालापुर माफी	262	9-11-68	खम्भे व तार नहीं हैं ।
55	बन्दरकोल	263	30-7-70	,,
56	सीतापुर	272	30-4-67	

टिप्पणी—जिन ग्रामों में खम्भे व तार नहीं हैं, उनमें लकड़ी के खम्भे कालांतर में गल गये और कोई कनेक्शन न होने के कारण उन्हें बदला नहीं गया ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड रावर्ट्सगंज, नगवा, चतरा, घोरावल तथा चोपन में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का विवरण :

विकास खण्ड	योजना की स्वीकृति का दिनांक	कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक	योजना में ग्रामों की संख्या	योजना के विद्युतीकरण हेतु ग्रामों की संख्या	योजना की लागत	12/90 तक व्यय	शेष धनराशि की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8
					(रु0 लाख)	(रु0 लाख)	(रु0 लाख)
1—रावर्ट्सगंज	फरवरी, 1988	मार्च, 1988	40	25	51.21	15.65	35.56
2—नगवा	फरवरी, 1985	मार्च, 1985	40	20	38.88	19.08	19.80
3—चतरा	मार्च, 1990	मार्च, 1990	30	28	59.25	2.05	57.20
4—घोरावल	फरवरी, 1988	मार्च, 1988	40	26	59.21	15.25	43.96
5—चोपन	फरवरी, 1987	मार्च, 1987	28	23	75.54	7.29	68.25

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 57 का उत्तर पीछे पृष्ठ 149 पर)

हत्या की घटित घटना दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 31 अगस्त, 1990 तक

क्रमांक	नाम थाना	नाम ग्राम सभा	संख्या घटना
1	2	3	
1	कोतवाली	टाउन एरिया मऊ	4
2	सराय लखंसी	अलीनगर	1
		मदेसुरा	1
		चक मेंहदी	1
		बढुआ ग्रोवाम	1
		रैकवारडीह	1
3	हलधरपुर	पिण्डोहरी	1
4	मुहम्मदाबाद	इटौरा चौबेपुर	1
		जमीन इब्राहमपुर	1
		कोलौरा	1
		हिण्डोरमा	1
		मजही	1
		चलिसवां	1
		तिगाड़ी	1
5	चिरैयाकोट	गोपालपुर	1
6	कोपागंज	रइशा	1
7	घोसी	पकड़ी बुजुर्ग	2
		कारीसाथ	1
		मदारसमतपुर	1
		रामपुर सोहड़	1
		रसूलपुर	1
		लुदुही	1
		घोसी टाउन एरिया	1
		अमिला टाउन एरिया	1

1	2	3	4
8	दोहरीघाट	ठाकुरगांव	1
		रसूलपुर	1
		मुहम्मदाबाद सिपाह	1
		हरधौसी	1
9	मधुबन	छपरा घूसर	1
		कोतवालपुर	1
		पुरावन्धूमल	1
		लखनौर	1
		सिकडीकोल	1
		रोशनपुर	1

लूट/राहजनी की घटित घटना दिनांक 1 जनवरी, 1989 से 31 अगस्त, 1990 तक

1	कोतवाली	टाउन एरिया, मऊ	3
2	सराय लखन्सी	बकवल	1
		किशुपुर	1
3	हलधरपुर	धलईपुर	1
		अरदाना	1
4	मुहम्मदाबाद	टाउन एरिया मुहम्मदाबाद	1
5	घोसी	महमूदपुर	1
		लखनी मुबारकपुर	1
		अमोला	1
		पिड़सुई	1
		टाउन एरिया घोसी	1
6	कोपागंज	फैजुल्लापुर	1

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 57 पर)

संलग्नक—क

पनकी पावर हाउस कानपुर से बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में पहुंचने वाली लाइन के बिजली के तार जून, 1990 से 4 सितम्बर, 1990 तक जहां-जहां कटे हैं तथा जिन थानों में इसकी सूचना दर्ज कराई गयी है, की सूची :

तार चोरी होने का दिनांक	तार चोरी होने का स्थान	तार की लम्बाई	थाना जहां रिपोर्ट लिखाई गयी	प्राथमिक सूचना क्रमांक
1	2	3	4	5
23-6-90	मन्धना चौबेपुर सेक्शन	200 मी0	चौबेपुर	-/27-6-90
15/16-6-90	कल्यानपुर सेक्शन	500 मी0	कल्यानपुर	-/16-6-90
4/5-6-90	बिल्हौर शिवराजपुर सेक्शन	500 मी0	बिल्हौर	-/5-6-90
25/26-6-90	चौबेपुर शिवली सेक्शन	1300 मी0	शिवली	76/5-7-90
18/19-5-90	शिवली ग्रामीण	1000 मी0	शिवली	58/23-5-90
23/24-5-90	चौबेपुर शिवली	1100 मी0	शिवली	63/2-6-90
22/23-5-90	चौबेपुर ग्रामीण	600 मी0	चौबेपुर	45/24-5-90
19/20-7-90	बारा सिरोही कल्याणपुर	360 मी0	कल्यानपुर	504/21-7-90
22/23-7-90	रामनगर बिल्हौर	250 मी0	बिल्हौर	-/24-7-90
23/24-7-90	शिवली	5700 मी0	शिवली	-/24-7-90
25/26-7-90	दिलीपनगर	1300 मी0	शिवली	-/26-7-90
23/24-7-90	राम नगर बिठूर	120 मी0	बिठूर	98/24-7-90
28-7-90	वाचापुरवा	500 मी0	चौबेपुर	78/1162871
13/14-7-90	सकरमा	2200 मी0	शिवली	81/17-7-90
17/18-7-90	मनौली	1350 मी0	शिवली	85/18-7-90
7/8-7-90	चौबेपुर बिल्हौर के बीच	500 मी0	बिल्हौर	65/1161854
1/2-8-90	पटकापुर	500 मी0	शिवराजपुर	104/3147635
5/6-8-90	कोल्डस्टोरेज	1200 मी0	बिठूर	107/84447
24-8-90	भैसऊ	500 मी0	शिवली	-/24-8-90
23/24-8-90	मल्लापुर	600 मी0	बिल्हौर	223/24-8-90
2/3-8-90	तरसूपुर	750 मी0	बिल्हौर	68/3-8-90

संलग्नक—ख

पुलिस के तथा प्रशासन के जिन अधिकारियों को जिस तारीख को सूचना देकर सहयोग करने का निवेदन किया गया की सूची, तारीख एवं पत्रांक के साथ :

क्रमांक	सम्बन्धित अधिकारी	पत्रांक एवं दिनांक
1	क्षेत्राधिकारी पुलिस, बिल्हौर/ परगनाधिकारी, बिल्हौर,	454/वि0वि0ख0वि0/16-4-90
2.	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	273/वि0वि0ख0/कैम्प/24-4-90
3	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	24/वि0वि0उ0ख0रुरा/14-5-90
4	जिलाधिकारी, कानपुर देहात/ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	25/वि0वि0उ0ख0रुरा/14-5-90
5	जिलाधिकारी, कानपुर देहात	1126/वि0वि0ख0/कैम्प/24-5-90
6	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात	1278/वि0वि0ख0का0/कैम्प/6-6-90
7	जिलाधिकारी, कानपुर देहात/ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	1755/वि0वि0ख0 का0/कैम्प/20-7-90
8	जिलाधिकारी, कानपुर देहात/पुलिस अधीक्षक, कानपुर	1810/वि0वि0ख0क10/कैम्प/25-7-90
9	पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात/ जिलाधिकारी, कानपुर देहात	2681/वि0वि0उ0का0का0/टी-1/25-8-90
10	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात व कानपुर नगर/जिलाधिकारी देहात व नगर	217/वि0वि0ख0का0/कैम्प/31-8-90
11	मुख्य क्षेत्राधिकारी, तहसील बिल्हौर/ पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, कानपुर देहात	5708/वि0वि0ख0ख0/बिल्हौर/2-9-90
12	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात/ उपपुलिस अधीक्षक, अकबरपुर	109/वि0वि0उ0ख0/रुरा/चोरी/10-9-90
13	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	260/वि0वि0उ0ख0-कैम्प/रुरा/15-10-90
14	पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, कानपुर नगर	3456/वि0वि0उ0ख0का0/टी-1/28-11-90
15	पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी, कानपुर नगर	3567/वि0वि0उ0ख0का0/टी-1/21-12-90
16	पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात	3595/वि0वि0उ0ख0का0/टी-1/27-12-90

पुलिस के तथा प्रशासन के जिन अधिकारियों को जिस तारीख को सूचना देकर सहयोग करने का निवेदन किया गया की सूची, तारीख एवं पत्रांक के साथ :

1—पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर क्षेत्र, कानपुर ।	पत्र सं0 872/वि0 वि0 मं0 का0/टी–5, दिनांक 8–3–90 ।
2—पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात/पुलिस उप महानिरीक्षक/जिलाधिकारी, कानपुर देहात ।	अर्धशा0पत्र सं0 890/वि0 वि0 मं0का0/टी–5, दिनांक 20–3–90 ।
3—पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ।	पत्र सं0 1938/वि0 वि0 मं0 का0/टी–5, दिनांक 30–5–90 ।
4—जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर ।	पत्र सं0 453/वि0 वि0 मं0 का0/टी–5, दिनांक 3–2–90 ।
5—जिलाधिकारी/आयुक्त कानपुर मण्डल/ पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ।	पत्र संख्या 3407/वि0 वि0 मं0 का0/टी–5, दिनांक 1–9–90 ।
6—जिलाधिकारी कानपुर देहात/आयुक्त कानपुर मण्डल/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात ।	पत्र संख्या 3598/वि0 वि0 मं0 का0/टी–5, दिनांक 20–9–90 ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का संलग्नक

तिलहन, दलहन एवं धान के बीज उत्पादकों को पिछले तीन वर्षों में संसाधित बीज पर, जो कि असंसाधित मात्रा का लगभग 80 से 85 प्रतिशत होता है, भुगतान की गई दरों का प्रति कुन्तल ब्योरा :

क्रम-संख्या	फसल	फसल वर्ष 1988	फसल वर्ष 1989	फसल वर्ष 1990
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1—	तिलहन—			
	(अ) लाही/राई	980.00	800.00	950.00
	(ब) अलसी	980.00	800.00	1,000.00
	(स) मूंगफली	900.00	800.00	800.00
	(द) सोयाबीन	700.00	675.00	675.00
2—	दलहन—			
	(अ) मटर दाल	620.00	750.00	770.00
	(ब) चना	720.00	800.00	880.00 910.00
	(स) मसूर	715.00	850.00 750.00	870.00 770.00
	(द) मूंग	775.00	900.00	900.00
	(य) उर्द	775.00	875.00	875.00
	(र) अरहर	958.00	1,000.00	950.00
	(ल) लोबिया	875.00	875.00	875.00
3—	धान मोटा	240.00	256.00	262.00
	धान मध्यम महीन	255.00	267.00	274.00
	धान महीन	..	272.00	279.00
	सबसे महीन धान	..	475.00	482.00

टिप्पणी—उपरोक्त दरें शुद्ध संशोधित बीज पर (जो कि लगभग 80 से 85 प्रतिशत होता है) प्रति कुन्तल के अनुसार किया गया है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान प्रदान किये गये असंसाधित मात्रा पर ही किया गया है।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

संलग्नक

आग्नेयास्त्र लाईसेन्स पर लगे प्रतिबन्ध से 7 श्रेणियों के आवेदकों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है जो निम्न हैं :—

(1) बैंक अधं शा0 एवं सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा हेतु ।

(2) सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो छापे डालने एवं तस्करों को पकड़ने के कार्य से सम्बद्ध हों ।

(3) मृतक लाइसेन्सियों के उत्तराधिकारियों को ।

(4) विधान परिषद्/विधान सभा एवं संसद सदस्य जिनका अपराधिक इतिहास न हो ।

(5) ऐसे लाइसेन्सी जो अपनी वृद्धावस्था के कारण अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण शस्त्र चलाने में असमर्थ हैं के वारिसों के मामले ।

(6) जिन व्यक्तियों के यहां डकैती पड़ जाती है, लूट हो जाती है, हत्या हो जाती है या अन्य जघन्य अपराध हो जाता है जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है ।

(7) शासकीय अधिकारी जिन्हें अपने कर्तव्यों के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ....पर)

जनपद जालौन में प्रश्नगत विकास खण्डों में विद्युतीकृत ग्रामों की विकास खण्डवार सूची :

(क) विकास खण्ड माधवगढ़

1—मिहोनी
2—डिकौली
3—अतरेहटी
4—कुरौन्ती
5—निचावड़ी
6—सुल्तानपुरा
7—अटागांव
8—सिहारी माधवगढ़
9—कुरसेडा
10—चितौरी
11—चितौरा
12—इस्लामपुर

13—कासिमपुर
14—गढ़िया
15—गोहन
16—शहबाजपुर
17—पड़ कुला
18—गोरामूपका
19—सराबन
20—कपापुर
21—सिरसाडोपड़ी
22—अमखड़ी
23—चाकी
24—गोपालपुरा जागीर
25—हैदलपुरा
26—मड़ोरा
27—अन्डाई

(ब) विकास खण्ड रामपुरा

1—मिर्जापुर जागीर
2—फतेहपुर कला
3—जगम्मनपुर
4—विलोहा
5—नावर
6—हुसेपुरा
7—जायगा
8—खराई
9—टीहर

(ग) विकास खण्ड कुठौंद

1—कुठौंद
2—कैथवा
3—मड़ोरा
4—हदरूख
5—बस्तेपुर
6—दुरगांव
7—आलमपुर जागीर
8—सिहारी बेलापुर
9—विचौली
10—दीन
11—शहजादेपुर
12—मबारीपुर
13—हरसिंगपुर
14—एकों
15—रामपुरा बालोन

16—हमीदपुरा
17—मोहम्मदपुर
18—अजीतापुर
19—इटों
20—अब्दुलापुर कलार
21—खेड़ा कलार
22—शाखपुर अहीर
23—कुरौली
24—बावली
25—निजामपुर
26—जमालीपुर
27—सिहोना
28—शंकरपुर
29—घौथ
30—ननापुर
31—मदेंख दिवारा
32—रनधीरपुर
33—रूरा जंतिया
34—आल
35—सलेमपुर कालपी
36—ईगरी
37—गौरा राठौर
38—बरियापुर
39—मदनपुर जालौन
40—नोहिली
41—जुगराजपुरा मु0
42—करहिया
43—नौरेजपुर
44—पिपरी पहरवार
45—नवासो
46—पंडितपुर
47—बोनापुर
48—सिरसा कलार
49—तरसौर
50—छानी अहीर
51—जहरौली
52—पिपरी अठगइया
53—सुरावली जालौन
54—शहबाजपुर
55—हाजीपुर
56—विजुआपुर मु0
57—करतलपुर

(घ) [illegible]

1—शेखपुर बुजुर्ग
2—सहाव
3—भदवा
4—छिरिया सलेमपुर
5—सिकरी राजा
6—लहचूरा
7—रनवा
8—सढार
9—सालावाह
10—जगनेवा
11—हरदोई राजा
12—हरगांव
13—पर्वत पुरा
14—माड़री
15—पहाड़पुरा
16—अकोढ़ी
17—भिरारा
18—लोना
19—हरकौती
20—खर्रा
21—कुअरपुरा जाखौन
22—नरायनपुरा
23—कैथ
24—छानी खास
25—उदीतपुरा
26—देवरी
27—गिधौसा
28—खनुआ
29—कुसमरा
30—धनौरा
31—धन्तौली
32—मलकपुरा
33—रूरा मल्लू
34—एदलपुर
35—सूरजपुरा
36—हीरापुर

परिशिष्ट 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 129 का उत्तर पीछे पृष्ठ 76 पर)

आदेश

एतद्द्वारा श्री चन्द्र भूषण सिंह, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, खजनी को आदेशित किया जाता है कि वे कृषि रक्षा इकाई, मटहट का चार्ज श्री जगदीश सिंह, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक से कुरन्त ग्रहण कर लें। यह कार्य वार्षिक सत्यापन की तिथि में ही होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में पूर्व के सभी व्यवस्था सम्बन्धी आदेश निरस्त समझे जायं।

एन0 एल0 सिंह,
कृषि रक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

परिशिष्ट 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 182 का उत्तर पृष्ठ 97 पर)

जनपद वाराणसी में अप्रैल 1990 से 9 सितम्बर, 1990 तक प्रत्येक थाने में हत्या, डकैती, बलात्कार, इनकाउन्टर तथा दूसरे प्रकार के अपराध का विवरण :

क्रम-संख्या	थाने का नाम	हत्या	डकैती	बलात्कार	इनकाउन्टर	दूसरे प्रकार के अपराध
1	2	3	4	5	6	7
1	कोतवाली	2	..	..	..	55
2	आदमपुर	1	..	..	..	30
3	रामनगर	..	..	..	..	47
4	चौक	..	..	..	..	88
5	दशाश्वमेध	..	..	..	..	34
6	लक्सा	2	..	..	1	20
7	मेलपुर	1	..	..	..	97

1	2	3	4	5	6	7
8	लंका	3	..	..	1	31
9	चेतगंज	1	..	1	..	67
10	सिगरा	1	1	..	2	83
11	मंडुवाडीह	1	..	..	..	45
12	जैतपुरा	2	..	..	..	36
13	कैंट	4	..	..	1	121
14	शिवपुर	2	1	..	..	32
15	सारनाथ	2	2	..	..	34
16	मुगलसराय	1	..	..	..	57
17	अलीनगर	..	..	..	..	30
18	चन्दौली	2	1	..	..	51
19	सैयद राजा	..	..	..	..	49
20	धानापुर	..	..	..	..	21
21	चीना	..	..	..	..	19
22	सकलडीहा	..	..	..	..	23
23	बलुआ	..	..	..	..	34
24	चकिया	..	2	..	..	35
25	बबुरी	3	..	..	..	24
26	शाहबगंज	..	..	..	..	20
27	नौगढ़	1	..	..	..	19
28	रोहनियां	1	1	..	1	63
29	मिर्जामुराद	1	..	..	..	67
30	जन्सा	1	..	..	..	53
31	चोलापुर	..	..	..	..	68
32	फूलपुर	1	..	1	..	53
33	बड़ागांव	3	1	..	..	61
34	चौबेपुर	1	2	..	..	59
35	ज्ञानपुर	2	..	..	..	32
36	औराई	3	1	..	..	67
37	भदोही	2	..	1	..	78
38	गोपीगंज	2	..	..	..	63
39	सुरियावां	..	..	..	..	44
40	कोइरौना	..	..	..	..	17
41	चौरी	1	..	..	..	30

परिशिष्ट 'ट'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 199 का उत्तर देखिये पृष्ठ संख्या 104 पर)

सदस्यों के नाम व उन पर घोषित इनाम की धनराशि का विवरण

क्रम-संख्या	नाम व पता	धनराशि
1	2	3
		रु0
1	असलम उर्फ मौंदा पुत्र सब्बीर, निवासी मिलक मेवाती, मगतपुर	2,000.00
2	बीन्नू पुत्र सब्बीर, मिलक मेवाती, मगतपुर	100.00
3	मिच्यू उर्फ राहतजान पुत्र मुसर्रत, निवासी मिलक मेवाती, मगतपुर	100.00
4	अफसर पुत्र रहीम खां, निवासी मिलक मेवाती, मगतपुर	2,000.00
5	उमरयार उर्फ बड़ा पुत्र उमर शेख, निवासी मिलक मेवाती, मगतपुर	100.00
6	फारुख उर्फ गंजा पुत्र बब्बन, निवासी खैरखना, मगतपुर, मुरादाबाद	2,000.00
7	निजामुद्दीन पुत्र लल्लू, निवासी मुबारकपुर, नौगवां, सादात	100.00
8	छज्जन पुत्र सूखा, निवासी मुबारकपुर, नौगवां, सादार्त	100.00
9	इरशाद पुत्र हंसा, निवासी नगलिया, डिडौली	100.00
10	शौकत पुत्र जर्रार हुसैन, फतेहपुर, डिडौली	2,000.00
11	शाजिद उर्फ मुल्ला पुत्र बुद्धा, निवासी फतेहपुर, डिडौली	100.00
12	मुजफ्फर पुत्र मोलू उर्फ मुंशी, निवासी टिकिया, डिडौली	100.00
13	अहसान पुत्र छोटे, असगरीपुर, डिडौली	100.00
14	आरिफ उर्फ हीरो उर्फ हरीसुल पुत्र लतीफ, निवासी फतेहपुर, डिडौली	100.00
15	रकेश पुत्र रामरतन, निवासी हसनपुर कला, डिडौली	100.00
16	मो0 अज्जम पुत्र जफर मुल्ला, निवासी पीपलसाना, मोजपुर	100.00
17	रहीस पुत्र असगर बघेल, निवासी पीपलसाना, मोजपुर	100.00
18	महबूब पुत्र याकूब, निवासी पीपलसाना, मोजपुर	100.00
19	पूरन पुत्र भदई, निवासी पीपलसाना, मोजपुर	100.00
20	अफसर अली पुत्र रफीक, निवासी सरदारनगर, मोजपुर	100.00
21	अनवार पुत्र अल्लादीन, निवासी सरदारनगर, मोजपुर	100.00
22	असरफ पुत्र नियाज, निवासी बसरगंज, मोजपुर	100.00
23	अमजद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी बसरगंज, मोजपुर	100.00
24	रिजवान पुत्र शरीफ, निवासी कैरवांबाकू, मोजपुर	100.00

1	2	3
		रु 0,
25	जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र पुत्र रामपाल, निवासी ऊंचागांव, फटघर	100.00
26	मेत्रपाल पुत्र जागन, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
27	छत्रपाल पुत्र जागन, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
28	मिस्थार पुत्र नन्हें, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
29	नन्हें पुत्र असरफ, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	2,000.00
30	सफीक पुत्र रफीक उर्फ नन्हें पुत्र शब्बीर, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	2,000.00
31	महबूब पुत्र मोलू, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	2,000.00
32	सगीर उर्फ मुल्ला पुत्र सकूर, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	2,000.00
33	शराफत पुत्र मूरा, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
34	अहमद हसन उर्फ हामिद पुत्र मूरा, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
35	राम सिंह पुत्र पुर्जन, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
36	मियाज बहादुर पुत्र बुद्धसेन, निवासी नरपतनगर, थाना स्वार, रामपुर	100.00
37	अनवार पुत्र कलुवा शेख, निवासी मसवासी, स्वार, जनपद रामपुर	100.00
38	मो0 यूनुस पुत्र नजाकत, निवासी बूढ़ी दड़ियाल, स्वार, रामपुर	100.00
39	अकबर उर्फ लोटन पुत्र रोशन, निवासी मनिहारन, टांडा, रामपुर	100.00
40	जमील मास्टर पुत्र रज्जाक, निवासी मनिहारन, टांडा, रामपुर	100.00
41	महीलाल पुत्र मौखी, निवासी केशव नगली, टांडा, रामपुर	100.00
42	नन्हें पुत्र कल्लू, निवासी कटखेड़ा, टांडा, रामपुर	100.00
43	वाहिद पुत्र नजीर, निवासी केशव नगली, टांडा, रामपुर	100.00
44	रूपा उर्फ रूप चन्द्र पुत्र ओम प्रकाश, निवासी चाहसीरी, कोतवाली, जनपद बिजनौर	2,000.00